राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] तेरहवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का दूसरा दिवस [संख्या : 2

मंगलवार;

23 फरवरी, 2010

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न संख्या-1, श्री राव राजेन्द्र सिंह।

नौनिहालों को गम्भीर बीमारियों से बचाव हेतु नि:शुल्क टीकाकरण

1. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कई कार्यक्रमों के तहत नौनिहालों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु सहायता/राशि उपलब्ध करवाई जाती है? यदि हां, तो किस-किस कार्यक्रम हेतु क्या-क्या सहायता/राशि उपलब्ध करवाई जाती है?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा नौनिहालों के लिए मुफ्त टीकाकरण की भी व्यवस्था की हुई है? यदि हां, तो कौन-कौन से टीके मुफ्त लगाये जाते हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा नौनिहालों के लिए हेपेटाइटिस, मस्तिष्क ज्वर, निमोनिया, चिकन पाक्स व स्वाइन फ्लू के टीकाकरण की मुफ्त व्यवस्था है? क्या सरकार उक्त टीकों के मुफ्त टीकाकरण की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां): (1) जी हां। सरकार द्वारा नौनिहालों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु जिन कार्यक्रमों के

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

अन्तर्गत सहायता/राशि उपलब्ध करवाई जाती है उनका विवरण परिशिष्ट-'अ' पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। सरकार द्वारा नौनिहालों के लिए जिन बीमारियों के लिए मुफ्त टीकाकरण की व्यवस्था की हुई है उनका विवरण परिशिष्ट 'ब' पर प्रस्तुत है।

(3) भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गये पायलट कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य के केवल जयपुर शहर में 0 से 1 वर्ष तक के सभी बच्चों को हेपेटाइटिस-बी (Hepatitis-B) का टीका भी नि:शुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है।

राज्य के समस्त जिलों के 0 से 1 वर्ष तक के बच्चों को हेपेटाइटिस-बी (Hepatitis-B) का नि:शुल्क टीका प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाये गये हैं। भारत सरकार से इस संबंध में स्वीकृति तथा वैक्सीन प्राप्त होते ही बच्चों का टीकाकरण प्रारम्भ किया जा सकेगा।

भारत सरकार द्वारा मस्तिष्क ज्वर (Meningococcal Meningitis), चिकन पॉक्स (Chicken Pox) एवं निमोनिया (Pneumonia) का टीका नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में अभी तक सम्मिलित नहीं किया गया है। भारत सरकार द्वारा इन्हें सम्मिलित किये जाने व इनका टीका राज्य को उपलब्ध करवाये जाने पर ही यह सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकेगी।

स्वाईन फ्लू का टीका भारत सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं हुआ है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि टोटल जो इम्युनाइजेशन प्रोग्राम है आपका गवर्नमेंट आफ राजस्थान का, आखिर में परसेंटेज आपके कितने हैं? जितने बच्चे योग्य हैं, जिनको इन वैक्सीन द्वारा जो आप लोग अभी तक काम में ले रहे हैं, एण्ड प्रोडेक्ट के अन्दर आपका रिजल्ट कितना आता है? What is the total percentage of result after total immunization and what is the output?

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इम्युनाइजेशन के अलग-अलग फिगर्स हैं। अब मिसाल के तौर पर पल्स पोलियो इम्युनाइजेशन 2009-2010 के फिगर्स हमारे पास हैं यह फ्रॉम 01 मार्च, 2009 से लेकर 07 फरवरी, 2010 तक के हैं। आप चाहें तो यह मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): इसमें राजस्थान फेमिली हैल्थ सर्वे रिपोर्ट का मैं आपको वह स्टेटिस्टिक्स बताता हूं, जिसमें जो वाइटल वैक्सीन्स हैं जो कि आपकी एप्रूव्ड है, जिसको इम्युनाइजेशन प्रोग्राम में लेते है, Let us start from BCG giren at the time of the birth, followed by DPT 1, 2 and 3 then polio 1, 2 and 3 and measles इन पूरों को लेकर जो कम्पोनेंट होता है, उसका टोटल इम्युनाइजेशन प्रोग्राम की डेफिनेशन को फुलफिल करता है। Now it starts with 72% when it is BCG. By the time it reaches measles in male, it comes down to 26% In female it starts with 64% when it is BCG, which is again very less in comparison to the male child but when it comes down to all basic vaccinations and immunization, it is just 26%. अब आप अगर प्रोग्राम को डिफाइन ही इम्युनाइजेशन के नाम से कर रहे हैं तो एण्ड प्रोडेक्ट रिजल्ट यह रहा कि जहां 100 बच्चे इम्युनाइज्ड होने थे, आखिर में जाकर इम्युनाइजेशन, उसकी डेफिनेशन तब ही फुलफिल होगी जब ये तीनों वैक्सीन या जितने वैक्सीन, जितने समय में लगने चाहिए वे पूरे लग जाएंगे। तब जाकर उनका इम्युनाइजेशन पूरा होगा। अगर नहीं होता तो इसका मतलब यह हुआ कि 100 बच्चों में से इम्युनाइजेशन सिर्फ 26 का होता है, बाकी 74 परसेंट बच्चे नॉन-इम्युनाइज रह जाते हैं।

दूसरा, साथ ही आप यह भी बता दें, आपकी युनाइटेड नेशन्स की सर्वे रिपोर्ट है जो यह साफ कहती है कि above 1.7 million children who are not immunized, die each year due to diphtheria, measles and pertussis आप डी.पी.टी. के थ्रू देते हैं, polio, tuberculosis and tetanus. इस इम्युनाइजेशन प्रोग्राम के अन्दर आपने हेपेटाइटिस नहीं ले रखा व एम.एम.आर. नहीं ले रखा। एम.एम.आर. आपने नहीं ले रखा परन्तु उसकी कोस्ट तो आपने इसमें इन्क्लुड कर रखी है।

आखिर यह बतायें कि इसमें भी आपने कुछ चीजें सिर्फ जयपुर शहर तक सीमित कर रखी हैं। अब हेपेटाइटिस-बी का वैक्सीन तो आता 50 रुपये में है, according to your medical report. आपकी गवर्नमेंट रिपोर्ट कहती है कि 50 रुपये में आता है। 50 रुपये का हेपेटाइटिस-बी का टीका इतना महंगा तो है नहीं कि सिर्फ जयपुर शहर तक ही सीमित आप रखें। इस हेपेटाइटिस-बी के टीके की ग्रामीण इलाके में आवश्यकता नहीं है क्या? आपकी स्टेटिस्टिक्स यह कहती है कि 70 परसेंट से ज्यादा जनता ग्रामीण इलाके में रहती है और ग्रामीण इलाके के बच्चों को जहां टोटली इम्युनाइजेशन का सिर्फ 26 परसेंट मिल रहा है एण्ड प्रोडक्ट, फिर भी जयपुर शहर में ही हेपेटाइटिस-

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

बी है। बाकी सारे के सारे प्रदेश के अन्दर हेपेटाइटिस-बी नहीं है। या तो वे बच्चे इतने इम्यून हैं, उनकी एण्टीबोडीज इतनी ज्यादा है कि हेपेटाइटिस-बी के वे रोगी हो ही नहीं सकते या हम यह बात कहना चाहते हैं कि क्योंकि यह स्टेट के कंसोलिडेटेड फण्ड से इंवेस्टेड चीज है इसलिए आप इसको सिर्फ जयपुर शहर तक सीमित रखना चाहते हैं।

तीसरा, आप यह बतायें, आपका आई.सी.डी.एस. प्रोग्राम है, इंटिग्रेटेड चाइल्ड डवलपमेंट स्कीम, जो आंगन बाड़ियों के माध्यम से होता है। आँगन-बाड़ी यह 26 परसेंट में से कितने परसेंट बच्चों को इम्युनाइजड करवाती हैं, वह आपका स्टेटिस्टिक्स रिकार्ड क्या है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बताओ साहब।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपने यह हेपेटाइटिस के इम्युनाइजेशन की जो बात कही है, यह एम.एम.आर. है, एम.एम.आर. की जो है, यह पूरे पापुलेशन के लिए फिलहाल हमारे लिए प्राब्लम है क्योंकि यह कोस्टली है और इसीलिए हमने पिछले मई में और 02.02.2010 को एक रिमाइंडर के साथ गवर्नमेंट आफ इंडिया को यह भेजा है कि यह नि:शुल्क हमें पूरे राजस्थान के लिए किया जाए। अभी हमारे पास इसके जो रिजल्ट्स जयपुर के आये हैं उसके बेसिस पर हमारा प्रयास यह है कि आगे आने वाले समय में और बहुत जल्दी हम इसको फ्री उपलब्ध सारे राजस्थान में करवायें, यह मैं आपको विश्वास दिलवाना चाहता हूं।

दूसरा, आपने जो...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: टेबल बजाओ तो कोई बात भी करो, कुछ तो शर्म करो।

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिए। जवाब आने दीजिए प्लीज। कृपया शांति रखें।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपने जो यह फिगर्स, आकड़े दिये हैं तो जो हमारे पास आकड़े हैं, कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्धियां प्रतिशत के हिसाब से टी.टी. के, ओ.पी.बी.-3, डी.पी.टी.-3, बी.सी.जी. और खसरा, इसके फिगर 2003 से 2010 तक के हैं, यह अगर आप कहेंगे तो मैं आपको परसेंटेजवाइज उपलब्ध करा दूंगा ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप तो इसी वर्ष के बता दो।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इस वर्ष गर्भवती महिला को 2009-2010 तक, दिसम्बर, 2009 तक 63.16 परसेंट है और ओ.पी.बी.-3 का 65.23, डी.पी.टी.-3 के 65.23, बी.सी.जी.-73.59 और खसरा 64.83, ये फिगर्स जो हैं यह दिसम्बर तक के हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, I am not trying to... This is not limited to one Government. This shows right across.....(Interruption)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया स्पेसिफिक प्रश्न पूछें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं स्पेसिफिक ही पूछ रहा हूं। यह जो आज की परिस्थिति है यह किसी एक सरकार की बनाई हुई परिस्थिति नहीं है। मैं सिर्फ आपसे यह पूछ रहा था कि क्या यह सही है कि इम्युनाइजेशन प्रोग्राम का जब एण्ड रिजल्ट आता है और जो इम्युनाइजेशन की डेफिनेशन में आता है उसमें से भी 26 परसेंट बच्चे को ही हम इम्युनाइज्ड कर पाते हैं। पहली बात तो यह है।

दूसरी बात यह है कि आपके हैल्थ सर्वे रिपोर्ट के अन्दर इण्टरव्युड कॉलम है, जिसमें यह लिखा है- ''Zero per cent of mothers interviewed received any nutrition counseling in the State, that is Anganwadi, 19% of women said they were visited by the Anganwadi worker and only 24% said the child's growth chart was discussed with them." अगर यह बेसिक चीज है तो आंगनबाड़ी का बेसिक काम क्या है? आंगनबाड़ी के माध्यम से ही आप इस चीज को, एजुकेशन को जनरेट कर रहे हैं, इम्युनाइजेशन के बारे में, हैल्थ कांशसनैस के बारे में।

दूसरा, जो आपने आंकड़े बताये, मैं आपको आंकड़े बता देता हूं उसको आप चैक कर लें। आपके डी.पी.टी. के पहले डोज में आता है तो 68 पर्सेंटेज रहता है, सैकण्ड डोज तक 56 पर्सेंटेज हो जाता है, तीसरे डोज तक तो वह 42.3 पर्सेंटेज आ जाता है। पोलियो का पहले 95 पर्सेंटेज आता है, दूसरे डोज तक 86 पर्सेंटेज आ जाता है और तीसरे डोज तक 65 पर्सेंटेज आ जाता है। मीजल्स तो चालू ही 42 पर्सेंटेज से होता है। अगर इनका एग्रीगेट एवरेज निकालेंगे तो 26 प्रतिशत आता है। 21वीं शताब्दी के बच्चे की हैल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, We, as politicians, are not discussing the next elections but we are talking about the next generation.

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है आपका?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): प्रश्न यह था कि मैं जो आंकड़े बता रहा हूं, वे सही हैं या नहीं?

दूसरी बात, आप यह भी बता दें कि क्या यह सही है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के 1979 की गाइड लाइन के हिसाब से जितना एस.सी.पी. प्लान है और टी एस पी प्लान है, जितनी हमारी एस.सी. की और ट्राइबल्स की पर्सेंटेज है, उतना पैसा आपको हैल्थ सर्विसेज में उस पर्सेंटेज के आधार पर देना पड़ेगा। अगर वह पर्सेंटेज देखें तो आपकी 4 पर्सेंट है, जबकि 17 पर्सेंट तो एस. सी. पी. प्लान में जाना चाहिये और 12 पर्सेंट टी एस पी प्लान में जाना चाहिये। एक में जा रहा है 4 पर्सेंट और दूसरे में जा रहा है ढाई पर्सेंट। अगर आप चाहें तो मैं वह आकंड़े भी आपको बता देता हूं।

श्री अध्यक्ष: जवाब दें माननीय मंत्रीजी। कृपया विराजें।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इसमें कोई शक नहीं है कि जो पर्सेंटेज हमारी होनी चाहिये खास तौर से ग्रामीण इलाकों में इम्युनाइजेशन की, वह प्रोग्रेसिवली कम होती जाती है। इसलिये हमने यह सिस्टम कार्ड का किया है और जहां सब सेंटर्स में एक-एक ए.एन.एम. थीं, अब वहां दो-दो रखने का प्रयास किया है। वह इसीलिये किया है कि फोलो-अप, अब डोर-टू-डोर जाकर कैम्पेन करके हमारी पर्सेंटेज नहीं गिरे और उसको हम मेन्टेन कर पायें, बल्कि उसको बढ़ा पायें, उसके लिये हमारा पूरा प्रयास है। एन.आर.एच.एम. से दूसरी ए.एन.एम. मिल गयी है और आगे आने वाले समय में स्टेट की तरफ से हमारा प्रयास रहेगा कि तीसरी ए.एन.एम. भी हो ताकि इवन एट द सब-सेंटर्स लेवल पर हम उस फीगर को मेन्टेन कर पायें और बढ़ा पायें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मंत्री महोदय, आप फर्मा देना, मैं एक ही बात पूछ रहा हूं। टोटल इम्युनाइजेशन प्रोग्राम की डेफिनेशन को क्या आपकी स्टेटिस्टिक्स अप्रूव करती है या we agree in this House today that yes we have been defeated as far as immunization of the children aoncerned. और मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इम्युनाइजेशन प्रोग्राम में आपने वे वैक्सीन तो लिये ही नहीं हैं जो यू.एन.ओ. द्वारा भी अप्रूव्ड हैं। we are only limiting it to what the Indian Council of Paediatricians has subscribeto. You have not included influenza, you have not included the hepatitis-A, you have not included T. virus. यह आपने कोई इन्क्लुड नहीं रखा है। इसके

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

बावजूद भी जो मिनिमम है सिर्फ इसलिये कि सारी की सारी स्कीम सेंट्रल स्पोन्सर्ड बजट पर चलती हैं तो स्टेट का कोई कांशस नहीं है क्या?

मैं आपको बताना चाहता हूं 789 आपका बजट हैड है एस.सी. का, आपकी पर्सेंटेज है 2.53 और टी एस पी का हैड है 796, आपकी पर्सेंटेज है 4.18...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया विराजें। केवल एक-एक सप्लीमेंट्री राजेन्द्र सिंहजी और डा. साहब करेंगे।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): लेकिन मैंने क्या गुनाह कर दिया? मैंने क्या गुनाह कर दिया?

श्री अध्यक्ष: आपका जवाब दे रहे हैं न। साथ ही जवाब दिला रहे हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): वे मुझसे सीनियर हैं, मुझसे बड़े हैं, हमारे चीफ व्हिफ हैं। एक बार उनको फरमायें कि वे पूछे...

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): और अच्छे प्रश्न पूछें, लेकिन या तो मेरे प्रश्न का आप फरमा दें कि जवाब आ गया।

श्री अध्यक्ष: नहीं, जवाब दिलवा रहे हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं फिर यह निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: 14 मिनट हो गये एक प्रश्न को। एक प्रश्न को 14 मिनट हो रहे हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं it is not limited to one governemnt. We are talking about the system spread over the last 60 years. It is not because किसी एक गवर्नमेंट के खिलाफ हम कोई बात बोल रहे हैं, यहां यह बात नहीं है। हम यह चाह रहे हैं कि 21वीं शताब्दी में जिस बच्चे के बारे में हम सोच रहे हैं, आखिर उन बच्चों की क्या हालत है? हम किस प्रकार से हैल्थ कांशस है?

श्री अध्यक्ष: आपका जवाब दिलवा रहे हैं। एक-एक प्रश्न आप पूछ लीजिये, साथ ही जवाब आ जायेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने अपने जवाब में कहा कि इस

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सरकार के पास संसाधन कम हैं इसलिये हम टीकाकरण के पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से नहीं चला सकते हैं। यह आपने कहा।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह नहीं कहा मैंने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह आपने खुद ने कहा। मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने अब तक मस्तिष्क ज्वर, चिकन पाक्स और निमोनिया में टीकाकरण के काम को इसलिये हाथ में नहीं लिया कि भारत सरकार से टीकाकरण का पैसा नहीं मिल रहा? क्या इसकी आवश्यकता आप महसूस नहीं कर रहे? क्या सरकार खुद स्वयं का प्रोजेक्ट बनाकर राजस्थान के इस अंचल में इसको लागू करना चाहती है?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। डाक्टर साहब, सिर्फ एक स्पेसिफिक क्वेश्चन। दो नहीं, बस एक की ही इजाजत दी है। कृपया विराजें, जवाब एक साथ नहीं आ पायेगा। माननीय डाक्टर साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, टीकाकरण के नाम पर जोधपुर में खाली शीशियां बेची गयीं। आपकी जानकारी में आया, परन्तु, क्या आपने जांच करवाई?

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं अलाऊ करूंगा। भाषण नहीं, प्लीज। प्लीज बिराजें। भाषण नहीं। डा. साहब आप बोलें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, अभी हमारे माननीय सदस्य का जो बेसिक क्वेश्चन था, वास्तव में तो उसका जवाब आया नहीं है परन्तु अगर अपने पास संसाधन कम भी हैं, जो मेडिकल पर्सनल इसमें इन्वॉल्ड हैं right from the ANM to the Doctors and Surgeons, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि कम से कम मेनिनजाइटिस, हैपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों के लिये अपने स्टॉफ की सुरक्षा के लिये तो कम से कम सरकार प्रावधान कर सकती है। उनको इम्युनाइजेशन, हैपेटाइटिस का, वैक्सीन एक ए.एन.एम. को भी लगे, सर्जन को भी लगे। एक सर्जन की जयपुर में डैथ हो चुकी because of hepatitis क्या सरकार मेडिकल डिपार्टमेंट के जो वर्कर्स हैं, उनकी सेफ्टी के लिये फ्री इम्युनाइजेशन जैसे हैपेटाइटिस और मेनिनजाइटिस का, इस तरह का विचार रखती है? नम्बर एक...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजें। बस प्लीज। फिर जवाब नहीं आ पायेगा। एक साथ जवाब यहां मिक्स-अप हो जायेगा।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सबसे पहले तो मैं राव राजेन्द्र सिंहजी को यह बताना चाहता हूं कि we are not defeated at all और हमारा पूरा प्रयास है कि हमारी जो कमियां हैं, इनकी हम जल्दी से जल्दी पूरी पूर्ति करायें। We are going to continue with this programme vehemently. मैं उसके लिये आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपने कहा स्टेट की कमिटमेंट के बारे में, अब मिसाल के तौर पर 2009-10 में टीकाकरण के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों हेतु भारत सरकार द्वारा राशि 18.62 करोड़ का प्रावधान रखा था। बावजूद इसके हमारे पास खाली 6.49 करोड़ रुपये वहां से आये थे। स्टेट सरकार ने उसमें 12.06 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई ताकि उस प्रोग्राम में कोई कमी नहीं रहे। तो मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं कि चाहे कोई भी हमारा टीकाकरण का प्रोग्राम चल रहा हो, उसमें राशि की हम कमी नहीं आने देंगे और अगर आप इन्तजार करें, आगे आने वाले बजट में हो सकता है आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उतना नहीं तो भी काफी उसमें आपको सहारा मिलेगा।

जहां तक डाक्टर साहब ने फरमाया कि एम्प्लाइज काम कर रहे हैं, उनको प्रिफरेंस उसमें आगे आने वाले समय में जरूर देंगे।

आपका मैं भूल गया।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। अगला प्रश्न, श्री अब्दुल सगीर खान। चर्चा समाप्त हुई। माननीय सदस्य, 18 मिनट इसमें पूरे हो चुके हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): एक चीज और बता दें। अध्यक्ष महोदय, एक छोटा-सा स्टेटिस्टिक्स वाला है। (व्यवधान) आपने दो माननीय सदस्यों को सप्लीमेंट्री करने दिया। मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान का ऑल इण्डिया में स्टेटस क्या है? आल इण्डिया लेवल पर हमारा क्या स्टेटस है? उत्तर प्रदेश और नागालैण्ड ही दो ऐसे स्टेट हैं जहां ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया विराजें। अगले प्रश्न का जवाब आ रहा है।

धौलपुर जिले में टूरिस्ट काम्पलेक्स की स्थापना

2. श्री अब्दुल सगीर खाँ (धौलपुर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि धौलपुर पुरानी ऐतिहासिक नगरी है जहां अनेकों ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल जैसे तालाबशाही, मचकुण्ड तीर्थस्थल एवं वन विहार स्थित हैं? क्या सरकार धौलपुर को टूरिस्ट काम्पलेक्स बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती बीना काक): जी हां। पर्यटन विभाग में धौलपुर को केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की योजना विचाराधीन है, जिसके लिये प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट मार्च, 2010 तक तैयार करवाया जाना प्रस्तावित है।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि यह प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो मांगी गयी है, यह किन-किन बिन्दुओं पर है?

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, धौलपुर ऐतिहासिक महत्व का स्थान है। धवलगिरी, धोलागिरी और फिर महाभारत के समय से, बौद्धकालीन समय से, मुगलकाल सुल्तानों के समय से और उसकी अहमियत को हम समझते हैं। तो जो प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, उसमें जिन पाइंटस को लिया जायेगा, वह माननीय सदस्य को मैं बताना चाहती हूं कि

तालाबशाही धौलपुर का संरक्षण एवं पुनरुद्धार कार्य, क्लाक टावर, धौलपुर का संरक्षण एवं पुनरुद्धार कार्य, शेपरू टेम्पल का संरक्षण एवं पुनरुद्धार कार्य, चौपड़ा कुण्ड का संरक्षण एवं पुनरुद्धार कार्य, गांधीघाट, सरमथुरा का पुनरुद्धार एवं विकास कार्य। ये करीब साढ़े चार करोड़ की लागत के कार्य प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में लिए गए हैं।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि टयुरिज्म को डवलप करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। क्या ट्रांसपोर्टेशन के लिए माडर्न बस स्टैण्ड, डिपो, certain trains coming from Delhi to Gwaliar, etc. क्या उनके लिए भी आपने प्रावधान किया है? और एप्रोच रोड टू दीज प्लेसेज, क्या आपने उनकी भी व्यवस्था की है? और यह कब तक इम्प्लीमेंट होगा? क्या इस सरकार के दौरान ही हो जाएगा या फिर यह विचाराधीन प्रश्न ही रहेगा?

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, छह साल पूर्व धौलपुर में काफी काम हुए हैं। चाहे वह बावड़ियों और जर्जर पड़े हुए किलों के या महलों के हों, सरकारी एजेंसियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करवाये गये थे। नो डाउट यह जो जगह है, इम्पोर्टेंस की जगह है। सबसे बड़ी कमी जो वहां पर है, वह टयुरिस्ट के वहां पर रहने की व्यवस्था की है। होटल एक ही है, महल केवल दस बारह कमरों का ही एक है और वहां पर लोगों को ठहराने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। होटल्स भी बनवाने पड़ेंगे। इन्फ्रास्ट्रक्चर लोगों को खुद को भी अपनी जगह की अहमियत समझकर, जब तक यह ठहराव नहीं होगा तब तक यह मुश्किल है लेकिन राज्य सरकार सड़कों के दृष्टिकोण से टयूरिस्ट डेस्टीनेशंस को जोड़ती हुई सड़कों को प्रायोरिटी से ले रही है। ऐसा मुख्य मंत्रीजी ने अपने पहले बजट भाषण में भी कहा था। जहां तक जो भी प्रचार और प्रसार करना है, पब्लिसिटी करनी है, प्रमोशन करना है, वह राज्य सरकार जरूर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेगी। धन्यवाद।

श्री सुखराम (बसेड़ी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि धौलपुर में ऐतिहासिक महत्व के कई स्थान हैं, उन स्थानों पर अवैध खनन हो रहा है। सरकार उस अवैध खनन को रोकने के लिए क्या कर रही है?

श्री अध्यक्ष: ये खान मंत्री नहीं हैं, पर्यटन मंत्री हैं।

श्री सुखराम (बसेड़ी): ये पर्यटन स्थल हैं, सर। मैं पर्यटन स्थलों की ही बात कर रहा हूं। मैं खनन की बात नहीं कर रहा हूं।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): किसी पर्यटन स्थल के ऊपर यदि खनन हो रहा हो, माननीय सदस्य, तो आप मुझे बता दीजिए। मैं खान मंत्रीजी से इस बारे में अवश्य बात करूंगी।

श्री सुखराम (बसेड़ी): मैं वही निवेदन कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। दमोह प्राकृतिक झरना है। दूसरा रमदा है जो रामायणकालीन पर्यटन स्थल है। तीसरा, जो किले हैं उनके आसपास अवैध खनन हो रहा है। सरकार एक तरफ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपने विचार रख रही है, दूसरी तरफ उन पर्यटन स्थलों को नष्ट करने के लिए खनन कर रही है। उसके लिए सरकार क्या कर रही है?

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय सदस्य,

(श्रीमती बीना काक)

एक टास्क फोर्स माइनिंग विभाग की तरफ से बनी हुई है, वह इन सभी चीजों का अध्ययन कर रही है। ये पर्टिकुलर जो जगह आपने बतायी हैं किले के आसपास और रमदा जगह पर, उनकी मैं जानकारी ले लूंगी और आपको सूचित करवा दूंगी और अगर कड़ा कोई एक्शन लेना है तो लूंगी। यह भी आपको आश्वासन देती हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: धौलपुर से संबंधित अगर कोई हो तो... (व्यवधान) कृपया शांत रहें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि भरतपुर में डीग एक ऐतिहासिक जगह है...

श्री अध्यक्ष: यह प्रश्न धौलपुर से संबंधित है। आप धौलपुर जिले की ही बात कर सकते हैं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): भरतपुर और धौलपुर एक ही बात है। पहले धौलपुर भरतपुर का ही पार्ट था। डीग के जो महल हैं, मेरे ख्याल से राजस्थान में दूसरा मोन्युमेंट ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। डीग की स्थिति आज अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से नरक जैसी स्थिति है। वहां पर जो टयुरिस्ट आते हैं, वे मेरे ख्याल से नाक दबाकर ही जाते होंगे। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि डीग कस्बे के सौन्दर्यीकरण के लिए क्या टयुरिज्म विभाग की तरफ से बजट का प्रावधान रखेंगे जिससे बाहर से आने वाले लोगों को लगे कि राजधानी रही हुई, महाराजा सूरजमल जैसे व्यक्तित्व की डीग राजधानी रही हुई है? तो क्या डीग कस्बे के सौन्दर्यीकरण हेतु बजट का प्रावधान आप रखेंगी? यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। (व्यवधान) हमने पांच साल किया वह आपको मालूम है।

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब, विराजें। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया चर्चा नहीं करें। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य केवल धौलपुर की बात करेंगे।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं तो कालीबंगा की बात करना चाहता हूं। पहले मंत्री महोदय ने यह घोषणा की थी, आप ही मंत्री थे, गंगानगर टयुरिज्म को बजट में पैसा भी रखा गया था। कालीबंगा एक ऐसा ऐतिहासिक स्थान है, जहां हजारों लोग आते हैं और वहां आपने आज तक कुछ नहीं किया। आपने स्वयं ने इसी हाउस में घोषणा की थी...

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): और पैसा भी बजट में रखा था। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस पर पुनः विचार करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो माननीय दिगम्बर सिंहजी ने जो सवाल किया है, डीग के महलों की बेशक अहमियत है। वहां पर कुण्ड वगैरह के काम तो करवाये गये हैं, जैसा कि मेरी जानकारी में है लेकिन आप कह रहे हैं कि वह नरक हो रहा है। आप जैसे महानुभावों के रहते हुए वह नरक हो गया। तो यह तो बड़े खेद की बात है। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आपकी विशेष सहानुभूति होनी चाहिए, मंत्री महोदया।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह एग्रीकल्चर डोमिनेटेड जगह है। अगर कल्चर और टयुरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं तो मैं कहना चाहती हूं कि हमारे टाइम पर हम स्वीकृत कर गये थे, आप जिस जगह पर बैठे हो, यह तो आप ही बताइये कि पिछले पांच साल वह काम क्यों नहीं हो पाया?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं तो आपके टाइम पर भी था।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): उधर जाकर बैठ गये आप। अगर इधर रहे होते तो कुछ न कुछ ठीक होता। यहां तो धौलपुर और झालावाड़ से ही बाहर नहीं निकले सब।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं तो आपके टाइम में ही था।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, मेरी सप्लीमेंट्री का जबाव नहीं दिया मंत्री महोदय ने।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): मैं डीग का दौरा बना लूंगी, चलकर देख लेंगे खुद ही कि क्या-क्या काम करवाये जाने हैं। योजना बनाकर अरबन डवलपमेंट मंत्रीजी से भी बात कर लेंगे।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): यह ठीक है। थैंक यू।

श्री अध्यक्ष: विराजें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

है कि माननीय मंत्री महोदय ने जो जबाव दिया है, उस जबाव से आप संतुष्ट हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): आप हमें कभी मौका ही नहीं देते हैं।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न और जबाव के बजाय स्वर्ग और नरक में फंस गये। श्री ज्ञानचन्द पारख।

जिला कलक्टर आवास योजना के अन्तर्गत पाली में चयनित व्यक्तियों को ऋण वसूली में रियायत

3. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला कलक्टर आवास पाली द्वारा मध्यम एवं अल्प आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत दिये गये आवास ऋण में अब तक कितने व्यक्तियों में कितनी कितनी राशि बकाया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ऋण की बकाया राशि में मूल, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज एवं शास्ति राशि कितनी-कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त ऋणियों में कितनी विधवाएं एवं कितने चयनित परिवार के सदस्य हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज लेने का प्रावधान है एवं वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भवन निर्माण ऋण पर कितना ब्याज लिया जाता है?

(5) क्या सरकार उक्त योजना में विधवा एवं चयनित परिवार के सदस्यों को कोई छूट देने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शांती कुमार धारीवाल): (1) जिला कलक्टर पाली के माध्यम से मध्यम एवं अल्प आय वर्ग योजना के अन्तर्गत दिये गए आवास ऋणों में से जिन व्यक्तियों पर बकाया है उनका विवरण निम्न प्रकार है:-

1. मध्यम आय- 122 व्यक्तियों में- 148.30 लाख रुपये

2. अल्प आय- 94 व्यक्तियों में- 31.05 लाख रुपये

पूर्ण विवरण की सूची संलग्न है।

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

(2) उक्त ऋण पर साधारण ब्याज लिया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज व शास्ती लिये जाने का प्रावधान नहीं है। मूल एवं ब्याज की राशि निम्नानुसार है:-

	मूल	साधारण ब्याज राशि	चक्रवृद्धि ब्याज	शास्ती
1. मध्यम आय	94.89 लाख रु.	53.41 लाख रु.	शून्य	शून्य
2. अल्प आय	17.70 लाख रु.	13.35 लाख रु.	शून्य	शून्य

विवरण सूची के कॉलम 14 व 16 में अंकित हैं।

(3) यह स्कीम सन् 2000 तक कार्य रूप में थी, तब तक ऋण लेने वालों से, विधवा एवं चयनित परिवार होने बाबत् कोई जानकारी नहीं ली जाती थी। इसलिए यह सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है।

(4) उक्त ऋण की ब्याज दरें समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार लिये जाने का प्रावधान है, जिसकी जानकारी सूची के कॉलम सं. 12 व 13 में अंकित है। विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भवन ऋण पर ब्याज दर अलग-अलग ली जाती हैं, जो उनके द्वारा अपने स्तर से ही निर्धारित की जाती है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा इसकी सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है।

(5) राज्य सरकार द्वारा संचालित मध्यम एवं अल्प वर्ग आवास योजना पूर्व में ही बन्द की जा चुकी है। अत: सरकार का उक्त योजना में छूट देने का कोई विचार नहीं है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि जो आपने ब्याज दर यहां दर्शायी है 14 से 16 परसेंट, वर्तमान समय में उचित है क्या? जब बैंक 9 परसेंट, 8 परसेंट ले रहे हैं और आप वसूल कर रहे हो 14 से लेकर 16 परसेंट तक। तो एक तो यह उचित है क्या?

दूसरा, आपने कहा विधवाओं और चयनित परिवार की सूची दिया जाना सम्भव नहीं है, जब मात्र 200 के करीब ऋणी हैं, उसमें कितने की मृत्यु हो गयी और कितने परिवार अब बी.पी.एल. सूची में जुड़ गये, यह सूची बनाना विभाग के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। एक तरफ तो आप बी.पी.एल. परिवार को मुफ्त में मकान बना कर दे रहे हो या आवास उन्नयन के लिए

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

74 हजार अनुदान के रूप में दे रहे हो और दूसरी तरफ जो चयनित परिवार हैं, जिनके लोन नहीं भर पाने के कारण उनके मूल राशि से दोगुना ब्याज हो गया, तीन गुना ब्याज हो गया उनके कुर्की के वारंट जारी कर रहे हो। क्या यह उचित है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से एक और प्रश्न है। अभी आपने हुड़को क्वार्टर्स में जो ऋणी थे उनको ब्याज में 7 परसेंट छूट दी: अभी पानी में दी, आपने जो डिफाल्टर थे उनको 7 परसेंट छूट दी और रीको में भी अभी एक स्कीम पेपर में आयी है, यह पेपर की कटिंग है, इसमें भी एक-मुश्त राशि जमा कराने पर राहत देने की आपने योजना बनायी है। तो मैं, माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यदि कोई ऋणी एक-मुश्त राशि जमा कराना चाहे तो आप उसको भी राहत देंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे इन प्रश्नों का जवाब दिलवा दें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय ने कहा कि 14 परसेंट, 16 परसेंट, 16.5 परसेंट ब्याज लेना क्या उचित है? मैं आपसे पहले निवेदन कर चुका हूं, यह 1955 में योजना लागू हुई थी और खास तौर पर पाली जिले में 1959 में यह योजना शुरू हुई और उस वक्त से राज्य सरकार ने कई बार इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बदली। रेट आफ इंटरेस्ट बदलने का कारण भी यह था कि जिन लोगों को इसमें लोन दिया गया आवास के लिए, वह लोन का पैसा राज्य सरकार ने एल.आई.सी. से लिया था। तो थ्री पार्टी एग्रीमेंट हुआ, पार्टी के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में और एल.आई.सी. के बीच में। उस एग्रीमेंट को कोई भी नहीं तोड़ सकता था, थ्री पार्टी एग्रीमेंट था। उसमें अलग-अलग सालों में अलग-अलग रेट आफ इंटरेस्ट होती रही। मान लीजिए, किसी ने 1995 में कर्जा लिया उस वक्त क्या रेट आफ इंट्रेस्ट थी वह लागू रही, जिसने 1959 में लिया उसको सिर्फ 5 परसेंट पर लोन मिला, जिसने 1962 में लिया उसको सिर्फ 7 परसेंट पर लोन मिला। किसी ने मान लीजिए 1972 में लिया तो उसको 9 परसेंट पर लोन मिला। तो यह अलग-अलग वक्त पर अलग-अलग ऋणियों को उस वक्त की प्रिवेलिंग जो रेट आफ इंटरेस्ट थी उस पर यह ऋण दिया गया था।

दूसरी बात, आपने पूछा कि यह बी.पी.एल. और विधवा की वसूली उचित है क्या। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि बी.पी.एल. का सर्वे

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

ही सबसे पहले इस देश में 1992 में हुआ है और ज्यादातर पाली के जितने भी ऋणियों के बाबत आप जो सवाल उठा रहे हैं ये करीब-करीब सब 1992 के पहले-पहले के हैं, अंदाज से है, ऋण लेने वालों में से हैं। उस वक्त तक बी.पी.एल. नाम की कोई चीज हुआ ही नहीं करती थी। रहा सवाल विधवा का, तो विधवाओं के लिए तो सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं लेकिन यह थ्री पार्टी एग्रीमेंट है, उससे वो पार्टी भी बंधी हुई है, राजस्थान की सरकार भी बंधी हुई है और एल.आई.सी. भी बंधी हुई है। विधवाओं के लिए विधवा पेन्शन है, परित्यक्ता महिला पेन्शन है, विधवा पुनर्भरण है, विधवाओं की पुत्रियों का विवाह है, बी.पी.एल. परिवारों की कन्याओं का है। कई तरह की योजना हैं।

तीसरी बात जो आपने कही कि, साहब, वह एक-मुश्त रकम जमा कर देता है तो 2 परसेंट का उसको रेट आफ इंटरेस्ट में फायदा दिया जाता है।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: पहले मूल प्रश्नकर्ता।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने अपने जवाब में कहा कि थ्री पार्टी उसमें सम्मिलित है इसलिए ब्याज कम करना आपके हाथ में नहीं है। हुडको क्वार्टर में भी जो मकान बने थे उसमें हुडको ने लोन दिया था उसमें भी थ्री पार्टी सम्मिलित थी उसके बावजूद अभी दो महीने पहले आपने जो भी उसमें ऋणी या डिफाल्टर थे उनको ब्याज में 60 परसेंट की छूट दी है। अभी दी है आपने।

बी.पी.एल. की सूची 1992 में पहली बार बनी, मैं यह नहीं कह रहा लेकिन, अब जो बी.पी.एल. सूची में ये परिवार हैं मैं उनको छूट देने की बात कर रहा हूं। कोई बी.पी.एल. के लिए सम्भव नहीं है कि वह ढाई लाख की राशि एक-मुश्त जमा करा दे। किसी बी.पी.एल. परिवार के लिए सम्भव नहीं है, यह आप जो ऋण बाकी निकाल रहे हो, उसमें दो-ढाई लाख बाकी है और वह दो लाख एक-मुश्त जमा करा दे। माननीय मंत्रीजी, मेरा आग्रह है आपसे कि इसमें बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो आप द्वारा निकाली गयी राशि जमा नहीं करवा पायेंगे। चाहे आप उनका मकान कुर्क करा लो लेकिन वे राशि जमा कराने में सक्षम नहीं हैं। मेरा निवेदन है आपसे कि आप कुछ रियायत दें, कुछ छूट दें जैसे आपने हुडको में दी। आपने वहां बहुत दयालु मन से बहुत बड़ी

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

छूट दी है। उसी प्रकार से आप कोई छूट इसमें जरूर दें ताकि आपका फंसा हुआ पैसा भी निकल जाए और उनको भी अपने मकान का मालिकाना हक मिल जाए। यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सदस्य महोदय, आपने अभी बताया कि वह हुड़को से जो ऋण दिलवाया गया इसमें कुछ छूट दे दी गयी है।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ब्याज में 60 परसेंट छूट दी है अभी, आपने खुद ने दी है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर फाइनेंशल इंस्टीट्युशन का अपना-अपना अलग -अलग एग्रीमेंट होता है, कई तरह के एग्रीमेंट कई तरह की फाइनेंशल कम्पनियां।

श्री अध्यक्ष: वह बता दीजिए न इनको सारा, क्या-क्या प्रोब्लम होती हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बता रहा हूं। तो इसलिए वह तो सम्भव होगा नहीं लेकिन राजस्थान सरकार ने यह नियम बना रखा है कि जो भी एक-मुश्त पैसा जमा करायेगा उसको रेट आफ इंटरेस्ट में 2 परसेंट की छूट वह देगी।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, जैसी मुझे जानकारी मिली है कि आपने भी अपने लेवल पर पाली में आपके विधान सभा क्षेत्र में जितने भी ऋणी हैं उनका बी.पी.एल. का कोई सर्वे करवाया है कि बी.पी.एल. के किन लोगों को ऋणी बनाया गया इस नियम के तहत और इसी तरीके से विधवाओं का भी आपने कोई सर्वे करवाया।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): यह आप सी.आई.डी. रखते हो क्या? इनके प्राइवेट मामलों की सी.आई.डी. रखते हो क्या?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह तो आप इनसे पूछ लो कि मैं क्या रखता हूं, यह बता देंगे।

आपके पास अगर कुछ ऐसे फीगर्स हों तो उसको प्रोसेस करवा लेते हैं, देखते हैं, देखें क्या है। मेरा ख्याल है, आज जब आप इतनी बात उठा रहे हैं तो मैं यह समझ पाया हूं कि आपके मन में यह तो विश्वास है कि गरीबों के प्रति यह अशोक गहलोत की सरकार काम करने की इच्छा रखती है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): आपके जवाब से तो यह लगता नहीं है। आप जो जवाब दे रहे हैं न, उससे तो यह आभास नहीं होता कि आप ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब तो आने दीजिए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कोई बात नहीं। खैर, आप तो जो कुछ आपके पास इन्फोर्मेशन है उसको जरूर दीजिएगा, अगर कुछ सम्भव हो सकेगा तो वो देखने की कोशिश करेंगे लेकिन हाल यह है कि देखिये, आप 1990 से ले लें, तो 1990 से लेकर के 2002 तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जितनी भी नेशनलाइज बैंक्स थीं उनकी काफी ऊंची थी। आपने नेशनलाइज बैंक्स के लिए जो पूछी है उसी का उत्तर दे रहा हूं आपको कि किसी भी नेशनलाइज बैंक की रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरे नेशनलाइज्ड बैंक से नहीं मिलती, सब की अपनी अलहदा-अलहदा है चाहे वह गृह ऋण के बाबत स्कीम हो, चाहे कार के ऋण के बाबत हो और चाहे किसी भी तरह की हो। मिसाल के तौर पर एस.बी.आई. की एक वर्ष की जो रेट आफ इंटरेस्ट पड़ती है वह 8 परसेंट पड़ती है, दो से तीन वर्ष का लेंगे तो 8.5 परसेंट हो जायेगा, चार वर्ष का लेंगे तो 9 परसेंट हो जायेगा। ठीक इसी तरीके से एस.बी.बी.जे. का लेंगे तो एस.बी.बी.जे. का लोन का दो साल का 8 परसेंट आयेगा, तीन साल का 10.75 परसेंट आ जायेगा, तीन से पाँच साल तक का आयेगा तो 11 परसेंट हो जायेगा। तो सब का अलग-अलग है।

तो यह रेट ऑफ इंटरेस्ट का मामला जो राज्य सरकार जितना बेहतर से बेहतर कर सकती थी, कि वह अपने वचन पर कायम रही और अपने वायदे पर कायम रही कि जिन लोगों ने वक्त पर पैसा जमा करा दिया, मूल का भी पैसा जमा करा दिया और ब्याज का भी पैसा जमा करा दिया, उसको दो परसेंट ब्याज अपनी तरफ से भर कर राहत दी है। तो मैं यह मानकर के चलता हूं कि बहुत कम लोग रह गये हैं यह स्कीम 2000 में बंद भी हो गयी, अब यह स्कीम चल भी नहीं रही है। इसलिए मेरा तो आपसे यह निवेदन है कि जो भी लोग इस स्कीम में आज भी ऋणी हैं, आप उनको यही सलाह दें कि वे वक्त पर पैसा जमा करा दें ताकि दो परसेंट का फायदा उनको मिल जाए।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि बहुत कम लोग ऋणी हैं, जो सक्षम थे वह राशि जमा करा चुके हैं। अब वे ही बचे हैं जो राशि जमा कराने में सक्षम नहीं हैं। जो

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

राशि जमा कराने में सक्षम नहीं हैं, आप कोई न कोई राहत उनको दे देंगे तो वह राशि भी वे जमा करा देंगे, आपका डूबा हुआ पैसा भी आ जाएगा और उनको भी राहत मिल जाएगी। कम बचे हैं, मंत्री महोदय खुद कह रहे हैं कि बहुत कम बचे हैं तो जो कम बचे हुए लोग हैं उनके लिए, माननीय मंत्री महोदय, हमारा आग्रह है कि आप दो परसेंट से कुछ सीमा बढ़ाएं, ब्याज में आप कुछ और मेहरबानी करके छूट दे दें। वाकई में जो बचे हैं वह भरने की स्थिति में नहीं हैं। आप कोई एकमुश्त योजना लाएंगे तो शायद बहुत सारे लोग इसमें अपना जो ऋण है वह चुका सकेंगे वरना वे चुका नहीं पायेंगे और आपको उनके मकानों की कुर्की निकालनी पड़ेगी जो उचित नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष: श्री रामनारायण मीणा।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानकारी करना चाहूंगा, क्या यह सही है कि भारत के प्रथम प्रधान मंत्री आदरणीय जवाहर लाल नेहरू ने सोशलिस्टिक पैटर्न पर कोआपरेटिव सोसायटीज में मूल से ज्यादा ब्याज नहीं हो, यह सिद्धान्त लागू किया था, जो जनता पार्टी के शासन में आने के बाद समाप्त हुआ था? यह लोन भी उसी समय का है।

दूसरा, उद्योग भी आपके पास रहा है, सीनियर मैम्बर हैं, उद्योग को हम पूरा ब्याज माफ कर सकते हैं। आज गरीब परिवार और बी पी एल की बात नहीं है, सवाल यह है कि उस टाइम पर यह योजना चालू हुई थी, वर्षों पहले, 1977 में हुई होगी, बाद में हुई होगी, हमारी सरकार और विशेषकर कांग्रेसी सरकार, आदरणीय गहलोत साहब के नेतृत्व में डाउनट्रोडन पीपल के ऊपर ध्यान दे रही है, योजनाएं बना रही है, केन्द्र सरकार योजनाएं बना रही है, सभी सरकारों ने योजनाएं बनाई हैं। इनकी यह स्थिति है कि यह ब्याज नहीं चुका पाए, मूल नहीं चुका पाए। तो यह तो हुआ है कि मूल भी उद्योगों का माफ होता है और गरीब के बारे में कोई प्रश्न आया तो संवेदनशील सरकार से हम यह आशा कर सकते हैं ...

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): ...कि जिस गरीब के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं, हम रिकार्ड में रखकर कि इसका इतना ब्याज है और हमारा इतना लेना-देना है, इस आधार पर हम बजट बनाएं तो यह कहां तक उचित होगा? इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं लम्बा नहीं करते

(श्री रामनारायण मीणा)

हुए (व्यवधान)... आप चाहते हो कि मैं नहीं बोलूं? आपकी पार्टी का गरीबों के प्रति...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि ऐसे सेंसिटिव इश्युज में जहां गरीब के पास रोजगार का साधन नहीं, शहर के रहने वाले आदमी हैं जहां राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना नहीं चल रही, आदरणीय मुख्य मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, जो गरीबों के प्रति रात-दिन चिन्तित रहते हैं, हम सब चिन्तित रहते हैं, पूरा सदन चिन्तित रहता है, ऐसे मामले में संवेदनशीलता दर्शाते हुए, आदरणीय नेहरुजी को ध्यान में रखते हुए, कांग्रेस की रीति-नीति को ध्यान में रखते हुए...

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं, प्रश्न।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): इनका पूर्ण ऋण ही माफ नहीं किया जाए, सब कुछ माफ करके इनको पट्टा दे दिया जाए। मेरी यह आशा है और सदन भी इस बारे में समझता है, जानता है। भावना को समझकर आप उत्तर दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजिये। श्री दुग्गल। प्रश्न हो तो ।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, मंत्री जी ने यह कहा है कि विधवाओं के लिए सरकार बहुत-सी योजनाएं रखती है और उनको पेंशन सुविधा देती है। मात्र एक ही क्वेश्चन है, इन्होंने यह लिखा है कि 25 साल तक अगर विधवा का बेटा है तभी उसको पेंशन दी जाएगी, 25 साल का बेटा होते ही उसकी पेंशन स्वत: खतम कर दी जाएगी। तो क्या पेंशन लेने के लिए 25 साल से पहले ही वह विधवा हो? 25 कर दिया है और 25 साल के बाद में अगर कोई विधवा होती है तो क्या राज्य सरकार उस विधवा को आजीवन पेंशन देने का इरादा रखती है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष: श्री गुप्ता।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है और जैसा कि संवेदनशील सरकार भी है, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। किसानों के ऋण माफ हो सकते हैं, अभी केन्द्र सरकार ने

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

किसानों के ऋण माफ किये हैं। तो इन विधवाओं के और गरीब बी पी एल के परिवारों के ऋण को माफ करके उनको एक झोंपड़ा मिल जाए। क्या सरकार यह चाहेगी कि उन लोगों के ऋण पर ब्याज लगे और ब्याज पर ब्याज लगे और उनसे फिर वसूली हो? और वसूली नहीं हो तो उनको मकान से बाहर निकाला जाए? क्या सरकार यह चाहेगी? मैं यह निवेदन भी करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि इन गरीब व्यक्तियों के हित में सरकार यह निर्णय ले कि जिस प्रकार किसानों का ऋण माफ किया गया उसी प्रकार से इन विधवाओं का, इन बी पी एल के परिवार के लोगों का ऋण माफ करके इनको मकानों का मालिकाना हक प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष: विराजें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): इन्दिरा आवास का पैसा भी आपके पास आ रहा है, केन्द्र सरकार की योजनाएं भी हैं। तो आज यह बहुत अच्छा मौका है, माननीय मुख्य मंत्रीजी भी यहां मौजूद हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सरकार संवेदनशील है, इस प्रकार का एक निर्णय लेकर और सरकार की भावना गरीब तक पहुंचे, इस प्रकार का निर्णय ले सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजें, विराजें। मंत्रीजी कृपया जवाब दें।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहीं मौजूद हैं और वे तो बहुत कहते हैं कि हमारी बहुत संवेदनशील सरकार है ।

श्री अध्यक्ष: आप विराजें, माननीय सदस्य सरकार की ओर से उत्तर आ रहा है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): गरीबों के प्रति बहुत जागरूक हैं। क्या माननीय मुख्य मंत्रीजी चाहेंगे कि ये गरीब लोग बाहर निकलें, ये विधवाएं बाहर निकलें?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप विराजें। सरकार की ओर से उत्तर आ रहा है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, उनियारा से आए हुए माननीय सदस्य ने पूछा कि माफ कर दिया जाए। मैं आपसे पहले ही निवेदन कर चुका हूं, इस बाबत बता चुका हूं कि यह रकम एल आई सी से राज्य सरकार ने ली और राज्य सरकार ने ऋणी को आवास बनाने के लिए यह रकम दी। वापस ऋण को वसूल करके एल आई सी को देने का जिम्मा, वह राजस्थान सरकार का है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): आगे सरकार अनुदान दे सकती है। माननीय मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं, राज्य सरकार अनुदान दे सकती है, गरीब का मामला है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): राज्य सरकार अपने वित्तीय साधनों से यह त्रण माफ करके एल आई सी को चुका दे ।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): आप अनुदान दे सकते हैं, जब इन्दिरा आवास में पचास हजार रुपये दे सकते हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप जवाब तो सुनिये पूरा। जवाब नहीं सुनना चाहते हैं।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): यह एल आई सी की बात कर रहे हैं सीधी-सीधी, एल आई सी को देना है, हम सब जानते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया बीच में अवरोध नहीं, डिस्टर्ब नहीं करें, मंत्री जी का जवाब तो आ जाने दीजिए ।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): एल आई सी को देना है यह तो हम सब जानते हैं, वित्तीय संस्था को देना है। बैंकों का पैसा उद्योगपति भी खा जाते हैं, यह गरीबों के लिए क्या दिक्कत आ रही है ? उद्योगपतियों के ऋण माफ हो जाते हैं, किसानों के ऋण माफ हो जाते हैं तो इन विधवाओं के बारे में क्या दिक्कत है? इनका ऋण माफ कीजिए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मोहनलालजी गुप्ता साहब ने जो सवाल उठाया है कि विधवाओं का और...

श्री अध्यक्ष: दुग्गल साहब का और गुप्ताजी का भी साथ ही दे दें ।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): साथ ही है। और चयनित परिवार का, मैं तो यह आपसे पूछना चाहता हूं, यह आपसे मालूम करना चाहता हूं कि आपकी जानकारी में है क्या कि किस जिले में कितनी विधवाओं को यह लोन दिया गया है और किस जिले में कितने चयनित परिवारों को यह लोन दिया गया है जिनके बाबत आप यह बात उठा रहे हो? आपकी जानकारी में भी है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह आप हमसे पूछ रहे हो। (व्यवधान) सरकार हमसे सवाल कर रही है। (व्यवधान) सरकार हमसे सवाल करे यह नई परम्परा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप उत्तर दीजिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ...(व्यवधान)... मुझे मंत्री बना दें मैं दे दूंगा जवाब। (व्यवधान) आश्चर्य की बात है ।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): यह पाली जिले का सवाल है, पाली जिले का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): जितने भी हों, जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा

श्री अध्यक्ष: आप तो उत्तर दीजिए जो पूरक प्रश्न हैं।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): सीधा जवाब आपके पास है, आप तो जवाब दीजिए। (व्यवधान) गरीबों के प्रति आप संवेदनशील हैं क्या? माननीय मुख्य मंत्री महोदय बैठे हैं ...(व्यवधान) आप माफ कीजिएगा इनका (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सरकार इस तरीके से मजाक उड़ाएगी ...(व्यवधान) मंत्री होकर ऐसे सवालों का जवाब

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): बी पी एल के लोगों का मालिकाना हक दीजिए। इनका ऋण माफ कीजिए और इनको मालिकाना हक दीजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं माननीय मंत्री महोदय। (व्यवधान) आप इतना जवाब दीजिए कि क्या आप ऋण माफ कर सकते हैं या नहीं? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें, मंत्रीजी उत्तर दे रहे हैं। माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): नहीं, मंत्रीजी तो मजाक में उड़ा रहे हैं ।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानकारी चाहता हूं कि सरकार गरीबों के आवास तो खाली कराना चाहती है और राजस्थान के 250 जो शराब के ठेकेदार हैं उन पर पेनल्टी और ब्याज सब माफ करके मूल में भी पच्चीस परसेंट तक छूट दे रही है । सरकार उनके प्रति संवेदनशील है या गरीबों के प्रति संवेदनशील है ?

श्री अध्यक्ष: यह अलग प्रश्न है आपका ।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, अलग कहां है 250 करोड़ ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): शराबियों को राहत दी जा रही है और विधवाओं के साथ अत्याचार। यह संवेदनशील सरकार है, यह आंकड़े बता रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): जिनमें ढाई सौ करोड़ रुपया बकाया है केवल ढाई सौ लोगों में, उनको मूल और ब्याज में इस बार ये ऐसी छूट दे रहे हैं। (व्यवधान) उनके प्रति तो संवेदनशील है और गरीब के प्रति संवदेनशील नहीं है, यह सरकार का नमूना है।

श्री अध्यक्ष: यह आबकारी के मंत्री नहीं हैं। इनका जवाब आने दीजिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सरकार विधवा से लिया हुआ ब्याज माफ नहीं कर सकती है, ऐसी संवेदनहीन सरकार है यह। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। मंत्रीजी। कृपया शांति रखें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। माननीय मंत्रीजी, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता क्या कह रहे हैं ?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मैंने अपने प्रश्न के खण्ड 5 यह पूछा.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब इनको रोको...(व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): क्या सरकार उक्त योजना में विधवा एवं चयनित परिवार के, मैंने स्पष्ट कहा है, मैंने बाकी के लिये नहीं कहा, जो विधवा हैं और जो चयनित परिवार के हैं उनको कोई छूट देने का विचार रखती है या नहीं रखती है ? यह है। जहां विधवा और चयनित परिवार हैं उनकी छूट की घोषणा पर बात करी है।

श्री अध्यक्ष: चलिये। कृपया शांति रखिये। दो मिनट जवाब आने दीजिये...(व्यवधान) माननीय गुप्ताजी, जवाब दे रहे हैं मंत्रीजी। दे रहे हैं माननीय मंत्रीजी जवाब। आप सुनिये तो सही।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय मुख्य मंत्री महोदय मौजूद हैं यहां पर, वे कर सकते हैं इसका हल। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जहां तक

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

सवाल चयनित परिवार की बात का है, मैं आपसे पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि यह लोन 1955 से देना चालू हुआ था और 2000 में ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): हो गया चालू, मालूम है सबको... (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): एक ही चीज रटते रहते हो... (व्यवधान) संवेदनशीलता का परिचय दे रहे हो अथवा नहीं? (व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): एक प्रश्न का जवाब दीजिये.. (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): सबको मालूम है...(व्यवधान) आप बात तो करो साहब। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या वह ऋण माफ करेंगे या नहीं, इतना सा जवाब दे दें केवल। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। माननीय सदस्य, कृपया आप विराजें। माननीय सदस्य, जवाब दे रहे हैं मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): हां तो बहुत अच्छा...(व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्री बैठे हैं...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): बकाया माफ करेंगे कि नहीं ? विधवा महिलाओं के ऊपर यह सरकार क्या चाहती है? (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): 1959 में यह ऋण...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया जवाब तो देने दीजिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह ऋण मंजूर करना चालू हुआ था और 2000 में यह स्कीम बंद हो गयी। उस वक्त तक न तो कोई विधवा के हिसाब से ही यह लोन दिया गया और न ही कोई चयनित परिवार के हिसाब से यह लोन दिया गया। ऐसा कुछ नहीं था। इसमें कोई प्रोविजन नहीं था।

अब सवाल यह आ गया कि चूंकि विधवाओं को सरकार ने कई प्रकार की सुविधाएं देना चालू कर दिया, चयनित परिवार के लोग हैं वे बी पी एल में शामिल होने लग गये तो यह मांग बार-बार आपकी तरफ से जो आज उठायी जा रही है, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न के पहले जितने भी माननीय सदस्यों ने यह बात उठायी है पहले इस बात को देख तो लें कि

(श्री शांती कुमार धारीवाल)
कितनी विधवाएं इससे सफर कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? कितने चयनित परिवार के हैं या नहीं हैं ? आपको जानकारी ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सरकार ही सवाल कर रही है हमसे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। चर्चा समाप्त। श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): प्रश्न संख्या 4...(व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आपने चर्चा समाप्त कर दी...

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, आप प्लीज माइक आन करें।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, सबकी भावना रहती है कि विधवाओं के लिये, बी पी एल के लिये अधिक से अधिक हम क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसको मैंने पहले ही लिख दिया है कि इसको हम एरिया में वास्तव में कितनी विधवाएं हैं, क्योंकि यह पाली जिले तक सीमित क्वेश्चन है तो हम पता कराते हैं कि इसमें क्या सम्भव है।

एक बात मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैं जब नोट देख रहा था तो इसमें सम्पूर्ण राजस्थान में वर्ष 2008-09 एल आई जी एच ऋण का मूल धन 31.42 लाख और बकाया 60.68 लाख एवं एम आई जी एच में मूल धन 63.22 लाख और बकाया रुपये 91.77 लाख की वसूली की गयी। आपके राज में मूल धन तो था 31 लाख का वसूली आपने की 60 लाख। एम आई जी एच में मूल धन तो 63 लाख था आपने वसूली की 91 लाख की। इस स्कीम के अन्तर्गत वसूली की है आपने। उसमें आपको ध्यान देना चाहिये कि ऐसे मामले में तत्काल कार्यवाही करते।

तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी सबकी भावना रहती है उसके अनुसार ही सरकार कार्यवाही करेगी। मूल धन से ब्याज किसी कीमत में ज्यादा नहीं होगा, यह हम व्यवस्था करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जिसके अधिकार में है वही तो कहें ना इस बात को।

महाराष्ट्र पैटर्न पर जनजाति उपयोजना क्षेत्र हेतु व्यय राशि

4. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(1) राज्य की कुल जनसंख्या में से कितनी प्रतिशत जनसंख्या जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत है? उक्त पर राज्य के कुल खर्च की कितनी प्रतिशत राशि वर्ष 2003-04 से दिसम्बर, 2009 तक व्यय की जा रही है ? मदवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा आदिवासियों के विकास के लिये महाराष्ट्र पैटर्न लागू किया गया है ? यदि हां, तो कब से तथा उसके लिये क्या नीतियां बनायी गयीं ? क्या उक्त नीतियों के अनुसार बजट प्रावधान किया जा रहा है? यदि हां, तो किन-किन मदों से व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि महाराष्ट्र पैटर्न पर श्री गुलाब सिंह शक्तावत कमेटी ने राज्य योजना मद की 8 प्रतिशत राशि जनजाति उपयोजना क्षेत्र के लिये आबंटित करने की अनुशंसा की थी ? यदि हां, तो क्या उक्त की पालना हो रही है व नहीं, तो क्यों ?

(4) महाराष्ट्र पैटर्न में कौन-कौन से विभाग सम्मिलित किये गये? उन विभागों में आयोजना व्यय की कितनी प्रतिशत राशि व्यय की जा रही है? गत पाँच वर्षों के आंकड़े मय आयोजना प्रतिशत के सदन की मेज पर रखें।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री महेन्द्र जीत सिंह): (1) राज्य के अनुसूचित क्षेत्र की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 7.99 प्रतिशत है। विभाग द्वारा जनजाति उपयोजना क्षेत्र पर व्यय होने वाली राशि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। वित्त विभाग के अ.शा. टीप क्रमांक प 4(199) वित्त-1 (1) आ.व्य/99 दिनांक 31.12.99 एवं अ.शा. टीप क्रमांक प 4(199) वित्त-1 (1) आ.व्य/99 दिनांक 15.2.2000 द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास के लिये महाराष्ट्र प्रणाली लागू की गयी है। अ.शा. टीप की प्रतियां परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

उक्त नीति के अनुसार बजट प्रावधान किया जा रहा है। वर्ष 2003-04 से जनजाति उपयोजना हेतु विभिन्न सैक्टर में रखी गयी राशि की सूचना परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) जी, हां। पालना हो रही है।

(4) जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत पांच वर्षों में आयोजना मद से सम्मिलित किये सेक्टरवार व्यय की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने परिशिष्ट 'अ' जो लगाया है उसको थोड़ा सा आप स्वयं देखें। गुलाब सिंहजी शक्तावत कमेटी की रिकमंडेशन के आधार पर और 7.99 प्रतिशत आबादी के आधार पर 8 प्रतिशत तय किया था कि योजना का इस महाराष्ट्र पैटर्न के आधार पर जनजाति उपयोजना क्षेत्र में खर्च हो। तो आप इस फिगर को देखिये 2003-04 में 6 प्रतिशत था, यह धीरे-धीरे फिर आगे 6.8 हुआ, फिर 2005-06 में 7.3 हुआ, 2006-07 में 11.55 हुआ फिर उसके बाद 2007-08 में 8.8 हुआ, फिर 2008-09 में 9.07 हुआ और इस साल जब आपने सरकार सम्भाली तो आज की तारीख में जो 18,734 करोड़ का हमारा प्लांट बजट पेश हुआ उसकी तुलना में आपने पैसा खर्च जो किया अभी तक दिसम्बर में वह किया मात्र 482 करोड़। इसका मतलब 2.2 प्रतिशत। तो वास्तव में जिस महाराष्ट्र पैटर्न के आधार पर उस जनजाति क्षेत्र में विकास करके उनके जीवन को बेहतर बनाने का जो विचार अपना बना था और जिस रिकमंडेशन के आधार पर पिछली सरकार ने अक्षरक्ष: उसका पालन किया, आपने उसको इस साल के अन्दर मात्र 2.2 प्रतिशत किया। अब आपको करना है 8 प्रतिशत। तो यह किस तरह कैसे सम्भव होगा तीन महीने में, मैं कह नहीं सकता हूं ।

दूसरा प्रश्न, महाराष्ट्र पैटर्न के अनुसार आपने कुछ विभाग दिये हैं। आपने अपनी सूची में ही दी है विभागों की संख्या। यह 14 विभाग दिये हैं। कृषि दिया है, उद्यान दिया है, जल संरक्षण दिया है, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता, वन विभाग, पर्यावरण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा, सिंचाई, राज्य विद्युत मंडल और सार्वजनिक निर्माण, इन 14 डिपार्टमेंट के अनुसार आपका खर्च मेरे प्रश्न के जवाब में आपको देना था। आपने प्लान के जो हैड हैं उसके आधार पर मुझे यह सूची दी है, इस-इस हैड में इतना खर्च हुआ। मैंने पूछा विभाग वाइज आपका खर्चा क्या है ? वह आपने इसमें नहीं दिया। कृपा करके विभाग वाइज बताएं ।

अब फिर एक और आपको आश्चर्यजनक बात बताता हूं। थोड़ा-सा आप अपने डिपार्टमेंट को भी और मैं वित्त मंत्रीजी, मुख्य मंत्रीजी, आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि कम से कम आंकड़ों के बारे में वित्त विभाग कुछ और कह रहा है और इनका विभाग कुछ और कह रहा है। मैं दोनों ही आपके सामने रखता हूं। यह आपके ही प्रश्न का जवाब है और आपका ही वित्त विभाग मुझे जो आंकड़े दे रहा है वह दे रहा हूं। 2003-04 में आपने 363 करोड़ रुपया खर्च किया और आपका विभाग दे रहा है 345 करोड़ तो दोनों में से कौन सही है ?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

फिर 2004-05 में आपका वित्त विभाग दे रहा है कि 417 करोड़ रुपये खर्च हुआ और आपका विभाग मुझे प्रश्न के जवाब में दे रहा है कि 475 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। कौनसा सही है ? उसके बाद 2005-06 में वित्त विभाग मुझे आंकड़े दे रहा है, 565 करोड़ रुपया इस उपयोजना क्षेत्र पर खर्च किया और आपका विभाग दे रहा है मुझे 604 करोड़ रुपये। इसी तरह से 2006-07 में दोनों का समान है। 2006-07 में वित्त्त विभाग भी 1066 करोड़ बता रहा है और आपका विभाग भी 1066 करोड़ बता रहा है। तो इन दोनों में अन्तर क्यों है ? वित्त विभाग ने जो आंकड़े दिये वह और आपका विभाग मेरे प्रश्न के उत्तर में दे रहा है इन दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है? या तो यह है कि ठीक तरह से मिलान करते नहीं हैं और अपने आधार पर आप प्रश्न का जवाब देते हैं। तो थोड़ा सा मुझे इसके बारे में आप बताइये।

फिर मैंने जो आपको कहा था, मैंने मांगा विभाग के अनुसार और आप मुझे जो चार्ट दे रहे हैं वह दे रहे हैं आपके बजट के जो हैड हैं,

(समय : 12.00 बजे)

बजट हैड के अनुसार। उस हैड के अनुसार मेरा कोई परपज हल नहीं हुआ क्योंकि मैं यह जानना चाहता था कि चिकित्सा में इस जनजाति क्षेत्र में आपने खर्च किया क्या, सड़क पर इस क्षेत्र में खर्च किया क्या, शिक्षा पर इस क्षेत्र में व्यय हुआ क्या, कृषि पर आपका क्या व्यय हुआ। आपने तो बजट के हैड जुटाये हैं, यह जो 11 हैड हैं, कृषि और सेवायें, ग्रामीण विकास, विशेष क्षेत्रीय विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, विद्युत, उद्योग और खनिज, यातायात, विज्ञान और सामाजिक ...

श्री अध्यक्ष: उत्तर के लिए समय नहीं बचेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं यह जानना चाह रहा हूं कि विभाग के अनुसार बतायें जो कि मैंने उत्तर पूछा है और आप मुझे कह रहे हैं उत्तर में, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, मैंने पूछा है कि महाराष्ट्र पैटर्न पर कौन-कौन विभाग सम्मिलित किये गये हैं, उन विभागों में आयोजना मद में कितनी प्रतिशत राशि व्यय की जा रही है, गत पांच वर्षों के आंकड़े मय आयोजना प्रतिशत के सदन के पटल पर रखें। अब आप जवाब दे रहे हैं, जन जाति उप योजना के अन्तर्गत पांच वर्षों में आयोजना मद से सम्मिलित किये सेक्टरवार व्यय की राशि। मैंने पूछा है विभाग के हिसाब से। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस जवाब को ठीक करायें। आपने बताया कि केवल 2.2 आपका खर्चा हुआ है तो यह 8 प्रतिशत इन डेढ़ महीनों में आप कैसे खर्च करेंगे?

श्री अध्यक्ष: प्लीज, प्लीज, नन्दलाल जी।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग तीन में पूछा था कि क्या यह भी सही है कि महाराष्ट्र पैटर्न पर गुलाब सिंह शक्तावत कमेटी ने राजकीय मद से 8 प्रतिशत राशि के बारे में सिफारिश की है। अध्यक्ष महोदय, इन सिफारिशों के संबंध में इन्होंने जवाब दिया है कि पालना हो रही है। इन सिफारिशों में यह भी है कि जिला स्तर पर जिला योजना बनाने के दायित्व का निर्धारण जिला आयोजना समितियों द्वारा किया जायेगा। जिला आयोजना समितियों द्वारा तैयार की जाने वाली सिफारिशों का अनुमोदन जन प्रतिनिधियों से कराना होगा।

श्री अध्यक्ष: शोर्ट करें, माननीय सदस्य, समय नहीं है।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): मैं यह जानना चाहता हूं कि गुलाब सिंह शक्तावत कमेटी की सिफारिशों की आपके मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि इनकी पालना यथावत हो रही है तो इन दो बिन्दुओं पर विभाग क्या कहना चाहता है?

श्री अध्यक्ष: विराजें। मंत्रीजी, फटाफट, एक मिनट में।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय कटारिया साहब ने पहले परिशिष्ट 'अ' में जो वर्षवार प्रगति हुई है, उस प्रगति में इस साल में जो कमी का कहा है, इस सम्बन्ध में मैं अपनी बात कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और वर्तमान सरकार ने पिछले साल में जो बजट था उसको दुगुना करके 100 करोड़ किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 8 प्रतिशत की बतायें ना।

श्री अध्यक्ष: डिस्टर्ब नहीं प्लीज।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): 8 प्रतिशत पर ही आ रहा हूं, 8 प्रतिशत पर ही आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: जवाब तो आने दीजिये।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): मैं 8 प्रतिशत पर ही आ रहा हूं। 100 करोड़ किया है, क्योंकि इस बार जो परिस्थितियां पूरे प्रदेश की रही हैं, वह आपके और हमारे सामने हैं। तीन महीनों के अभी हमारे पास एक्जेक्ट आंकड़े नहीं हैं। अभी हमारे पास 31 मार्च तक का समय है। हम इसको 8 प्रतिशत पूरा करके प्रदेश के जनजाति क्षेत्र की जनता को पूरा-पूरा लाभ देंगे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त। प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

1. श्री पेमाराम, सदस्य की ओर से राज्य में अकाल एवं महंगाई से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
2. श्री ज्ञानचन्द पारख एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से प्रशासन शहरों की ओर अभियान में सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उदासीनता बरतने के संबंध में।
3. श्री भवानी सिंह राजावत एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से कोटा संभाग में फसलों को बचाने के लिए गांधी सागर से नहरों में पानी उपलब्ध कराने के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। वैसे भी उक्त विषयों के संबंध में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा एवं अनुदान की मांगों पर चर्चा के समय माननीय सदस्यों को बोलने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। श्री पारख एवं श्री राजावत को आज पर्ची के माध्यम से भी बोलने का अवसर उपलब्ध है।

4. श्री पवन दुग्गल एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं बीकानेर में सिंचाई के अभाव में फसलों के बर्बाद होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
5. श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से यमुना नदी पर बनने वाले बांधों के हाइड्रल प्रोजेक्ट से बनने वाली बिजली में राजस्थान का हिस्सा तय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाये। अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री पवन दुग्गल एवं श्री राजेन्द्र राठौड़ को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री रामनारायण मीणा, सदस्य की ओर से बीसलपुर बांध से नगरपालिका क्षेत्र देवली, उनियारा एवं तहसील क्षेत्र देवली एवं अलीगढ़ के ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में।
2. श्री ओटाराम देवासी, सदस्य की ओर से सिरोही जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
3. श्री निर्मल कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की गौशालाओं को पर्याप्त अनुदान एवं सहायता उपलब्ध करवाने के संबंध में।
4. श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य की ओर से जहाजपुर नगरपालिका क्षेत्र में अकाल राहत कार्य स्वीकृत करने के संबंध में।
5. श्री पेमाराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र धोद की सड़कों की मरम्मत कराने के संबंध में।
6. श्री भगवान सहाय सैनी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौमूं में समुचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के संबंध में।
7. श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य की ओर से जिला जोधपुर की तहसील शेरगढ़ की वृहद जल प्रदाय योजना आर.डी. 134 व आर.डी. 159.50 के द्वितीय चरण का कार्य पूर्ण करवाने तथा तृतीय चरण की स्वीकृति जारी करने के संबंध में।
8. कर्नल सोनाराम चौधरी, सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषय अध्यापकों के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री पवन दुग्गल।

(अनुपस्थित)

श्री राजेन्द्र राठौड़।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

यमुना नदी पर प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स से निर्मित बिजली में राजस्थान का हिस्सा तय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अपने घोषणा-पत्र से लेकर के राज्यपाल के अभिभाषण में बार-बार यह जिक्र किया है कि यमुना नदी का पानी और अंतरराज्यीय समझौते के अनुसार राजस्थान के हक का पानी लेने के लिए योजना बनाकर के उसका क्रियान्वयन करें। अध्यक्ष महोदय, 22 जनवरी यानि तीन दिन पहले हरियाणा के सिंचाई मंत्री राजस्थान आते हैं, राजस्थान के अन्दर शासन सचिवालय में आला अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं और बैठक में यह मांग करते हैं कि यमुना नदी के अपर स्ट्रीम में तीन बांध बिसाऊ, रेणुका और लखवारवासी, इन तीनों बांधों पर जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जो बांध बनने की प्रक्रिया है, इसमें राजस्थान वाले सहयोग करें। यह बात कोई नई बात नहीं है, हरियाणा और हिमाचल बरसों से यह प्रयास कर रहे हैं कि इन तीनों बांधों पर हाइ ड्रिल प्रोजेक्ट बनें और उनसे विद्युत उत्पादन हो। इन तीनों बांधों से बनने वाली बिजली के संबंध में राजस्थान की मांग भी बहुत पुरानी है क्योंकि यमुना नदी के बेसिन स्टेट होने के नाते और पानी के कंजम्प्टीव यूज की थ्योरी पर इंडस वाटर ट्रीटी के आधार पर हमने राजस्थान की जनता का हक जताया। 9.11.1994 को जब इन तीनों बांधों से उत्पन्न विद्युत की लागत और लाभ के बारे में एक एम ओ यू हुआ, उसमें राजस्थान का नाम नहीं था, केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने जो एम ओ यू जारी किया उसमें राजस्थान का नाम नहीं था। यहीं से राजस्थान ने इसका विरोध करना प्रारम्भ किया।

अध्यक्ष महोदय, 18 जून, 2009 को हरियाणा के मुख्य मंत्री हुड्डा साहब राजस्थान आते हैं, हमारे जल संसाधन मंत्री और हमारे मुख्य मंत्री दोनों बड़ी प्रसन्नचित्त मुद्रा में उनके साथ फोटो भी खिंचवाते हैं और उस समय एलान भी होता है कि राजस्थान के हक का पानी जो 12.05.1994 के समझौते के अनुसार राजस्थान को मिलना चाहिए वह पानी शीघ्र मिलेगा और उसके लिए हरियाणा और राजस्थान दोनों के प्रिंसिपल सैक्रेटरीज की समिति बनाकर के झुंझुना पकड़ाकर चले जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, आप खुद जानते हैं क्योंकि इस सदन में आपने भी इस बात को कई बार उठाया है कि जो राजस्थान को यमुना नदी का पानी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

1.19 बिलियन क्युसेक मीटर मिलना चाहिए था ताजेवाला हैड से, झुंझुनूं और चूरू को 1917 क्युसेक और ओखला से भरतपुर को। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस समझौते के क्रियान्वयन के लिए जब अपर यमुना बोर्ड का गठन हो गया 11.03.1995 को और 16.06.2001 को जल उपभोग के लिए राजस्थान ने जो योजना बनाकर के केन्द्रीय जल आयोग को प्रेषित की उसको केन्द्रीय जल आयोग ने 7.02.2003 को स्वीकृति भी दे दी और योजना बनी चूरू, झुंझुनूं में 1 लाख 97 हजार हैक्टेयर जमीन को सिंचित करने की 934 करोड़ की तथा भरतपुर में 1 लाख 20 हजार हैक्टेयर को सिंचित करने की 175 करोड़ की। अब इसके बाद, अध्यक्ष महोदय, जब हरियाणा ने 26.03.2007 को जो रिव्यू कमेटी बना रखी है, अपर यमुना बोर्ड की, उसके अन्दर यह पैंतरा बदला कि वह पानी लेना है तो आपको पानीपत के पास नया बैराज बनाना चाहिए।

मैं कुल मिलाकर यह निवेदन करना चाहता हूं, जल संसाधन मंत्रीजी यहां विराजे हैं, आपने घोषणा पत्र में बात की कि यमुना का पानी लेकर आएंगे, आपने पिछली बार महामहिम राज्यपाल महोदय के मुख से कहलवा दिया और उसके बाद आपकी पानी लाने की बात दूसरी है। मेरा आरोप है सरकार पर कि वह प्रोजेक्ट्स, जिन प्रोजेक्ट्स में राजस्थान का हिस्सा है, जिन बांधों पर बनने के लिए राजस्थान का बेसिन थ्योरी के आधार पर, कंजम्प्शन एण्ड यूज की थ्योरी के आधार पर अपना हक जताया, आज उनके अन्दर हरियाणा का सहयोग करने की बात कर रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यमुना का पानी चूरू जिले में आए, यमुना का पानी झुन्झुनूं जिले में आए, यमुना का पानी भरतपुर जिले में आए, सरकार ने थोथी घोषणा कई बार कर दी। इसके बारे में निश्चित तौर पर मंत्री महोदय, मैं चाहूंगा, यह एक ऐसा सवाल है जो राजस्थान के हक हकूक का सवाल है, इसके बारे में आप स्थिति को स्पष्ट करें कि यमुना का पानी राजस्थान लाने के लिए आपके पास क्या योजना है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: 295, श्री रामनारायण मीणा। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): एक मिनट, रामनारायणजी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि अभी पहला स्थगन प्रस्ताव लगा है।

श्री अध्यक्ष: आपने अपनी बात कह दी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरी प्रार्थना है, मैं यह नहीं कहता कि आप जवाब दो।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): आपको पांच साल मिले थे, कुछ करते।

श्री अध्यक्ष: आपस में चर्चा नहीं। माननीय सदस्य, आप पढ़ना शुरू करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है...

श्री अध्यक्ष: आप पढ़ना शुरू करें।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): पढ़ूं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है यह आसन से कि हमें संरक्षित करें और आप जैसे निष्पक्ष आदमी आसन पर विराजे हुए हैं, मंत्री महोदय बैठे हैं, यमुना नदी का पानी राजस्थान में...

श्री अध्यक्ष: विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह छोटा इश्यु नहीं है। यह छोटा इश्यु नहीं है, इससे तीन जिले सीधे प्रभावित हैं...

श्री अध्यक्ष: जवाब का उचित अवसर आएगा तो मंत्री महोदय को कहूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप इसका कल दे देंगे जवाब। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल दे दें, परसों दे दें।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बीसलपुर बांध से देवली, उनियारा व अलीगढ़ के ग्रामों को पेयजल सप्लाई

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में स्थित बीसलपुर बांध से अजमेर, ब्यावर, जयपुर सहित विभिन्न कस्बों एवं

(श्री रामनारायण मीणा)

गांवों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। देवली-उनियारा विधान सभा क्षेत्र के अनेक गांवो में भूमिगत जल सतह की गहराई से 300 फीट से भी अधिक नीचे चले जाने से पानी के फ्लोराइडयुक्त, खारा, बीमारियां पैदा करने वाला तथा अधिक टी डी एस वाला होने से पेयजल की स्थिति विकट है। अनेक स्थानों पर भूमिगत जल स्तर अधिक गहराई में चले जाने से हैण्ड पम्प कार्य नहीं कर रहे हैं। फिर भी उक्त बांध का पानी लिफ्ट करके इस क्षेत्र को नहीं दिया जा रहा है। भरतपुरिया ढाणी में अभी तक जी एल आर नहीं बनाया गया है।

देवपुरा (कीरों की ढाणी) तहसील देवली तथा विजयनगर एवं रानीपुरा तहसील उनियारा सहित विभिन्न मजरों, ढाणियों एवं ग्रामों में पूर्व से संधारित पेयजल योजनाएं बंद हो जाने से यहां के निवासी कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। टोंक एवं भीलवाड़ा जिले की सीमा में आबाद वर्तमान में एक लाख की जनसंख्या वाले देवली शहर की पेयजल योजना का भी आगामी समय को ध्यान में रखकर पुनर्गठन नहीं किए जाने, ग्राम नगड़िया क्षेत्र में पूर्व में खोदे गए तथा वर्तमान में बंद पड़े नलकूपों को चालू करने की कार्यवाही नहीं करने से भी पेयजल की किल्लत है। ग्राम कासीर से पनवाड़, चांदली सहित विभिन्न ग्रामों में ट्यूबवैल खोद दिए जाने वाले से पानी के अपर्याप्त रहने के साथ साथ कुएं जल्दी सूख जाने के कारण पानी सीधा बीसलपुर बांध से लिफ्ट कर दिया जाना चाहिए। अम्बापुरा कालोनी-दौलतामोड़ हेतु काफी समय पूर्व ऊंची टंकी का निर्माण करवाया जाने के पश्चात् भी बांध के पानी से टंकी भरी जाने का सिस्टम तैयार किए जाने में हो रही देरी के कारण पेयजल समस्या यथावत बनी हुई है। बघेरा से नासिरदा पाइप लाइन पेयजल योजना में ग्राम रामथला (ग्राम पंचायत मालेडा) एवं ग्राम रतनपुरा (ग्राम पंचायत बीसलपुर) त्रुटिवश अधिकारियों से छूट जाने से इन ग्रामों की पेयजल समस्या का निदान नहीं हो पाया है। पोल्याड़ा-धांधोली क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना का पानी पर्याप्त मात्रा में वितरित नहीं किये जाने से क्षेत्र के निवासी पेयजल समस्या से त्रस्त हैं। दूषित पानी पीने से ग्राम रघुनाथपुरा (रावता) में विगत 2 वर्ष में कैंसर से ही 6 व्यक्ति मर चुके हैं। इस ग्राम की औसत आयु मात्र 50 वर्ष ही है। ग्राम खरोई (ग्राम पंचायत टोकरावास) में भी खारा एवं उच्च टी डी एस वाला पानी है। नगरपालिका उनियारा एवं तहसील क्षेत्र अलीगढ़ के ग्रामों में व्याप्त पेयजल समस्या से यहां के निवासी त्रस्त हैं।

खारे, दूषित, बीमारी फैलाने वाले, अपेय फ्लोराइडयुक्त पानी से मुक्ति हेतु 436 ग्रामों एवं अलीगढ़, उनियारा कस्बों के लिए बीसलपुर देवली-उनियारा

(श्री रामनारायण मीणा)

पेयजल परियोजना की 1 फरवरी, 2007 को जारी की गई प्रशासनिक एवं वित्तीय संशोधित स्वीकृति 247 करोड़ के आधार पर भी निविदा जारी कर कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण तथा जनहित विरोधी रहा है। वर्ष 2009-10 के बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार इस योजना का कार्य किए जाने में हो रही देरी के कारण पेयजल की समस्या बढ़ती जा रही है।

अतः प्रार्थना है कि तहसील देवली एवं अलीगढ़ (जिला टोंक) सहित समीपवर्ती नैनवां क्षेत्र के ग्रामों के निवासियों की पेयजल समस्या निराकरण हेतु बीसलपुर बांध से पेयजल आपूर्ति की जाने हेतु अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही करवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: विराजें। श्री ओटाराम देवासी।

सिरोही जिले के चिकित्सालय में चिकित्सकों के रिक्त पद

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र सिरोही में जिला चिकित्सालय चिकित्सकों की कमी से जूझ रहा है। जिला मुख्यालय तथा आसपास के लोगों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। हर छोटी-बड़ी बीमारी के लिए जिलेवासियों को पालनपुर, मेहसाणा व अहमदाबाद जाना पड़ रहा है।

सिरोही जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों के कुल 32 पद स्वीकृत हैं इनमें से मात्र 12 चिकित्सक ही कार्यरत हैं, शेष पद रिक्त हैं। इनमें वरिष्ठ विशेषज्ञ के 6 में से 2 पद, कनिष्ट विशेषज्ञों के 12 में से 7 पद, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का 1 में से 1 पद तथा चिकित्सा अधिकारी के 12 में से 10 पद रिक्त हैं।

विधान सभा के तृतीय सत्र (बजट) जुलाई, 2009 में भी आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री महोदय को उक्त जिला मुख्यालय अस्पताल में चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति के सम्बन्ध में विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मामला ध्यान में लाए जाने के उपरान्त भी विभाग द्वारा चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति किए जाने के बजाय कार्यरत चिकित्सकों में से 8 चिकित्सकों के स्थानान्तरण अन्यत्र जिलों में किए जाने के कारण आज जिले में लोगों को चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और चिकित्सा व्यवस्था पूर्णतया बिगड़ी हुई है।

(श्री ओटाराम देवासी)

राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 14 पर स्थित शिवगंज से आबूरोड (राज्य की सीमा) तक लगभग 120 किलोमीटर की दूरी में प्रतिदिन दुर्घटनाएं हो रही हैं जिनमें विशेषकर सिरोही शहर से बाहर निकलते ही बारीघाटा में घायल होने वाले लोगों को जिला मुख्यालय अथवा नजदीकी उप चिकित्सालय में रिक्त पदों के कारण उपयुक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है जिससे अब तक सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं।

चिकित्सालय में वर्तमान में कार्यरत चिकित्सकों में से राष्ट्रीय कार्यक्रमों/चिकित्सा शिविरों/अन्य राजकीय कार्य या अवकाश पर रहने की स्थिति में अस्पताल में आने वाले मरीजों को सम्बन्धित चिकित्सक की सुविधा कई दिनों तक उपलब्ध नहीं होती है जिससे कमजोर आर्थिक स्थिति में भी बीमारी झेल रहे परिवार को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। जिले में बढ़ते जनसंख्या दबाव को देखते हुए सरकार द्वारा चिकित्सक/नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों को तत्काल भरे जाने की महत्ती आवश्यकता है नहीं तो आने वाले समय में जिले में चिकित्सा व्यवस्था और बिगड़ने की पूरी सम्भावना है।

श्री अध्यक्ष: श्री निर्मल कुमावत।

फुलेरा की गौशालाओं को अनुदान व सहायता

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में कई पंजीकृत और अपंजीकृत गौशालाएं संचालित हैं एवं इन गौशालाओं में लाखों की संख्या में गायें हैं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में पानवा, किशनगढ़-रेनवाल, बधाल, भादवा, मण्ढाभीमसिंह, जोबनेर, मुरलीपुरा, बोबास, खेजराड़ावास, कालख, बस्सी, नागा, डूंगरी कलां, हिंगोनिया (डूंगरी), जोरपुरा, सुन्दरियावास में पंजीकृत गौशालाएं संचालित हैं। इसके अतिरिक्त फुलेरा एवं लूनियावास में अपंजीकृत गौशालाएं संचालित हैं। इन गौशालाओं में लगभग 5,000 गायें हैं।

गत वर्ष बरसात नहीं होने से गौशालाओं में गायों के लिए चारे का अभाव पैदा हो गया है। इसके अतिरिक्त बांट एवं पेयजल की व्यवस्था भी इन गौशालाओं में धनाभाव के कारण नहीं हो पा रही है। वर्तमान में सरकार द्वारा इन गौशालाओं को कोई सहायता नहीं दी जा रही है जिसके कारण इन गायों के लिए चारे-बांट व पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। गायों का चारा

(श्री निर्मल कुमावत)

बांट व पेयजल उपलब्ध नहीं होने से गायें भूख से तड़प-तड़प कर मर रही हैं या भयंकर बीमारियों का शिकार हो रही हैं।

अत: इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि राज्य एवं मेरे विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की गौशालाओं को पर्याप्त अनुदान व सहायता सम्पूर्ण वर्ष के लिए उपलब्ध कराई जाए तथा गायों को पानी उपलब्ध कराने हेतु खेलियों का निर्माण करवाकर उनमें पानी डलवाने की व्यवस्था करवाई जाए ताकि गौ-धन को बचाया जा सके।

श्री अध्यक्ष: श्री शिवजीराम मीणा।

जहाजपुर में अकाल राहत कार्यों की स्वीकृति

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख द्वारा अत्यन्त लोक महत्व का विषय सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र की जहाजपुर नगरपालिका में कस्बा जहाजपुर के अलावा स्वतंत्र राजस्व ग्राम बिन्ध्याभाटा, लालाकाबाड़ा, पांचाकाबाड़ा, बोराणी, सेहलादांता एवं भगतों की झोंपड़िया तथा इनके मजरे घाटीकाबाड़ा, राधीकाबाड़ा, मुण्डीभट्टा, कल्याणपुरा, मोतोलाई, भगतोकाबाड़ा इत्यादि को मिला कर नगरपालिका का गठन किया गया है। इन ग्रामों एवं मजरों में 90 प्रतिशत से अधिक जनजाति के लोग निवास करते हैं जिनकी आजीविका का कोई अन्य साधन नहीं होकर वे पूर्णत: कृषि पर निर्भर हैं। इस वर्ष पूरे जिले में सूखे की स्थिति होने से सभी गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया जाकर ग्रामीण क्षेत्र में अकाल राहत कार्य स्वीकृत कर लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है किन्तु नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित होने के कारण अभावग्रस्त घोषित होने के बावजूद इन गांवों में अकाल राहत कार्य स्वीकृत नहीं किये गये हैं और न ही पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की गई है जिससे इन गांवों के काश्तकारों के रोजी-रोटी का संकट हो गया है तथा रोजगार के लिए पलायन को मजबूर हो रहे हैं। साथ ही, मूक पशु भी चारे पानी के अभाव में भूखे मरने के कगार पर हैं।

यहां पर मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती वर्षों में अभावग्रस्त घोषित होने पर नगरपालिका क्षेत्र में अकाल राहत कार्य स्वीकृत किये जाकर रोजगार मुहैया कराया गया था किन्तु इस वर्ष अकाल की भयावह स्थिति होने पर ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकार को ज्ञापन प्रेषित

(श्री शिवजीराम मीणा)

कर ध्यान आकृष्ट करने के बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है जिससे क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश है।

अत: आपके माध्यम से मेरा सरकार से विनम्र शब्दों में आग्रह है कि जहाजपुर नगरपालिका क्षेत्र में अविलम्ब अकाल राहत कार्य स्वीकृत करने एवं मवेशियों के लिए चारे पानी की व्यवस्था कराने का कष्ट करावें ताकि क्षेत्र के ग्रामीण काश्तकारों को रोजगार मुहैया हो सके।

श्री अध्यक्ष: श्री पेमाराम।

धोद में सड़कों की मरम्मत

श्री पेमाराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया संचालन नियम 295 के अन्तर्गत लेख है कि सीकर जिले की विधान सभा धोद में निम्न सड़कें पूर्णत: क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं:-

1. धोद से पैवा सड़क
2. धोद से भुवाला सड़क
3. खूड़ से माण्डेला सड़क
4. लोसल से जाना सड़क
5. लोसल से भीमा सड़क
6. सीकर धोद सड़क से मुण्डवाड़ा वाया सन्तोषपुरा रामपुरा
7. खूडी कूदन सड़क से अजीतपुरा
8. भढ़ाढ़र से सांवलोदा पुरोहितान
9. सीकर से मैलासी
10. दीपपुरा से अनोखू
11. चैलासी से भढ़ाडर वाया किरडोली
12. सीकर सालासर सड़क से सिहोट छोटी
13. सीकर लोसल सड़क से सेषम
14. कंवरपुरा से फकीरपुरा सड़क

उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों की साइडो में खड्ढे होने तथा सड़कें क्षतिग्रस्त होने की वजह से आवागमन बुरी तरह से बाधित हो रहा है। अत: इन सड़कों का तुरन्त प्रभाव से दुरस्तीकरण करवाया जावे जिससे जनता को सुविधा मिल सके।

श्री अध्यक्ष: श्री भगवान सहाय सैनी।

चौमूं में चिकित्सा सुविधाएं

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत चौमूं में समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने एवं सैटेलाइट हास्पिटल खुलवाने हेतु यह प्रस्ताव है।

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि चौमूं कस्बा राजस्थान की राजधानी से मात्र 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित होते हुए भी चिकित्सा सुविधाओं में काफी पिछड़ा हुआ है, उपनगर की सुविधा से वंचित है। चौमूं कस्बे में सी एच सी है, जहां हड्डी रोग विशेषज्ञ व बेहोशी चिकित्सक का पद नहीं है, कस्बा नेशनल हाइवे पर स्थित है, जहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन हड्डी रोग विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं होने के कारण मरीजों को जयपुर रैफर किया जाता है।

इसी प्रकार, सी एच सी, चौमूं में 10,000 से अधिक डिलेवरियां वार्षिक होती हैं, लेकिन महिला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक का एक पद ही होने के कारण जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

सी एच सी में आउटडोर मरीजों की संख्या के अनुसार नर्सिंग स्टाफ का आबंटन नहीं है। इसी प्रकार सी एच सी, गोविन्दगढ़ (जयपुर) में महिला रोग विशेषज्ञ व बच्चा रोग विशेषज्ञ तथा बेहोशी चिकित्सक का पद नहीं है, जबकि सी एच सी पर स्त्री रोग विशेषज्ञ व बच्चा रोग विशेषज्ञ चिकित्सक का होना आवश्यक है।

आपसे अनुरोध है कि चौमूं सी एच सी में हड्डी रोग विशेषज्ञ व बेहोशी व एक और महिला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक का नया पद स्वीकृत करवाने के साथ नर्सिंग स्टाफ बढ़वायें तथा चौमूं में उप नगरीय सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए चौमूं में एक नया सैटेलाइट चिकित्सालय खुलवाने की स्वीकृति प्रदान करावें।

इसी प्रकार सी एच सी गोविन्दगढ़ (जयपुर) में महिला रोग विशेषज्ञ व हड्डी रोग विशेषज्ञ तथा बेहोशी चिकित्सकों के पद स्वीकृत करवा कर ग्रामीण जनता को राहत दिलवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूसिंह राठौड़।

शेरगढ़ तहसील की जल प्रदाय योजना आर डी 134 एवं आर डी 159.50 के विभिन्न चरणों का कार्य

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर की वृहद जल प्रदाय योजना आर डी 134 व आर डी 159.50 के द्वितीय चरण का कार्य पूर्ण करवाने तथा योजना के तृतीय चरण की स्वीकृत जारी करवाने हेतु प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत सादर अनुरोध है कि तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर के ग्रामों में पेयजल की भीषण समस्या है। क्षेत्र के भूमि जल स्तर में कम वर्षा के कारण लगातार अत्यधिक कमी होती जा रही है। साथ ही, भू-जल की गुणवत्ता भी दिनों-दिन खराब होती जा रही है। जिसमें क्लोराइड, फ्लोराइड, टी डी एस व नाइट्रेट आदि में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। तहसील शेरगढ़ का अधिकांश क्षेत्र पूरा डार्क जोन घोषित है। पूरे क्षेत्र में पेयजल समस्या का स्थाई समाधान मात्र राजीव गांधी लिफ्ट केनाल से पेयजल आपूर्ति होने से ही सम्भव हो सकेगा।

दिनांक 26.12.2005 को छठी पी बी सी बैठक में संशोधित वृहद जल प्रदाय योजना आर डी 134.00 देवानिया-नाथडाऊ-कनोडिया-54 मील-शेरगढ़-चाबा 129 ग्रामों के लिए प्रथम चरण की संशोधित प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति राशि 12.24 करोड़ जारी की गई, जिसमें रॉ-वाटर डिग्गी 588 एमएल व फिल्टर प्लांट 31 एमएलडी कार्य पूर्ण हो चुका है तथा वृहद जल प्रदाय योजना आर डी 159.50 खुडियाला-जीयाबेरी-आगोलाई-सिंयादा-बालेसर के प्रथम चरण में 37 मूल राजस्व ग्राम, 04 एन-रूट ग्राम तथा 36 नव राजस्व ग्राम को सम्मिलित कर कुल 77 ग्रामों के लिए प्रथम चरण की संशोधित प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति राशि 6.45 करोड़ की जारी की गई, जिसमें रॉ-वाटर डिग्गी एमएल व फिल्टर प्लांट 16 एमएलडी कार्य पूर्ण हो चुका है।

पी पी सी की 178वीं बैठक दिनांक 11.10.2007 में वृहद जल प्रदाय आरडी 134.00 के द्वितीय चरण में जनगणना 2001 के अनुसार कुल गांव 129 तथा वर्ष 2007 में नये राजस्व गांवों सहित 264 गांवों को सम्मिलित करते हुए द्वितीय चरण में प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति राशि 234.46 करोड़ की गई, जिसमें 49 उच्च जलाशय का निर्माण करना है। वर्तमान में मात्र 06 उच्च जलाशय की ही तकनीकी स्वीकृति जारी की गई व इनका ही कार्य पूर्ण करवाया गया, शेष 43 उच्च जलाशय का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। पी पी सी की 174वीं बैठक दिनांक 01.02.2007 में वृहद जल प्रदाय आर डी 159.50 के

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

द्वितीय चरण में प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति राशि 74.38 करोड़ की गई, जिसमें कुल 22 उच्च जलाशय के निर्माण कार्य में से वर्तमान में 07 उच्च जलाशय का कार्य पूर्ण हो पाया है, शेष कार्यों हेतु कांग्रेस सरकार द्वारा निविदा आमंत्रित नहीं की गई है। योजना की स्वीकृति के समय योजना का वर्ष 2010-11 तक पूर्ण करना तय किया गया है लेकिन जिस गति से कार्य चल रहा है उससे तय समय सीमा में कार्य पूर्ण करना सम्भव नहीं है।

उक्त योजनाओं के तृतीय चरण में चिन्हित ढाणियों में पेयजल से जोड़ने का प्रावधान है परन्तु अभी तक एस्टिमेट व योजनाएं बनाने आदि का कार्य शुरू ही नहीं हुआ है।

कृपया उपरोक्त योजनाओं के द्वितीय चरण में बकाया कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी करवा कर कार्य शुरू करवाने तथा योजनाओं के तृतीय चरण की स्वीकृति जारी करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करावें जिससे क्षेत्र की जनता को पेयजल की समस्या का स्थाई समाधान मिल सके।

श्री अध्यक्ष: श्री कर्नल सोनाराम।

बाड़मेर के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषय अध्यापकों के रिक्त पद

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत राज्य सरकार एवं माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित कर यह कहना चाहता हूं कि विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों से गम्भीर स्थिति है।

राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित करने हेतु काफी प्रयास किये जा रहे हैं। प्रत्येक पंचायत में माध्यमिक विद्यालय खोले गये हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पातेय वेतन पर प्रधानाध्यापकों को नियुक्त किया है। इस हेतु मुख्य मंत्री महोदय एवं शिक्षा मंत्रीजी साधुवाद के पात्र हैं। माध्यमिक शिक्षा की स्थिति यह है कि लगभग समस्त प्रदेश में उच्च माध्यमिक, माध्यमिक विद्यालयों में विषयाध्यापकों के काफी पद रिक्त चल रहे हैं जिसके कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जिस स्तर की जानकारी देश की भावी पीढ़ी को होनी चाहिए, वह प्रदेश के वर्तमान माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर के अध्ययनरत विद्यार्थियों को नहीं मिल पा रही है जिसका मुख्य कारण विद्यालयों में लम्बे समय से रिक्त चल रहे विषयाध्यापकों के पद हैं।

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

इस सत्र में बाड़मेर जिले की स्थिति यह है कि अर्द्धवार्षिक परीक्षा पूर्ण हो चुकी है एवं बोर्ड परीक्षाओं का समय विभाग चक्र जारी कर दिया गया है लेकिन पद रिक्तता के कारण अभी तक आधा कोर्स भी पूरा नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को परीक्षा तैयारी की चिंता सता रही है। जिले में आधे से ज्यादा व्याख्याताओं के पद रिक्त चल रहे हैं। वर्तमान में 442 में से मात्र 177 पदों पर प्राध्यापक कार्यरत हैं और 265 पद रिक्त हैं। राबाउमावि, बाड़मेर में गृह विज्ञान, राउमावि शिव, मोकलसर, कल्याणपुर, पाटोदी, पादरू एवं बायतू में अंग्रेजी के, खण्डप में संस्कृत के व्याख्याता के पद तो विगत 20 वर्षों से रिक्त चल रहे हैं। शहरी क्षेत्र में तो शैक्षिक व्यवस्था सम्भव हो पाई है पर ग्रामीण क्षेत्र में तो शैक्षिक व्यवस्था राम भरोसे है। जब तक विद्यालयों में शिक्षकों की पूर्ति नहीं होगी तब तक यही स्थिति बनी रहेगी।

इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती करवाने की प्रक्रिया को गति प्रदान कर आगामी सत्र के प्रारम्भ होने से पूर्व ही रिक्त पदों के विरुद्ध योग्य आशार्थियों का चयन कर पदस्थापन किया जाना चाहिए।

बायतू क्षेत्र के मात्र 7 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ही 14 पद व्याख्याताओं के रिक्त चल रहे हैं। जिले के कई व्याख्याता तो अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं एवं उनका मूल पद रिक्त चल रहा है। ऐसी स्थिति में माध्यमिक शिक्षा से अन्य विभागों में प्रतिनियुक्त किये गये व्याख्याताओं की प्रतिनियुक्ति को निरस्त कर मूल विभाग को सुपुर्द किया जाना चाहिए एवं भविष्य में प्राध्यापकों एवं शिक्षक वर्ग से अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पाबंदी लगानी चाहिए ताकि जिस उद्देश्य के लिए शिक्षक की नियुक्ति की गई है उसकी पूर्ति हो सके।

लगभग यही स्थिति प्रारम्भिक शिक्षा विभाग की है। बाड़मेर जिले में 284 पद उच्च प्राथमिक विद्यालय संस्था प्रधानों के, 4491 पद तृतीय श्रेणी अध्यापकों के, 71 पद शारीरिक शिक्षकों के रिक्त चल रहे हैं। मात्र बायतू पंचायत समिति में क्रमश: 18, 627 एवं 19 पद रिक्त हैं।

ऐसी स्थिति में शिक्षा का स्तर सुधरने की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? राज्य सरकार को इस विषय पर गम्भीरता से विचार कर रिक्त पदों को भरने हेतु भर्ती निकाल कर पदस्थापन करने का निर्णय लिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: पर्चियां। श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पर्चियों से पहले एक मिनट का काम है। महत्वपूर्ण सूचना देनी है।

श्री अध्यक्ष: बस केवल सूचना ही देनी है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, सूचना ही देनी है।

श्री अध्यक्ष: इधर से कोई जवाब नहीं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जो रेस्पोंस गवर्नमेंट करे तो करे पर सूचना बहुत ही इम्पोर्टेंट है।

श्री अध्यक्ष: इसलिए जवाब भी दिलवा दूंगा आपकी बात का, पहले पर्चियां आ जाएं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उधर कुछ एक्सिडेंट हो जाएगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत इम्पोर्टेंट मामला है।

श्री अध्यक्ष: चलिये, साहब।

सूचना

पासपोर्ट नहीं बनने से निशा नामक लड़की द्वारा आत्महत्या

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी को यह सूचित करना चाहता हूं कि जयपुर में आज इस समय एक विचित्र स्थिति बनी हुई है। शिप्रा पथ थाने के सामने हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और थाने का घेराव कर रखा है। निशा नाम की एक सिंधियों की लड़की है जिसका पासपोर्ट बनना था। उसकी विदेश में सगाई हो गई थी और उन्होंने कहा कि पासपोर्ट बना कर भेज देंगे, 23 तारीख तक चले आयेंगे तो आपकी सगाई और शादी वहां पर हो जाएगी। 25 दिन से लगातार वो लड़की शिप्रा पथ थाने पर जाती रही, सारे जन-प्रतिनिधि भी उसके साथ जाते रहे और उन्होंने जाकर कहा कि आप केवल रिकमंड करिये, पासपोर्ट कार्यालय पासपोर्ट बनायेगा लेकिन थानेदार ने, थाने ने रिकमंड नहीं किया। आज टाइम समाप्त हो गया तो सुबह उस लड़की ने यह कह कर कि मेरा पासपोर्ट नहीं बन रहा है, मेरी सगाई खतम हो जाएगी और आत्महत्या कर ली, उसका देहांत हो गया। उसके बाद में हजारों की संख्या में लोग वहां पर खड़े हैं, वहां तनाव की स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं, माननीय गृह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मंत्रीजी, वह थानेदार के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराना चाहते हैं, वह एफ आई आर तुरन्त दर्ज की जाए, उस थानेदार को हटाया जाए, निलम्बित किया जाए और तुरन्त कार्यवाही की जाए ताकि उनको समझाया जा सके और कोई घटना घटित हो उसे टाला जा सके। लोगों में अभी आक्रोश है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर सरकार तुरन्त निर्णय ले और कदम उठाये।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, कुछ कह नहीं रहे हैं क्या मंत्रीजी?

श्री अध्यक्ष: मैं समय दूंगा जब न।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप दें न अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: मैं उनको मालूम करने का तो समय दूंगा पांच मिनट का। स्थिति को मालूम करने का पांच मिनट का समय भी नहीं दूं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा जयपुर आंदोलित है। (व्यवधान) पूरा जयपुर आंदोलित है।

श्री अध्यक्ष: आपके कहते ही वे जवाब क्या दे पायेंगे? आपके कहते ही जवाब दे पायेंगे क्या? पांच मिनट का समय तो दूं उनको। प्लीज बैठ जाइये। प्लीज, मेहरबानी करके मैं पर्चियों के बाद उनको समय दे रहा हूं। वे मालूम करके सारी बात आपके सामने कहने वाले हैं। मैंने आपको आश्वस्त भी किया है। मैं इस प्रकरण को बंद नहीं कर रहा हूं।

श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं साहब।

श्री अध्यक्ष: आपको नहीं बोलना?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): नहीं, मंत्रीजी खड़े हैं।

श्री अध्यक्ष: मालूम है मुझे। उनको समय दे रहा हूं पांच मिनट मालूम करने के लिए, तब तक पर्चियों का निपट जाता है। श्री ज्ञानचन्दजी पारख।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, वहां कुछ गड़बड़ हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष: तो जानकारी करने का भी समय नहीं दूं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जानकारी है इनको, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप चर्चा तो शुरू करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा चल रही है, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम जब इस बात को उठा रहे हैं इसका मतलब गम्भीरता है इस मामले में।

श्री अध्यक्ष: आपकी इस बात को सदन में रखने की अनुमति दी है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अध्यक्ष महोदय, जवाब ही नहीं दे रहे हैं वे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सरकार को रेस्पोंस तो करना पड़ेगा, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आपको बात रखने की अनुमति दी है। आपने अपनी बात कही है, मैंने आपसे यह भी निवेदन करते हुए आश्वस्त किया है कि पांच मिनट बाद इनकी तरफ से भी जवाब आपको दिलवाऊंगा। (व्यवधान) पांच मिनट का समय तो दें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर का मामला है, गृह मंत्रीजी खड़े हो गये, जवाब देना चाहते हैं और आप जवाब नहीं सुनना चाहते हो। उनका जवाब तो सुनो जब वे खड़े हो गये।

श्री अध्यक्ष: विराजिये-विराजिये। समाप्त करिये अपनी बात। (व्यवधान) पांच मिनट में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, जानकारी कोई दूसरी जगह से तो लेनी नहीं, जयपुर से ही लेनी है।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। प्लीज विराजिये। प्लीज विराजिये। आप समाप्त करिये अपनी बात।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, कोई अनहोनी घटना हो जाएगी इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप अपनी बात को समाप्त करिये। आप बोलने दें। आप समाप्त नहीं करने दे रहे हैं चर्चा को। इनको बोलने नहीं दे रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): .... वहां गोली चलेगी, लाठी चलेगी। लाठी-गोली चल जाएगी, अध्यक्ष महोदय।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

आपरेशन के लिए हृदय वाल्वों की अनुपलब्धता

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से राजस्थान के उन हृदय रोगियों की पीड़ा को माननीय चिकित्सा मंत्री तक पहुंचाना चाहता हूं जिन्हें पिछले दो महीनों से सवाई मानसिंह अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में हृदय वाल्व उपलब्ध नहीं करवाये जा रहे या सप्लाई नहीं की जा रही है। माननीय मंत्री महोदय को पता है कि कोई भी हृदय रोगी जांच कराता है तो लगभग 10-12 महीने बाद उसको आपरेशन की तारीख मिलती है। पहले से ही वेटिंग इतनी लम्बी है कि एक साल पहले उसका आपरेशन के लिए नम्बर नहीं आता तथा जब आपरेशन की तारीख आ जाती है और वह इस उम्मीद के साथ कि अब तो मेरा आपरेशन होगा, खुशी-खुशी जयपुर आता है कि मुझे रोग से मुक्ति मिलेगी, जयपुर में आकर के भर्ती भी रहता है और इन्तजार करता है कि निश्चित तारीख को उसका आपरेशन हो जाए लेकिन निश्चित तारीख को चिकित्सकों द्वारा यह कह दिया जाता है कि अभी हृदय वाल्व उपलब्ध नहीं हैं, जब आयेंगे तब तुम्हारा आपरेशन होगा। एक नहीं, पिछले दो महीनों से पच्चीसों केस जिनके अब तक आपरेशन हो जाने चाहिए थे, वे केस नहीं हो पाये। मैं कल की बात बताऊं, कल तीन आपरेशन रखे थे और एक आपरेशन के बाद दो आपरेशन इसलिए नहीं हो पाये कि उस साइज के वाल्व अस्पताल में उपलब्ध नहीं थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई एक-दो दिन की बात नहीं है, लगभग दो महीने होने को आ गये, यही हालात चल रहे हैं। पता नहीं, कितने हृदय रोगी आपरेशन नहीं होने की वजह से अपनी जान गंवा बैठेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मरीज की पूरी राशि जमा है चाहे मुख्य मंत्री सहायता कोष से मिली हो चाहे उसकी अपनी निजी राशि हो या मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष से मिली हो पर जब राशि पूरी जमा है, पैसा आपके पास पूरा जमा है तो फिर किन कारणों से आप हृदय वाल्व खरीद नहीं पा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर विषय है।

मैं एक विषय और जानकारी में लाना चाहूंगा। एक तरफ तो सरकार यह प्रयास कर रही है कि वेटिंग लिस्ट को कम किया जाए और उसके लिए

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

यदि ज्यादा खर्च पर भी किसी निजी अस्पताल में आपरेशन करवाना है तो उसका व्यय वहन करने की जिम्मेदारी भी सरकार लेने को तैयार होने वाली है। सोनी अस्पताल से आपकी बात चल रही है, संतोकबा दुर्लभजी से आपकी बात चल रही है जहां दुगुने, तिगुने खर्च पर आपरेशन होगा और राशि सरकार वहन करेगी परन्तु जहां अपना खुद का सिस्टम है वहां आपरेशन नहीं हो पा रहे हैं। यह जो राजकीय घाटा और मरीजों को जो नुकसान हो रहा है...

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। श्री भवानी सिंह राजावत। 2-2 मिनट में समाप्त करें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मुद्दा है।

श्री अध्यक्ष: आ गई आपकी बात।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, मेरा आग्रह है आपसे, माननीय अध्यक्ष महोदय, पच्चीसों मरीज आपरेशन के इन्तजार में पड़े हैं और माननीय मंत्री महोदय, जो बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं, मेरा आग्रह है कि आप यह बता दें कि आप वाल्व उपलब्ध करवाने की व्यवस्था कब तक कर देंगे?

श्री अध्यक्ष: श्री भवानी सिंह राजावत। शुरू करें, कृपया शुरू करें।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): गृह मंत्रीजी से दिलवा दें। गृह मंत्रीजी से जवाब चाह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: दिला रहा हूं। चार में से दो ही बचे हैं। 10 मिनट का टाइम मैंने उनको लिखकर भेज दिया है कि 10 मिनट में तैयारी कर लें।

श्री भवानी सिंहजी।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय चिकित्सा मंत्रीजी बैठे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी बैठे हैं।

चम्बल नहरों में पानी छोड़े जाने के लिए मध्य प्रदेश से आग्रह

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): अध्यक्ष महोदय, हाड़ौती सम्भाग में बांधों में पानी होने के बावजूद सरकार की हठधर्मिता के कारण नहरों से पानी नहीं छोड़ने से कोटा, बूंदी, बारां, तीन जिलों की फसल तबाह हो रही है।

(श्री भवानी सिंह राजावत)

इस मामले पर मैं आपका भी, माननीय सिंचाई मंत्रीजी का भी और पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चम्बल कमांड एरिया राजस्थान का सबसे पुराना एरिया है, सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना है। तीन जिले, कोटा, बूंदी, बारां, सात तहसीलें तीन जिलों की और 754 गांव, ये लगातार पिछले 50 वर्षों से इस परियोजना का जब से शुभारम्भ देश के प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने किया, इस नहरी पानी पर निर्भर है और लगभग 2.29 लाख हैक्टेयर भूमि राजस्थान की कोटा सम्भाग की और 2.30 लाख हैक्टेयर भूमि मध्य प्रदेश की, इनमें सिंचाई चम्बल की नहरों से, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर के पानी से सिंचाई होती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि अब के बरसात कम हुई है पूरे राजस्थान में, लेकिन फिर भी हमारे गांधी सागर में लगभग 1,272 फुट पानी का भराव हुआ और 1,272 फुट भराव से, मैं पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा क्योंकि पानी को लेकर जिस तरह के हालात हैं, यह सारे पूरे राजस्थान की धरती के ऊपर खड़ा कर रहे हैं। 1,272 फुट पानी इतना पानी होता है कि 10 लाख हैक्टेयर भूमि में एक-एक फुट पानी भरा जा सकता है। एक लाख हैक्टेयर में गेहूं की फसल खड़ी हुई है इतना ही नहीं, पूरे हाड़ौती सम्भाग में धनिया खड़ा हुआ है परन्तु एक पानी देकर नहरों का पानी अचानक बंद कर दिया। जब पानी बंद कर दिया, उसके बाद में आंदोलन हाड़ौती की धरती पर खड़ा हुआ। हमने कहा सरकार से और सरकार ने कहा कि मध्य प्रदेश पानी नहीं छोड़ रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले भी चाहे पोंग डेम का मामला हो, चाहे दूसरा मामला हो, यमुना के पानी का मामला हो, राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि जाते थे और राजस्थान के पूर्व सिंचाई मंत्री पोंग डेम के मामले में वहां जाकर, सांवर लालजी भी जाते थे लेकिन राजस्थान सरकार के सिंचाई मंत्रीजी ने और राजस्थान की जिम्मेदार सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य मंत्रीजी से बात नहीं की। अभी फरवरी में, तीन फरवरी को केवल औपचारिकता करने के लिए अधिकारियों की बैठक ग्वालियर में आयोजित की और आपने देखा होगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्वालियर में राजस्थान के अधिकारी, सिंचाई विभाग के, सी.ए.डी. के अधिकारी मध्य प्रदेश के सी.ए.डी. के अधिकारियों से उलझते रहे, उन्होंने झगड़ा किया। उन्होंने हक मांगा, उन्होंने

(श्री भवानी सिंह राजावत)

कहा कि पानी हमारे बांधों में भरा हुआ है। राणा प्रताप सागर में पानी भरा हुआ है, पानी छोड़ा जाये, फसलों को बचाया जाये लेकिन राजस्थान सरकार ने बात नहीं की। मुझे आपको कहते हुए और सदन को बताते हुए आश्चर्य हो रहा है कि यह कौनसी परम्परा राजस्थान की सरकार डालना चाहती है? हमारे आदरणीय धारीवाल साहब ने, राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्रीजी अशोक गहलोत साहब ने यह कहा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता मध्य प्रदेश में अपनी सरकार से बात करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार से सरकार बात करती है, कोई राजनैतिक दल बात नहीं करते लेकिन जिस तरह से सरकार टालना चाहती है...

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): आज हाड़ौती सम्भाग में एक लाख हैक्टेयर में जो फसल खड़ी हुई है, लगभग 400 करोड़ की फसल, गेहूं की फसल, धनिये की फसल, यह चौपट होती जा रही है और यह पानी छोड़ने का जहां तक मामला है...

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, यह दो मिनट का समय नहीं है, पूरे हाड़ौती सम्भाग में तबाही मची हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब पानी है, एक पानी देने के बाद भी 1,260 फुट पानी गांधी सागर में बचा हुआ था। उसके बाद भी मैं कहना चाहता हूं, जब हमारे राजस्थान के आदरणीय मंत्री धारीवाल साहब ने और गहलोत साहब ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार से बात करें, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि 1998 में...

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ...जब राजस्थान के मुख्य मंत्री श्रीमान् भैरोंसिंहजी शेखावत थे और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंहजी थे, कांग्रेस पार्टी के मुख्य मंत्री थे...

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): भैरोंसिंहजी शेखावत साहब ने उस समय नहीं कहा कि कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंहजी से बात करें। उन्होंने

(श्री भवानी सिंह राजावत)

उस समय दिग्विजय सिंहजी से बात की और एक दिन में ही मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्य मंत्री दिग्विजयसिंहजी ने भैरोंसिंहजी की बात को स्वीकार किया, उनके आग्रह को स्वीकार किया और पानी छोड़ा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री राधेश्याम गंगानगर। कृपया समाप्त करें। श्री राधेश्याम गंगानगर। कृपया विराजें आप। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, 400 करोड़ की फसल तबाह हो गई है और राजस्थान की सरकार जो कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी पानी मांगने वालों के ऊपर लाठियां बरसाती है...

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें। कृपया विराजें। समाप्त करें कृपया। माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। (व्यवधान) विराजिये, माननीय सदस्य। श्री राधेश्याम गंगानगर।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): कोटा, बूंदी, बारां में, वहां पर किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, रेलवे का चक्का जाम करने वालों पर, जन प्रतिनिधियों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। (व्यवधान) सरकार अपने को ही पानी नहीं देती है। पानी बरसात की देन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी सरकार के लिए बहुत बड़ी बात होती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया विराजें। माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप शुरू करिये। आप शुरू करिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। कृपया विराजिये। कृपया विराजें।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): पानी पर कांग्रेस कुंडली मारकर बैठी है। हाड़ौती में तबाही होगी, अराजकता फैलेगी, उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति कोटा संभाग में ही नहीं है, बीकानेर सम्भाग में भी गंगानगर जिले से लेकर बीकानेर जैसलमेर तक सरकार ने किसानों को एक पानी दिखाकर मार दिया।

श्री अध्यक्ष: महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद के समय आप समय लेकर के बोलें।

धरना

(श्री भवानी सिंह राजावत, सदस्य ने सदन के कूप में धरना दिया)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): पिछले साल पोंग बांध पूरा भरा हुआ था, उसके बावजूद भी किसानों को बरबाद किया।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये, विराजिये। श्री राधेश्याम गंगानगर। माननीय सदस्य, आपको अवसर मिलेगा।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): एक पानी देकर उनका खर्चा करवा दिया, पानी दिया नहीं। पानी के लिए खर्चा करवा दिया और सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समय आप समय लेकर अपनी बात कहें, आपके पास अवसर उपलब्ध है। श्री राधेश्याम गंगानगर। (व्यवधान) नहीं, कृपया विराजिये। माननीय सदस्य, कृपया विराजिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): ...न बी.बी.एम.बी. से कोई बात की। अभी तक भी बरसात में दो फुट पानी लेकर पड़े हैं लेकिन उसमें भी अपना राजस्थान का हिस्सा ले लें, ऐसा कोई प्रयास सरकार की ओर से नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। आप अलग से समय लेकर अपनी बात करें।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्यों मार रही है कांग्रेस की सरकार?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया विराजें। अलग से समय लेकर अपनी बात करें माननीय सदस्य। कृपया विराजें।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): कम से कम आप पंजाब सरकार से, बी.बी.एम.बी. से बात करें। आप बात करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया आप विराजें। अलग से समय लेकर अपनी बात कहें, माननीय सदस्य। कृपया विराजिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): आगे गर्मी आने वाली है, लोगों को फायदा होगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिये। राधेश्याम गंगानगर।

गंग कैनाल से पर्याप्त पानी का वितरण

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा है, बड़ा गम्भीर मामला है, गंग कैनाल के विषय में काफी लम्बे समय से किसान गंगानगर में धरना दे रहे हैं, क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे हैं और

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

हालात नाजुक हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूरे हाउस को बताना चाहता हूं कि गंगानगर के लोग बहुत शांतिप्रिय हैं लेकिन जब पानी सिर के ऊपर से गुजर जाता है तो गंगानगर के लोग वह कर दिखाते हैं जो कभी राजस्थान में अपनी एक मिसाल बनती है।

मैं आपको संगरिया की बात बताऊं, हर जगह पानी की लड़ाई है, एक मिनट भी सरकार ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। जो प्री-पार्टिशन शेयर हमारा 2,100 होना चाहिए, वह हमें मिलना चाहिए। इस मौसम में 1,500 पानी मिलना चाहिए, गेहूं की फसल बिलकुल तैयार खड़ी है, दो पानी मिला जबकि पांच पानी चाहिए। आपके पास पानी है। आप 700 क्युसेक्स पानी दे रहे हैं, 700 क्युसेक्स पानी पीने के लिए है, मात्र पशुओं और इंसान को पीने के लिए पर्याप्त नहीं है, फसल कहां से पकेगी? हमारा कल्चर एग्रीकल्चर है। हमारे पास न तो बहुत बड़ी इण्डस्ट्री है, न कोई बहुत बड़ा व्यापार है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि वक्त रहते स्थिति को सम्भाल लें, नहीं तो आने वाले दो-चार दिन में ऐसा गदर मचने वाला है, ऐसा गदर मचेगा कि शायद अपनी सरकार उसको सम्भाल न पाये, मैं आपको प्रार्थना करना चाहता हूं।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि भादरा में बिराणी गांव है, उस बिराणी गांव में ठेका दे रहे हैं कैनाल का पानी का लोगों को। उन्होंने किसी ट्यूबवैल वाले से रात में पैसे लेने का प्रयास किया, उसने पैसा नहीं दिया, गोली चला दी और सुरेश चौधरी, जो हमारे पूर्व में विधायक थे, भाजपा के कार्यकर्त्ता वहां धरना देकर वहां थाने को घेरकर बैठे हैं, गंगानगर में सड़क को रोक रखा है लेकिन आज तक उनको पकड़ा नहीं जा रहा है। थाने के बिलकुल करीब एक छात्र की हत्या कर दी गई और थाने के बैक साइड में उस छात्र को बोरी में डालकर लाश गिरा दी गई, आज तक उसका कोई इलाज नहीं है।

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें कृपया। कृपया समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): यह पानी नहीं है, पानी का बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। ऐसा युद्ध होगा, जो राजस्थान सरकार सम्भाल नहीं सकेगी। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा। मंत्री महोदय उठकर कृपा करके इस पर एक स्टेटमेंट दें। 700 क्यूसेक्स पानी। आप याद करो महाराजा गंगा सिंहजी को, वे कहां से पानी लाये थे।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। श्री ओम बिरला।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): वह पानी लाकर उन्होंने चिड़िया को पानी नहीं पीने दिया, राजस्थान के पशु, राजस्थान के पक्षी, राजस्थान के मनुष्य पानी पीते थे, आज इस सरकार का यह हाल है...

श्री अध्यक्ष: श्री ओम बिरला। कृपया समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): कि एक बूंद पानी नहीं। अगर आप मेरी, मैं, अध्यक्षजी...

श्री अध्यक्ष: बहुत धन्यवाद।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): प्रार्थना करता हूं, अगर आप स्टेटमेंट नहीं दिलाते तो मैं धरने पर बैठ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: कृपा है आपकी। श्री ओम बिरला।

(माननीय सदस्य श्री राधेश्याम गंगानगर सदन कूप में धरने पर बैठे)

चम्बल नहरों में पानी छोड़े जाने के लिए मध्य प्रदेश से आग्रह

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का हाड़ौती क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जो राजस्थान में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है और राजस्थान में अगर कहीं पानी बचा है तो इस क्षेत्र में बचा है। हाड़ौती के किसान लगातार तीस दिन से पानी की मांग कर रहे हैं, पिछले दिनों हाड़ौती के किसानों ने न्यायोचित बात सरकार के सामने रखी कि गांधी सागर के अन्दर जब 1260 का लेवल है तो क्यों नहीं हाड़ौती के किसानों को पानी दिया जा रहा? इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले आंकड़े भी बता रहे हैं कि गांधी सागर के अन्दर जब 2001 के अन्दर 1268 पानी था तब भी 1250 के लेवल पर किसानों को पानी दिया था। इतना ही नहीं, 2005 में जब 1274 का लेवल था तब भी 1250 फीट का किसानों को पानी दिया था। आज 1272 लेवल है इसके बाद भी, 1260 फीट पानी होने के बाद भी किसानों को पानी नहीं दिया जा रहा।

इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे देश की सरकार यह कहती है कि धान का उत्पादन करो, गेहूं का उत्पादन करो, करोड़ों रुपये का विज्ञापन देती है लेकिन किसान को न पानी देती है, न बिजली देती है। आज हाड़ौती का किसान लगातार धरने पर बैठा है, वह भूखा है, प्यासा है, उसके खेत सूख रहे हैं लेकिन राजस्थान की सरकार गम्भीर नहीं है। राजस्थान के

(श्री ओम बिरला)

मंत्री, हाड़ौती के मंत्री यहां पर बैठे हैं, उन्होंने हाड़ौती के किसान की चिंता नहीं की। राजस्थान के मुख्य मंत्री ने कभी हाड़ौती के किसान की चिंता नहीं की कि उसके खेत को पानी मिले। अच्छा होता जब मध्य प्रदेश के साथ वार्ता करने जाते, राजस्थान के सिंचाई मंत्री वार्ता करने जाते, एक शिष्टमण्डल जाता और मध्य प्रदेश से मांग करता कि हमें हमारे हक का पानी दिया जाय। इतना ही नहीं, 15 जनवरी से पानी बंद रहा, वहां का किसान आंदोलन करता रहा, हमने जन-प्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया पर राजस्थान के मुख्य मंत्री ने यह भी उचित नहीं समझा कि मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री से वार्ता की जाय और बयान दे रहे हैं, यहां पर हाड़ौती के मंत्री बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, उन्होंने पिछली सरकार के टाइम यह कहा था कि एक-एक बूंद हम पानी लेकर रहेंगे। हमने मध्य प्रदेश के अन्दर पानी मांगा, हमने वहां की सरकार से कहा, जिस एनीकट के आधार पर हमारे हिस्से को पानी लग रहा है उस एनीकट को हटाया जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार संवेदनशील नहीं है...

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): यहां के मुख्य मंत्रीजी ने मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री से वार्ता नहीं की। यहां के मंत्रियों ने कभी वार्ता नहीं की। मैं सिंचाई मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): वह एक बात बतायें कि जब 15 जनवरी को नहरें बंद हो गई थीं, किसान के पानी पर्याप्त था उसके बाद भी आपने वार्ता क्यों नहीं की? राजस्थान के मुख्य मंत्री ने वार्ता क्यों नहीं की? सरकार वार्ता नहीं करना चाहती...

श्री अध्यक्ष: यह सब बातें आ चुकी हैं, आपसे पूर्व वक्ता यह सब बात कह चुके हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सरकार असंवेदनशील हो रही है, किसानों के बारे में न्याय नहीं कर रही। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर यह सरकार मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री से बात करती तो आज किसान के खेत सूखे नहीं रहते...

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): और जो करोड़ों रुपये की फसलें नष्ट हुई उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो यह कांग्रेस की सरकार है।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, या तो माननीय मंत्री महोदय बयान दें...

श्री अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): कि आपने वार्ता किस दिन की, अगर वार्ता नहीं की तो सरकार, अब माननीय गृह मंत्रीजी बोल रहे हैं...

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): अध्यक्ष महोदय, हाड़ौती के किसानों के जीवन का सवाल है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, हमारे हाड़ौती के तीन-तीन मंत्री, उसके बावजूद किसानों के साथ इतना बड़ा कुठाराघात। आज किसान आत्म हत्या करने को तैयार है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्रीजी। माननीय गृह मंत्रीजी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): हमारा आपसे यह कहना है कि मध्य प्रदेश से चर्चा करके हाड़ौती के किसान को यह पानी उपलब्ध करवाया जाय।

श्री अध्यक्ष: विराजें। कृपया विराजें। कृपया आप विराजें। (व्यवधान) कृपया आप विराजें। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): वरना किसानों की जो दुर्दशा हुई है, आज किसान आंसू बहा रहा है, हमारा आपसे यह निवेदन है कि आप...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया आप विराजें। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): गृह मंत्रीजी बयान दे रहे हैं...(व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): यह किसानों के जीवन का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्रीजी बयान दे रहे हैं। (व्यवधान) गृह मंत्रीजी, जो माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी ने...(व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): मेरा आपसे निवेदन है कि किसानों को क्यों नहीं पानी दिया जा रहा...(व्यवधान) लेवल होने के बावजूद? 1250 का लेवल है तब भी किसानों को पानी मिला, आज क्यों नहीं पानी मिल रहा किसानों को? (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): और पता है, इन्होंने किसानों के साथ क्यों कुठाराघात किया है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजें। आसन पांवों पर है। (व्यवधान) कृपया विराजें, आसन पांवों पर है। (व्यवधान) कृपया व्यवस्था बनाये रखिये। (व्यवधान) माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी ने जो सूचना दी है उसके सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्रीजी। (व्यवधान) घनश्यामजी तिवाड़ी ने जो सूचना दी उसके संबंध में माननीय गृह मंत्रीजी। गृह मंत्रीजी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हां।

श्री अध्यक्ष: वह मानसरोवर पुलिस थाना के प्रकरण के सम्बन्ध में।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हां-हां। माननीय...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): नहीं, माननीय मंत्रीजी बयान दे रहे हैं हाड़ौती के किसान के पानी के लिए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): विराजिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्रीजी बोल रहे हैं। माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी ने जो प्रकरण रखा है उसके सम्बन्ध में, केवल मात्र उसके सम्बन्ध में इजाजत दी गई है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): विराजो।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): अगर, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार इस पर बयान नहीं देगी तो हम धरने पर बैठे हैं और अगर....

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आ जाओ, आ जाओ। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): धरने पर तो बैठ ही रहे हैं। (व्यवधान) सरकार संवेदनशील नहीं है। इस पर या तो माननीय सिंचाई मंत्रीजी बयान दें और सिंचाई मंत्रीजी बयान नहीं देते तो यह माना जाय कि किसानों के प्रति सरकार संवेदनशील नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। गृह मंत्रीजी।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य श्री ओम बिरला सहित अनेक माननीय सदस्य सदन कूप में धरने पर बैठे)

सूचना

पासपोर्ट नहीं बनने से निशा नामक लड़की द्वारा आत्महत्या

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मानसरोवर से आने वाले माननीय सदस्य..(व्यवधान) सांगानेर है क्या, सांगानेर से आने वाले...

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति, कृपया शांति।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सदस्य ने बड़ा महत्वपूर्ण मामला सदन में उठाया है। मामला बहुत गम्भीर है और इसकी गम्भीरता को देखते हुए, अध्यक्ष महोदय, मैं इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस, जयपुर रेंज फर्स्ट को यह आदेश प्रसारित कर रहा हूं कि वह पुलिस निरीक्षक, शिप्रा पथ थाने के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करावे, अविलम्ब उनको पदमुक्त करे और शीघ्र ही इसकी एक रिपोर्ट बना कर राज्य सरकार को पेश करे ताकि राज्य सरकार उस पर आगामी कार्यवाही कर सके।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, सिंचाई के पानी को लेकर...

श्री अध्यक्ष : अधिसूचनाएं। श्री शांती कुमार धारीवाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, आज सिंचाई के पानी को लेकर जिस तरह से माननीय सदस्य वेल में बैठे हैं, मेरी प्रार्थना है अध्यक्ष महोदय, आप सिंचाई मंत्रीजी से जवाब दिलवायें।

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराज जायें। कृपया आप विराजें। श्री शांती कुमार धारीवाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरी प्रार्थना है। अध्यक्ष महोदय, पूरा राजस्थान झुलस रहा है...

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजें। श्री शांती कुमार धारीवाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सिंचाई के पानी को लेकर किसान सड़कों पर हैं।

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजें। कृपया आप विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, एक दर्जन विधायक, एक दर्जन माननीय सदस्य बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, आपने बात समाप्त कर दी क्या?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं-नहीं, वह बात समाप्त नहीं हुई, मैं दूसरे विषय पर आपको बात कह रहा हूं।

मांग

सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने बाबत

श्री अध्यक्ष: नहीं, यह समाप्त हो गई क्या?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, यह खतम हो गई। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य देवी सिंहजी सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं सदन के, वह धरने पर बैठे हैं, बाकी सब सदस्य भी, माननीय सदस्य यहां धरने पर बैठे हैं। यह धरने पर इसलिए नहीं बैठे हैं कि एक बार बोल गये और अपनी बात को पूरा करने के लिए बैठे हैं। मूल बात यह है कि आज राजस्थान के सभी हिस्सों में चाहे हाड़ौती हो, चाहे गंगानगर-बीकानेर का सारा इलाका हो, सब जगह किसान इस बात के लगातार आंदोलन कर रहे हैं और माननीय सदस्यों ने अपनी बात को भरपूर और जोरदार शब्दों में सदन में उठाया है। सत्र आज प्रारम्भ हुआ है, सिंचाई मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं और इनकी सारों की बात सुनने के बाद में सिंचाई मंत्री चुपचाप गर्दन नीची करके बैठे रहें, यह शोभादायक बात नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, एक मिनट...

श्री अध्यक्ष: अधिसूचनाएं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं, यह सारा विषय केवल बोल कर जाने का विषय नहीं है, राजस्थान में पानी की त्राहि-त्राहि मची हुई है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

वित्त विभाग

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्त विभाग एवं विधि विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

1. अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)एफडी/टैक्स/2009-42 दिनांक 30 जुलाई, 2009 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-1 में कतिपय वस्तुओं को दिनांक 28.7.2009 से करमुक्त किया गया है,
2. अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)एफडी/टैक्स/2009-43 दिनांक 30 जुलाई, 2009 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-iv में संशोधन किया गया है,
3. अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)एफडी/टैक्स/2009-44 दिनांक 30 जुलाई, 2009 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-ii में संशोधन किया गया है,
4. अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)एफडी/टैक्स/2009-45 दिनांक 30 जुलाई, 2009 जिसके द्वारा क्रेता व्यवहारी द्वारा विक्रेता व्यवहारी को जारी करने वाला घोषणा पत्र निर्दिष्ट किया गया है,
5. अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)एफडी/टैक्स/2009-46 दिनांक 30 जुलाई, 2009 जिसके द्वारा पुराने मोटर वाहन 1000 सी.सी. तक 2000/- रुपये, हल्के मोटर वाहन 1000 सी.सी. से ज्यादा 5000/- रुपये तक एवं भारी वाहन 8000 रुपये प्रति वाहन कर देयता निर्धारित की गई है,
6. अधिसूचना संख्या : एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2009-47 दिनांक 31 जुलाई, 2009 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 की अनुसूची-iii में संशोधन किया गया है,
7. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59(एफडी/टैक्स/2009-48 दिनांक 3.8.2009 जिसके द्वारा वर्णित माल व शर्तों पर मै0 राज वेस्ट पावर लि0 जिला बाड़मेर को प्रवेश कर से छूट दी गई है, एवं
8. अधिसूचना संख्या : एफ.12(68)एफडी/टैक्स/2009-49 दिनांक 20.8.2009 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(58)एफडी/टैक्स/05-पीटी-40 दिनांक 6.5.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): ××× (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ××× (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सिंचाई मंत्री को बोलना पड़ेगा इसमें। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाइये। यह थोड़े ही हैं कि चुपचाप बैठे रहें ये, जो माननीय सदस्य यहां पर बैठे हुए हैं। यह कोई बात थोड़े ही है, राजस्थान के किसानों की इतनी बड़ी समस्या है। (व्यवधान)

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): ×××

विधि विभाग

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधि एवं विधिक कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या : एफ.8(1) विवि-2/95 दिनांक 7 जुलाई, 2009 जिसके द्वारा राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

(विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

(समय : 13.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: श्री हरजीराम बुरड़क।

प्रतिवेदन

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम की प्रतिवेदन वर्ष 2007-08

I. दी वेयर हाउसिंग कारपोरेशन एक्ट, 1992 की धारा 31 (2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 51वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008,

राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड का प्रतिवेदन वर्ष 2008-09

II. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) (3) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड का 31वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-09, एवं

राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का प्रतिवेदन वर्ष 2007-08

III. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) (3) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 39वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008.

(विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: अधिसूचनाएं। श्री प्रमोद जैन ''भाया''।

अधिसूचनाएं

सार्वजनिक निर्माण विभाग की तीन अधिसूचनाएं

श्री प्रमोद जैन (भाया) (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग की तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

I. अधिसूचना संख्या : एफ.8(50)सानि/2001/पार्ट-1/477 दिनांक 22 सितम्बर, 2009 जिसके द्वारा शुल्क नियम नोटिफिकेशन, 2009 विरचित किए गए हैं,

II. अधिसूचना संख्या : एफ.8(50)सानि/2001/पार्ट-1/428 दिनांक 22 सितम्बर, 2009 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.8(50) सानि/2001/पार्ट-1/312 दिनांक 30.3.2009 में संशोधन किया गया है, एवं

III. अधिसूचना संख्या : एफ.8(50)सानि/77/429 दिनांक 22 सितम्बर, 2009 जिसके द्वारा अधिसूचना दिनांक 27.10.1994 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

मांग

सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने बाबत

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक आग्रह कर रहा हूं। सारे सदन के सदस्य, सब यहां पर बैठे हैं और आपसे एक आग्रह कर रहे हैं कि जो सिंचाई के सम्बन्ध में और पानी के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने बात रखी है, राज्य सरकार उस पर अपना वक्तव्य दे एवं सिंचाई मंत्री कुछ कहे इस बात पर। आपको सुनना चाहिए, अध्यक्ष महोदय, और आपको तो हमारे अधिकारों की रक्षा करनी है। आप कम से कम सिंचाई मंत्री जी को कहिए कि इन सारे सदस्यों ने जो मामला उठाया है उस पर राज्य सरकार वक्तव्य दे। आज दे दें सारी बातों पर, आज नहीं दें तो आप समय तय कर दीजिए। यह जन भावनाओं का सवाल है। हम सदन की कार्यवाही में बाधा नहीं डाल रहे हैं। हम उन अधिकारों की बात कर रहे हैं जो कल राधेश्यामजी गंगानगर ने कहा कि वहां गदर हो जाएगा, वो क्यों करना चाहते हैं? हाड़ौती में किसान इस प्रकार के प्यासे बैठे हुए हैं, किसानों के खेत, वो क्यों चाहते हैं? देवीसिंहजी भाटी, माननीय सदस्य सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, ये यहां पर बैठे हैं।

इसलिए मेरा आपसे विनीत आग्रह है कि आप राज्य सरकार को

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

निर्देश दें कि सिंचाई मंत्रीजी चुपचाप नहीं बैठे रहे, सिंचाई मंत्रीजी सुने और सिंचाई मंत्रीजी इस पर जवाब दें कि किसानों के साथ अन्याय राजस्थान सरकार क्यों कर रही है? हम यह सुनना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दें इस पर।

श्री अध्यक्ष: विराजे, विराजें। कृपया विराजे। माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी ने जो अपनी बात रखी है, तत्काल किसी मंत्री के लिए वक्तव्य देना भी सम्भव नहीं होता है...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): टाइम तय कर दो।

श्री अध्यक्ष: फिर आप कर दो न। मेरे को बोलने दो तो मैं कुछ बोलूं, नहीं तो नहीं बोलू आपको पसंद नहीं हो तो, नहीं, नहीं, अगर आपको ... (व्यवधान) वैसे आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि यदि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सिंचाई से संबंधित माँगें रखी जाएंगी, दिन तय होगा, उस दिन भी एक वक्तव्य तो निश्चित रूप से मंत्रीजी अगर तय होता है तो आएगा। किन्तु उसके अलावा भी यदि आप लोग चाहते हैं, तो उसका तरीका यह नहीं है कि धरना देकर ही आप वक्तव्य दिलवायें। मैं आप लोगों से पहले आग्रह करुंगा कि कृपया आप स्थान पर जाएं ...(व्यवधान) माननीय सिंचाई मंत्रीजी से भी मैं आग्रह करुंगा कि अभी नहीं, बाद में समय तय करके आपको सूचित कर दूंगा, वे स्थिति को आपके सामने रख देंगे।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। मेरा निवेदन यह है कि आज के दिन हमारी फ़सलें बर्बाद हो रही हैं, अगर वे बात अपनी कह दें...

श्री अध्यक्ष: अब कृपया तत्काल आप मुझे बाध्य नहीं करें कि मंत्रीजी को कहूं कि अभी वे वक्तव्य दें।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): बाध्य नहीं कर रहे हैं हुकूम, हम यह निवेदन कर रहे हैं कि आज के दिन जो फसलें खड़ी हैं वे एक पानी के लिए तरस रही हैं और पानी हमारे पास जो उपलब्ध है, उसी से दिया जाएगा। उसके लिए हमें आश्वस्त कर दें कि इस प्रकार की क्या व्यवस्था करेंगे?

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें, कृपया विराजें।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): वक्तव्य आप तो दो दिन बाद में दिलवाएंगे, हमारी फ़सलें बर्बाद हो रही हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें। श्री राजेन्द्रजी पारीक।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मेरी एक प्रार्थना है कि गंगानगर के किसानों को ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय उपनेता महोदय, आपसे निवेदन करुंगा कि सारी बात होने के बाद अब कृपया आप व्यवस्था करावें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सारे पंजाब की नहरों में पानी है, हमारे एक में भी पानी नहीं है। हमारा शेयर क्यों नहीं मिल रहा है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया आप व्यवस्था करावें।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्षीय व्यवस्था हो गई है। अध्यक्षीय व्यवस्था, जैसे भी अध्यक्ष कहेंगे मैं आज भी तैयार हूं और अभी भी तैयार हूं और आप यह मत समझें ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, समस्या बड़ी ज्वलंत है और माननीय मंत्रीजी खुद ही कह रहे हैं कि वे तैयार हैं...

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): मैंने कहा है कि अध्यक्षीय व्यवस्था को मानने के लिए तैयार हूं, आसन ने जो व्यवस्था दे दी है उस पर तैयार हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप कृपा करके अभी दिलवायें। वे खुद ही कह रहे हैं कि तैयार हैं। अगर तैयार हैं तो फिर देरी किस चीज की है?

श्री अध्यक्ष: देरी किधर से भी नहीं है लेकिन मेरा कुछ जरूरी काम निपटाने के बाद में सारी बात, इसको तो पहले मैं निपटा लूं। मैंने आपसे निवेदन किया, उनको समय दे रहा हूं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तत्काल आप जब कहें तभी ...(व्यवधान) एक मिनट, एक मिनट। धारीवाल जी वार्षिक प्रतिवेदन आपको प्रस्तुत करना है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): दो तो मैंने कर दिये। अब तो इनका मेरे बाद में हरजीराम बुरडक साहब ने कर दिया। यह वाला कर दूं?

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर के प्रतिवेदन वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानव अधिकार अधिनियम, 1993 की धारा 28(2) के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006, 2006-2007 एवं 2007-2008 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री हरजीराम जी बुरड़क, हो गया, प्रतिवेदन हो गया आपका। ठीक है, बैठिए आपका हो गया। श्री राजेन्द्रजी पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

हाइटेक प्रोसीजन ग्लास लि. का प्रतिवेदन वर्ष 2008-09

1. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) (3) के अंतर्गत हाईटेक प्रेसीजन ग्लास लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009,

राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल लि. का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-09

2. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए)(3) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009, एवं

राजस्थान वित्त निगम के लेखों की आडिट रिपोर्ट वर्ष 2008-09

3. वित्त अधिनियम, 1951 की धारा 37(7) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्थान वित्त निगम के लेखों की आडिट रिपोर्ट।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती बीना काक।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, न श्रीमती बीना काकजी हैं और न कोई दूसरे मंत्री हैं। यह सदन की अवहेलना है और इसलिए मैं चाहूंगा कि आप उनको प्रताड़ित करें और उनके खिलाफ... अध्यक्ष महोदय सदन का क्या मजाक बनाया जा रहा है? आप इस पर व्यवस्था करे। सदन में शून्यता नहीं रहती है। सदन में मंत्री का नाम पुकारा जाए और मंत्री नहीं हों, सदन में मंत्री नहीं हों और मंत्री के कागज भी नहीं हों और दूसरा मंत्री भी तैयार नहीं हो तो इससे बड़ी आसन की कोई अवहेलना नहीं हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, इस पर आपको कुछ कहना पड़ेगा।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, यह पहली बार हुआ है, राजस्थान की इस विधान सभा के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि मंत्री दूसरे मंत्री को भी नहीं समझा कर गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, इस पर आपको कुछ कहना पड़ेगा। सदन की मर्यादाओं का मंत्री इस प्रकार अवहेलना करेंगे,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अनादर करेंगे तो चलेगा नहीं और दूसरे मंत्री को भी कागज नहीं दे रहे हैं, इससे कोई बुरी बात नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) 'आ गये', 'आ गये' से क्या होता है? एक बार नाम पुकार लिया जाए उसके बाद नहीं चलेगा यह, सदन की इस प्रकार अवहेलना करना उचित नहीं है बिलकुल। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप कुछ कहे बिना ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्षमा प्रार्थना करिए आप सदन से, आसन से पहले क्षमा मांगिए आप, पहले क्षमा मांगें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप ऐसे कैसे बैठ सकते हो? आपको कुछ कहना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सदन की कोई गरिमा भी होती है। अध्यक्ष महोदय, पहले क्षमा मंगवाइए इनसे, पहले कान पकड़वाकर के क्षमा मंगवाइए इनसे। क्षमा मंगवाइए इनसे पहले।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कई बार इस प्रकार की लाचारियां होती हैं, आखिर वे एक महिला हैं, कई तरह के इनके, इनको यह देखना चाहिए ...(व्यवधान) कई ऐसी आवश्यकताएं होती हैं ... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ...(व्यवधान) महिला होते हुए भी ये कभी गम्भीर नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: आप लोग विराजे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ...(व्यवधान) हमारी गम्भीर नहीं हैं और न कभी गम्भीर होती हैं, हमेशा बात को मजाक में लेती हैं। इसलिए इनको कहें कि गम्भीर रहें।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): मैं क्षमा चाहती हूं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ...(व्यवधान) महिलाओं पर क्या अत्याचार हो रहे हैं? गृह मंत्री यहां विराजमान हैं, उन अत्याचारों के बारे में आपको मालूम है गृह मंत्रीजी? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ...(व्यवधान) क्या अत्याचार हो रहे हैं? आपको जवाब देना है। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहती हूं, मुझे होना चाहिए था। मानती हूं मैं गलती। इसमें क्या हो गया और आप इश्यु क्यों बना रहे हो? मैं तो खुद ही शर्मिंदा हूं कि मुझे होना चाहिए था लेकिन किसी काम से बाहर गई थी।

राजस्थान टूरिज्म डवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) के अन्तर्गत राजस्थान टूरिज्म डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजें। श्री प्रमोद जैन ''भाया''।

राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड का नवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2008-2009

श्री प्रमोद जैन (भाया) (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619-(ए)(3) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का नवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2008-2009 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल जाट।

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि. का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-08

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 61वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रतिवेदन। श्री शांति कुमार धारीवाल।

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे वर्ष 2008-09

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे वर्ष 2008-2009 सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (संख्या 8)

श्री अध्यक्ष: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 8वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 8वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 22 फरवरी, 2010 को म.प. 2.00 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय के वैश्म में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 23 फरवरी, 2010 से 9 मार्च, 2010 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

मंगलवार, दिनांक 23 फरवरी, 2010 बुधवार, दिनांक 24 फरवरी, 2010 गुरुवार, दिनांक 25 फरवरी, 2010	- राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद।
शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी, 2010	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद व राज्य सरकार की ओर से उत्तर।
शनिवार, दिनांक 27 फरवरी, 2010 से सोमवार, दिनांक 8 मार्च, 2010 तक	- बैठक नहीं होगी।
मंगलवार, दिनांक 9 मार्च, 2010	- आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2010-11 का उपस्थापन।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 8वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। राजस्थान निजी विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2010 से संबंधित डा. जितेन्द्र सिंह।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान निजी विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2010

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान निजी विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान निजी विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान निजी विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 से संबंधित श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करता हूं।

घोषणा

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद हेतु समय का बंटवारा

श्री अध्यक्ष: मुझे सदन को सूचित करना है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के लिए 16 घंटे उपलब्ध हैं। उपरोक्त समय में

(श्री अध्यक्ष)

सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न पार्टियों के लिए समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हूं:-

इंडियन नेशनल कांग्रेस	8 घंटे 08 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	6 घंटे 19 मिनट
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)	15 मिनट
जनता दल (यूनाइटेड)	5 मिनट
समाजवादी पार्टी	5 मिनट
लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी	5 मिनट
निर्दलीय	1 घंटा 13 मिनट
कुल	16 घंटे

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद। डा. रघु शर्मा

धन्यवाद प्रस्ताव

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय को निम्नांकित रूप से धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय:-

''इस सत्र में एकत्रित हम राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं।''

अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया है उस पर चर्चा के लिए मैं यहां आपके सम्मुख खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, 13 महीने हुए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। दिसम्बर, 2008 में जो जनादेश कांगेस पार्टी को मिला वह पूरा जनादेश नहीं था। उसके बावजूद सरकार की कार्यशैली, सरकार के द्वारा जो फैसले किये गये, गरीब को केन्द्र बिन्दु मानकर जो नीतियां बनायी गयीं, चार महीने बाद जो लोक सभा के चुनाव हुए, अध्यक्ष महोदय, उसमें बीस स्थानों पर, पच्चीस में से, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को संसद में भेज कर राजस्थान की जनता ने हमारी सरकार के निर्णयों पर मोहर लगायी। इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, उसके बाद क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहा करती है कि स्थानीय निकायों पर हमारा कब्जा रहा है, शहरी क्षेत्रों में हमारी पकड़ ज्यादा है, उसके कुछ समय बाद 2009 के अन्दर जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए उनमें भारतीय जनता पार्टी

(डा. रघु शर्मा)

का सूपड़ा साफ कर दिया राजस्थान की जनता ने। जिन नगर निगमों में बीस बीस, पच्चीस-पच्चीस साल तक कांग्रेस पार्टी अपनी जगह नहीं बना पायी वहां पर ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी ने दर्ज की। अभी हाल ही में जो पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव हुए उनमें राजस्थान की तैंतीस जिला परिषदों में से छब्बीस जिला परिषदों पर कांग्रेस पार्टी का बहुमत आया। यह अलग बात है कि हमारी चौबीस जिला परिषदें कांग्रेस पार्टी की बनी। पंचायत समितियों में कांग्रेस पार्टी का बहुमत आया।

अब सवाल यह है कि विपक्ष के लोग किस बात को सरकार की लोकप्रियता का पैमाना मानते हैं। मैं तो यह समझता हूं कि लोकतंत्र के अन्दर जनता का जनादेश ही एक पैमाना होता है, जहां जनता का जनादेश है वहां सरकार की नीतियों पर मोहर है। मैं अफसोस के साथ, अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि पिछले बजट सत्र में हम लोग मिले थे इस सदन के अन्दर और यह दूसरा बजट सत्र आ गया, भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे यह बता दें कि सवा साल की अवधि के अन्दर अगर हमारी सरकार ने, क्योंकि आप भी 79 की संख्या में जीतकर आये हो, जनता दल (यू) का आपको समर्थन प्राप्त है, अस्सी लोग हैं, इस सदन के अन्दर बहुत भारी भरकम विपक्ष है और एक से एक दिग्गज और कद्दावर नेता यहां मेरे सामने विराजे हुए हैं एक सवाल मैं आपके सम्मुख निवेदन करना चाहता हूं कि यह सवा साल में अगर हमने कोई गलती की, हमारी सरकार ने नीतियां बनाने में, कार्यक्रम बनाने में, उनके इंप्लीमेंटेशन में कहीं कोई चूक की है तो क्या 15 दिन के लिए कहीं कोई धरना लगाया, आपने टेंट लगाया, विरोध किया आपने कहीं? आज यहां सदन में जोर-जोर से बोल कर वैल में आकर, धरना देकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? राजस्थान की 6 करोड़ जनता बारीकी से हर रोज अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों के आचरण को देखती है।

अध्यक्ष महोदय, यह प्रतिपक्ष के लोग विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आज भी क्या इनके पास उत्तर है इस बात का कि विपक्ष का नेता कौन है? इस सदन में हम कह सकते हैं गौरव के साथ कि हमारे नेता अशोक गहलोत हैं। हमारी सरकार आपके सामने बैठी है, हमारा बहुमत आपके सामने बैठा है। क्या आप कह सकते हैं कि आपके नेता कौन हैं? जिसको आपने पांच साल सत्ता के सिंहासन पर बैठाया, जिसको आपने लगातार प्रतिपक्ष का नेता बनाकर रखा, क्या दुर्गति हुई है पिछले 12-

(डा. रघु शर्मा)

13 महीनों में? क्या यही लोकतंत्र है? हम तो कहते थे कि इनके रिमोट कंट्रोल कहीं और हैं, इनका मुखौटा कुछ और है, इनकी नीतियां कुछ और हैं, इनका काम कहीं और से चलता है। यह शर्म की बात है। इसलिए इस सदन में मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान के विपक्ष को सांप सूंघ गया है, राजस्थान में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि जनता ने जो हमको आर्शीवाद दिया है इनके रोल को देख कर दिया है एवं हमारी नीतियां और जो परिणाम हमने जनता के सामने ला कर रखे इन 12-13 महीनों में, इनको देख कर दिया है।

मैं तो आज यह कहना चाहता हूं, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, लम्बा समय हमने विश्वविद्यालय की राजनीति में और युवा राजनीति में साथ गुजारा है, इतना मायूस चेहरा, इतना अपमानित चेहरा मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा। यह यहां बार-बार कपडों से बाहर आते हैं और इनको किस स्तर के आदमी ने कितने दिन तक बाहर का रास्ता दिखाया? मुझे बहुत अफसोस है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ताज्जुब की बात है, कल वसुंधराजी खुद आपको इस्तीफा देकर आई, पता नहीं क्यों जबकि आपने खुद ने कहा कि इस्तीफे का काम आपके पास नहीं है, इस्तीफे का काम कहीं और है। आपने तो यही माना कि वे ही आज सदन की प्रतिपक्ष की नेता हैं लेकिन यह पार्टी फैसला .....

श्री अध्यक्ष: मैंने क्या कहा, आप थे क्या वहां ?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अखबारों में पढ़ा, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: तो यों कहो कि अखबारों में पढ़ा। मैंने कहा यह मत बोलो, अखबारों में ऐसा पढ़ा, यह कहो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): उन्होंने जो शेर पढ़ा उसकी आखरी लाइन यह है कि मेरे पांवों में भी कांटे उलझते रहे। अध्यक्ष महोदय, यह कांटे कहां से आये? यह सदन भी जानना चाहता है क्योंकि वह एक गरिमामय पद है। और यह कांटे किसके लिये बोये गये? किसने बोये? आज यह हालत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, मैं तो तारानगर से आने वाले माननीय विधायक महोदय से कहना चाहता हूं कि इतनी जिल्लत की जिंदगी सहन करने के लिये यही दिन बचा था। इधर आ जाओ वैकेंसी तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। और भी कोई साथी हो माननीय देवीसिंहजी भाटी जो कोलायत से आने वाले

(डा. रघु शर्मा)

माननीय विधायक महोदय हैं और भी हमारे बानसूर से आने वाले माननीय विधायक महोदय हैं, क्या तल्ख विचार, क्या पीड़ा थी।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): रघुजी, बानसूर वालों को भी ले जाओ।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आपके कहने से नहीं लेंगे।

श्री अध्यक्ष: इस तरह से नहीं, अंकित नहीं होगा।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, यह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर ही बोल रहे हैं?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह मैं आपकी करनी बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आपके समझ में आ जायेगा, किस पर बोल रहे हैं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हुजूर, मैं आपकी करनी बता रहा हूं और मैं तुलनात्मक अध्ययन भी आपकी सेवा में प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसमें जो 13 महीने का कार्यकाल हमारा रहा ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, दशानन का नाम नहीं लिया। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, मुझे माफ करें, मैं इनका नाम लेना भूल गया था। ये बड़े टेबल पर आपके सामने चढा करते थे, बड़ा हंगामा करते थे, आप अनुशासन के दायरे में इनको नहीं ला पाये लेकिन वह जहां से रिमोर्ट कंट्रोल चलता है उन्होंने इनको भी अनुशासन का रास्ता दिखा दिया। रामगढ़ से आने वाले माननीय विधायक महोदय मुझे आपके साथ भी सिम्पेथी है। कोलायत से आने वाले माननीय विधायक महोदय, मेरे भाई तारानगर से आने वाले विधायक और रामगढ़ से आने वाले विधायक महोदय, बानसूर से आने वाले विधायक महोदय, आप सब लोगों के प्रति हमारी तहे दिल से संवेदनाएं हैं और एक शेर मैं आपको नजर करना चाहता हूं कि -

खुद आगे बढकर तूफानों से जो टकरा नहीं सकता
सफीना लेकर साहिल पर वह कभी आ नहीं सकता
अब भटकती जिंदगी को साखे चमन महका नहीं सकता
जो थक कर बैठ जाता है वह मंजिल को पा नहीं सकता।

इसलिए उठो ....

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): .... हिम्मत जो पाने में है, लुफ्त जलने में नहीं, जल जल कर मर जाने में है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इसलिए मैं कहना चाहता हूं उठो संघर्ष करो, रास्ता बनाओ। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह जो चुनाव परिणाम आये पंचायती राज के अभी, नगरपालिकाओं और स्थानीय निकायों के, उन पर मेरे ख्याल से आप सब लोगों की नजर होगी। आप भी अध्ययन करते हैं, आप भी प्रबुद्ध हैं। क्या स्थिति बन गई है आप के दल की? क्या आपने कभी विचार किया? राजस्थान की जनता ने सिरे से नकारा है आपको। स्थानीय निकायों में नकारा, लोकसभा में नकारा और उसके बाद में ....

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): कोई आरोप लगाने की गुंजाइश नहीं है आपके पास इसलिए आपके पास सुनने के अलावा कोई चारा नहीं है। मैं तो आपको निवेदन कर रहा हूं थोडी तसल्ली रखो।

अध्यक्ष महोदय, यह केडर बेस्ड पार्टी है, यह अनुशासित पार्टी है। इसको राजस्थान की 80 जगह विधान सभा में लोगों ने बहुमत देकर सिर्फ इसलिए भेजा है कि हम गलती करें तो आप हमारा ध्यान ठीक करो। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये अपने आपको दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। इनकी पूरी ताकत आपस में लड़ने में लग रही है। यह राजस्थान की जनता के साथ आपके दल के द्वारा की गई नाइंसाफी है। कर्तव्य के प्रति आपका अपराध है। इसलिए इसके लिये आपको प्रदेश की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी।

आज मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि एक साल में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने कितने महत्वपूर्ण फैसले किये। (व्यवधान) देखो, अगर हल्ला करना है तो बाहर करो। यहां भी करो और बाहर भी करो। बाहर तो सांप सूंघ रहा है आपको। मैं यही बात तो कह रहा हूं। (व्यवधान) कोई धरना प्रदर्शन पूरे राजस्थान में नहीं, एक ही प्रदर्शन हो रहा है कि वसुंधराजी को रखा जाये या वसुंधराजी को हटाया जाये। इसके अलावा बी जे पी ने 13 महीनों में किया क्या है?

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): बहन जी, जब आपका वक्त आये तब आप बोल देना। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया डिस्टर्ब नहीं, कृपया शांति रखें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सबसे पहले तो यह जो उपलब्धियों का पुलिंदा है वह नजर करना चाहता हूं कि एक साल में राजस्थान में क्या हुआ। एक

(डा. रघु शर्मा)

साल में आपके टाइम में क्या हुआ? एक झटके में फैसला कर दिया। अगर यह राजमहल में पैदा हुआ मुख्य मंत्री होता तो शायद पांच साल में भी यह फैसला नहीं कर पाता लेकिन एक किसान के घर में पैदा हुआ मुख्य मंत्री है जिसने एक झटके में फैसला कर दिया कि पांच साल में किसानों के बिजली के दाम एक नये पैसे नहीं बढ़ाये जायेंगे। ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, यह सुनना तो चाहते नहीं। एक तो आप अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं और ऊपर से बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप तो इधर देखकर के चालू रहिए।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): राजस्थान में ऐतिहासिक रूप से 52 तहसील मुख्यालयों को हमारी सरकार ने उप खण्ड मुख्यालयों में तब्दील किया। यह फैसला ऐतिहासिक फैसला है। (व्यवधान) आप किस पर बहस करना चाहते हैं? सड़क पर करेंगे? बिजली पर करेंगे, पानी पर करेंगे (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, बिजली में आपकी सरकार जब राजस्थान में थी, 294.59 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया आपकी सरकार ने और इन 13 महीनों में हमारी सरकार ने गहलोत साहब के नेतृत्व में 1192.14 । यह कम से कम 6 गुणा ज्यादा बिजली का उत्पादन किया है हमारी सरकार ने। कोई यकीन नहीं करेगा, आपके कार्यकाल में आपने कितनी बिजली पैदा की। क्या आपने प्रदेश की जनता के हित में फैसले लिये, वह जनता जानती है। इसीलिए आपको उधर भेजा है और हमको इधर भेजा है। अब यहां रोका-टोकी से कुछ होने वाला नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, रिफाइनरी को लेकर पूरे पाँच साल इन्होंने कभी केन्द्र पर आरोप लगाये और कभी बहानेबाजी करते रहे। इनकी राजनीति की वजह से रिफाइनरी पांच साल तक लग नहीं पाई और हमारी सरकार के आते ही न केवल रिफाइनरी चालू हुई बल्कि प्रधान मंत्री ने उसका शुभारम्भ भी कर दिया। आज 480 ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप अपनी बात कहिए ना। आप अपनी बात चालू रखिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): तेल का उत्पादन प्रारम्भ हुआ, यह भी सच्चाई है। इससे आप इंकार कर रहे हैं क्या?

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): पाइप लाइन नहीं बिछी। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): जो काम आपकी सरकार ने पांच साल में किये वह हमारी सरकार ने नहीं किये। आपकी सरकार ने जातियों को लड़ाने का काम किया, आपकी सरकार ने पानी को लेकर गोलियां चलाई, जगह-जगह राजनीति हुई, आपकी सरकार ने रिफाइनरी के मामले में राजनीति की। आज प्रदेश में एक साल की अवधि में रिफाइनरी भी शुरू हो गई, राजस्थान के जातीय संघर्ष की आग को हमने खत्म किया है और पानी के झगड़े को खत्म करने की कोशिश की है।

आज पारदर्शी, जवाबदेही सरकार, जिस तरह का प्रशासन हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिया उसी का नतीजा आपके सामने है। कोई भी विभाग हो, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो। सड़कों के मामले में, 852 करोड़ रुपये खर्च हुए 13 महीने के पीरियड में जब आपकी

(समय : 13.31 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार आई तो 2,554.55 करोड़ रुपये 13 महीनों में हमने खर्च किए। (व्यवधान) सभापति महोदय, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जो उपलब्धियों से भरा हो, भारतीय जनता पार्टी....(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): कागज नीचे पड़े हैं जिनको आप ढूंढ रहे हो, यह कह रहा हूं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इसके अलावा रोजगार सृजन की बात की। पिछली बार बहुत हल्ला मचा कि नौकरियों के ऊपर पाबंदियां लगा दीं, इन 13 महीनों के पीरियड़ में कुल मिलाकर 22016 नियुक्तियां दी गई। आने वाले टाइम में हमारी सरकार का जो लक्ष्य है वह है कि 77,396 अलग-अलग विभागों में नियुक्तियां दी जाएं राजस्थान कौशल और आजीविका मिशन के द्वारा प्रतिवर्ष युवाओं को, एक लाख लोगों को रोजगार देंगे।

कुल मिलाकर यही कहना चाहता हूं कि लोक कल्याणकारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अपने आपको 'पार्टी विद डिफरेंस' कहती है उनकी कथनी और करनी में अन्तर है। हमने जो यहां कहा, जो वायदे प्रदेश की जनता से करके आये हमने उन वायदों को इन 13 महीनों में अक्षरश: निभाने की कोशिश की है। महामहिम राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण आया उस अभिभाषण में राजस्थान की तस्वीर बदलने का जो लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है वह परिलक्षित होता है।

(डा. रघु शर्मा)

इसके साथ ही इस अभिभाषण का समर्थन करते हुए अपनी बात को खतम करता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अलाउद्दीन आजाद। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सिवाय आलोचना के, दोषारोपण के .. (व्यवधान) पूरी स्टडी अभिभाषण की नहीं की है, बुक नहीं देखी है और इन्होंने अभिभाषण भी नहीं सुना है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): यह सिवाय असत्य बोलने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय सभापति महोदय, केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गये। धन्यवाद प्रस्ताव का मैं आपकी अनुमति से अनुमोदन करता हूं।

हमारी सरकार जब आई और हमने जो भी घोषणा पत्र बनाया और अधिकारियों के सामने दिया, हमने आम आदमी, गांव और गरीब का ध्यान रखा था। गांव और गरीब के ध्यान रखने में हमारे सदन के नेता ने गांधीजी की बात का ध्यान रखा। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बहुत पहले यह कहा था कि यदि आप कोई लाभ पहुंचाना चाहते हैं, यदि किसी आदमी की मदद करना चाहते हैं तो सबसे पहले अंतिम पंक्ति में खड़े हुए उस बाद के आदमी को देखो और सबसे पहले उसकी मदद करो। मैं आपको ध्यान दिला दूं कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 15 अगस्त, 1947 को अपना प्रथम भाषण देते हुए कहा था– "The ambition of the greatest man of our generation, Mahatma Gandhi, has been to wipe every tear from every eye. That may be beyond us but as long as there are tears and sufferings, our work will not be over." उसी गरीब के आंसू, एक इतिहास चालू हुआ महात्मा गांधी से, पंडित जवाहर लाल नेहरू से, वहां से लेकर पूरी पंचवर्षीय योजनाओं में कांग्रेस सरकार आज तक उस गरीब की मदद करने के लिए तैयार रही है। एक कदम आज आगे बढ़ाया है अभिभाषण में ताकि उस गरीब को और मदद मिल सके। जिन महापुरुषों ने हमारी इस सरकार को, देश को, गरीब को मजबूत करने की कोशिश की, हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हीं के उद्देश्यों के अनुसार यह काम करने की कोशिश करें।

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

"A person who takes no pride in the noble achievements of his remote ancestors will never achieve anything worthy which could be remembered for him." जो शख्स पुरखों के किये हुये हैरतअंगेज कारनामों पर कार्यों पर फक्र नहीं करता वह आगे चलकर कोई ऐसा काम नहीं कर सकता कि आगे आने वाली पीढ़ियां उसको याद रखें।

माननीय सभापतिजी, मैं आज यहां इस सदन के सामने एक बात रखना चाहता हूं और सही शब्दों में यह कहना चाहता हूं। सत्य कहना मेरा किसी को व्यंग और किसी पर चोट करना नहीं बल्कि एक वह सत्य जो पूरे इतिहास में और एक साल से हम देख रहे हैं या पिछले पांच साल में हमने देखा था, सारांश में आपके सामने वह बात रखना चाहूंगा।

हमारे नेता ने एक आदर्श दिया है कि जनता की मदद करो। आज तक राजनीति में एक सबसे बड़ी बात हो गई है कि सरकारी पैसा को सरकारी अधिकारी और राजनीतिक नेता अपनी जागीर मानकर उसको मदद करने की बात करते हैं मगर सदन के नेता ने एक आदर्श रखा है कि ट्रस्टी, आप ट्रस्टी हो, ट्रस्टी होकर इन गरीबों की मदद करने की बात करो। उस मदद करने का एक उदाहरण ट्रस्टी का मैं अपने जीवन में लोगों को बहुत देता रहा हूं और वह है रहीम का, जो बहुत दानी था और दान देने के बाद में उसकी यह स्थिति थी कि लोग कहते थे 'रहीमन दानी हो भले देवत हो दिन रेन और ज्यों ज्यों ज्यादा देत हो क्यूं क्यूं नीचो नैन।' रहीम ने अपनी बात रखी थी कि

' देनहार कोई और है देवत है दिन रैन,

लोग भरम हम पर करें ताते नीचे नैन।' 'देनहार कोई और है भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें ताते नीचे नैन।' इस विनम्रता के सामने सेवक के साथ में जो बात रखी गई हैं, इस तरह से बनाकर हमारे सामने रखा गया है।

आज महंगाई की बात चली, बाद में भी चलेगी, विभिन्न तरह की बातचीत करेंगे। मैं स्पष्टत: कहना चाहता हूं कि राजनीति कुछ भी करिये, आज पूरा संसार मंहगाई की चपेट में है। दुनिया के वे देश जो विकास के मायने में संसार में जाने जाते हैं मंहगाई से उनके बच्चे त्रस्त हो रहे हैं। मैं आपको उसके संबंध में, एक फूड रिसर्च एण्ड एक्शन सेन्टर है जिनके निदेशक जिमवेल हैं जिन्होंने सर्वेक्षण किया है उन्होंने बताया है कि अमेरिका जैसे देश में खाने और पीने की इतनी तंगी हो गई कि 16 प्रतिशत, 8 प्रतिशत व्यक्ति

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

अपने खाने को ठीक प्रकार से नहीं जुटा सकता है, जिनके छोटे बच्चे हैं उनमें से 24.6 प्रतिशत, व्यक्ति नहीं जुटा सकते। फिर भी इस बात को कहने में फख्र है कि पूरा हिन्दुस्तान, पूरी दुनिया मानती है कि हमारी यू पी ए की चैयरमेन और प्रधान मंत्री और हमारे मुख्य मंत्री, उनके प्रयत्नों से हमने उस मंहगाई को डाइल्युट करने के लिए, उसको कम करने के लिए बहुत बड़ा प्रयत्न किया है, यह हम नहीं पूरी दुनिया मानती है। मिसाल सबसे बड़ी यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने छात्रों के सामने कहा कि जिस तरह के विकास की ओर, आई टी टेक्नोलोजी की ओर हिन्दुस्तान बढ़ रहा है, अगर आप सतर्क नहीं रहे तो एक दिन आप नम्बर वन नहीं रहोगे, हिन्दुस्तान आपके स्थान पर आ जाएगा।

मंहगाई के रहते हुए, पानी की किल्लत होते हुए, अकाल पड़ते हुए और हर प्रकार की समस्याएं होते हुए जिस तरह से यह अभिभाषण में जनता को सहायता पहुंचाने की बात की है वह एक आदर्श है और एक ऐसा आदर्श है जिसको इंकार नहीं किया जा सकता जिसको हमने करने के लिए, रोकने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध किया है। गेहूं का अतिरिक्त कोटा प्राप्त किया। चीनी और दाल के स्टाक की चैकिंग चालू की और इतने प्रकार की योजनाएं बनाईं दाल और सब कुछ सस्ता करने के लिये, हमने कोशिश की और उस कोशिश का कुछ परिणाम यह आया कि आज सब लोग यह मान रहे हैं कि जो दाम पहले एकदम आसमान पर जा रहे थे वे कम होने की स्थिति में हैं।

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि विद्युत उत्पादन की बात यहां पर कही गई है और विद्युत उत्पादन के सैकड़ों आंकड़े इसमें पड़े हुए हैं, मैं उन आंकड़ों को दोहराना नहीं चाहता हूं मगर एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में विद्युत उत्पादन का आदर्श उदाहरण कहीं देखा जाए तो यह राजस्थान की सरकार है। एक टाइम था, जब पिछली बार हमने 1,754 मेगावट बिजली पैदा करके हिन्दुस्तान में एक रिकार्ड कायम किया था। जब 1990 और 1993 तक यह सरकार थी और उसके बाद में 2003 से 2008 तक यह दूसरी सरकार थी, एक मेगावाट बिजली आपने पैदा नहीं की। (व्यवधान) देखिये, जो मेरे साथी, माननीय सदस्य जो इस तरह से इंगित कर रहे हैं, मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि मैं अपने आपको दूसरों के मुकाबले में यह मानता हूं कि 'बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपणा, मुझसे बुरा न कोई।' मैं उस स्थिति को रखकर, मगर आपसे यह कहना चाहता हूं कि मैंने तलवारों को पाला पेट में देकर जगह, उम्र भर जीता रहा हूं मैं म्यानों की

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

तरह, जानता हूं बोलने से बंद होगी यह जुबां, रह नहीं सकता हूं फिर भी बेजुबानों की तरह।

बिजली के उत्पादन के बारे में जो आज स्थितियां हैं, हमारी सरकार ने पहली बात आते ही कही कि बिजली नहीं तो विकास नहीं, गरीबों की मदद नहीं। जो उपदेश करेंगे, पैसा खर्च करेंगे, उसका कोई लाभ नहीं होगा। आते ही 6 योजनाएं बड़ी बनाई और 6 योजनाओं के लिये और तैयारी कर दी है, 12 योजनाएं 2012 तक राजस्थान हिन्दुस्तान में बिजली के मामले में वह प्रदेश होगा, सब उसी तरह से याद रखेंगे जिस तरह से 1998 से 2003 तक सड़कों के मामले में पूरे उत्तर भारत में हम नम्बर-एक थे। बिजली के मुकाबले में हम नम्बर-एक थे, सड़कों के मामले में हमारे लिये लोग उदाहरण दिया करते थे और जो गरीबों के लिये हमने योजनाएं बनाई वे योजनाएं दर्शनीय थीं।

इसी बात के साथ में मैं यह कहना चाहता हूं आपको बजाय आंकड़े देने के, जल संसाधन के मामले हैं, उनमें यह है कि पूरे भारत के भू-भाग का 10.5 प्रतिशत राजस्थान में है, भारत की जनसंख्या का 5.5 प्रतिशत राजस्थान में है, भारत के कुल पशुधन का 11.2 प्रतिशत राजस्थान में है जबकि जल संसाधनों का केवल एक प्रतिशत राजस्थान में है। कुल धरातल का 70 प्रतिशत जल धारा से ढका हुआ है और धरती का 97 प्रतिशत पानी समुद्र में है, केवल 3 प्रतिशत धरती के ऊपर है। हम सभी इस बात को जानते हैं कि इस साल वर्षा ने हमको धोखा दिया है, हम यह भी जानते हैं कि अकाल की स्थिति है मगर यह भी याद रखना चाहिए कि यह वही सरकार है, यह उसी नेता की सरकार है जिसने जब पहले अकाल पड़ा 4 साल तक लगातार, लम्बा अकाल पड़ने से जिस तरह का प्रबन्धन किया, वह प्रबन्धन भारत के इतिहास में एक अंकित लकीर है जिससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है। गरीब के घर में, जिनके जमीन नहीं थी, जिनके पैदावार नहीं थी, जिनके आय नहीं थी उनके घर पर गेहूं की बोरियां भरी हुई थीं और वे साधन से सम्पन्न थे। वह इस तरह की स्थिति थी। इसलिये जल की जो स्थिति है, आने वाले समय में यह जल के लिये पूरी दुनिया में सबसे बड़ी समस्या पैदा होने वाली है और हिन्दुस्तान में भी होने वाली है, राजस्थान तो पहले से ही जूझ रहा है। एक बात कहना चाहता हूं कि न्यूयार्क की वॉश पब्लिशिंग कम्पनी ने जेम्स द वर्कमैन की पुस्तक ''Hard of Dryness-How the last bushmen help us endure coming age of permanent drought." इसमें लिखा है कि

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

हमारा सब पर अधिकार है परन्तु पानी पर, जलवायु पर, वायु पर हमारा अधिकार नहीं है। हम उनके ऊपर आधारित होते हैं। जैसी भी स्थिति है, उस स्थिति से निपटने के लिये हमने पूरी कोशिश की है और इस भाषण में, इस अभिभाषण में यह पूरा बताया गया है कि किस तरह से जाकर के हम जनता को पानी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम यह भी करेंगे कि जहां पर पानी के साधन नहीं हैं, दूसरी जगह से लाएंगे। आज भी हम उस रिक्तिता को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब यहां तो, इसमें यह भी कह दिया कि जहां भी जल मिले, आप वहां हैण्ड-पम्प लगाइये, बोरिंग लगाइये और जनता को पानी पिलाने की कोशिश की है।

मैं आपको एक बात 2003-08 तक की बता देता हूं पानी के बारे में कि वहां पर 6,000 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे और उसमें एक लाख से ज्यादा हैण्ड-पम्प लगाये गये थे। ज्यादातर खराब थे, यह पूरे रिकार्ड बता रहे हैं। 7,000 से ज्यादा ट्यूबवैल लगाये गये थे, जिनसे पानी की सप्लाई नहीं हुई। 11,700 करोड़ की 64 परियोजनाएं कागजों में अधूरी पड़ी हुई हैं। इससे जनता को कोई लाभ नहीं हो रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं एक बात और बता दूं पानी के बारे में जो मेरे यहां है। राजस्थान में ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान में एक आदर्श रहेगा कि मुख्य मंत्री, राजस्थान और मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश ने सवाई माधोपुर में मेरे यहां पर उद्घाटन किया था, एक जल परियोजना लिफ्ट से पानी लाने की योजना बनी थी जिससे सवाई माधोपुर में पानी पिलाना था, खण्डार में पानी पिलाना था, टोडाभीम में पानी पिलाना था, बौंली में पानी पिलाना था, बामनवास में पानी पिलाना था। उसका उद्घाटन हो गया, उसके टेण्डर हो गये, काम चालू हो गया मगर दुर्भाग्य था हमारा कि सरकार बदल गई। सरकार बदलने पर उन्होंने क्या किया, मालूम है, यह चम्बल नदी 20 किलोमीटर दूर पहुंच करके 163 किलोमीटर दूर जा रही है। 163 किलोमीटर दूर पर इस योजना को ले जाया गया और वहां से लाकर पानी की योजना बनाई जा रही है। यह करोड़ों, अरबों रुपये खर्च करके, क्योंकि उस योजना पर अशोक गहलोत और दिग्विजय सिंह का नाम लिखा हुआ था। आज वहां पत्थर पड़ा हुआ है, आज पत्थर पड़ा हुआ है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, समाप्त करो अब।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय सभापतिजी, आप जब भी बैठते हैं, मेरे ऊपर कृपा नहीं रखते और बार-बार बैठने की बात कर रहे हैं।

श्री सभापति: कई माननीय सदस्यों को अपने विचार, कई माननीय सदस्यों को बोलना है अभी।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात खतम कर रहा हूं, आपका आदेश मानूंगा।

और भी जो स्थितियां थीं वहां इस प्रकार की हुई। बिजली के मामले में मैं एक बात बता दूं आपको। बाड़मेर में, जो बिजली मंत्री थे, उद्घाटन करने गये थे और उन्होंने जितनी योजनाएं बनाईं उस टाइम पर, एक योजना में एक मेगावाट बिजली पैदा नहीं हुई और कहा कि बाड़मेर में इतनी बड़ी ऊंची चिमनी बनाएंगे कि आप खड़े होकर देखें तो आपको बेनजीर भुट्टो नजर आयेगी। न तो चिमनी की वह स्थिति बना पाए, न बिजली पैदा कर पाये, न बेनजीर भुट्टो को दिखा पाये। बल्कि हमारे नेता ने, जो हम लोगों ने बजट पेश किया है उस बजट में यह दिखाने की कोशिश की है कि हमने पहले भी बिजली बनाई और आज बिजली के साधन हैं और होने के बाद में राजस्थान में बिजली की इस तरह की बातचीत होगी।

मैं अल्पसंख्यकों के बारे में भी कुछ बात आपके सामने कहना चाहता हूं और हो सकता है कि आप मुझे पूरी बात दो-पांच मिनट में कह लेने दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखो, ऐसा है कि जो हमारा देश है, यह देश बड़ी मिलीजुली संस्कृति का देश है और इस देश में जब तक सारे समाजों के विकास की बात आप नहीं करते तब तक कुछ नहीं होता। एक हज हाउस बनाने की पिछली बार बात हुई थी। हज हाउस एक मामूली सी धर्मशाला होती है। उस धर्मशाला में लोग-बाग़ जाते हैं और 6 हजार के करीब, 25 हजार परिवार उससे तकलीफों से बचते हैं। उसको बनाने के लिये पिछली सरकार ने किस तरह की बातें कीं, यह सबको मालूम है। दो हजार पुलिस वाले लगाये। सरकार की मुखिया उद्घाटन करने के लिये गईं। उन्हीं की सरकार के मंत्री कहते रहे और छपा कि पूछा, क्या स्थिति रहेगी, तो मुख्य मंत्री कहती हैं कि हज हाउस बनेगा; दूसरे कहते हैं मुख्य मंत्री कहती हैं तो बनेगा ही, तीसरे कहते हैं जब वहां पर चारागाह है तो कैसे बनेगा; और चौथे कहते हैं कि सौ साल में भी नहीं बन सकता है। याद रखिये, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहता हूं

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

कि जब तक आप मिल-मिलाकर के बात नहीं कहेंगे, जब तक सारे समाज के आदमियों को साथ नहीं रखेंगे तब तक कुछ होने वाली स्थिति नहीं है।

इसलिये मैं आपको अन्त में यह बात कह देना चाहता हूं कि यह दोनों आंखें कभी भी अलग-अलग आंसू नहीं बहाती हैं। हमारा बजट गरीब के लिये है, गांव के लिये है, आम लोगों के लिये है, पिछड़ों के लिये है, गरीबों के लिये है, महिलाओं के लिये है, विकलांगों के लिये है और वे लोग जिनको कोई नहीं पूछता है, उन लोगों के लिये पहली बार बजट बनाया गया है। मैं अन्त में आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप और हमारी, सबकी मिल करके यह सद् भावना होनी चाहिए, गरीबों के लिये, आज हमें केवट पुत्रों को गृह स्वामी बनवाना है, बाबा रामदेव के थानक को भूमि दिलवानी है, रैदास कवि की कुटिया को भूमि देकर सुध लेनी है, मां शबरी को पेड़ लगाने के लिये बगिया देनी है, शहर सड़क पर दीन सुदामा के भी भवन बसाने हैं, गांव, गली, श्रीदामा कुटि दे छछिया भर नाच नचाने हैं। अवसर है इन झोपड़ियों के छप्पर के हाथ लगाने का और आग लगी तो भय है इनकी लपट महल तक जाने का।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं इस अभिभाषण में जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई गई हैं, रिपोर्ट बनायी गयी है ... (व्यवधान)

श्री सभापति: अभी और माननीय सदस्य भी बोलेंगे।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): यह राजस्थान, यह जयपुर शहर, यह राजस्थान जिसकी आप बात करते हैं, रिफाइनरी यहां पर होगी। यह जयपुर जिसकी बात करते हैं मेट्रो यहां पर चलेगी, यह जयपुर जिसकी बात करते हैं यहां पर टनल बनेगी। इस तरह की योजनाएं जो वर्षों तक कोई नहीं बना पाया वे योजनाएं यहां पर बनेंगी और वह पास होकर बात आएगी। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): माननीय सभापति महोदय, आप यह निर्देश देते जा रहे हो, सदन में अभिभाषण की शुरुआत और समर्थन वे माननीय सदस्य करते हैं जो सबसे बढ़िया वक्ता होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं। कृपा करके वक्ताओं की सुनने दीजिए। आप भी थोड़ा हमारा ध्यान रखिये।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय सभापति महोदय, अभी कुछ दिन पूर्व अखबारों में कुछ सुर्खियां नजर आयीं। मैं आपको वह एक

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

बताता हूं। '13 महीने में इस सरकार ने 13 पैसे का काम नहीं किया है।' और इस सुर्खी का जवाब यह है कि आप जब इस अभिभाषण को पढ़ेंगे तो पायेंगे कि एक साल में रिकार्ड काम हर क्षेत्र में किये हैं, हर वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए बात कही है, वह किसी की बात कह नहीं सकते मगर मैं पिछली बार की एक बात और बता देना चाहता हूं। पूरी पिछली साल ...(व्यवधान) आप मेरे ऊपर कृपा करिये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें। माननीय सदस्य, आप विराजें।

एक माननीय सदस्य: हमसे पूछिये आप। (व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): आप मेरे ऊपर कृपा करिये।

श्री सभापति: बस, माननीय सदस्य, आप समाप्त करें।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय सदस्य, न तो मैं वरिष्ठ नेताओं के बीच में और न महिलाओं के, जो कि मेरी बहन और बेटियां हैं, कभी बीच में इंटरवीन नहीं करता।

मैं यह कहना चाहता हूं आपको कि इस सरकार ने जो फैसले लिये हैं, जो काम लिये हैं, पिछले पांच साल में आप यह कहते रहे कि इस राजस्थान को बीमारू राज्य से निकाल दिया है मगर आप यह भाषण हर दिन बदलते रहे। दुनिया की कोई ताकत बीमारू राज्यों से बाहर आने से इस राजस्थान को नहीं रोक सकती। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जिस दिन आपका आखरी भाषण हुआ था और आपने अपनी उपलब्धियां बतायी थीं, आपने उस बीमारू राज्य को निकालने की बात नहीं कहकर यह कहा कि हमने राज्य को बीमारू राज्य से जुझारू राज्य बना दिया है। राजस्थान जुझारू है। राजस्थान जुझारू है। यह 40 मेगावाट बिजली पैदा करने वाला राजस्थान आज 10 हजार मेगावाट बनाने की, 2012 तक योजना बना चुका है। वह जुझारू है। राजस्थान जुझारू है कि उसने बरामदे खाली करवाये। राजस्थान जुझारू है कि गंगनहर का वर्षों तक का काम पड़ा हुआ था, अटका हुआ था, उसको उसने करवाया। राजस्थान जुझारू यह है कि उसने 21 हजार लोगों को रोजगार दिया। यह राजस्थान इसलिए जुझारू है कि यह आपका जनपथ जिस पर आप चल रहे हैं वह जनपथ आपको दिया। राजस्थान इसलिए भी जुझारू है कि 9 साल से बरामदों को खाली नहीं करवाने के बाद उस राजस्थान ने आपके बरामदों को खाली करवाया।

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह बात कहना चाहता हूं कि जहां विकास होता है वहां पर दोनों तरह के विकास होते हैं। पिछली बार उर्दू एकेडमिक और मुसलिम संस्थाओं के साथ बड़ी ज्यादती उस वक्त की गयी जबकि उर्दू हिन्दुस्तान की भाषा है। हिन्दू-मुसलिम 80 प्रतिशत उर्दू के बोलते हैं। हिन्दी और उर्दू दोनों बहनें हैं।

लिपट जाता हूं मां से, देख मौसी मुस्कराती हैं।
मैं उर्दू में गजल कहता हूं, हिन्दी खिलखिलाती है।।

परन्तु इसके विषय में पिछली बार कुछ नहीं सोचा गया।

श्री सभापति: धन्यवाद। अब माननीय सदस्य, आप समाप्त करें।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): मैं आपसे अन्त में यही कहना चाहता हूं, आप बार-बार मुझे फिर यही कहेंगे। मैं बड़ा अनुशासित आदमी हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: नहीं, आप एक तरफ तो बोल रहे हो कि अन्त में, अन्त में तो फिर अन्त कब होगा? अब आप समाप्त करो।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): अब मैं आपके आदेशानुसार, मैं एक अनुशासित सदस्य के हिसाब से केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस सर्वोच्च सदन के अन्दर जो अभिभाषण दिया उसके विरोध में खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति महोदय, मुझे बेहद अफसोस है कि इस अभिभाषण का समर्थन करते हुए केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य जो कि मेरे बहुत पुराने मित्र हैं उन्होंने सरकार और सरकार के मुखिया मुख्य मंत्रीजी की प्रशंसा में जो क़सीदे पढ़े उसका प्रभाव इस सदन में बिलकुल नहीं पड़ा और मुझे इस बात का भी अफसोस है कि सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य जो कि अच्छे प्रशासनिक अधिकारी रहे पर कथा-वाचक के रूप में उन्होंने विषय-वस्तु से हटकर और बार-बार यह उद्धृत करके कि इस बजट में, इस बजट में,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करने वाले माननीय सदस्य को यह तो ज्ञान होना चाहिए कि बजट पर बहस नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य के प्रति मेरी सहानुभूति है, क्योंकि उन्होंने मेरे प्रति सहानुभूति जाहिर की। सहानुभूति इसलिए है माननीय सभापति महोदय, कि राजस्थान के गांधी के नाम से स्वयं-अर्जित उपाधि को धारण करने वाले अशोकजी गहलोत इस सरकार के मुखिया जब वे सत्ता में आते हैं तो केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य उनसे काफी दूर चले जाते हैं और जब सत्ता से दूर हो जाते हैं तो गलबहियां करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, पूरा हिन्दुस्तान इस बात को जानता है कि इस बार इस सरकार ने जो पालिटिकल करप्शन किया, जो राजनैतिक भ्रष्टाचार किया, बहुजन समाज पार्टी के वे हमारे 6 माननीय सदस्य जो हाथी पर सवार होकर इस सदन में आये थे, सत्ता की तेज आंधी के बीच में कब मंत्री की कुर्सी पर विराज गये, मैं समझता हूं कि उसकी ठेस हमारे कई माननीय सदस्यों को है, जिसमें इस प्रस्ताव का समर्थन करने वाले केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य के मन में भी है और यही पीड़ा हमारे सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य के मन में भी है।

माननीय सभापति महोदय, इस राजनीति में कई ऐसे क्षत्रप होते हैं जो अपने चारों ओर चापलूसों की फौज तो रख सकते हैं परन्तु कोई स्वाभिमानी और चैतन्य व्यक्ति रहे, इसको वे बर्दाश्त नहीं कर सकते इसलिए मेरी सहानुभूति आपके साथ है।

माननीय सभापति महोदय, मैंने इस 35 पृष्ठ के अभिभाषण को बड़ी बारीकी से पढ़ा और मैं यह जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि इस 35 पृष्ठ के अभिभाषण में राजीव गांधी के नाम से 5 मिशन गठन करने के अलावा इसमें कोई नवाचार नहीं है, कोई नीति नहीं है और मैंने तो मेरे 20 वर्ष के संसदीय जीवन में ऐसा दिशाहीन और ऐसा नीरस भाषण आज तक न तो सुना और न देखा।

माननीय सभापति महोदय, हमारे इस अभिभाषण की एक संवैधानिक गरिमा भी है और राज्यपाल महोदय ने भी अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा किया। संविधान के अनुच्छेद 176(1) में प्रदत्त अधिकारों का और संविधान के अनुच्छेद 176(1) में लिखा है- 'राज्यपाल विधान सभा के लिए प्रत्येक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के प्रारम्भ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारम्भ में विधान सभा या विधान परिषद वाले राज्यों की दिशा में समवेत् दोनों सदनों को अभिभाषण करेंगे।'

माननीय सभापति महोदय, हमारे संसदीय प्रक्रिया में एक कौल एण्ड शकधर, इसको हम बाइबल के रूप में कहें या अन्य, हम उन सारी संसदीय आचरणों के बारे में इस किताब को पढ़ते हैं, इस किताब के अन्दर कौल और शकधर के अन्दर, माननीय सभापति महोदय, मैं वह निवेदन करना चाहूंगा, जो पेज नम्बर-197 में उल्लेखित है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि इस अभिभाषण की गरिमा कितनी है, इसका महत्व कितना है। यह एक तरह से जनता और सरकार के बीच में किये जाने वाले कामों का करार है। माननीय सभापति महोदय, इसीलिए मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, कौल-शकधर के पेज नम्बर-197 में लिखा है- ''राष्ट्रपति का अभिभाषण चूंकि सरकार का नीति वक्तव्य होता है इसलिए सरकार इस मसौदे को तैयार करती है। अभिभाषण की विषय-वस्तु के लिए राष्ट्रपति नहीं बल्कि सरकार जिम्मेदार होती है।'' इसी में राज्यपाल के अभिभाषण के लिए लिखा है कि ''राज्यपाल के अभिभाषण में उस पूरे विधायी और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का संक्षिप्त ब्यौरा होना चाहिए जो सरकार संबंधित वर्ष के दौरान सभा के समक्ष रखकर जिनको करने के लिए कटिबद्ध है।'' यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, कि अभिभाषण वह दर्पण है जिसके अन्दर आगामी वित्तीय वर्ष की भावी योजनाएं और पूर्व वर्ष का लेखा-जोखा होना चाहिए और मेरा यह आरोप है सरकार पर कि इस सरकार ने महामहिम राज्यपाल महोदय के मुख से जो कुछ कहलवा लिया, ऐसी-ऐसी कपोल-कल्पित बातें कहलवा लीं, यह न केवल इस सदन का अपमान है, हमारे संवैधानिक प्रमुख का भी अपमान है बल्कि एक तरह से इस लोकतंत्र का अपमान भी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इसी सरकार के राज्यपाल महोदय द्वारा इसी सर्वोच्च सदन में दिये गये प्रथम अभिभाषण की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। 03 जनवरी, 2009 को जो प्रथम अभिभाषण मंत्रिमण्डल के अनुमोदन के पश्चात् महामहिम राज्यपाल ने इस विधान सभा में पढ़ा, उसमें 24 पृष्ठ थे और 24 पृष्ठों में 53 नीतिगत निर्णय और योजनाओं की घोषणा सरकार ने की।

(समय : 14.00 बजे)

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

और मुझे अफसोस है यह कहते हुए कि उनमें से 7 पर कार्यवाही हुई। बाकी सारी घोषणाएं जो इसी सदन में महामहिम राज्यपाल के मुख से 3 जनवरी, 2009 को कहलवाईं, वे सारी घोषणाएं कपोल-कल्पित साबित हुईं, ठंडे बस्ते से बाहर नहीं निकलीं।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक और महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। हम दूसरे बजट की ओर बढ़ रहे हैं। 2009-10 के अन्दर जो बजट सरकार ने प्रस्तुत किया और जिस बजट के बारे में राज्य के मुख्य सचिव ने सभी प्रमुख शासन सचिवों को चिट्ठी लिखी फरवरी के महीने में और चिट्ठी में यह लिखा कि बजट के अन्दर दस नीतियों की घोषणाएं हुई थीं। एक के बाद एक नीतियों की घोषणा करना इस सरकार की आदत है। दो नीतियां बनीं। इस बजट के अन्दर 22 योजनाएं इस वित्तीय वर्ष में पूरा करने का संकल्प इस सरकार ने लिया था, तीन में काम प्रारम्भ हुआ। चार एक्ट बनने थे, एक नहीं बना। 21 बड़े भवनों का निर्माण होना था, तीन में प्रारम्भ हुआ। इसी तरह, सभापति महोदय, एक चुनाव घोषणा पत्र, जो इन्होंने कहा कि यह चुनाव घोषणा पत्र हमारा बाइबल है, उस घोषणा पत्र में इन्होंने 219 घोषणाएं कीं, मैं विस्तृत रूप से आगे निवेदन कर दूंगा, उसमें 15 महीने व्यतीत होने के पश्चात् मात्र 9 घोषणाएं पूरी हुईं। इसका मतलब, सभापति महोदय, यह कि वह चाहे राज्यपाल महोदय के मुख से कोई बात कहलवायें, चाहे बजट में कोई बात कहें, घोषणा करना और उसके बाद भूल जाना, यह इस सरकार की फितरत है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछला अभिभाषण 3 जनवरी को इस सदन में हुआ। उसमें पृष्ठ संख्या 3 पैरा संख्या 6 में घोषणा करवाई थी कि सिंचाई के लिये पर्याप्त पानी की व्यवस्था करेंगे और इस बार भी राज्यपाल महोदय के मुख से एक लाख हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचित क्षेत्र का विकास करने की कपोल-कल्पित घोषणा करवाई। अब सिंचाई के पानी के हालात क्या हैं? अभी सदन में कुछ समय पहले हमने वह मंजर देखा है। हमने सदन में देखा कि गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य पीड़ा के साथ खड़े हो गये, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य अपनी जनता की पीड़ा के साथ इस सदन के वैल में आ गये। यह तो जो सरकार कहती है कि एक लाख हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचित क्षेत्र का सृजन करेंगे, यह सारी की सारी बातें मैं समझता हूं धरती पर नहीं उतरेगी। आज कोटा के अन्दर 450 करोड़ की फसलें तबाह के कगार पर हैं और सरकार कह रही है कि हम बहुत कुछ करेंगे।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, मैं जो कुछ कह रहा हूं, मैं लेकर आया हूं। सभापति महोदय, 3 जनवरी, 2009 का अभिभाषण और यह 22 फरवरी, 2010 का अभिभाषण, मैं पैरा बता रहा हूं। मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं। मैं सरकार से चाहूंगा, मैं मुख्य मंत्री से चाहूंगा कि जो बिन्दुवार सवाल मैं उठा रहा हूं उनका उसी तरह उत्तर दें तो मैं समझूंगा उन्होंने अपने कर्त्तव्य को पूरा किया है। इस बार अभिभाषण के पैरा 23 में राज्य सरकार ने कहा कि राज्य सरकार पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी और पिछली बार क्या कहा इन्होंने, पिछली बार के अभिभाषण के पृष्ठ 3 के पैरा 6 में कहा प्रदेश में सर्वोच्च पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेवारी है।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इसी जलदाय विभाग के उस सर्वे की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। अक्टूबर, 2009 में सरकार ने सर्वे करवाया और सर्वे करवाकर जो बात सामने आई 22 हजार गांवों और 142 शहरों के अन्दर पेयजल की भयंकर समस्या सामने खड़ी है। स्वच्छ पानी की बात कहने वाली सरकार के सामने इस राजस्थान की राजधानी में 14-14 लोग, एक-दो नहीं, 14 निरीह लोग दूषित पानी से मर जायें और सरकार बैठी-बैठी बार-बार घोषणा करती रहे कि हम स्वच्छ पानी का प्रबन्ध करेंगे।

इन्होंने पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर बहुत बड़े कसीदे कसे। पूर्ववर्ती सरकार के समय में इन्होंने बहुत बड़े ढोंग भी रचे-स्वच्छ पानी पिछली सरकार नहीं पिला रही, बड़ी-बड़ी योजनाएं स्वीकृत करके चली गयी, सारी योजनाओं को ठप्प करने का काम इन्होंने किया है। सभापति महोदय, मेरे खुद के निर्वाचन क्षेत्र में एक पूंगी-राजगढ़ क्षेत्र जलप्रदाय योजना बनी। साढ़े 400 करोड़ की योजना का शिलान्यास हो गया, 70 करोड़ का बजट उसमें आबंटित हो गया पर दुर्भाग्य हम लोग इधर आ गये और सत्ता में दूसरे लोग आ गये, उस योजना को बीच में ही बंद कर दिया। सभापति महोदय, एक-दो नहीं, इस तरह की अनेक क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाएं हैं। एक क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना को पूरा होने में कम से कम दो-तीन वर्ष का समय लगता है और सरकार ने आकर, पिछली सरकार चूंकि वाहवाही नहीं ले ले, पिछली सरकार का कोई पत्थर लगा होगा, उन योजनाओं को बंद करने का काम किया।

अब यहां केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य विद्युत उत्पादन को लेकर कह रहे थे कि पिछली सरकार ने मात्र 294 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया। सभापति महोदय, इसी सदन के अन्दर मैंने एक सवाल पूछा था, इसी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सदन के अन्दर मेरे सवाल के जवाब में राज्य के ऊर्जा मंत्री डा. जितेन्द्र सिंहजी ने कहा कि 2003-2008 के बीच में 3,385 मेगावाट की परियोजनाएं स्वीकृत हुईं और 1,688 मेगावाट विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हुआ। यह जवाब है राजस्थान की इस हुकूमत का और यह आरोप लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कुछ पढ़कर आते तो दूसरी बात होती।

सभापति महोदय, मेरा सरकार पर आरोप है, छबड़ा की प्रथम यूनिट, सूरतगढ़ की छठी यूनिट, बरसिंगसर और गिराल, इन सबमें वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ हो जाना चाहिये था जनवरी, 2009 में। सिर्फ इसलिये विलम्ब किया गया कि पिछली सरकार को वाहवाही नहीं मिल जाये। आज बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि पांच साल तक हम दरें नहीं बढ़ायेंगे, आज के समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित हुआ है, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, जो एक मल्टीनेशनल कम्पनी है, वह सर्वे कर रही है और उस सर्वे के अन्दर उन्होंने कहा कि सामान्य घरेलू की जो मौजूदा दर 3.50 पैसे प्रति यूनिट है, उसको बढ़ाकर 4.57 पैसे करने की सिफारिश सरकार को की है। यह सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। पिछले दरवाजे से इन्होंने पूरा तय कर लिया कि ये इन दरों को बढ़ायेंगे।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान 3 जनवरी, 2009 को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पृष्ठ 3 पैरा 6 की ओर दिलाना चाहूंगा। इन्होंने उस वक्त कहा था कि हम पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करेंगे। बड़े आरोप लगाये थे कटारिया समिति की सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डाल देंगे, हम 29 विषयों को फण्ड, फंक्शन एण्ड फंक्शनरीज के साथ पंचायत राज संस्थाओं को सौपेंगे और 15 महीने के सफर के बाद आज यह सरकार कह रही है, इसी अभिभाषण में पैरा 7 पृष्ठ 24 में कह रही है 29 विषयों की जगह 16 विषय पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने का काम करेंगे। पहले साल कुछ और घोषणा और अब कुछ और घोषणा।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, नागौर के अन्दर क्या हुआ? पंचायत राज सम्मेलन के नाम पर कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। कांग्रेस के आलाकमान नेता सोनिया गांधी वहां आईं। सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ। सरकारी लवाजमे के साथ लोगों को जबरदस्ती भेड़-बकरियों की तरह नरेगा के काम से उठाकर वहां पर लाया गया और वहां भी इसी तरह की घोषणा की गयी थी कि 29 विषयों को फण्ड, फंक्शन एण्ड फंक्शनरीज के साथ देंगे। वह बातें भी कपोल-कल्पित साबित हुईं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यहां पिछली बार इन्होंने कहा कि उद्योग नीति बनायेंगे। सवा साल हो गया, सभापति महोदय, उस उद्योग नीति को राजस्थान का उद्योगपति माइक्रोस्कोप लेकर ढूंढ रहा है। इन्होंने पिछली बार इसी अभिभाषण में कहा कि हम शत-प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करने के लिये विशिष्ट योजनायें बनायेंगे। मैं राज्य के मुख्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या योजनाएं बनाईं?

सभापति महोदय, सब बातें ठीक हैं। एक बात सब लोग कहते हैं, कांग्रेस के लोगों की जबान पर है कि पिछली सरकार ने शराब संस्कृति को बहुत बढ़ाया, शराब की दुकानें खोल दीं। मैं पूछना चाहता हूं, सभापति महोदय, इस बार अभी आबकारी बंदोबस्त 2010-11 जारी किया है। 2010-11 में 2,810 करोड़ का आबकारी शुल्क वसूलने का लक्ष्य रखा है। हमारे समय में 2008-09 में 1,910 करोड़ था। 1,910 करोड़ से 2810 करोड़। सबको मालूम है कि एक्साइज ड्युटी तब मिलती है जब शराब ज्यादा बिके और शराब बेचने का काम राज्य की कांग्रेस पार्टी की सरकार कर रही है या भाजपा की सरकार कर रही है, यह आपके सामने है। बड़ा बवेला मचा था, मुझे याद आ रहा है।

मुझे वह समय याद आ रहा है, पिछली सरकार ने 2008-09 में दुकानों का नवीनीकरण कर दिया, इसी सदन के अन्दर 100 करोड़ रिश्वत का आरोप लगा। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, पिछली सरकार ने 100 करोड़ रुपये लिये तो इस सरकार ने, जिसने डोडा-पोस्त की दुकानों का नवीनीकरण किया, मेरा आरोप है पर्दे के पीछे क्या खेल खेला, यह राजस्थान की जनता अच्छी तरह से जानती है।

सभापति महोदय, इस बार अभिभाषण में जो सरकार ने कहा, इस बार भी राज्य सरकार ने बढ़ती मंहगाई, कालाबाजारी, जमाखोरी पर नियन्त्रण के कड़े उपाय किये हैं। यह पिछली बार भी कहा। पिछले अभिभाषण के पृष्ठ 4 पैरा 8 में, उप नेता महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह कह गये कि केन्द्र सरकार द्वारा किये गये विभिन्न निर्णयों के परिणामस्वरूप मंहगाई दरों में उल्लेखित कमी आई है। अब क्या कमी आई है, सभापति महोदय? मैं आर.बी.आई. की रिपोर्ट की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, नवम्बर, 2009 और जनवरी, 2010, तीन महीने में खाद्यान्न की कीमतें 18 से 20 प्रतिशत बढ़ी हैं।

यह मैं नहीं कह रहा हूं, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की रिपोर्ट कह रही

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है। पिछले साल की तुलना में दाल और आलू 41 प्रतिशत महंगे हुए हैं। अब सरकार ने क्या किया, यहां रसद मंत्रीजी बैठे हुए हैं, आयातित चीनी पर चार परसेंट वैट कम कर दिया। एक किलो आयातित चीनी राजस्थान में आती हो तो आप मुझे बतायें। हमारे यहां महाराष्ट्र की चीनी आती है, यू पी की चीनी आती है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, परम्परा यह रही है कि सरकार की ओर से जो माननीय सदस्य प्रस्ताव रखते हैं और विपक्ष की ओर से पहली बार बोलते हैं, वे पार्टियों के प्रवक्ता होते हैं। उनके लिए समय सीमा में थोड़ी छूट दी जानी चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, इसी तरह पिछली बार अभिभाषण के पृष्ठ पांच और दस पर इन्होंने कुशल प्रबन्धन के बारे में अपनी पीठ थपथपायी थी और इस बार भी इस अभिभाषण के पृष्ठ पांच पर 18,634 करोड़ की वार्षिक योजना का जिक्र किया है। मैं निवेदन करूं, सभापति महोदय, वार्षिक योजना बनाना, राजस्थान के आम अवाम को विकास का सपना दिखाना और उसके बाद उसके सपनों को चकनाचूर करना इस कांग्रेस सरकार की आज की नहीं, पिछली बार भी ये आये थे तब भी इन्होंने यही किया था। यह तो इनकी फितरत है। मैं जनवरी तक की बात कह रहा हूं, योजनागत व्यय जनवरी तक, राधेश्यामजी, सिर्फ 40 प्रतिशत योजनागत व्यय हुआ। मतलब 60 प्रतिशत, ये तीन महीने में खर्च कर देंगे। हमारी सरकार ने योजना बनायी 8,634 करोड़ की और उस योजना को 1,334 करोड़ काटने का काम इसी सरकार ने किया और योजना का आकार बढ़ाने की बात लम्बी-चौड़ी महामहिम राज्यपाल के मुख से कहलवाते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें आप। जो समय है उसी के अनुसार चलेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैंने आपको निवेदन किया था कि इस सदन की यह परम्परा है कि जो माननीय सदस्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हैं, समर्थन करते हैं....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, लगभग उतना ही समय होने जा रहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, नहीं है। विपक्ष की ओर से जो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पहली बार अपना भाषण शुरू करते हैं, वह पार्टी की रीति नीति के बारे में बोलते हैं। उनको आज तक बोलने का समय दिया जाता रहा है। पार्टियों का समय भी तय है। इसलिए आप इनको बोलने दीजिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, उतना ही समय हो गया जितना अभिभाषण के समय दिया गया था। उतना ही हो चुका है। अब आप समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मेरे समय से काटकर दे दो। इनको मेरे वाला समय दे दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, कर्जे को लेकर पिछली सरकार पर इन्होंने बहुत पत्थर फेंके पर राजस्थान के अन्दर कांग्रेस की अशोकजी गहलोत की हुकुमत ने अब तक का सबसे बड़ा कर्जा 8,459 करोड़ का लेकर कीर्तिमान स्थापित किया है।

अभी सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य अल्पसंख्यकों के विकास की बात कह रहे थे। पिछली बार घोषणा की गयी कि इनके सर्वांगीण विकास के लिए ठोस कदम उठायेंगे। इसके लिए एक भी योजना बनी हो तो आप मुझे बता दें।

सभापति महोदय, और तो और, पिछली बार राज्यपाल महोदय के मुख से यह बात कहला ली कि खुफिया तंत्र को मजबूत करने के साथ पुलिस तंत्र का आधुनिकीकरण करेंगे। सभापति महोदय, 1,040 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ हमारी सरहद लगती है और इस बार सरकार के आने के बाद, मैं वह जिक्र नहीं करूंगा कि मोरे खां कौन थे, मैं वह जिक्र नहीं करूंगा कि भान खां कौन थे, किस पार्टी से, किस नेता से क्या सम्बन्ध थे, हिन्दुस्तान की सी बी आई कहती है कि ऐसे दुर्दान्त जासूस अगर राजस्थान की धरती पर हो तो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाएगा। इस सरकार ने क्या किया, मेरा आरोप है कि बार्डर पर जो पुलिस की चौकियां थीं, उनमें से बाड़मेर की नौ चौकियां बन्द कर दीं, जैसलमेर की सात चौकियां बन्द कर दीं, बीकानेर की आठ चौकियां बन्द कर दीं और गंगानगर की आठ चौकियां बन्द कर दीं। ये चौकियां किस राजनीतिक नेता के इशारे से बन्द की गयीं? मैं समझता हूं कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम ये कर रहे हैं।

इसी सरकार ने यह भी कहलवाया कि सभी जिलों में कृषि योजना बनेगी। मेरा आरोप है, मेरी चुनौती है कि किसी एक भी जिले की योजना बनी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हो तो वह आप बता दें। अब आप कह रहे हैं इसी अभिभाषण में, कृषि नीति व गांव का मास्टर प्लान बनेगा। अब इनको कृषि नीति का पता लगा है।

इसी तरह कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ाने की बात कही। एक उद्योग लगा नहीं। हां, एक जरूर हुआ है कि केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने 18 फरवरी को बैठक करके यूरिया की कीमतों में दस प्रतिशत बढ़ाने का काम जरूर कर लिया। किसानों को समर्थ बनाने के लिए उचित मुआवजा देने की बात की थी। सभापति महोदय, अकाल के इस दंश को इस सदन में आने वाले सभी माननीय सदस्य भुगत रहे हैं। 27 जिलों के अन्दर 33,464 गांवों में अकाल.....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 151 तहसीलों में अकाल और अकाल पीड़ित किसानों को राजस्थान के अन्दर जो कृषि बीमा का जो पैसा मिलना चाहिए था, कहने के लिए तो यह कह गये, घोषणा पत्र में लिख दिया कि हम कृषि बीमा इकाई को ग्राम पंचायत बनायेंगे, मेरा आरोप है सरकार पर कि खरीफ की फसल नष्ट हो गयी, रबी की फसल खतम हो गयी...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कृषि बीमा के लिए जो किसान पात्र थे उनको पैसा सिर्फ इसलिए नहीं मिल सका कि राज्य सरकार ने, अपना अंश जो बीमा कम्पनियों को देना चाहिए था, किसानों ने तो प्रीमियम दे दिया, राज्य सरकार को जो अंश देना था वह बीमा कम्पनी को नहीं दिया। उसी कारण से यह बात हुई।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मैं इस झूठ के पुलिंदे के पृष्ठ 24 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें। अभी बहुत वक्ता हैं। आप या तो यह तय कर लें कि आपके जो सदस्य बोल रहे हैं, सभी नौ सदस्य आपको टाइम दे दें तो ठीक है। अब आप समाप्त करें। बैलेंस तो करना पड़ेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप टोकेंगे नहीं तो मैं बोल पाऊंगा।

श्री सभापति: समय आगे से आगे चलता जा रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं आपको जो बात कह रहा हूं, मैं न तो कथावाचक की तरह कथा सुनाकर जा रहा हूं और न ही केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य के चौपड़ की तरह का जो भाषण उन्होंने दिया था, उस तरह भाषण दे रहा हूं। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोल रहा हूं और बिन्दुवार बोल रहा हूं। आप बोलने नहीं दे रहे हैं।

मैं निवेदन करूं सभापति महोदय, पिछली बार सरकार ने अभिभाषण के द्वारा पृष्ठ आठ पैरा 24 में एक घोषणा करवायी कि सरकार वर्ष 2009 के अन्त तक कृषकों की मांग पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाकर प्रतीक्षा सूची को शून्य पर ला देगी। आज राजस्थान में सारी प्रतीक्षा सूची शून्य पर है? किसान जाता है और जाते ही कनेक्शन मिल जाता है? मैं समझता हूं, इस तरह की बातें इसलिए कह रहा हूं कि यह अपमान इस सदन का जिसमें महामहिम राज्यपाल महोदय के मुख से घोषणा करवा रहे हैं। आज भी एक लाख सैंतीस हजार किसान कृषि कनेक्शन के लिए बाट जोह रहे हैं।

इन्होंने पिछली बार कहलवाया कि मिसिंग लिंक बनायेंगे। एक भी मिसिंग लिंक बनी हो, एक भी धार्मिक स्थल जोड़ा हो तो आप बताने की कृपा करें। अब उद्योग नीति की बात कहें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें। अभी बहुत सारा सदन चलेगा। बहुत सारे विषयों पर आप बोलेंगे। अब आप समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि महिला अत्याचार उत्पीड़न की बात, इस बात को कहते हुए, 03 जनवरी, 2009 को सदन के नेता ने, मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार, महिला मुख्य मंत्री, महिला राज्यपाल, महिला विधान सभा अध्यक्ष, इनके होते हुए महिलाओं की चैनें सरेराह तोड़ी जाती थीं, बलात्कार होते थे, ऐसा राज मैंने जिन्दगी में नहीं देखा। अब राज उनके हाथ में है। कितनी चैनें रोज टूट रही हैं? क्या यह सच नहीं है कि राजस्थान की धरती पर चार बलात्कार प्रतिदिन हो रहे हैं?

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें, राठौड़ साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्या यह सच नहीं है कि सात हत्याएं हो रही हैं? क्या यह सही नहीं है कि चौदह वाहन चोरी हो रहे हैं? महिलाओं के ऊपर अपराध में पिछले छह महीनों में 18 प्रतिशत बढ़ गए। सभापति महोदय, मैं इसलिए बात कह रहा हूं...

श्री सभापति: राठौड़ साहब, अब आप समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि अभी सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने हज हाउस की बात कही। अब तो राज आपके पास है, अब हज हाउस दिखा दो जो आपने बना दिया। हम नहीं बना पाये होंगे।

इसलिए, सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इस सरकार ने यह महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के द्वारा कहलवाया और इन्होंने यह कहा कि कड़ी से कड़ी जुड़ गयी। सभापति महोदय, 1.2 फीसदी वोट ज्यादा मिले हैं पिछले चुनाव से। इतनी लम्बी चौड़ी इतराने की बात नहीं है।

कानून और व्यवस्था के बारे में क्या कहूं, आज राजस्थान के अन्दर खुलेआम अपराधी घूम रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें। अभी तो पूरा मार्च है। राठौड़ साहब, आप समाप्त करें। सबसे लम्बा समय आपने लिया है। मेहरबानी करके अब आप समाप्त करें। मैं नाम से नहीं पुकारना चाहता हूं क्योंकि आप सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, इस लोकतंत्र के अन्दर सरकार बनती है, जनादेश मिलता है साठ महीने का। सभापति महोदय, हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, पंडितजी से कहते हैं, आशीर्वाद दे दो। वह कहते हैं शतायु हो, सौ साल की तेरी उम्र हो। सौ साल का आशीर्वाद लेने वाले बच्चे की चौथाई उम्र निकलने के बाद जब वह पच्चीस वर्ष का गबरू जवान हो जाता है तो वह मां-बाप को प्रताड़ित करना शुरू कर दे, उनकी आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरे, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करे, उन्होंने जो सपने देखे, उनको पूरा नहीं करे, ऐसे बच्चे को लोग कपूत कहते हैं। यह राज भी कपूत राज है। इस राज के सामने इसी तरह की कानून व्यवस्था है।

श्री सभापति: श्री ओम जोशी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इस राज में बिजली गायब है, पानी गायब है और मेरा आरोप है कि सरकार गायब है इस सदन से। इसलिए मैं इस अभिभाषण का पुरजोर विरोध करता हूं।

श्री सभापति: विराजें। श्री ओम जोशी।

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के महामहिम राज्यपाल महोदय के इस चतुर्थ सत्र में पढ़े गए अभिभाषण पर, केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद, प्रस्ताव मैं समर्थन और अनुमोदन करता हूं।

(श्री ओम जोशी)

इस अनुमोदन के पीछे वे सब तथ्य मौजूद हैं, वे सभी आधार निश्चित हैं और उन आधारों पर मैं इस अभिभाषण का समर्थन करता हूं। हमारी लोकप्रिय सरकार माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोकजी गहलोत के नेतृत्व में वर्तमान में राजस्थान में काम कर रही है।

शब्द सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और शब्दों को आलोचनात्मक दृष्टि से अथवा सकारात्मक दृष्टि से, रचनात्मक दृष्टि से, दोनों दृष्टि से प्रस्तुत किया जा सकता है। विपक्ष की भूमिका केवल मात्र आलोचना के द्वारा ही अदा की जाए, यह कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं कही जा सकती। पुस्तकें लहराने से और आंकड़े बताने से आप अपनी बात को नहीं बता सकते हैं, उपलब्धि होती है कि लोकतंत्र में आप जनता के माध्यम में जाकर के किस तरीके से जनता का समर्थन प्राप्त करते हैं। पिछली सरकार ने क्या किया और उसके बाद जब विधान सभा के चुनाव आए, कांग्रेस ने अपनी रीति-नीति और चुनाव घोषणा पत्र के आधार पर जनता के बीच में जा कर अपनी बात कही। कांग्रेस ने जो बात कही उसको जनता ने स्वीकार किया और हमें आज इस सदन में सत्ता पक्ष में बैठने का अवसर मिला।

वह क्रम निरन्तर जारी रहा। जो बात चुनाव घोषणा पत्र के माध्यम से हमारी कांग्रेस पार्टी द्वारा कही गयी थी उस बात को कथनी और करनी में एक मानते हुए राज्यपाल महोदय के, तत्कालीन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण एवं हमारा जो बजट का उल्लेख था उसमें सभी बिन्दुओं को समावेश किया गया था। परिणाम यह रहा कि जब लोक सभा के चुनाव आये तो जनता ने माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत और उनकी सरकार पर विश्वास किया। लोक सभा के चुनाव में जो आज अपनी बात बहुत ही पुरजोर तरीके से कहना चाहते हैं, वे जनता के बीच में भी गये थे, इस सरकार की आलोचना करने की कोशिश भी की थी, माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत की रीति-नीति को बुरा बताने का प्रयास भी किया गया था लेकिन जनता ने इनको नकार दिया और यह सबसे बड़ी लोकतंत्र की जीत है कि 25 में से 20 सांसद कांग्रेस पार्टी के यहां से जनता ने चुन कर भेजे हैं।

यह प्रक्रिया जारी रही और हम पुन: अपनी बात को लेते हुए, अपने काम को लेते हुए जनता के बीच में गये। नगर निगम के चुनाव आए, नगर परिषद के चुनाव आए, स्वायत्तशासी संस्थाओं के चुनाव आए और उसमें भी हमारी कांग्रेस की रीति-नीति, हमारी पार्टी की रीति-नीति और सरकार के कामकाज का जनता ने बखूबी अवलोकन किया। इस लोकतंत्रीय प्रक्रिया में जो

(श्री ओम जोशी)

एक महत्वपूर्ण बात होती है, वोटो के माध्यम से जनता अपना जनादेश देती है, तो उन सब बातों को स्वीकार करते हुए जनता ने कांग्रेस को नगर निगम और स्वायत्तशासी संस्थाओं में बहुमत दिया और भारी बहुमत से हम शहरी क्षेत्रों में जीते। भारतीय जनता पार्टी अपने आपको शहरों की बादशाह पार्टी बताती है, यह कहते हैं कि हमारा काम शहरों में पूरी तौर से प्रमाणित होता है, उनको आइना शहरों की जनता ने भी दिखा दिया।

यह क्रम लगातार आगे जारी रहा। उस क्रम में जब ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज के चुनाव आए तो पंचायती राज के चुनाव में कुछ समय इस सरकार के कामकाज का निकाल चुका था, जो नीति उन्होंने बतायी थी जनता के सामने बजट के माध्यम से, अभिभाषण के माध्यम से और चुनाव घोषणा पत्र के माध्यम से उस रीति-नीति को जनता ने स्वीकार किया। महिलाओं के सशक्तीकरण को देखते हुए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, कृषि का क्षेत्र हो, चाहे विद्युत का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में जो काम करने की इस सरकार की, माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत की मंशा है उस बात को स्वीकार करते हुए पंचायती राज का जो एक बहुत बड़ा ढांचा है, जिसमें 80 प्रतिशत जनता गांवों में बसती है उस चुनाव में राजस्थान में भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की विजय हुई। यह एक और अतिरिक्त शानदार तरीके से ठप्पा लगा है हमारी पार्टी की कार्यशैली, हमारे मुख्य मंत्रीजी की कार्यशैली के तरीके पर।

इन सब बातों में कुछ काम करने की जो अवधि होती है उसको देखते हुए बार-बार चुनाव आए, बार-बार आचार संहिता लगी और समय उस तरीके से उपलब्ध नहीं हुआ जितना कि काम के लिए उपलब्ध होना चाहिए था। माननीय सदस्य द्वारा जो अभी उल्लेख किया गया कि घोषणाएं की गयीं, घोषणाओं के अलावा कुछ भी नहीं किया गया, यह बात उनकी पूरी तरह से इसलिए असत्य साबित होती है कि जो मंशा जनता के सामने रखी जाती है वे मंशा काम करने की होती है लेकिन इसके अलावा जो समय और जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं और जो चुनाव की प्रक्रिया है, वे कुछ अगर बाधा बनती है तो सम्भव है कि उसमें विलम्ब हो जाए, सम्भव है कि एक साल में पूरा होने वाला काम डेढ़ साल में हो लेकिन काम करने की हमारी सरकार की पूरी तौर से मंशा है। और उस मंशा के आधार पर यह जो वर्तमान में अभिभाषण महामहिम राज्यपाल महोदया द्वारा दिया गया है उसमें उन सब

(श्री ओम जोशी)

बातों का समावेश किया गया है, उन सभी तकलीफों का समावेश जो आम आदमी की तकलीफ है, आम आदमी का जो कष्ट है उसको इसमें सम्मिलित करने की कोशिश की गयी है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें कि इसको बाकी रखा जाए।

माननीय मुख्य मंत्रीजी जो कि सदैव एक जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं और तह तक जाकर कि क्या गरीब आदमी की पीड़ा है, वे हमेशा यह सोचते हैं कि अंतिम स्तर पर जो आदमी की पीड़ा होती है उसको देख कर किस तरह से रीति-नीति का निर्धारण किया जाए। इसी दृष्टिकोण को वे रखते हैं। निश्चित रूप से जो सोच, जो तरीका माननीय मुख्य मंत्रीजी का और सरकार का है उसे विपक्ष नहीं कर पाया, उससे यह कुंठा सी सामने आ सकती है, वे कुंठा कि जो काम वे नहीं कर पाये उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। इसके ये तीन चुनाव हमारे सामने उदाहरण हैं। इसको आप आंकड़ों के माध्यम से झुठला नहीं सकते। आप आंकड़े पेश करके, प्रतिशत आप कम बता करके यह साबित नहीं कर सकते हैं कि हमारी सरकार अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है।

अकाल का एक कोढ़ में खाज, आचार संहिता, चुनाव यह सब बातें जो थीं उसके साथ अकाल की स्थिति आ गयी। राम रूठ गया लेकिन, साथियों ... (व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य: राज भी रूठ गया ...(व्यवधान)

श्री ओम जोशी (फलौदी): मैं यह स्पष्ट कह रहा हूं, आप बहुत जोर से नहीं बोलें, आप जोर से नहीं बोलें, राज तो बिलकुल पूरी तरह से तत्पर है। राजस्थान की जनता के सामने जो यह प्राकृतिक विपदा आयी है उससे निपटने के लिए निरन्तर हमारी सरकार प्रयत्नशील है और उन सब बातों को लागू कर रही है, वे सब कार्य कर रही है जो कि जनता के भले के लिए होने चाहिए थे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, कृषि के क्षेत्र में जो कृषि नीति बनायी गयी है, मैं ग्रामीण परिवेश से आने वाला सदस्य हूं, मैं इसके सम्बन्ध में पूरी, सब जो लम्बी-चौड़ी बातें हैं उनके बारे में नहीं कहते हुए संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि नीति पहली बार बनाना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो बहुत बड़ी बात है उनको बहुत ही छोटे तरीके से हमारा विपक्ष लेगा तो यह जो बूंद-बूंद और फव्वारा सिंचाई के माध्यम से विद्युत कनेक्शन की बात है यह कोई छोटी बात नहीं है। यह सरकार का जो निर्णय है अपने

(श्री ओम जोशी)

आप में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है और इससे जनता को बहुत बड़ा लाभ होगा। जो कृषक सम्मान है, हमारे कृषकों का सम्मान हो, कृषक जो हमारे इस देश में मुख्य रूप से अनाज उत्पन्न करने वाले लोग हैं, पहली बार यह सरकार कृषक सम्मान देने जा रही है जिसमें 408 कृषकों को सम्मानित किया जाएगा। यह उसमें उल्लेख है। उन्नत बीजों का वितरण हुआ और खास तौर से यह निवेदन है, सभापति महोदय, कि ऊर्जा के क्षेत्र में विद्युत के उत्पादन के लिए हमारी सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है, निर्णय किये हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो ग्रामीण क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है हमारे वहां पर सौर ऊर्जा बहुतायत में उपलब्ध है, उस सौर ऊर्जा की उपलब्धि वर्षों से हो रही है। पिछली सरकार के समय भी वे सब व्यवस्थाएं थीं, जमीन भी थी और सौर ऊर्जा की जो योजनाएं हैं वे भी थीं लेकिन वे सरकार इसको लागू नहीं कर पायी। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने गैर-परम्परागत सौर ऊर्जा के माध्यम से जो ऊर्जा उत्पादन का एक उद्देश्य है, एक बात जो सामने रखी है वह अपने आप में महत्वपूर्ण है।

माननीय सभापति महोदय, इस अभिभाषण में जो जनता के भले के लिए काम हों उनको इसमें सम्मिलित करने का पूरा प्रयास किया गया है क्योंकि इस अभिभाषण के माध्यम से हम कृत संकल्प हैं, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी कृत संकल्प हैं, मैं इस अभिभाषण का अनुमोदन और समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पवनजी दुग्गल।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कल राजस्थान की महामहिम राज्यपाल महोदया ने जिस अभिभाषण को एक घंटे से ज्यादा समय पढ़ने में लगाया और अभी कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने जिस अभिभाषण के ऊपर राजस्थान सरकार की एक साल की नीतियों का जिक्र किया है और इस बात पर जोर दिया है कि लोक सभा के अन्दर कांग्रेस जीतकर आयी है, पंचायती राज के अन्दर कांग्रेस जीत कर आयी है, हो सकता है इसके अन्दर कहीं विपक्ष की कमी रह गयी हो मगर निश्चित रूप से जो एक साल का कार्यकाल निकला है कांग्रेस का, वह कार्यकाल मंहगाई, भुखमरी, भ्रष्टाचार, बिजली और पानी की समस्या से जूझता हुआ साल निकला है।

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

सभापति महोदय, अभी राजस्थान की सरकार ने जो अभियान चलाया 'प्रशासन शहरों के संग,' मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पूरी की पूरी तरह राजस्थान सरकार ने विपक्ष ही नहीं अपने माननीय सदस्यों को भी उस अभियान के अन्दर न बुलाकर और पूरी तरह ब्यूरोक्रेट के हाथ में जो चाबी दी है, वह लोकतंत्र पर कुठाराघात करने की कोशिश की है। इसका उदाहरण अभी जो अभियान चलाया था, हमने अखबारों में भी इस चीज को पढ़ा है, मीडिया ने इस चीज को खूब उछाला है, जयपुर के अन्दर ज्योति खण्डेलवाल जो महापौर हैं और राजस्थान के केबिनेट मिनिस्टर हैं परिवहन मंत्री बृज किशोरजी उनको आपस में लड़ता हुआ पूरे राजस्थान की जनता ने देखा है। यह जनता की नहीं खुद लड़ते हुए अपने, एक साल बीता है। एक बात जो हमारे भाई साथी प्रताप सिंहजी खाचरियावास ने, इस चीज की तो मैं प्रशंसा करूंगा कि ब्यूरोक्रेट को इन्होंने हावी होने से बचाया था और तहसीलदार को इस बात के लिए भी कि आप जनता के काम नहीं करा रहे हो, इसके लिए निलम्बित करने की बात उठाई थी। सभापति महोदय, यह आपसी टकराव केवल भारतीय जनता पार्टी में नहीं, कांग्रेस के अन्दर खुलकर सड़कों पर आ रहा है।

दूसरी बात, यह बारह महीने, पन्द्रह महीने की कांग्रेस सरकार ने कही है। सभापति महोदय, हम उस इलाके से चुनाव जीतकर आए हैं जिसमें हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर का हिस्सा पड़ता है। यह तीनों जिले राजस्थान के वे जिले हैं जो राजस्थान के बारह जिलों का पेट भर सकते हैं, कृषि के क्षेत्र में अव्वल जमीन उस इलाके में है मगर बारह के बारह महीनों में राजस्थान की गलत नीतियों की वजह से पिछली बार खरीफ की फसल का नर्मा कपास जो डेढ़ लाख हैक्टेयर के अन्दर खड़ा था सिर्फ दो पानी के अभाव में बर्बाद कांग्रेस सरकार ने किया। पिछली फसल बरबाद। की। इस बार भी, सभापति महोदय, सवा लाख हैक्टेयर के अन्दर सरसों खड़ी हुई है एक बारी पानी के अभाव में। डेढ़ महीना हो गया, एक बूंद पानी नहीं दी और करोड़ों रुपए का कांग्रेस शासन ने किसानों के ऊपर कुठाराघात किया है। मैं समझता हूं, यह जो किसानों के पक्ष में अपने आपको कहने वाली सरकार है, एक साल के अन्दर तीन जिले नहीं, अभी माननीय सदस्य ने हाड़ौती के मामले में इस बात का जिक्र किया था, केवल इस बात के लिए कांग्रेस नशे में नहीं रहे कि उनके महापौर बन गये हैं, उनके ज्यादा से ज्यादा प्रधान बन गये हैं,

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

हनुमानगढ़ और गंगानगर में कांग्रेस का पूरी तरह जनता ने सफाया करके दिखाया है इसलिए कि किसान के विरुद्ध इनकी नीतियां हैं, इसलिए कि मजदूर के विरुद्ध इनकी नीतियां चली हैं।

जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं, नरेगा के अन्दर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है, गंगानगर जिले का हमने रिकार्ड लिया है, सभापति महोदय, अप्रैल से मार्च 2009 तक 2,88,842 श्रमिकों को रोजगार दिया जिसके अन्दर 9,400 लोगों के ही सौ दिन पूरे हुए हैं। चालीस प्रतिशत, साठ प्रतिशत लोग अपने पूरे सौ भी नहीं कर पाये और यह अपनी लोक कल्याणकारी और जनहित की बात करके कांग्रेस का ढिंढोरा पीट रहे हैं।

सभापति महोदय, जहां तक कांग्रेस की नीतियों का सवाल है, मैंने सदन के अन्दर इस बात को उठाने की कोशिश की है, पूरे प्रदेश के अन्दर विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन का नियम जिनका राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने बना रखा है, गांव का मजदूर, गांव की वृद्धा बहन और गांव का रहने वाला बुजुर्ग, नियम है कि 25 साल का जिनका बेटा है वे पात्र नहीं हैं, चाहे वह विधवा हो चाहे वृद्धा हो सभापति महोदय, इस प्रकार से इन्होंने एक लाइन देकर वृद्धावस्था और विधवा पेंशन को रोकने की कोशिश की है।

मैं आपके माध्यम से इस बात का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां उद्योगों के क्षेत्र में गवर्नर महोदय ने जिस बात का जिक्र किया है, गंगानगर के अन्दर केवल मात्र जे सी टी मिल है और लम्बे समय से वह मिल बंद पड़ी है। राजस्थान सरकार का उस ओर कोई ध्यान नहीं। हजारों मजदूरों को बेरोजगार कर दिया गया है और अब नये रोजगार की बात कांग्रेस सरकार कर रही है।

कांग्रेस सरकार ने अभी डेढ़ महीने के अन्दर कम्प्युटर आपरेटरों को रखा गया था, हजारों कम्प्युटर आपरेटरों ने तमाम अपनी औपचारिकता पूरी करके आवेदन दिए थे और अब उनको हटाने का काम कांग्रेस सरकार कर रही है। वे लोग सड़कों पर उतरे हैं। विद्यार्थी मित्रों के साथ कैसी हालत कांग्रेस सरकार कर रही है। बी एड किए हुए हजारों हजार बेरोजगार युवक सड़कों पर उतर रहे हैं।

इसलिए आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि भले ही इनके महापौर बन गये हों, भले ही इनके प्रधान

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

और अध्यक्ष बन गये हों मगर अगर राजस्थान की साढ़े छह करोड़ जनता को, किसान को समय पर पानी नहीं दिया, किसान को बिजली नहीं मिली तो हजारों लोग सड़कों पर आकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ बगावत करेंगे।

सभापति महोदय, जो माननीय गवर्नर ने अभिभाषण अपना कांग्रेस सरकार की तरफ से पढ़कर सुनाया है, मैं इसका पूरी तरह खण्डन करते हुए इसको किसान और जन विरोधी अभिभाषण कहते हुए अपने स्थान पर बैठता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामलालजी।

श्री रामलाल मेघवाल (जालौर): सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय सदस्य महोदय, केकड़ी से आने वाले शर्माजी के प्रस्ताव का पुरजोर अनुमोदन करता हूं और समर्थन करता हूं।

अभी-अभी दुग्गल साहब ने और तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य, राठौड़ साहब ने अभिभाषण का खण्डन किया। जनता के सामने जब जाते हैं, जनता में यही बात उठती है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाना नहीं आता और कांग्रेस पार्टी को विपक्ष करना नहीं आता। जब इस बात का सबको पता है कि इनके ऐसे चश्मे लगे हुए हैं, जो-जो अपन करते हैं वह दूसरों पर आरोप लगाते रहते हैं, वे ऐसे ही ऐसा करते हैं, उनका ये ही मानना रहता है।

उन्होंने कहा कि शराब के मुद्दे पर हमने बहुत कम पैसे वसूले और सरकार का बजट ज्यादा है। जब गली-गली में प्याऊ कहीं नजर नहीं आ रही थी, सभी दुकानें ही दुकानें नजर आ रही थीं उस समय और पांच साल आप जब सरकार में बैठे थे, आप सरकार चला रहे थे, उस समय किसानों को याद नहीं आता था, उस समय गोली चलती थी, उस समय बिजली के मामले में जब इतना आन्दोलन हो रहा था तब यह मुख्य मंत्रीजी ने काम सम्भाला। तेरह महीने हो गये, तेरह महीने में कभी क्या बिजली के सम्बन्ध में किसानों के कुओं के वहां बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं मिली? उसके सम्बन्ध में क्या आन्दोलन हुआ? इस बात के गवाह नहीं। साहब, नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। आपके यहां तो आप कह रहे हो लेकिन एक भी आन्दोलन नहीं हुआ। आन्दोलन होता तो आप लोगों ने गोलियां बरसाई थीं। यह तो यूं ही सिर्फ मीडिया के मार्फत आप आंकड़े लाते हो, मीडिया के मार्फत आप बात करते हो,

(श्री रामलाल मेघवाल)

दृष्टिकोण में सही अपने आप, अपने हृदय में आप भी इस बात से बिलकुल संतुष्ट हो कि नहीं, पहले जो सरकारें चली थीं उससे अभी बेहतर सरकार चल रही है।

आप विपक्षी हो और अभी जो यह अभिभाषण है, पूरा कल्याणकारी योजना के तहत है। आप अपने आप में किसी तरह ऐसा है कि विपक्ष का दायित्व निभा रहे हो, विपक्ष का दायित्व निभाना चाहिए और विपक्ष की भूमिका को अदा करने जा रहे हो तो करनी चाहिए। इस बात से हम इन्कार नहीं करते । यह तो आप करोगे ही, विपक्ष है, विपक्ष में बैठे हो लेकिन जनता जिसके साथ है उसका भी आपको अच्छी तरह से ध्यान है। जनता का किस पार्टी में विश्वास है, किसका विश्वास कर रही है, कैसा चल रहा है उससे आप पूरी तरह से वाकिफ हैं। इसलिये मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेकर सिर्फ इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जसवन्त सिंह यादव।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर, ऐसा अभिभाषण है कि इसके समर्थन की तो बात छोड़ दो इसका विरोध करने का भी मन नहीं है। इतने निम्न स्तर का अभिभाषण है कि शायद सदन में चर्चा करने लायक भी नहीं है लेकिन डेमोक्रैसी है, सब कुछ निभाना पड़ता है।

सरकार ने जिस तरह का, पिछली बार जो अभिभाषण गवर्नर साहब ने पढ़ा था और उसमें व्याख्यान किये थे। कुशासन से पीछा छूट गया? चोरी डकैती से पीछा छूट गया? अब पारदर्शी सरकार आयेगी और सुशासन देगी, जवाबदेही देगी। देख करके पता नहीं मंत्री, सरकार या सत्ता पक्ष के लोगों का ध्यान नहीं, जाता या इतने सत्ता के मद में चूर हो गये कि इनको होश ही नहीं है, किसको यह सुशासन कहते हैं, किसको पारदर्शिता कहते हैं, किसको जवाबदेही कहते हैं। अख़बार पढ़ो सुबह-सुबह...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): कौन-कौनसे पढ़ते हो ?

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सारे अख़बार पढ़ता हूं। पहले आता था कि फलां पुल का निर्माण हुआ, अब के घटिया सामग्री में पुल गिर गया। फलां इतनी बसें चलीं, इतने उद्घाटन हुए, अब आता है इतनी डकैती, इतने बलात्कार, इतनी चोरियां, इतने रोड एक्सीडेंटस। एक भी अगर सही मायने में पक्ष और विपक्ष की बात छोड़ दी जाए तो शायद...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आज अख़बार में क्या-क्या आया वही बता दो आप।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): एक भी उपलब्धि ऐसी नहीं है... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अख़बार अगर पढ़ते हो तो आज क्या-क्या आया वही बता दो आप।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): जिसमें सरकार यह बता सके कि...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): राज नाम की कोई चीज चल रही है। राज नाम की कोई चीज है...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आज अख़बार में क्या-क्या आया वही बता दो। अख़बार में आज क्या आया वही बता दो आप।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): कि राज नाम की कोई चीज है। हत्या है, डकैती है, लूट-खसोट है, बलात्कार है, कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, ऐसा लग रहा है सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है और इसको यह जवाबदेही सरकार बता रहे हैं।

पिछली बार अभिभाषण में लिखा था कि चैन लूटी गयी महिलाओं की, अब तो महिलाएं ही नहीं बचतीं। हमारे गृह मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं, मैं ताज्जुब करता हूं। गृह मंत्रीजी से मैंने खुद ने भी मुलाकात की थी, जो सरकार के सबसे चहेते और सबसे काबिल कहलाते हैं पर पता नहीं, मेरे जिले में तो अगर निष्पक्ष देखें तो एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जिस दिन डकैती नहीं होती हो, जिस दिन चोरियां नहीं होती हों, जिस दिन कोई भी ठगी की घटना नहीं होती हो। जिस दिन कोई कर्म नहीं है जो...(व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): सारे आदमी इसी काम में लगे रहते हैं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अगर मैं मुख्य मंत्री होता तो शायद शांति धारीवालजी, गृह मंत्री साहब को एक दिन में ही सस्पेंड कर देता क्योंकि सरकार को भठ्टा बैठा रहे हैं ये तो। (व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): इनको कहें कण्ट्रोल में रहें और गलत शब्द नहीं कहें...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): यह तो सरकार का भठ्टा बैठा रहे हैं। मैं खुद मिला, पूरा कस्बा मिला कि रोजाना चोरी हो रही हैं, डकैती हो रही है, इनके अधिकारी भी वाकिफ हैं उसके बाद मंत्रीजी कह गये कि सारा थाना बदल दो। दो दिन बाद फिर वही डकैती। जब एस पी साहब से मिला तो बोले कि गृह मंत्री से कह लिया अब वही आकर चोरियां बंद करेंगे। जब गृह मंत्रीजी बंद नहीं कर सकते तो हम तो क्या करेंगे? और इसको यह उपलब्धि मानते हैं। ऐसा कोई दिन है जिस दिन हत्या नहीं होती हो, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन ठगी नहीं होती हो। यह इनकी अपनी उपलब्धि की बात करते हैं, यहां तक कि आज मेरे यहां तो बेचारे साधु भी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। साधुओं के आश्रमों से भी गायें चोरी होने लग गयीं...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप उन साधुओं से भी गये गुजरे हैं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): गौवशी का धंधा इनके यहां पर सबसे ज्यादा हो रहा है। उसको बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि इनको वोट चाहिये। रोके कैसे ? केवल वोट के लालच में राजस्थान खतम हो जाए, राजस्थान का सत्यानाश हो जाए, यहां के लोग मर जाएं क्योंकि इनके वोटों पर होना चाहिये और अहंकार आ रहा है कि हम तो जिला परिषदों में जीत गये, प्रधानी में जीत गये। भाई, सच्चाई तो यह है, इसको तो हम स्वीकार करते हैं कि हमारी फूट ने आपको जिता दिया और यह फूट अब रहने वाली नहीं है...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): कब खतम हो रही है ? कब खतम हो रही है, यह तो बताओ।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अगली बार। आपकी यह उपलब्धि नहीं है। इसको आप अपनी उपलब्धि मानते हो तो यह आप भूल कर रहे हो। जो 45 की बात करते हो अगली बार आप 22 पर नहीं आ जाओ तो देख लेना। हम भी यही रहेंगे और आप भी यहीं रहोगे। यह आपके हालात हैं।

जितना पुलिस में भ्रष्टाचार है, जितनी पुलिस में बदतमीजी हो चुकी है, जितना पुलिस महकमा बिगड़ चुका है, शायद आज तक के इतिहास में किसी भी, आज तक के इतिहास में कोई भी ऐसा गृह मंत्री नहीं होगा जिसके राज में लूट-खसोट हुई हो और इस तरह का फेल्योर रहा हो। रोजाना मेरे यहां बैंक के ताले टूटते हैं, बयाना के अन्दर व्यापारियों को लूटते हैं, कहीं 7-7 दिन में, कहीं 15-15 में। तो, माननीय गृह मंत्रीजी बोली आपके पास है। गृह मंत्रीजी, क्योंकि मुख्य मंत्रीजी को आपसे कम नालेज है इसलिये आपके ऊपर ही नॉलेज रखते हैं, आपके ऊपर ही जिन्दा हैं। पर निश्चित रूप से आपसे

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

ज्यादा फेल्योर, अगर आत्मा से विश्लेषण आज करोगे रात को सही रिपोर्ट मंगा कर तो आपसे ज्यादा फेल्योर, इस टाइम जितनी अराजकता है इतनी आज तक कभी भी नहीं हुई। लोग आमरण अनशन पर बयाना में बैठे हैं, लोग बहरोड़ में बैठे हैं और आज भी आपके अधिकारी सुनते नहीं हैं। (व्यवधान)

अब बहुत जोर-शोर से कहा था कि शराब का 8 बजे का टाइम कर दें। क्या हुआ करने का ? कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि रेलवे स्टेशन और यहां पर सिगरेट नहीं होगी। बंद हुई क्या? आपने कह दिया 8 बजे का, आज क्या नतीजा निकला? लोगों को खराब शराब पीने को मिली। 8 बजे के बाद 20 रुपये, 30 रुपये दो और घटिया शराब चाहे जितनी ले लें। रोक पाये क्या? किसी को विस्थापित कर पाये क्या? किसी के लिये कुछ कर पाये क्या ?

परिवहन मंत्रीजी बैठे हुए हैं यहां पर। हम इतनी बसें चला देंगे, क्या नतीजा निकला? परिवहन मंत्रीजी की अध्यक्षता में हम रोड सेफ्टी का बना रहे हैं, कितने एक्सीडेंट कम कर दिये?

और इस स्तर तक सरकार गिर गयी, मैं तो सोचता हूं कि सरकार की इस सोच को क्या हो गया, इस सरकार को कि क्यों जन-प्रतिनिधियों का इतना मान-सम्मान घटा रही है? पहले भी सरकारें रही हैं। हम लोग भी रहे हैं, एम पी रहा हूं, केन्द्र सरकार का कोई भी फंक्शन हो, अगर ट्रेन भी ठहरती तो वहां के विधायक और वहां के जो भी जन-प्रतिनिधि चुने हुए हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, उनको बुलाते थे। हमारे यहां राजीव गांधी कम्प्युटर सेंटर का उद् घाटन हुआ, हमारे परिवहन मंत्रीजी वहां पहुंचे। क्या गुनाह हो गया? इसमें क्या बडप्पन था? सरकार आपकी थी..(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): जब एम पी थे तब आपने वाजपेयी साहब के बारे में कुछ कहा था।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): बी जे पी के विधायक का नाम ही मत लिखो पट्टिका में। यह कौनसा बड़प्पन है ? आज आप इधर हो तो कल हम उधर रहेंगे। यह इस तरह से जन-प्रतिनिधियों का मान-सम्मान गिराने में आपको क्या मिलता है? क्या इसी को आप अपनी उपलब्धि मानते हो कि दूसरी पार्टी के जो लोग हैं उनको बुला ही नहीं सकते, उद्घाटन में उनको शामिल ही नहीं कर सकते? इसी को आप बड़प्पन मानते हैं?

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

आज चरम सीमा के ऊपर बुरे हालात हो रहे हैं जहां देखो। ऊर्जा की बात करते हैं कि हमने बिजली के अन्दर इतना मेगावाट फालतू बढ़ा दी पर कभी आपने वास्तविकता में सोचा है कि क्या हालत है गांवों की? गांव के अन्दर 6-6 महीने हो गये डिमाण्ड नोटिस लोगों को जमा कराए हुए। बच्चों की परीक्षाएं

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

चल रही हैं। सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर हर गांव-गांव में फुके पड़े हैं। बच्चे बेचारे परेशान हैं, उनका भविष्य खराब हो रहा है। पर जाओ तो ए ईएन के पास, जे ईएन कहे ऊपर बात करो। ऊपर बात करो तो और ऊपर बात करो। उनके पास कोई साधन नहीं है। मीटर नहीं है, आपके पास ट्रांसफार्मर नहीं है, आपके पास लीड नहीं है। लोगों को बिजली, 6-6 महीने ट्रांसफार्मर दे नहीं सकते फिर किस नाम का राज कर रहे हो आप?

क्या गांवों की बात करके वर्ल्ड क्लास सिटी बनायेंगे? दिल्ली रहे ना वर्ल्ड क्लास सिटी तो। उससे क्या पेट भर जायेगा? आप घोषणा करते। गांधी जी को मानने वालों, एक तरफ तो कहते हो कि नेहरूजी ने हमारे पंचायती राज का सपना देखा था गांवों का और आप वर्ल्ड क्लास सिटी, 24 घंटे टीम आती है वर्ल्ड क्लास सिटी, वर्ल्ड क्लास सिटी पर एक आदर्श गांव की भी कल्पना कर लो। ऐसा भी गांव बना दो जिनमें ये सारी सुविधाएं मौजूद हो

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जाएं। वर्ल्ड क्लास सिटी से गुजारा नहीं होने वाला। कोई सोच रखो, अपनी सोच को बढ़ाओ। गांव की समस्या को समझो।

पी डब्ल्यू डी की सड़कों की बात कर रहे हो, गांव का कोई भी रास्ता, आपके यहां भी ऐसे ही हाल होंगे जैसे मेरे यहां हैं, एक भी रास्ता ऐसा नहीं है जो पूरे 13 महीने में बरबाद नहीं हो गया हो। उस पर कोई ग्राम पंचायत का पैसा नहीं लग सकता, विधायक का नहीं लग सकता, सांसद का नहीं लग सकता क्योंकि वह पी डब्ल्यू डी से बनी हुई है। इसका कोई आल्टरनेटिव नहीं है आपके पास में। कृषि उपज मण्डी की सड़कें जर्जर हालत में हैं। कृषि मंडी के मंत्रीजी कहते हैं, मैं लाचार हूं। कोई प्रावधान ही नहीं है उनको ठीक करने का। अब जनता ठीक करेगी...(व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): 5 साल आपकी सरकार थी... (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): बात 5 साल की, यह कब तक रोते रहोगे? (व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): अब तो प्रपोजल सैंक्शन हो गये कृषि उपज मंडी के।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): यह पांच साल कब तक रोते रहोगे? हमारे सबसे काबिल मंत्री मैं मानता था कि मदेरणा साहब हैं, कंटिंजेंसी में कहा कि एक-एक एल एल ए के 30-30 लाख, 35-35 लाख के ट्यूबवैल जारी कर दिये। आपने कोई मानीटरिंग की कि उसमें से कितने खुदे हैं, उनमें से कितने लगाये गये हैं, कितने चालू हुए हैं? आज तक उनमें से एक भी चालू नहीं हुआ। कंटिंजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी। जैसा कि यह बता रहे हैं 22 प्रतिशत, क्या हुआ, क्या सो गये थे, क्या लोगों को पानी नहीं चाहिए था, क्या इमरजेंसी में लोगों को पानी की जरूरत नहीं है?

सभापति महोदय, इसी तरह से आपने हरित राजस्थान की घोषणा कर दी, करोड़ों रुपयों पर पानी फेर दिया। आपको पता था कि पानी नहीं है, उनको सिंचित नहीं कर सकते हैं, उनमें पानी नहीं दे सकते हैं तो क्या जरूरत थी इस योजना को लागू करने की? केवल एक तमाशा बनाकर के रखना था और वह करोड़ों रुपये सूख गये। कहां गया वह हरित राजस्थान? सोचने से पहले, करने से पहले देखना चाहिए था, पर उसमें कमीशन आ रहा था।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करें।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): चिकित्सा मंत्रीजी अल्पसंख्यक समुदाय से और मेरे जिले से तिजारा के रहने वाले, इनके यहां पर जाकर के देखिये, अस्पतालों की जो दुर्दशा, डाक्टर हटा दिये आनन-फानन में कि ये बी जे पी के समय के लगे हुए हैं और आज तक वहां लगा नहीं पाये। इसका लाभ केवल राजनीतिक मत लो, कुछ कारगर उपाय करें कि क्या वाकई में जनसंख्या के ऊपर आप सोच रहे हैं, किस कदर बढ़ रही है, कौन बढ़ा रहे हैं? क्या हमको उन्हें कुछ शिक्षा देनी चाहिए? क्या हमें उनका कुछ उपयोग करना चाहिए? क्या बीमारियों की दवाइयां मिल रही हैं अस्पतालों में? क्या सुविधाएं उसको गांवों के अस्पतालों में हैं? पर किसी को सोचने की सुध नहीं है। कहा कि 108 एम्बुलेंस दे दी, किसने दे दी, भारत सरकार ने। और दी कहां? जहां जरूरत थी, अगर संवेदनशील सरकार होती तो वहां देती, जहां हकीकत में लोगों को जरूरत थी। लोगों को जरूरत थी शाहजहांपुर के अन्दर क्योंकि रोड एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, लोगों को जरूरत थी बहरोड़ में, लोगों को जरूरत थी

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

शाहपुरा में, लोगों को जरूरत थी कोटपूतली में लेकिन दे रहे हैं तो वहां दे रहे हैं जहां कांग्रेस के विधायक हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करें आप।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): यह संवेदनशीलता है। इसी तरह से हमारे शिक्षा मंत्रीजी बैठे हुए हैं, उस दिन इन्होंने कह दिया कि बी जे पी ने स्कूल खोलकर के रख दिये और सोचा नहीं। 13 माह में आज तक समानीकरण नहीं हुआ, बाकी चीजें तो छोड़िये। कहां गये मास्टर, क्यों नहीं लगा दिये, किसने रोका था? यह तो आपके हाथ में था। 13 महीने तक एक एक टीचर इस बात के लिए परेशान होता रहा, उन्होंने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया कि पता नहीं, हमको कहां लगना पड़ेगा और रिजल्ट निकला जीरो। क्यों नहीं भरे? स्कूल भी क्रमोन्नत हुए तो केवल कांग्रेस के विधायकों के।

श्री सभापति: यादव साहब, सम-अप करें।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सत्ता आपकी है। जनता की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा।

इसी तरह से हमारे खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीजी ने बहुत जोर-शोर से हल्ला मचा दिया कि शुद्ध के लिए युद्ध। क्या किया? सारी चीजें अभी भी वही अशुद्ध मिल रही हैं। हुआ क्या कि जो फूड एवं सप्लाई इंस्पेक्टर थे उनके भाव बढ़ गये, गरीब दुकानदारों को डरा-डराकर के पहले 500 रुपये लेते थे, अब सैम्पल के नाम पर 2-2 हजार लेने लग गये।

श्री सभापति: अब आप सम-अप करें। समअप करें।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, इसलिए एक भी महकमा, एक भी नीति ऐसी नहीं है कि जिसको हम राजस्थान का आदर्श मानें। राजस्थान हम सबका है, आपके अकेले का नहीं है।

श्री सभापति: श्री सी.एल. प्रेमी।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): राजस्थान को बरबाद मत करें। चार साल तो आपको हटा नहीं सकते लेकिन यह भी गारण्टी है कि पांचवें साल आपका नम्बर आने वाला नहीं है। जितना चाहे अहंकार कर लें, यह जिला परिषद आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि किस तरह से आये हैं, कितने करोडों रुपये लोगों ने खर्च किये हैं, किस तरह से भाव हुए हैं, किस तरह से दिये। इनको अगर उपलब्धि मानते हो तो आपको धन्यवाद, भ्रष्टाचार में पैदा

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

हुई सरकार भ्रष्टाचार में जायेगी और राजस्थान का बेड़ा गर्क करके जायेगी। यह संभालना हमको पड़ेगा। बात यह है कि राजस्थान के लोगों को आप लोगों ने बिलकुल खतम करने का इरादा कर लिया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजें।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आहूजा जी भाषण दे रहे थे, मैंने कहा कि यह स्वाइन फ्लू का क्या मतलब हुआ तो बोले कि यह तो +++ उसके नाम पर रख दिया है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समअप करें, अब समअप करें। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अब बतायें आप स्वाइन फ्लू ... (व्यवधान) सभापति महोदय, यह समझने का मौका है। राजस्थान का ना किसान सुरक्षित है, ना व्यापारी सुरक्षित है, ना आम आदमी सुरक्षित है ... (व्यवधान)

श्री सभापति: यह पूरा महीना आपका है ...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ना किसी का भविष्य सुरक्षित है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है राजस्थान में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: पूरा मार्च अपना है (व्यवधान) अब तो समअप करें। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ऐसी सरकार को ठीक करें, यही मेरी आपसे विनती है। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री सी. एल. प्रेमी।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में जैसा कि केकड़ी से आये हुए विधायक महोदय शर्माजी ने, सवाई माधोपुर से आये आजाद साहब ने, जोशी साहब ने, मेघवाल साहब ने अपने वक्तव्य दिये हैं, राजस्थान में 13 महीने पहले कांग्रेस की सरकार बनी। जैसा कि राजेन्द्र सिंहजी बता रहे हैं कि मात्र एक प्रतिशत का फर्क था इसलिए आपकी सरकार बन गयी, एक प्रतिशत की बात नहीं कर रहे हैं, एक वोट से भी कोई कैंडिडेट हार जाता है। एक प्रतिशत तो बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद में लोकसभा के चुनाव हुए, राजस्थान की जनता ने माननीय गहलोतजी और सी.पी. जोशीजी की जोड़ी को बहुमत दिया और जो

(श्री सी.एल. प्रेमी)

इनके 20 एम.पी. थे उसकी जगह कांग्रेस के 20 एम.पी. दिये। तो यह जनाधार है। उसके बाद निकायों के चुनाव हुए, सबसे ज्यादा निकायों के चुनावों में सभापति हमारे बने। उसके बाद पंचायत राज के चुनाव हुए, वहां भी हमारी उपलब्धि हुई। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे मानते हैं कि हमारी उपलब्धि है? इनके पांच साल का टाइम भी हमने देखा, अभी हमारा भी 13 महीने का शासन निकला है, बीच-बीच में चुनाव आये, कई बार आचार संहिता लगी, अब चूंकि सरकार को टाइम मिला है तो मैं समझता हूं कि सरकार बहुत अच्छा काम करेगी। आप लोग यह ना समझें कि कोई उपलब्धि नहीं है।

सभापति महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी योजना के तहत 88 लाख 74 हजार से अधिक जाब कार्ड जारी करके 62 लाख 15 हजार परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया है जो कि विश्व की सबसे बड़ी योजना है जिसमें गरीब मजदूरों और किसानों को मजदूरी मिली है, रोजगार मिला है। पंचायत राज के सुदृढ़ीकरण के लिए 10 नई पंचायत समितियां सृजित की गयी हैं और हर पंचायत हैडक्वार्टर के स्कूल को माध्यमिक स्कूल बनाया। यह इस योजना में रखा गया है। यह हमारी सरकार की उपलब्धि है, सी.पी. साहब की उपलब्धि है, गहलोत साहब की उपलब्धि है।

सभापति महोदय, जहां तक पानी का प्रश्न है, इससे पूर्व कोटा से आये विधायक माननीय बिरलाजी ने और राजावतजी ने नहरों में पानी नहीं देने के मामले में चुनावों से एक दिन पहले धरना दिया, यह इसलिए कि वोट मिल जायेंगे और हमारे ज्यादा से ज्यादा पंचायत समितियों के और जिला परिषदों के मेम्बर जीत जायेंगे। इसलिए इन्होंने ऐसा प्रोपेगेंडा किया। लेकिन वह नहीं जीत पाये और उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): प्रेमी साहब, आपके किसान आज भी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। यह आपको मालूम है कि नहीं है? (व्यवधान)

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): नहीं हैं, नहीं हैं। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): आपके विधान सभा क्षेत्र के किसान लगातार धरने पर बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): धरने पर नहीं हैं। गलतफहमी है आपको। (व्यवधान) नहीं हैं। आप असत्य बोल रहे हो। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): धरने पर हैं। आपको चलकर के दिखा सकती हूं, आप मेरे साथ चलें कोटा में, मैं अभी दिखा सकती हूं। (व्यवधान)

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): नहीं हैं, आपको पता नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान)

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): आपके साथ तो आपके बी जे पी वालों ने कल ही करा है, जो पेपर में आया है। आपको पता नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): क्या?

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): पेपर में क्या आया था आपके लिए? (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): क्या आया है, बतायें। (व्यवधान)

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): कार के शीशे तोड़ दिये बी जे पी वालों ने। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजें (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): आपको मालूम है। किसने तोड़े थे? (व्यवधान)

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): यह आपके लोगों ने ही तोड़े थे। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): आप आ जाना, मैं बता दूंगी। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजें। (व्यवधान)

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): राज्य सरकार ने 2009 में जो हैंड पम्पों का मामला है,

(समय : 15.00 बजे)

प्रथम चरण में दिसम्बर, 2009 तक इन ग्रामीण क्षेत्रों में 157.79 लाख रुपये, शहरी क्षेत्रों में 112 करोड़ 24 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई जिसके अन्तर्गत 1,324 नए नलकूप एवं 6,553 नए हैण्ड पम्पों को स्थापित करने का प्रावधान रखा गया है।

(श्री सी.एल. प्रेमी)

मैं समझता हूं कि अशोक गहलोतजी की जो सरकार है ...(व्यवधान) वह पूरी तरह, बिलकुल काबिल है और अकाल में लोगों को पीने का पानी किसी भी तरह से उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से व्यवस्था कर रही है। मैं समझता हूं कि अभिभाषण के सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिए हैं, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी और हमारे कैबिनेट के सदस्य बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।

आप लोगों ने मौका दिया बोलने का, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती किरणजी माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी पार्टी की ओर से अभिभाषण पर कुछ कहूं इससे पहले कुल पंक्तियां जो इस सभा के अन्दर यहां कोटेड लाइन्स में लिखी हुई हैं, कुछ इन्वर्टेड कोमाज में हैं, वह मैं पढ़कर सुनाना चाहती हूं, आपकी चेयर के पीछे ही लिखी हुई हैं, 'सभा में या तो प्रवेश न किया जाए, यदि प्रवेश किया जाए तो वहां स्पष्ट और सच बात कही जाए क्योंकि वहां न बोलने से या गलत बोलने से, दोनों ही स्थितियों में मनुष्य पाप का भागीदार बन जाता है।' अब यह पाप का भागीदार बनने वाली जो बात है, मुझे लगता है कि यहां पर जो महामहिम राज्यपालजी ने अभिभाषण पढ़ा, वह पूरा असत्य का पुलिन्दा था और हम सबने उस बात को सुना इसलिए हम सब पाप के भागीदार बने। मुझे ऐसा लगा क्योंकि बोलने वाले ने असत्य कहा और हम सबने जो सुना वह भी असत्य ही सुना। उसको सुना इसलिए कि गरिमा रखनी थी और उनकी बात को सुनना था। (व्यवधान) ठीक है, ठीक है।

मेरा यह मानना है कि जब कोई सरकार अभिभाषण रखती है तो यह सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को जनता के समक्ष रखने का माध्यम होता है लेकिन यह राज्य की वास्तविक स्थिति से जनता को अवगत कराने का माध्यम होने के बावजूद भी दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि अभिभाषण में राजस्थान की ज्वलंत समस्याओं के समाधान हेतु सरकार ने कोई इस तरीके की बात नहीं कही। हमें लगता है कि सरकार की नीतियां, सरकार के कार्यक्रम, उन सबके बारे में न कहकर उन्होंने सिर्फ प्रचार का एक अंश बनाया इस अभिभाषण को और सरकार के जो कार्यक्रम थे उन्हीं का एक पूरा संकलन करके उसको यहां पर प्रस्तुत कर दिया। क्या सरकार की नीतियां होंगी, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा और जो कुछ कहा वह सब कुछ ऐसा था जैसे कि अपने आप आज तक जो चल रहा है वह सारा कांग्रेस की राजनीति का जो

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

प्रमुख आधार होता है वह कहा, सरकारी धन से वह प्रचार करती है, वही उन्होंने बताया। वे जब यहां पर सरकारी योजनाओं के नामकरण पढ़ रही थीं इस अभिभाषण के अन्दर, राजीव गांधी मिशन, राजीव गांधी जनसंख्या एवं स्वास्थ्य मिशन, राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा मिशन, राजीव गांधी कृषि एवं पशुपालन मिशन, राजीव गांधी शिक्षा एवं साक्षरता मिशन, राजीव गांधी जल विकास एवं संरक्षण मिशन, तो यह लगता ऐसा है कि राज्य की अरबों रुपयों की परिसम्पत्तियों का नामकरण एक परिवार विशेष के नाम पर करना राज्य कोष से पार्टी का प्रचार करना है और लोकतंत्र की आधारभूत भावना का यह तिरस्कार है।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): वसुन्धराजी ने भी अपनी माता का नाम लिखवा दिया झालावाड़ में जबकि राजीव गांधी देश के प्रधान मंत्री रहे हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): राजीव गांधी एक अकेले ही देश के प्रधान मंत्री नहीं रहे। शायद आपको जानकारी होगी कि इससे पहले और भी बहुत सारे प्रधान मंत्री रहे हैं, क्या उनके नाम पर किसी योजना को रखा है? कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ एक परिवार के नाम से सारा करके और पूरे राजकीय कोष का जिस तरीके से दुरुपयोग कर रही है, मैं कहना चाहती हूं कि यह एक लोकतंत्र का तिरस्कार है। इसलिए मैं यह चाहती हूं कि हम सारे इलेक्टेड मेम्बर्स यहां पर बैठे हुए थे सदन में और हम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह सुनना चाहते थे कि वे यह कहते कि अल्पवृष्टि के बारे में उनकी क्या सोच है, जो सूखा पड़ा है उसके बारे में वह क्या सोचती हैं, जहां पीने के लिए पानी नहीं है उसके बारे में सरकार क्या सोच रही है, क्या योजनाएं हैं सरकार की लेकिन सरकार ने इन सबके बारे में कुछ भी बात न कही। महंगाई जिस तरीके से आसमान छू रही है, उसके बारे में सरकार कुछ नहीं कहना चाहती।

एक तरफ कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में, चुनाव घोषणा-पत्र में यह बात कहती है कि हम तीन रुपये किलो गेहूं देंगे, हमारी सरकार आ जाएगी तो तीन रुपये किलो गेहूं मिलेगा, वहां आज सरकार की कथनी और करनी में इतना अन्तर है, इसको हम भुगत रहे हैं। आज यह स्थिति है कि राशन की दुकानों पर गेहूं जो पहले 20 किलो मिलता था एक परिवार को एक महीने का, वह घटकर अब 10 किलो और कहीं कहीं तो पांच किलो या सात किलो ही मिल रहा है राशन की दुकानों पर। वह गेहूं जब लेने जाते हैं तो सड़ा हुआ गेहूं जिस गेहूं को खा नहीं सकते, जिस गेहूं के आटे से रोटी नहीं बनाई जा सकती

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

ऐसा सड़ा हुआ गेहूं और उसकी कीमत कितनी, पहले साढ़े नौ रुपये किलो मिलता था और अब साढ़े बारह रुपये किलो, वह भी सड़ा हुआ गेहूं, राशन की दुकानों पर मिल रहा है। यह कांग्रेस की नीति है। कांग्रेस यह कहती है कि हमारी सरकार को लाओ और हम तीन रुपए किलो गेहूं देंगे। कांग्रेस राशन की दुकानों के ऊपर भी साढ़े बारह रुपये किलो, वह भी सड़ा हुआ गेहूं दे रही है। कांग्रेस की सरकार की यह संवेदनशीलता दिख रही है।

सिर्फ कहने से संवेदनशील सरकार नहीं होती है। हमारे मुख्य मंत्रीजी बार-बार यह कहते हैं अपने भाषणों में कि हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, हम बहुत ध्यान रख रहे हैं शिक्षा पर, चिकित्सा पर, लेकिन क्या स्थिति है? आज शिक्षा में अगर देखें तो स्कूल में टीचर्स नहीं पढ़ाने के लिए, खाली पड़े हैं स्कूल, बच्चों के भविष्य का सवाल है लेकिन सरकार संवेदनहीन है, उसे कोई चिंता नहीं है कि गांवों में मास्टर नहीं है पढ़ाने के लिए। मां-बाप यह कहते हैं कि स्कूल तो खोल दिए हैं लेकिन अब यहां पर अगर टीचर ही नहीं होंगे तो मेरे बच्चों का आगे क्या भविष्य होगा। लेकिन सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। हमने कितने ही पत्र लिखे होंगे लेकिन किसी तरीके का उन पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया कि यहां पर इतने टीचर या इतनी तो व्यवस्था हम कर ही रहे हैं। खाली पड़े हैं स्कूल। ऐसे स्कूलों का, राजसमन्द जिले का मैं बता सकती हूं कि 42 स्कूल राजसमन्द जिले में ऐसे हैं जिनमें एक भी टीचर नहीं है। नोट ए सिंगल टीचर। स्कूल में एक भी टीचर नहीं है। बच्चे सिर्फ आते हैं और चपरासी क्लास रूम खोल देता है, बेंच साफ हो जाती है। वहां पर बच्चे आते हैं लेकिन उनको पढ़ाने के लिए एक भी टीचर नहीं है। ऐसी स्थिति इस संवेदनहीन सरकार की है जो मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूं।

मेवाड़ के अन्दर, जहां से मैं आती हूं, वहां पर हमने हाई कोर्ट बेंच, उच्च न्यायालय की पीठ की मांग रखी तो उस समय मेवाड़ के अन्दर भारी जन आंदोलन हुआ, महीनों तक न्यायालयों में कार्य बंद रहा। संवेदनशील, पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन की दुहाई देने वाली यह सरकार जन भावनाओं की सतत उपेक्षा कर रही है, किसी तरीके की कोई भावना नहीं। जब हम बार-बार यह कह रहे हैं कि आप हमें यह हाई कोर्ट की बेंच दे दीजिए लेकिन सरकार ने एक भी लाइन नहीं बोली क्योंकि वह क्षेत्र का संतुलित विकास नहीं चाहती है। बस एक क्षेत्र के अन्दर यह होगा और दूसरे क्षेत्र में यह नहीं होगा,

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

असंतुलित विकास इतना हो रहा है उससे इस राजस्थान में बहुत ही गम्भीर समस्या खड़ी होने वाली है। इसलिए एक पृथक राज्य की मांग उठ रही है वापस से कि मेवाड़ को एक पृथक राज्य बनाया जाए, इसलिए कि यह सरकार राजस्थान में संतुलित विकास नहीं करवा रही है।

और तो और, राजस्थान सरकार कहती है प्राइवेटाइजेशन पर ज्यादा जोर देंगे, कैसा प्राइवेटाइजेशन, यहां पर अपने अभिभाषण में कहा कि 2,900 किलोमीटर सड़कों को हम निजी क्षेत्र में बनवाने का काम करेंगे। अब वह 2,900 किलोमीटर सड़क को आप निजी क्षेत्र से बनवाएंगे। कर वसूली कैसे, ठेके पर, 'रायल्टी वसूली कैसे, ठेके पर,' निर्माण और विकास के काम कैसे, निजी क्षेत्र के अन्दर। आज आम आदमी के मन में यह प्रश्न है कि आखिर सरकार है किस के लिए? यह पुरानी जागीरदारी व्यवस्था का नया रूप है जो हमें आज दिख रहा है क्योंकि हर चीज ठेके पर। सरकार की खुद की भी तो कोई जिम्मेदारी होती है कि यह काम हम सरकार की ओर से करवा रहे हैं, यह सरकार ने काम किया।

नरेगा की बात कहें तो पूरे भ्रष्टाचार की कोई जननी है तो वह नरेगा है। नरेगा के नाम पर बार-बार कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के सारे नेता कहते हैं कि हमने कितनी बड़ी योजना शुरू की, सौ रुपये, मिनिमम वेजेज हमने सौ रुपये कर दिये। चाहे केन्द्र के नेता आएं, चाहे राज्य के नेता आएं, अपने भाषणों में मैंने उन्हें सुना है, वे बार-बार कहते हैं कि हर व्यक्ति जो नरेगा में काम करेगा उसके लिए कम से कम सौ रुपये हमने रख दिये लेकिन जब वास्तविकता देखती हूं क्षेत्र में जाकर तो यह पता चलता है कि बहनें जो दिन भर मजदूरी कर रही हैं, हाथों में छाले पड़ गये हैं उनके, चौकड़ी काटने की बात कही कि इतनी चौकड़ी काटने पर इतना रुपया मिलेगा लेकिन पथरीली जमीन है हमारे वहां पर और उस पथरीली जमीन को वह माता-बहनें नहीं खोद सकतीं। तो वह जमीन, जब वह चौकड़ी पूरी नहीं कटती तो उसे कितना रुपया हाथ में लगता है? 50 रुपये या 55 रुपये। (व्यवधान) झालावाड़ और सब जगह की अलग-अलग बात है। (व्यवधान) अब आप यह सोचो कि पूरे दिन मजदूरी करके उसके हाथ में अगर 18 रुपये, 20 रुपये और इतने रुपये उसकी अगर मजदूरी आती है तो ऐसे नरेगा की योजना किस काम की? हमारे ग्रामीण भाइयों को रोजगार देने का सिर्फ सपना है यह लेकिन इस तरीके का अगर कुठाराघात इनके साथ होगा तो यह उचित नहीं है।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

आज वह स्वास्थ्य केन्द्र के बारे में कह रहे थे, मंत्री महोदय भी कह रहे थे और कल राज्यपालजी ने भी कहा और भाषणों में भी हमेशा सुनते हैं कि बहुत अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हम कर रहे हैं, अब कैसी व्यवस्था की? नये आप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की बात कर रहे हो, नये चिकित्सालय खोलने की बात कर रहे हो लेकिन जो पुराने स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जो पुराने चिकित्सालय हैं, वे खाली पड़े हैं। वहां डाक्टर्स नहीं हैं, कोई इलाज नहीं हो पाता वहां पर। कहने को तो सिर्फ वह बिल्डिंग है, वहां पर कोई इलाज नहीं हो सकता, कोई चिकित्सक वहां पर नहीं है। ऐसी ठप्प व्यवस्था के अन्दर यह सरकार कहती है कि हम संवेदनशील हैं और हमारी आप तारीफ करो कि हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है।

मैं आज सब के बीच में यह भी रखना चाहूंगी कि जो सरकार वर्तमान में अपनी बार-बार यह घोषणा करती है कि हम तो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, हम आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं और हमने जो कुछ भी आज तक चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, आम आदमी को ध्यान में रखते हुए किया लेकिन यह सारी जो इनकी नीतियां हैं उससे साफ जाहिर है कि सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वह आम आदमी है और जो सबसे ज्यादा सुखी है वह खास आदमी है। अब वह खास आदमी कैसे बनता है? उस खास आदमी का, यह कहीं हमें बता दें कि यह खास आदमी, जिस खास आदमी को कभी तो हम पकड़ते हैं, यहां कहना चाहिए या नहीं, मंत्रियों के घरों में, उनके वहां पर ही पकड़े जाते हैं रिश्वत लेते हुए और वह खास आदमी, अब यह खास आदमी है, यहां पर आकर बैठे हो, आम आदमी की सेवा करने के लिए यहां पर आकर बैठे हो, आम आदमी से वोट लेकर लेकिन आम आदमी की परवाह नहीं है। तभी 3 रुपये किलो का गेहूं कह कर के 12 रुपये किलो देते हो, तभी कहते हो कि हम मजदूरी सौ रुपये देंगे।

श्री सभापति: सम-अप करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): लेकिन सौ रुपये की जगह 20 रुपये, 25 रुपये मजदूरी देते हो।

यहां पर यह सारी जो घोषणाएं हैं, वह थोथी घोषणाएं हैं, वह कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इसलिए मैंने शुरू किया था कि यहां पर असत्य कहा जा रहा है और यह असत्य कह कर और सिर्फ कुर्सी को अपनी बचाने, सिर्फ जनता के सामने यह चेहरा देना, यह काफी नहीं है। अब जनता जाग रही है

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

और यह जो सारी सरकार की नीतियां हैं, वह स्पष्ट सरकार करे। अभिभाषण केवल एक बाहरी सिर्फ संकलन करके योजना हम यह कर देंगे, यह कर देंगे, नहीं, लेकिन .....

श्री सभापति: सम-अप करें, माननीय सदस्य।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इनको अपना मूर्त रूप दें। सरकार जो बैठी है, वह सरकार अपना नियमबद्ध कार्यक्रम बनाये, सरकार इस चीज को सुनिश्चित करे कि जो योजनाएं सरकार की हैं, वह योजनाएं योजनाबद्ध तरीके से कितने समय में पूरी होंगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इनके बारे में स्पष्ट करें। यही मेरा निवेदन है। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती सज्जनजी कटारा।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण): मुझे यहां कहते हुए अति प्रसन्नता है कि राज्यपाल के अभिभाषण में राज्य के लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नये राजस्थान के निर्माण का संकल्प लिया है। राज्य सरकार ने एक वर्ष में राज्य की नीतियों और कार्यक्रमों को केन्द्र बिन्दु बना कर आम आदमी के उत्थान के विशेष प्रयास किये हैं जिसके सार्थक परिणाम हमको सामने दिखाई दे रहे हैं, जिसका परिणाम है कि विधान सभा चुनाव के बाद हमने निरन्तर आज तक जो चुनाव हुए हैं, चाहे वह लोक सभा के चुनाव हों, सहकारिता के चुनाव हों, नगर निगम के चुनाव हों या पंचायती राज के चुनाव हों, हमने कामयाबी हासिल की है। यह हमारी राज्य सरकार और हमारे अशोकजी गहलोत के अच्छे कार्यक्रमों का परिणाम है। अभी सदस्य महोदय, राजसमंद द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार काम ठीक नहीं कर रही है, थोथी घोषणाएं कर रही है लेकिन फिर भी इस प्रदेश की जनता हमारे कार्यक्रमों से, हमारी सरकार की कार्य नीति से संतुष्ट है और लगातार हमको सफलता दे रही है। यह अच्छे कार्यक्रमों का परिणाम ही है।

हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए और युवा और उद्योग को, शिक्षा एवं रोजगार के साथ विकास के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया है जो महत्वपूर्ण कदम है। मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी है कि वर्ष 2008 एवं 2009 में राजस्थान को बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह हमारी सरकार की अच्छी उपलब्धि का परिणाम है।

(श्रीमती सज्जन कटारा)

राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ ही सूचना तंत्र को मजबूत बनाने के ठोस प्रयास किये गये हैं। इसी वजह से वर्तमान में राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है और 2009 के दौरान राज्य के विभिन्न स्थानों पर साम्प्रदायिक घटनाओं के दौरान पुलिस की प्रभावी कार्यवाही से स्थिति को सामान्य एवं नियंत्रण करने में सफलता पाई है।

राज्य में चलाये गये 'हरित राजस्थान' के तहत मुख्य मंत्री और राज्य सरकार और वन विभाग द्वारा 3 करोड़ 12 लाख पौधे लगाये गये हैं। इससे निश्चित रूप से राज्य हरा भरा होगा। यह हमारे मुख्य मंत्री की दूरदर्शिता का परिणाम है। हमारा राज्य हरा भरा होगा, बारिश अच्छी होगी और राजस्थान में खुशहाली आएगी वापस, यही हमारी राज्य सरकार की उपलब्धि का कारण है। यह मुख्य मंत्रीजी एवं राज्य सरकार के अच्छे कार्यों का परिणाम है।

नरेगा योजना देश की सबसे महत्वपूर्ण योजना है और सबसे बड़ी लोक कल्याणकारी योजना है। अभी सदस्य महोदय द्वारा बताया गया कि नरेगा योजना में भ्रष्टाचार है लेकिन पिछली सरकार में जितना भ्रष्टाचार हुआ था, उसके मुकाबले अभी कुछ भी नहीं है। इस योजना के तहत राज्य के अन्दर जो भी काम करने का इच्छुक व्यक्ति है। सौ दिन काम और सौ रुपये देने का प्रावधान है और वर्तमान में मिल रहा है यह मैं गारण्टी के साथ कहती हूं। मैं आदिवासी इलाके, उदयपुर सम्भाग के उदयपुर जिले से आने वाली हूं और मेरा एरिया पूरा ट्राइबल एरिया है और पूरे सौ दिन काम मिल रहा है और पूरे पैसे मिल रहे हैं, अच्छी तरह से काम मिल रहा है। यह हमारी सरकार की उपलब्धि है, जो भी सरकार ने अच्छा काम किया है नरेगा योजना के तहत एक कानून बनाकर बहुत बड़ी योजना हमको दी है और हमारे आदिवासी इलाके में और अल्पसंख्यक और गरीब तबके के जो लोग हैं, इसमें बहुत अच्छी सफलता मिली है। मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करती हूं और विशेषकर हमारी सोनिया गांधीजी का आभार व्यक्त करती हूं कि इन्होंने बहुत बड़ी योजना हमको दी है। इसके तहत हमको अच्छा काम मिल रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को काम मिल रहा है।

महंगाई की बात, महंगाई तो बारिश नहीं होने की वजह से हुई है और कोई अभी नहीं बढ़ी है बल्कि दो साल से महंगाई निरन्तर बढ़ती जा रही है।

हमारी सरकार निरन्तर प्रयास कर रही है और महंगाई को रोकने के

(श्रीमती सज्जन कटारा)

लिए बहुत अच्छी योजना बनाकर लोगों को और फायदा देने का काम किया है।

किसानों के लिए पांच साल तक बिजली की दर नहीं बढ़ाने की घोषणा हमारी सरकार ने की है, मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने की है। यह किसानों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि पांच साल में बिजली की दरें नहीं बढेंगी। इतनी बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार ने किसानों के लिए दी है। इसके लिए हम अशोकजी गहलोत और हमारी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं।

मुझे यहां पर आपने बोलने का मौका दिया इसलिए धन्यवाद देती हूं।

श्री सभापति: श्री बाबूसिंहजी राठौड़।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर यहां पर सार्थक चर्चा हो रही है। इस बार जो कांग्रेस की सरकार बनी है और कांग्रेस की सरकार को बनाने में जिन्होंने भागीदारी निभाई है, जिस समय सरकार बनाई और भागीदारी निभाने वाली जनता के मन में यह सपना था कि राजस्थान में नया रोड मैप बनेगा, नई योजना होगी, सरकार में नया विजन होगा, मुख्य मंत्रीजी में नया विजन होगा और वह ही विजन राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण पढ़ा जाएगा उसमें आयेगा। चुनाव के समय जो घोषणा-पत्र था उस घोषणा-पत्र को आधार मानकर के सरकार काम करेगी और सरकार बनते ही वह घोषणा-पत्र भी अधिकारियों को दिया गया। पिछला अभिभाषण और पिछला बजट था उसमें तो घोषणाओं को समाहित किया गया था लेकिन अभी जो अभिभाषण आया है, मैं कहना चाहूंगा कि इसके क्रम संख्या तीन में लिखा है कि विगत एक वर्ष में राज्य सरकार ने राज्य की नीतियों और कार्यक्रमों का केन्द्र बिन्दु आम आदमी को बनाकर के उसके उत्थान के लिए विशेष प्रयत्न किये हैं जिसके सार्थक परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी की बात कही गई है लेकिन आम आदमी आज अगर दु:खी और परेशान है तो वह महंगाई और अकाल की वजह से परेशान है।

मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने सपना देखा था, आज राजस्थान और हिन्दुस्तान की जनता को इस महंगाई की वजह से परेशान होना पड़ रहा है। उनको शक्कर कड़वी लगने लगी है और गरीब की दाल के अन्दर पानी मिलता है। जिस प्याज, जिस कांदे के बारे में कहा जाता था कि इसको काटने से पानी आता है, अब तो उसको खरीदने में पानी आता है। यह हालात हो गये

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

हैं। इस महंगाई की जो समीक्षा हुई है, प्रधान मंत्री के आर्थिक सलाहकार डाक्टर सुरेश की अध्यक्षता में बनी समिति ने हाल ही में खुलासा किया है कि भारत में गरीबों की संख्या 12 प्रतिशत बढ़ गई है। ग्रामीण भारत में गरीबी 42 प्रतिशत है न कि 28 प्रतिशत। यू एन डी ई एस ए के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2009 में ही और 1.36 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे आ गये हैं। अब कांग्रेस के जब चुनाव होते हैं तो कहती है कि कांग्रेस लाओ और गरीबी मिटाओ। अब गरीबी मिटाने का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य में तो सफलता पाई या नहीं पाई लेकिन इन्होंने तो गरीबी बढ़ाने का लक्ष्य पाने में सफलता जरूर हासिल की है।

मैं कहना चाहूंगा कि यही राजस्थान की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी हैं, गुजरात में भी है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में भी है, इस महंगाई को कम करने के लिए, गरीबों को सहायता करने के लिए गुजरात के अन्दर दो रुपये किलो के भाव से गेहूं और चावल दिया जा रहा है, मध्य प्रदेश में दो रुपये किलो के हिसाब से गरीबों को चावल और गेहूं दिया जा रहा है, छत्तीसगढ़ के अन्दर दो रुपये किलो ए पी एल और एक रुपये किलो बी पी एल को गेहूं दिया जा रहा है। यहां पर जब चुनाव हुए, संसदीय चुनाव हुए, लोक सभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस के घोषणा-पत्र में था कि हम तीन रुपये किलो के भाव से गेहूं देंगे लेकिन वह गेहूं अभी तक नहीं मिल रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि पता नहीं, इनको क्या तकलीफ हुई ...(व्यवधान) कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में जो अक्षय पात्र योजना थी, ...(व्यवधान) सुनो-सुनो, सुनने की क्षमता रखो। हम तो सिर्फ कह सकते हैं, आपकी सरकार है। सुनिये। ...(व्यवधान) एक मिनट। अक्षय पात्र योजना थी और पांच रुपये के भाव से भरपेट गरीब भोजन करता था वह भी इनको योजना नहीं सुहाई और उस योजना को भी इन्होंने बंद कर दिया। वह गरीब पांच रुपये में जिला मुख्यालय पर भरपेट भोजन नहीं कर सकता। वह इनको अच्छा नहीं लगा और कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ शक्कर पर वैट कम कर देंगे। ये हालात हैं।

महंगाई की अगर बात करें तो हिन्दुस्तान में जब चुनाव हुए तो प्रधान मंत्री माननीय मनमोहन सिंहजी ने भी कहा था कि हमारी सरकार पुन: बनेगी तो 100 दिवस की कार्य योजना लागू करके इस महंगाई की वृद्धि को कम करेंगे। यह जो महंगाई बढ़ी है, वास्तव में महंगाई और अकाल के कारण आज गरीब का जीना दूभर हो गया है। दो टाइम की रोटी नहीं है, गांवों में हालात खराब हैं। पीने का पानी नहीं है और दूसरी तरफ अकाल की भयंकर मार पड़ी है।

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

यही माननीय अशोकजी गहलोत पिछली बार जब राजस्थान के मुख्य मंत्री थे तब बड़े-बड़े दावे करते थे, अखबारों में खबरें आती थीं कि हमने अकाल का बहुत अच्छा प्रबन्धन किया है, हमने अकाल के अन्दर इतना सारा गेहूं बांटा है। आज कहना चाहता हूं कि वह गेहूं अशोकजी गहलोत और कांग्रेस की सरकार ने नहीं बांटा, वह गेहूं हिन्दुस्तान के सपूत प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयीजी ने बांटा था। अगर व गेहूं बांटें तो ये कड़ियां आपकी सारी जुड़ चुकी हैं, वार्ड पंच से लगाकर के दिल्ली की सल्तनत तक सारी आपकी कड़ियां जुड़ी हुई हैं, अब लाइये गेहूं और आप अकाल राहत के अन्दर काम चलाइये, गेहूं बांटिये। सवा-सवा लाख लेबर अकाल राहत में मंजूर थी। आज मवेशी मर रहे हैं, गायें मर रही हैं, पशुधन मर रहा है। न तो पीने का पानी है, न चारे का बंदोबस्त है। न तो पशु शिविर हैं, न चारा डिपो हैं और गांवों में हालात यह हो गये कि पशु शिविर नहीं हैं जिससे पशु पलायन कर रहे हैं और पशुओं की तस्करी हो रही है। इस तरफ किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह हालात आज राजस्थान के हो गये हैं।

मैं तो आपको यह चैलेंज के साथ कहना चाहूंगा कि महंगाई अगर कम करनी है तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने गेहूं दो रुपये और एक रुपये किलो में बांटा है उसी प्रकार से राजस्थान में आप गरीबों को गेहूं बांटें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी शुरू किया है। राष्ट्रपतिजी के अभिभाषण के अन्दर आया है कि राशन प्रणाली के अन्दर 50 प्रतिशत ही पैसा राशन की दुकानों तक पहुंच रहा है, 90 प्रतिशत बी पी एल को गेहूं नहीं मिल रहा है और 50 प्रतिशत बी पी एल को कार्ड नहीं बंटे हैं। इस प्रकार का आया है। गरीबों की अगर बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं तो आपके एक नेता कह रहे हैं प्रधान मंत्री माननीय मनमोहन सिंहजी कि हम तो दो अंकों के विकास की दर की तरफ बढ़ रहे हैं। खाद्यान्न महंगाई के लिए प्रधान मंत्री और सरकार जिम्मेदार है। शरद पंवार कह रहे हैं कि भारत में चीनी, गेहूं, चावल की कीमतें अमेरिका और इंग्लैण्ड की तुलना में सस्ती हैं। वे कहते हैं कि शक्कर नहीं खाओगे तो कौन से मर जाओगे और शक्कर खाओगे तो डाइबिटीज हो जाएगी और फिर मर जाओगे। ऐसा उनका स्टेटमेंट है। पी चिदम्बरम भी कहते हैं कि हम कुत्तों के बिस्किट पर लगने वाले टैक्स में छूट दे रहे हैं। कमलनाथजी कह रहे हैं कि

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

गरीब जनता भोजन अधिक करने लग गई है इसलिए महंगाई बढ़ गई है। गरीब जनता भोजन ज्यादा करने लग गई इसलिए यह महंगाई बढ़ गई है। प्रणव मुखर्जी कहते हैं कि हम वर्तमान स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। शीला दीक्षित कह रही हैं कि वेतनभोगी वर्ग की आय बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ी हैं। आदरणीय सोनिया गांधीजी कह रही हैं कि कांग्रेस खाद्यान्न महंगाई को लेकर के सरकार को पत्र लिखेगी। वाह साहब, यह सरकार को पत्र लिख रहे हैं। यह हालात हो गये हैं।

इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज महंगाई और अकाल की वजह से जो गरीब मारा जा रहा है उसकी चिंता करने की जरूरत है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जनसंख्या बढ़ रही है, खाद्यान्न की समस्या हमारे सामने है, उसके लिए कृषि नीति लाने की जरूरत है। यह बात इसमें होनी चाहिए थी, वह बात इसमें कहीं नहीं है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समअप करो आप।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): कोई विजन होना चाहिए। अभी शुरू किया है साहब।

श्री सभापति: अभी शुरू किया है?

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): राजस्व के बारे में इसमें लिखा है कि बीस सूत्री कार्यक्रम में भारत स्तर पर प्रथम स्थान आया है। इन 13 महीनों में बीस सूत्री कार्यक्रम की जिला मुख्यालय पर एक भी बैठक नहीं हुई है, एक भी बैठक में हम नहीं गये हैं और आप कह रहे हो कि प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस प्रकार का इसमें लिखा है।

मैं कहना चाहूंगा कि 'प्रशासन शहरों के संग' के तहत अखबारों में आपके कांग्रेस के नेताओं की स्थिति सामने आई है कि 'प्रशासन शहरों के संग' में क्या हुआ और अब कह रहे हो 'राजस्व गांवों के संग'। जैसा 'प्रशासन शहरों के संग' चलाया है वैसा ही अब राजस्व आप गांवों के संग चला दो, वैसी कोई खानापूर्ति कर दीजिये। काम तो आपका कोई हो नहीं रहा है।

13 महीनों के अन्दर न तो हैण्ड पम्प खुदे, न ट्यूबवैल खुदे, न पानी की समस्या का समाधान हुआ। हमारे क्षेत्र के अन्दर एक भी काम नहीं हुआ।

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

आज मैं कह सकता हूं कि हैण्ड पम्प मरम्मत अभियान से पहले आपके पास सर्वे लिस्ट होनी चाहिए कि कितने हैण्ड पम्प खराब हैं, उसके लिए कितने वाशर चाहिए, पाइप चाहिए, गाड़ियां चाहिए, सामान चाहिए, व्यवस्था चाहिए। हमने तो इन 13 महीनों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं देखी और इस अभिभाषण में कहा है कि हमने अभियान चलाया है, इतने हैण्ड पम्प ठीक कर दिये, इतने हैण्ड पम्प खोद दिये। हमें तो नजर नहीं आये।

दूसरी तरफ राजस्व अभियान की बात आप करते हो, जगह-जगह पटवारियों के पद रिक्त पड़े हैं, 4-4 पटवार मण्डल में एक पटवारी लगा हुआ है। न तो आपने पटवारी लगाने की बात की है, न आपने नये पटवार मण्डल खोलने की बात की है, न आपने आर.आई. सर्किल खोलने की बात की है, न आपने उप-तहसील बनाने की बात की है, न आपने तहसील बनाने की बात की है, न आपने जिला बनाने की बात की है। और पंचायतों को अधिकार देंगे। पंचायतों को आप क्या अधिकार दोगे? आपने पुनर्गठन की बात की थी। गांव के लोगों को गुमराह किया, गांव के लोगों को धोखा दिया। एक गांव को इसमें, दूसरे गांव को इसमें। आपत्तियां लेकर आपने प्रस्ताव मंगाये। आप इच्छाशक्ति की बात करते हो, यह सरकार की इच्छाशक्ति है? यह इच्छाशक्ति है कि जनता को परेशान करके वे प्रस्ताव यहां राजस्थान सरकार से मंगाये जाये और कह दो कि अब पंचायतें नहीं बनेंगी? बहुत बढ़िया इच्छा शक्ति है आपकी। यह काम किया? ये पंचायतें बनाई हैं आपने? इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सरकार की इच्छाशक्ति खतम हो गई है।

मैं खास तौर से अवैध शराब की बात करना चाहता हूं। यह कह रहे हैं कि संवेदनशील सरकार है, सरकार ने कहा था कि...

श्री सभापति: सम-अप करो। माननीय सदस्य, सम-अप करो।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): आठ बजे दुकान बंद कर दी जायेगी। आठ बजे तक थानों में बंधी अलग होती थी। अब आठ बजे के बाद पिछले दरवाजे से दारू बिकती है। वह एक दुकान के 5,000 रुपये होते थे, अब आठ बजे के बाद में बेचिये, 10,000 रुपये की बंधी दे दीजिये। आप किसी को बोगस ग्राहक बनाकर किसी दुकान पर भेज दीजिये, मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि आठ बजे के बाद में पिछले दरवाजे से शराब बिकती है। इस राज के अन्दर यह हालात पैदा हो गये हैं। ठेलों पर शराब बिकती है। इनके

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

कार्यकर्त्ता व्यवसाय कर रहे हैं। हर जगह अवैध शराब बिकती है, हर जगह भट्टी की शराब बिकती है, स्प्रिट की शराब बिकती है। यह जो चारों ओर शराब खाना हो गया है, इस राजस्थान को किस तरफ ये ले जायेंगे?

ये विकसित राजस्थान की बात करते हैं और विकासशील राजस्थान की बात करते हैं, नम्बर वन मुख्य मंत्री की बात करते हैं, राजस्थान नम्बर वन की बात करते हैं, राजस्थान में यह हालात हो जायेंगे कि चार साल बाद जब भाजपा की सरकार बनेगी तो संभालना बहुत मुश्किल हो जायेगा। राजस्थान को उबारना बहुत मुश्किल हो जायेगा, हालात बहुत मुश्किल हो जायेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शराब की कोई...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करो आप।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ढंग की नीति हमने नहीं देखी। खास तौर से विद्युत के मामले में भी इन्होंने कहा है, ढाणियों के बारे में पहली सरकार थी, मैं कह रहा हूं कि ग्रामीण अंचल के अन्दर, 70 प्रतिशत ढाणियों के अन्दर कनेक्शन नहीं है। 'मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना' बनाई। 7,000 आवेदन शेरगढ़ से प्राप्त हुए और 7,000 में से 4,000 डिमांड हमारी सरकार के समय निकले। आज डेढ़-दो साल हो रहे हैं, आपने तो पोल तक नहीं लगाया और इनकी सरकार में केबल आई। हमारे यहां केबल लगी, जगह-जगह केबल जलने लगीं। उसकी जांच हुई तो कह रहे हैं कि केबल में भ्रष्टाचार है। केबल में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। न तो केबल लगी, न कनेक्शन हुए और मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि क्या वह कनेक्शन करना चाहते हैं? मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना' को आगे लागू रखना चाहते हैं? हम तो पांच साल में एक भी बिल नहीं बढ़ायेंगे, दर नहीं बढ़ायेंगे, कनेक्शन कर नहीं रहे हैं और बिल को बढ़ाने की बात है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम करेंगे इसलिए...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अभी सदन पूरे मार्च चलेगा।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, यह सरकार को जगा दो, सरकार सो रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सरकार सो रही है, सभापति महोदय। सरकार सो रही है। वह सरकार सो रही है। वह सरकार सो रही है। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): एक निवेदन और है। मैं पानी के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मैं जोधपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ से आता

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

हूं। राजस्थान में बीजेपी की जब सरकार थी तो हिमालय वृहद जलप्रदाय योजना हमारे बिलाड़ा में, भोपालगढ़ में, लूणी में, शेरगढ़ में मंजूर हुई। मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने वहां शिलान्यास किया, काम चालू हो गया, चौथाई इलाके में काम हो गया, वहां हिमालय का पानी पहुंच गया लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद में एक भी टेंडर हो तो हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। एक भी टेंडर नहीं लगाया और जो यह कह रहे हैं कि...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करिये। श्रीमती नसीम अख्तर।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मैं कहता हूं कि 250 हैण्डपम्प मंजूर थे, 32 ट्यूबवैल मंजूर थे लेकिन इन्होंने रोक लगाई। एक हैण्डपम्प नहीं लगाया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। राठौड़ साहब, बैठिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): एक मिनट, एक मिनट। एम.पी. साहब से जब पूछा गया कि आपने एम.पी. कोटा खर्च क्यों नहीं किया तो कहते हैं कि हमारे समय में तो बी जे पी के सरपंच थे। अब कांग्रेस के सरपंच आये हैं इसलिए अब पैसा देंगे। यह कांग्रेस के एम.पी. कहते हैं। यह बदले की भावना नहीं है तो और क्या है? यह राज कर रही है कांग्रेस की सरकार?

अब ज्यादा कहना था, आप, सभापित महोदय, समय नहीं दे रहे हैं। हम ऐसे अभिभाषण का समर्थन नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती नसीम अख्तर।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): चार दिन कराओगे क्या आप? आप अपना कार्यक्रम तो बताओ कि चार दिन में कराओगे क्या?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, रोज अपने विचार व्यक्त करेंगे।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के चतुर्थ सत्र के अभिभाषण का अनुमोदन एवं समर्थन करती हूं।

माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने धंवन्तरि योजना शुरू की और धंवन्तरि योजना में 108 एम्बुलेंसों की व्यवस्था की गई, जिससे सभी को लाभ मिला।

स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण माननीय मुख्य मंत्री गहलोत साहब की सरकार ने देकर एक अभूतपूर्व कदम उठाया।

(श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ)

हम इस कदम की सराहना करते हैं। आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार ने तो सिर्फ कहा था, हमारी सरकार ने तो इसे करके दिखा दिया है।

पांच वर्ष तक बिजली के दाम, कृषि कनेक्शन के दाम नहीं बढ़ेंगे। पांच साल तक एक पान वाला, एक ठेले वाला और एक छोटे से छोटा व्यापारी भी अपनी चीजों के दाम बढ़ा देता है, हमारी सरकार ने तो पांच साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ाने की घोषणा की है। यह एक अभूतपूर्व कदम है। हमारी सरकार सही मायनों में, सच्चे मायनों में किसानों की हितैषी सरकार है। राज्य सरकार संवेदनशील और पारदर्शी सरकार है।

जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की योजना राज्य सरकार लाई है, गहलोत साहब की सरकार लाई है। मेट्रो रेल परियोजना, यह अपने आप में एक अनूठा कदम है। इससे जयपुर वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगा और विकास के नये आयाम स्थापित होंगे।

प्रथम बार 400 के.वी. के तीन जी.एस.एस. स्वीकृत किये हैं सरकार ने बिजली के लिए। इसमें से एक 400 के.वी. का जी.एस.एस. ग्रामीण क्षेत्र के लिए मेरे पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में भी स्वीकृत किया गया, इसलिए मैं सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूं और बिजली मंत्रीजी को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूं। 200 के.वी. के दो जी.एस.एस., 132 के.वी. के सात जी.एस.एस. 2010 तक बनकर तैयार हो जायेंगे। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को बिजली अच्छी मिलने लग जायेगी और बिजली की समस्याओं का समाधान होगा। प्रथम बार 765 के.वी. के दो जी.एस.एस. अंता और फागी में स्थापित किये जायेंगे।

गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले 1,95,685 परिवारों को घरेलू कनेक्शन जारी किये जायेंगे।

ऐतिहासिक पर्यटन स्थल वाले महत्वपूर्ण बड़े शहरों के लिए नई वोल्वो बसें चलाई जायेंगी। इससे पर्यटकों को सुविधा होगी। पंचायत और तहसील मुख्यालयों तक बस सेवा उपलब्ध कराई जायेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र तहसील मुख्यालय से जुड़ जायेंगे। इससे ग्रामीण जनता को राहत मिलेगी।

औद्योगिक विकास में वृद्धि के लिए दिल्ली-मुम्बई फ्रेट कोरीडोर की स्थापना की जा रही है। वह एम.ओ.यू. भी साइन हो चुका है। यह जल्दी ही अपना काम शुरू कर देगा।

वक्फ सम्पतियों के विकास एवं संरक्षण हेतु वक्फ विकास परिषद का गठन किया गया है।

(श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ)

हमें गर्व है कि नरेगा में अजमेर जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और 20 सूत्री कार्यक्रमों में राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए राजस्थान की सरकार बधाई की पात्र है।

शिक्षा के क्षेत्र में सरकार सजग है और शिक्षा के प्रति चिंतित भी है। प्रथम श्रेणी के 57 तथा तृतीय श्रेणी के 2,916 पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा का आयोजन कर परिणाम घोषित कर दिये गये हैं। हर पंचायत हैडक्वार्टर पर सैकण्डरी स्कूल को क्रमोन्नत किया जायेगा। आपकी सरकार ने तो ऐसे गांवों में एक-एक पंचायत में दो-दो सैकण्डरी स्कूल खोल दी थीं। आप कह रहे हैं कि यह टीचर्स की कमी है, यह आपकी ही देन है जो टीचर्स की, शिक्षकों की कमी है। आपने गांवों में कई जगह पर जहां जरूरी थी वहां सैकण्डरी स्कूलें नहीं खोलीं, मैं ऐसे स्कूलों का नाम बता सकती हूं और जहां नहीं जरूरत थी, वहां आपने दो-दो सैकण्डरी स्कूल खोल दीं। उसी का परिणाम है कि आज शिक्षकों की कमी है।

वर्षा के अभाव को देखते हुए 27 जिलों के 191 तहसीलों के 33,464 गांवों को अभावग्रस्त घोषित करते हुए भू-राजस्व वसूली और आबियाना शुल्क माफ कर दिया गया है। यह एक सराहनीय कदम है। माननीय गहलोत साहब की सरकार का, गरीब और किसान हितैषी का यह एक अच्छा कदम है।

उच्च शिक्षा के प्रति सरकार अपनी अच्छी मंशा रखती है। 61 नवीन सैक्शन वाणिज्य, विज्ञान और कला वर्ग के स्वीकृत किये गये हैं। प्रत्येक वर्ग में 100 सीटें दी हैं। इससे 25,000 विद्यार्थी लाभान्वित हुए। मैं इस राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन और अनुमोदन करती हूं।

भाजपा की सरकार ने चाहे वह पेयजल की समस्या हो, यह पेयजल की समस्या आप लोगों की देन है। आप लोगों की सरकार ने, गत सरकार ने कांग्रेस समर्थित जितने भी गांव थे, उनको सैकण्ड फेज में डाल दिया, जिसका परिणाम है कि वे आज तक जुड़ नहीं पाये। हमारी सरकार आई है, हमें आशा ही नहीं, विश्वास है कि हम उन गांवों को पेयजल से जोड़ेंगे, बीसलपुर परियोजना से जोड़ेंगे। कई गांवों का उदाहरण मैं दे सकती हूं, मेरे क्षेत्र के इतने गांव है, फ्लोराइडयुक्त गांव, माननीय पूर्व मंत्री महोदय ने उन गांवों को सैकण्ड फेज में इसलिए डलवाया कि वे गांव कांग्रेस समर्थित गांव थे, वे हण्ड्रेड परसेंट पोलिंग कांग्रेस के पक्ष में करते थे इसलिए उन गांवों को पेयजल सैकण्ड फेज परियोजना में डाल दिया गया, वे आज तक नहीं जुड़ पाये हैं। हमें विश्वास है

(श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ)

हमारी सरकार उन गांवों को बीसलपुर परियोजना से जोड़ेगी और सैकण्ड फेज की जल्दी स्वीकृति देगी।

आप लोग कहते हैं, तारानगर से आने वाले माननीय विधायक ने कहा कि चौकियां बंद कर दी गईं, वे बंद कर दी गई, तो मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आपकी सरकार ने तो पानी मांगा तो गोली दी, लाठी और गोली दी और गुर्जरों ने आरक्षण मांगा तो आपने 71 व्यक्तियों को सुला दिया। यह आपकी सरकार का नमूना है। हमारी सरकार तो जवाबदेह, पारदर्शी और संवेदनशील है और सच्चे मायने में लोक कल्याणकारी है, गरीबों की, किसानों की हितैषी सरकार है और अल्पसंख्यकों की हितैषी है।

आपकी गत सरकार ने कहा था कि हज हाउस बनायेंगे, कहां गया आपका हज हाउस? कहां गया अल्पसंख्यकों के बारे में बोलने का अधिकार? आपने हज हाउस तो बनने नहीं दिया, उलटा विरोध किया। क्या अल्पसंख्यक भाई राजस्थान में निवास नहीं करते? क्यों आपने विरोध किया और आपने हज हाउस नहीं बनने दिया? क्या वे निवासी नहीं हैं अल्पसंख्यक?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, माननीय सदस्य आराम से बोलें। (व्यवधान)

श्री सभापति: बोलें, बोलें। फटाफट। (व्यवधान)

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): नहीं बनाया। हमारी सरकार तो हमेशा गरीबों की, किसानों की सच्ची हितैषी रही है और अल्पसंख्यकों की हितैषी रही है, किसानों की हितैषी रही है और आपकी सरकार को तो लाठी और गोली की सरकार की संज्ञा मिली थी। मैं, माननीय सभापति महोदय, माननीय विपक्षी सदस्यों से यही कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार तो मत भेद, मन भेद भुलाकर हर क्षेत्र का, ग्रामीण-शहरी क्षेत्र का विकास कराना चाहती है, विकास के नये आयाम स्थापित करना चाहती है। माननीय गहलोत साहब के नेतृत्व में, हमारे गांधीवादी नेता के नेतृत्व में राजस्थान आगे बढ़ेगा, हमें आशा ही नहीं विश्वास है।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री केसारामजी चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, आज महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण इस सदन के पटल पर

(श्री केसाराम चौधरी)

पढ़ा गया उसके विरोध में मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, अच्छा होता कि इस अभिभाषण में राजस्थान जिस स्थिति से गुजर रहा है, महंगाई और अकाल की मार से जिस तरह से राजस्थान की जनता तड़प रही है इस तड़पन को मिटाने के लिए अगर सरकार ने इस अभिभाषण में कोई दर्शाया होता तो इससे ज्ञात होता कि यह सरकार जनता के हित में कार्य करने जा रही है।

इन्होंने प्रदेश के 27 जिलों को अभावग्रस्त घोषित किया है। माननीय सभापति महोदय, अभावग्रस्त और अकालग्रस्त, इसमें बहुत फर्क है। अभावग्रस्त में इन्होंने बिगोड़ी और आबियाना स्थगित किया है इस तरह से जो जनता तड़प रही है, पाली जिले में जिस तरह से हालात बने हैं। आज पीने का पानी बिलकुल नहीं है, जितने भी बांध थे उन बांधों में, कंटालिया बाँध से दस-पन्द्रह गांवों को जो पानी की सप्लाई होती थी, पूरा पानी खत्म हो गया, सीरियारी बांध में पानी खतम हो गया, इसी तरह से जवाई बांध में भी थोड़ा बहुत पानी बचा है। अगर इसके लिए सरकार ने कोई सोच रखी होती और इन गांवों को अकालग्रस्त घोषित करके उन किसानों के लिए जो किसान अकाल की मार से पाँच साल से जूझ रहे हैं उन किसानों को राहत देने के लिए अकालग्रस्त घोषित किया होता तो उनकी बिगोड़िया माफ होती, उनका लगान माफ होता और उनका आबियाना भी माफ होता। जो ऋण लिया हुआ है उसकी भी वसूली स्थगित की है, न कि माफ की है। इस अभिभाषण में राज्यपाल महोदय ने कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया कि उन काश्तकारों को राहत देंगे।

इन्होंने इसमें यह जरूर बताया कि हम नये राजस्थान का निर्माण करने का संकल्प लेते हैं। नया राजस्थान कोई सीमा और बढ़ाने जा रहे हैं, चौकियां हटा दीं, पाकिस्तान की तरफ बढ़ने के लिए नया निर्माण करेंगे, किस तरह से नया निर्माण करेंगे? राजीव गांधी मिशन बना करके, राजीव गांधी मिशन बनायेंगे और यह पांच मिशन बना करके सारे राजस्थान का विकास इन राजीव गांधी के नाम से कर देंगे? हम तो राजीव गांधी के, कांग्रेस वाले जो हैं अगर उनका पेंडेट बना कर पहनें तो हमें कोई एतराज नहीं। मैं तो एक निवेदन करना चाह रहा हूं, पांच मिशन नहीं, राजस्थान को अगर इस अकाल की मार से बचाना है तो मात्र एक ही उपाय है। वह अटल बिहारी वाजपेयी की नदियों से नदियां जोड़ने की जो स्कीम थी, अगर उस स्कीम को लागू कर दिया जाय और नरेगा के तहत नदियों को नदियों से जोड़ दिया जाय तो यह

(श्री केसाराम चौधरी)

सारी समस्याएं समाप्त हो जायेंगी और राजस्थान का नव निर्माण हो जायेगा। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं।

सरकार ने बिजली के रेट नहीं बढ़ाने का वादा किया था उसको मैं बिलकुल स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि यह सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है, किसानों से किये वायदे से मुकर रही है। किस तरह से? फव्वारा खेती के लिए इन्होंने बिजली की जो घोषणा की है कि फव्वारा खेती के लिए काश्तकार को बिजली देंगे? वह किस तरह से देंगे? उसके लिए 2009 में उसकी फाइल जमा होनी चाहिए और फाइल जिसकी 2009 में जमा है उस काश्तकार को फव्वारा खेती के लिए या बूंद-बूंद सिंचाई के लिए कनेक्शन देंगे और इलेवन के.वी. की लाइन जो लगेगी उसके लिए सौ रुपये प्रति मीटर किसान से वसूले जायेंगे। 70 मीटर की दूरी पर पोल लगेगा और एक पोल का किसान से दो हजार रुपया वसूल किया जायेगा और ट्रांसफार्मर कास्ट अस्सी हजार रुपये उस काश्तकार से वसूले जायेंगे। इसका यूनिट चार्ज, काश्तकार के लिए बिजली का यूनिट चार्ज आप सभी जानते हैं कि क्या है, मगर इस फव्वारा खेती की बिजली का जो यूनिट चार्ज लिया जायेगा, दो रूपये दस पैसे की दर से उस काश्तकार से लिया जायेगा। आपने कहा है न कि बिजली की रेट नहीं बढ़ायेंगे, किस तरह से ट्रांसफार्मर और सारी की सारी कीमत लेकर के कितने किसान लोगों को फव्वारा खेती में कनेक्शन दे देंगे? माननीय वसुंधराजी ने जो प्रायोरिटी 92 में चल रही थी उस प्रायोरिटी को लाकर के 2003 पर खड़ा किया और आपने उस प्रायोरिटी को रोक दिया और अभी आर्डर दिया है पांच-सात दिन पहले कि यह 2007 तक के डिमांड सब काश्तकारों के निकाल दो। इस तरह से काश्तकारों के साथ धोखाधड़ी कर-करके आपने जो राज छीना है, निश्चित रूप से आने वाला समय कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और काश्तकार इसके लिए आंदोलित होगा।

आज पानी के लिए जिस तरह से किसान तड़प रहा है, पीने का पानी नहीं है और आप खेती की बात करते हैं, काश्तकारों को मजदूरी नहीं मिल रही है। नरेगा की मजदूरी की बात करते हैं, नरेगा में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं है। जैतारण के अन्दर एक करोड़ रुपये का घोटाला हुआ, आज दिन तक उसका कुछ भी नहीं हुआ न उसके लिए आज दिन तक उनको सज़ा मिली। जो गुनाहगार थे, छोटे-मोटों को सज़ा दे दी, मगर अधिकारी लोग जो बड़े थे उनको आपने कोई सज़ा नहीं दी। मेरे क्षेत्र में कोट सोलंकियान है, कोट सोलंकियान में

(श्री केसाराम चौधरी)

देसूरी तहसील का गांव है, उसमें बोम्बे बैठे हुए व्यक्ति के मस्टररोल में नाम है। इंटरनेट पर देखा, आपने कम्प्यूटर दिये, हमने इंटरनेट का यूज किया और उसमें देखा, मालूम पड़ा कि बोम्बे बैठे व्यक्तियों का मस्टररोल में नाम है। गुलाबदासजी महाराज जो कभी सेवा करते हैं, संत हैं, पुजारी हैं मगर उसका भी मस्टररोल में नाम है। जोजावर में सोनी की दुकान करने वाले का भी, नरेगा में काम कर रहा है। कहते हैं कि यह हो रहा है।

भाई लोगों, देश की जनता का हित करना है। अपन सभी लोग चुन कर आये हैं, जनता ने वोट दिये हैं इसलिए कि जनता की भलाई के लिए काम करें मगर इस तरह से जो सरकार दिशा और दशाहीन हुई है उसको दिशा देने के लिए, आप कहते हैं, हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि नर भागी खेती करे हल भागे कि बल मरे। राजस्थान में पांच साल जो किया भारतीय जनता पार्टी ने उसको बाड़मेर में डीजल मिला, जैसलमेर में लिग्नाइट के भण्डार मिले, सोने की खान मिली बांसवाड़ा में, मगर नरभागियों को जो जेब में था, दस दिन तक जयपुर का डिपो जलता रहा, पांच अरब की संपत्ति का स्वाह हो गया, सरकार ने क्या किया? किस कारण से जला डिपो? मानवीय गलतियों के कारण से। मगर उनको किसी को आप आज दिन तक सज़ा नहीं दे पाये। कितने लोग मर गए? जांच ही चलती है। देश आजाद हुए 62 साल हो गए, कितने लोगों की जांच आपने करके किसी को कठघरे में डाल दिया? थोड़े दिन पहले चलती है फिर वही ढाक के तीन पात।

आपने किसानों को आठ घंटे बिजली देने की घोषणा की थी, कितनी बिजली दे दी आपने? आठ घंटे की जगह अगर कोई ईमानदारी से कह दें, आप अपने क्षेत्र से आते हो, अपने किसानों के लिए ईमानदारी और सत्यता से कह दो, छह घंटे, साढ़े छह घंटे और सात घंटे से ज्यादा कहीं बिजली मिली हो तो आप बता दीजिए। मिली है तो आपने कहीं चोरियां की होंगी। मगर आपको आठ घंटे की बिजली का कह कर ...(व्यवधान) नौ घंटे दे दिए हैं तो इनके खिलाफ में क्यों नहीं कार्यवाही करते कि आपने एक घंटे के लिए कैसे ज्यादा दे दी?

आपने पहले जो बजट में घोषणा की थी कि तहसील स्तर पर आई.टी.आई. खोल देंगे। मारवाड़ जंक्शन की आई.टी.आई कहां चल रही है? कागजों में? पता ही नहीं? हर पंचायती स्तर पर...

(श्री केसाराम चौधरी)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माध्यमिक विद्यालय खोलने की आपने घोषणा की थी। कितनी पंचायती स्तर पर आपने माध्यमिक स्कूलें खोल दीं? केवल पांच खोली हैं, पांच खोली हैं मेरे क्षेत्र में, पूरे पंचायत हैडक्वार्टर बाकी हैं। आप घोषणा करते हैं, हर तहसील स्तर पर एस.डी.एम. हैडक्वार्टर खोलने की घोषणा कर दी। कागजों के अन्दर घोषणा पड़ी है, आज तक तो कोई एस.डी.एम या कोई स्टाफ मारवाड़ जंक्शन की तहसील में नहीं लगा है। वन विभाग का रेंज मुख्यालय मारवाड़ जंक्शन में खोलना था, वह चल रहा है सोजत रोड में। कार्यालय चल रहा है सोजत रोड में और कार्यालय कहलाता है मारवाड़ जंक्शन का।

आपने बच्चों के साथ खिलवाड़ करने का दूसरा तरीका निकाला है। आपने प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का रास्ता ढूंढ निकाला। अनार्थिक विद्यालय बताकर के मेरे क्षेत्र में 30 स्कूलों को बंद करने का आपने प्लान कर दिया। स्कूल कभी अनार्थिक होती ही नहीं चाहे उस स्कूल में एक बच्चा भी हो। उस बच्चे के भविष्य का क्या पता, उस बच्चे का भविष्य आने वाले दिनों में आई.ए.एस. बने या सी एम बन सकता है। अगर उस बच्चे को नहीं पढ़ाया गया तो वह बच्चा इस राजस्थान का भविष्य नहीं बन सकता। इसलिए आप किसी स्कूल को अनार्थिक नहीं कह सकते।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): दूसरी चीज़ें सब अनार्थिक हो सकती हैं मगर विद्या जैसी चीज अनार्थिक कभी हो ही नहीं सकती। इसलिए जो आपने दुराचार करने की चेष्टा की है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आपने जो 30 स्कूलें मेरे क्षेत्र में बंद करने की चेष्टा की है, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरा एक भी विद्यालय बंद नहीं होना चाहिए। 18-18, 15-15, 20-20 लड़के जहां पढ़ रहे हैं, उन विद्यालयों को बंद करके आपने सबको पढ़ाने का जो नारा दिया है, उस नारे को खोखला करने के लिए आप जो कोशिश कर रहे हैं, उसे नहीं करें, मेरा यही अनुरोध है।

गौशालाओं के लिए एक बात कहना चाह रहा हूं। गौशालाओं को अनुदान एक साल से बंद पड़ा है और गौशालाओं में गायों की ऐसी हालत हो

(श्री केसाराम चौधरी)

रही हैं, गायें मर रही हैं मगर अनुदान नहीं मिल रहा है। इसाली की गौशाला में आपने प्रश्न के जवाब में बताया कि चार गायें मर गईं मगर उस गौशाला को एक साल हो गया अनुदान नहीं दे रहे हैं। इस तरह से ऐसी व्यवस्था इस अभिभाषण में अगर अभिव्यक्तियां होतीं तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता के लिए कल्याणकारी और मार्गदर्शन और दिशा देने वाला यह अभिभाषण होता किन्तु ऐसा इसमें एक भी बात नहीं है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं और निवेदन करता हूं इस अभिभाषण का में पुरज़ोर शब्दों में विरोध करते हुए अपने भाषण को विराम देता हूं। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ओ.पी. जी यादव।

मेजर ओ.पी. यादव (मुण्डावर): सभापति महोदय, मैं राजस्थान के महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो हमारे माननीय सदस्य केकड़ी के रघु शर्माजी ने रखा उसके समर्थन में बोलने के लिए सदन के सामने उपस्थित हूं।

सबसे पहले मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि हमारी महामहिम who happens to be the first citizen of the State, उनके बारे में जो यहां पर कहा गया, अवांछित जो टिप्पणी की गई, मैं कहना चाहूंगा उन्होंने जिस गरिमा के साथ, जिस शालीनता के साथ, जिस धैर्य के साथ और जिस शुद्ध हिन्दी एक्सेंट के साथ में अपना भाषण पढ़ा, एक घंटे से ज्यादा और उसके लिए जो टिप्पणी की गई अवांछित शब्दों में विपक्ष की तरफ से और यहां भी आज कुछ लोगों ने यह कहा कि उनसे पढ़वाया गया, कुछ लोगों ने कहा उन्होंने एक घंटा पन्द्रह मिनट तक पढ़ा, उनको एक घंटा पन्द्रह मिनट तक पढ़ना पड़ा, मैं समझता हूं कि यह परम्परा है, विपक्ष भी जानता है और सरकार भी जानती है कि जब भी राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ते हैं तो उसके अन्दर योजनाबद्ध तरीके से तथ्यों के आधारों पर अभिभाषण का एक लेख दिया जाता है। उसी के आधार पर हर राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ते हैं। आपका यह अपना अधिकार है कि आप उसके समर्थन में और उसके आप विरोध में बोले लेकिन ऐसी कोई परम्परा नहीं है कि आपको निंदा के रूप में निम्न स्तर के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, वह भी ऐसे विधायकों द्वारा जो, मैं समझता हूं कि भारत की राजनीति में, सबसे बड़ी पंचायतों में भी नुमायदंगी करते रहे हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना, यहां पर

(मेजर ओ.पी. यादव)

सदस्य होने के नाते मैं महामहिम का आदर करते हुए उनको धन्यवाद देते हुए, आभार प्रकट करते हुए और विपक्ष की तरफ से जो टिप्पणी की गई है अवांछित तौर पर, उसकी निंदा करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं।

महामहिम के अलावा जो हमारे अशोकजी गहलोत, मुख्य मंत्रीजी साहब ने अपनी सरकार के साथ योजनाबद्ध तरीके से एक बहुत ही सकारात्मक रूप में सब तथ्यों को लेते हुए और यहां तक कि जो आर्टिजंस जैसे तथ्य थे जिसको आम तौर पर भुलाया जा सकता है, महिला उत्थान, पर्यटन, शिक्षा, कानून, सड़क, जल संसाधन, बिजली, पशु धन, स्वास्थ्य, विधवा इन सबके बारे में स्पष्ट योजनाओं का उल्लेख किया है। मैं समझता हूं कि यह सरकार की सोच थी।

संवेदनशीलता की जहां तक बात है, इसका उदाहरण खुद आज मुख्य मंत्रीजी ने आपके सामने दिया। अगर विपक्ष की तरफ से भी कोई बात रखी गई थी जो आप सब लोगों ने कहा था, उसके अन्दर जब हमारे आदरणीय मंत्री धारीवालजी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने की कुचेष्टा नहीं की तो मुख्य मंत्रीजी ने खुद खड़े होकर सबके सामने संवेदनशीलता का यहां पर उदाहरण दिया और आपके सामने यह वादा किया कि जो मूलधन है उससे ज्यादा ब्याज की रकम वसूल नहीं की जाएगी। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा उदाहरण किसी आदमी का क्या हो सकता है?

कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अभी तक मुख्य मंत्रीजी ने क्या किया है? मैं समझता हूं कि अपनी-अपनी टिप्पणी करना, कागज लहराना, जोर से शब्दों को उछाल कर बुलंद आवाज में अपनी बात को कहना एक अलग बात हो सकती है, पर ठोस तरीके से कोई बात कहना और अगर टिप्पणी भी करनी है तो कोई टिप्पणी करें मुख्य मंत्री के ऊपर, क्या उनकी सादगी के ऊपर टिप्पणी करेंगे? क्या उस मुख्य मंत्री के ऊपर टिप्पणी करेंगे जिसने अभी कुछ दिन पहले भरी सभाओं में कहा कि एक हजार की प्लेटें जहां पर खाने की सजाई जाती हैं और जहां पेंशन के लिए 100 रुपए बढ़ाने के लिए हमको बजट देखना पड़ता है? आप सोझ समझ सकते हैं कि वह कितने संवेदनशील हो सकते हैं अपनी योजनाओं के प्रति, अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के प्रति। मैं समझता हूं कि ऐसी सादगी का उदाहरण और अगर हम पिछले सरकार की बात करें, मेरी आदत नहीं है किसी के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी करने की, मुझे पीड़ा होती है जब मैं देखता हूं, यहां पर व्यक्ति विशेष की बातें अक्सर होती रहती हैं। अभी केकड़ी के जो हमारे विधायक हैं उन्हीं के बारे में एक

(मेजर ओ.पी. यादव)

हमारे सदस्य बात करते रहे, उनका भाषण ज्यादातर ही उनके ऊपर था। तो यह एक अपने सोचने की बात है पर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि पहली सरकार के अन्दर हमारे मुख्य मंत्री महोदय जो कुछ अपनी सादगी का नमूना दिया, वह आपके सामने है। इसमें टिप्पणी करना तो बहुत आसान है पर कथनी और करनी की बात करना बहुत मुश्किल काम है जो कि यह मुख्य मंत्री करते हैं ...(व्यवधान)... वह हमारी सरकार की सोच है। आपको इसमें कोई तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। हां, जहां तक आपकी बात है, जो आपने, आप भी सुचारू रूप से सुनें जो आप वर्ल्ड क्लास की बात कर रहे हैं, जिन देशों की बड़ों-बड़ों बात कर रहे हैं आप यहां पर, जिनके लिए आपके बड़े-बड़े नेता भी यहां बात करते हैं...(व्यवधान)... आप बैठिए मेरी बात सुनिए, थोड़ी सी तसल्ली रखिए।

(समय : 16.00 बजे)

न्यूयार्क की बात करें तो वहां पर भी बहुत बड़े वर्ल्ड क्लास सिटिज हैं अगर वर्ल्ड क्लास सिटी की जो बात मुख्य मंत्रीजी ने यहां कही है तो मैं समझता हूं कि बहुत ऊंची सोच है । दिल्ली भी है, कलकत्ता भी है, बोम्बे भी है लेकिन जयपुर के अन्दर भी लोग रहते हैं और हर समुदाय के लोग रहते हैं, यह भी हमारे देश का हिस्सा है। मैं समझता हूं कि अगर आपको वर्ल्ड क्लास सिटी की चिन्ता है तो आप अलवर जैसे बड़े शहर में ...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, पंचायत राज में भाटटा बैठ गया इसीलिए तो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

मेजर ओ.पी. यादव (मुण्डावर): आप सुनिये। हम लोगों को सोचना पड़ेगा ...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): एकाध तो जीतते दस जगहों में आपके।

मेजर ओ.पी. यादव (मुण्डावर): अच्छा, कोई बात नहीं है, आप बैठिये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

मेजर ओ.पी. यादव (मुण्डावर): आपने अपना नजारा देख लिया न अभी।

श्री सभापति: यादव से यादव ही टोकाटाकी कर रहे हो। बोलने दो।

मेजर ओ.पी. यादव (मुण्डावर): जहां तक अभी नरेगा के बारे में बात

(मेजर ओ.पी. यादव)

की गई, मैं बहुत ईमानदारी से सब माननीय सदस्यों के सामने कहना चाहूंगा कि अभी कोई तीन महीने पहले एक हार्वर्ड से डेलीगेशन आया था उसका एक सदस्य दिल्ली में रुका और वह किसी तरीके से एक गांव में भी आया था स्टडी करने के लिए। मैं भी वहां पहुंचा हुआ था, हरियाणा का गांव था। उन्होंने वहां पर यह कहा, यह सोच, अंग्रेजी में उन्होंने कहा था, 'How did this idea struck the Congress Party?' तो नरेगा की जो बात कर रहे हैं मैं समझता हूं कि नरेगा अपने आप में एक इतनी अच्छी योजना है जो संसार के किसी देश में नहीं है। यह सिर्फ हमारी सरकार ने, मनमोहन सिंहजी ने, राहुल जी की सोच से, सोनिया जी की सोच से आज यहां पर लागू की है और जो हमारे विधायक महोदय इसके बारे में बात करते हैं, मैं उनसे विनती करना चाहूंगा कि अगर नरेगा के अन्दर उनको कोई इस किस्म की चीज देखने को मिली जिसमें उनको लगा और उसके अन्दर कुछ टिप्पणी वे करना चाहते हैं, यहां पर तो मैं यह टिप्पणी करना चाहूंगा कि वे विधायक जनता के हैं, वे विधायक अपने क्षेत्र के हैं, हम सब लोग यह कहते हैं कि वोट किसी ने दिया या नहीं दिया सबके हम विधायक हैं, सब हमारी जनता है और जब यहां आते हैं, टिप्पणी करते हैं तो उस टाइम वहां जाकर आप विधायक होते हुए उस मस्टररोल में क्यों नहीं एतराज कर सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते कि साहब, यहां पर टाटा, बिरला का नाम भी लिखा हुआ है? जो आप यहां बात कहना चाहते हैं, ज्यादातर हम लोग यहां जो बात करते हैं सब इसलिए करते हैं, यह दिखाने के लिए कि हमने बात की, हमने विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए केवल मात्र अपनी भूमिका निभाई। होना यह चाहिए कि सकारात्मक रूप में अपनी ठोस बात कहें जिससे हमारी जो गांव की जनता है या हमारे जो भी अपने विधायक का क्षेत्र है उसके अन्दर लोगों को फायदा हो।

इसी सोच के साथ में, सभापति महोदय, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरा एक सुझाव जरूर नोट करें कि आने वाले समय में हमारे मुंडावर क्षेत्र में जो मेरा क्षेत्र है उसमें पानी की समस्या के बारे में समुचित व्यवस्था की जाए। दूसरा, जो फौजी भाई डिस्एबल्ड हैं, जो फौजी भाई रिटायर्ड हैं उनके लिए भी कोई वेलफेयर स्कीम बनायी जाए। मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छी एक योजना अगर आएगी तो इससे राजस्थान के फौजी भाइयों को एक बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। साथ ही साथ, मेरा किसान भाइयों की तरफ से यहां पर एक सुझाव देने का मन है कि हमारे यहां कुछ जिलों में जो ट्रांसफार्मर्स

(मेजर ओ.पी. यादव)

लगाये जाते हैं, बिजली मंत्रीजी को मेरा सुझाव है कि जब आम तौर पर टंकियां जल जाती हैं 15 हार्स पावर की, 20 हार्स पावर की, 25 हॉर्स पॉवर की उनको किसान उठा कर लाते हैं खेत से, उसकी फसल खराब होती है और उसके बाद में जो टंकी है वह लेकर जाते हैं, किराया लगाते हैं और फिर वह 10-15 दिन बाद में टंकी वापस आती है। उसका खर्चा भी वह देता है, फसल भी खराब होती है। तो अगर कोई व्यवस्था ऐसी की जाए चाहे किसानों से चार्ज ले लिया जाए सौ रुपये, दो सौ रुपये का और वह टंकी वहीं पर ठीक हो, खेत के अन्दर तो यह व्यवस्था किसानों के लिए बहुत अच्छी रहेगी।

इसके साथ मैं पुरज़ोर शब्दों में जो हमारे रघु शर्मा साहब ने धन्यवाद प्रस्ताव अपना रखा, उसकी सिफारिश करते हुए अपना समर्थन पुरज़ोर शब्दों में देता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री रामहेतजी यादव।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक इन्जस्टिस हो रहा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि सारी जात-बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं पर हमारे मुंडावर से आने वाले माननीय सदस्य यादव जाति से हैं तो एक तो मंत्री बना दो कम से कम।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): और वह भी फौजी।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): और वह भी फौजी हैं। तो किसी कोटे में लो तो सही। (व्यवधान) आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी को सदन की भावना पहुंचाना चाहता हूं।

श्री सभापति: आपकी भावना सुन रहे होंगे।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): डा. साहब, इनको इधर भेज दो बना देंगे। जसवन्त सिंहजी को इधर भेज दो बना देंगे।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): इसका मतलब Jaswant Singh ji is more capable than Major sahib. आपको मेजर साहब कैपेबल नजर नहीं आये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): पंडितजी का चहेता हूं मैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मंत्री बनने के बाद कमी नहीं रहती है क्या? (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माननीय सभापति महोदय, मैं

(श्री रामहेत सिंह)

महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जो सदन में पढ़ा गया उसके बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मंत्री बनने के बाद कमी नहीं रहेगी क्या?

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप भी तो रहे थे न?

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): तो फिर कमी क्या रह गयी? मैं जब मंत्री था तो श्रवण का फुल हुक्म चलता था। बोलो चलता था कि नहीं? आप यह बताओ कि चलता था कि नहीं?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): वह तो अब भी चल रहा है।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): वहां मंत्री कौन था झुंझुनूं का?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): झुंझुनूं के मंत्री तो आप ही थे।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ट्रांसपोर्ट का मंत्री कौन था?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हमें काहे का ट्रांसपोर्ट, हमें तो मंत्री बनना है नहीं।

श्री सभापति: श्री रामहेत सिंहजी यादव। माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहना चाहता हूं कि इस अभिभाषण में कांग्रेस का जो एक साल का कार्यकाल रहा उसमें किसानों की हितैषी सरकार बताई। केकड़ी से आने वाले माननीय विधायक ने किसान नेता मुख्य मंत्रीजी को बताया। इस बारे में अपनी बात रखना चाहता हूं कि इस एक साल में किसानों के लिए इस कांग्रेस की सरकार ने जो किया वह इसमें दर्शाया जाता तो अच्छा रहता लेकिन यह झूंठ का पुलिन्दा है। गलत तथ्यों पर इस बात को रखवाया गया है महामहिम के माध्यम से। मैं इसकी घोर निन्दा करता हूं।

मैं बताना चाहता हूं कि किसान के जो अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर में कृषि के कनेक्शन होने चाहिए थे जिनके पैसे जमा हैं और पैसे जमा होने के बाद 6-6 महीने होने के बाद सरकार ने खुद, बिजली विभाग ने डेट फिक्स कर दी उसके बाद भी कृषि के कनेक्शन नहीं दिये गये। एक-एक साल से किसानों का पैसा जमा है। मैं मेरे क्षेत्र की बताना चाहता हूं कि जिस किसान का

(श्री रामहेत सिंह)

अक्टूबर में कनेक्शन होना चाहिए था, जिनका साल भर से ज्यादा से पैसे जमा है, डिमाण्ड नोटिस के वे 240 कनेक्शन ऐसे हैं। उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं, जिनके आज तक भी कनेक्शन नहीं हुए, यह बताना चाहता हूं।

जो जले हुए ट्रांसफार्मर्स हैं, अभी मुंडावर से आने वाले माननीय विधायक महोदय कह रहे थे हमको, खुद भी कह रहे थे अपनी सरकार से आपके माध्यम से, आप इनकी बात को गौर फरमा कर सरकार के पास जरूर रखवायें कि यह सुझाव दिया है, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो ट्रांसफार्मर्स जल जाते हैं किसान के तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो वे 48 घंटे में बदले जाते थे और आज तीन महीने में भी उस ट्रांसफार्मर को बदला नहीं जाता। जहां गरीब की बात कहते हैं, ऐसे हालात हैं, बी पी एल परिवार के मेरे क्षेत्र के अन्दर भी तीन सौ ऐसे घरेलू कनेक्शन हैं जो आज तक नहीं हुए। उस गरीब की झोपड़ी में लट्ट नहीं जला। ऐसे हालात हैं। जिस तरह से विधायक महोदय मुंडावर ने फरमाया, वास्तव में सोचने की बात है कि किसान को ट्रांसफार्मर लाना पड़ता है, उसको वापस जमा करना पड़ता है और रिपेयर के बाद वह बीस दिनों में आता है।

एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि यह किसान हितैषी कांग्रेस की सरकार ने अपनी बात रखी है, मैं कहना चाहता हूं, माननीय दुर्रु मियांजी तिजारा के विधायक हैं और इस राज्य में कैबिनेट मंत्री हैं, सितम्बर, 2009 के बाद उनके क्षेत्र में जो दो थाने पड़ते हैं टपूकड़ा और तिजारा, दोनों थानों को मिलायें तो 65 एफ.आई.आर. बिजली के ट्रांसफार्मर चोरी होने की हुई है। उनके साथ लगता हुए किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र मेरा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी दो-तीन थाने पड़ते हैं, सत्तर एफ.आई.आर. ट्रांसफार्मर चोरी की हुई हैं। एक भी ट्रांसफार्मर चोरी हुआ पुलिस ने बरामद नहीं किया। बीस दिन से लेकर डेढ़ महीने तक का टाइम लगता है। ट्रांसफार्मर चोरी हो जाए तो वह किसान जिसके खेत में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वह चोरी की एफ आई आर दर्ज नहीं करा सकता है वो ए.ईएन ऑफिस में दरख्वास्त देगा और ए.इएन जब उसको थाने में लेकर जाएगा तो एस.एच.ओ. यह कहेगा कि सबको एक बार इकट्ठा कर लो, पांच-सात चोरी की शिकायत आ जाएं तो एक साथ एफ.आई.आर. दर्ज करा देना। उस किसान का कोई दोष नहीं है बिजली विभाग की जिम्मेदारी है बिजली सप्लाई करना, ट्रांसफार्मर्स की रक्षा करना। वह चोरी हो गया तो पुलिस को बरामद करना चाहिए था, चोर पकड़ना चाहिए था।

(श्री रामहेत सिंह)

अलवर जिले का एक उदाहरण देना चाहता हूं, यह दो विधान सभाओं के हैं, दो सौ ट्रांसफार्मर चोरी हो गये और एक भी ट्रांसफार्मर राजस्थान की अलवर जिले की पुलिस ने बरामद नहीं किया। मंत्री महोदय के क्षेत्र में टपूकड़ा थाना पड़ता है, वहां बलात्कार हो गया एस.पी. ने मान लिया एस.एच.ओ. की गलती को। उस पीड़ित महिला को उन्होंने मुलजिमों को दे दिया। एस.पी. ने आदेश दे दिया कि थानेदार के खिलाफ कार्यवाही हो, वह लाइन हाजिर हो परन्तु आई.जी. ने स्टे कर दिया। इस तरह से पुलिस के अधिकारी आपस में लड़ रहे हैं। यह आना चाहिए, यह कानून व्यवस्था की बात है। किसान का ट्रांसफार्मर जल गया, दो सौ ट्रांसफार्मर्स में से एक का भी मुलजिम नहीं पकड़ा। एस.पी. और एस.एच.ओ. आपस में लड़ रहे हैं, डी.आई.जी. और एस.पी. आपस में लड़ रहे हैं। यह कानून व्यवस्था है क्या? आये दिन भ्रष्टाचार हो रहा है। लूट खसोट हो रही है, डकैती डल रही है।

अभी पुष्कर से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि नरेगा बहुत अच्छी योजना है, मुंडावर से आने वाले माननीय विधायक ने भी कहा कि नरेगा बहुत अच्छी योजना है, मैं बताना चाहता हूं नरेगा योजना के बारे में। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो पंचायत समितियां पड़ती हैं, एक कोटकासिम और एक किशनगढ़। कोटकासिम में नरेगा में 9,775 कार्ड हैं और किशनगढ़ में 19687 कार्ड हैं। आपके नरेगा में तय है कि 100 दिन काम मिलेगा। दोनों पंचायत समिति को मिलायें तो 30 हजार कार्ड होल्डर हैं जिनको सरकार ने तय किया था कि हम आपको 100 दिन काम देंगे। यह दुर्भाग्य है राजस्थान का, यह दुर्भाग्य है इस राजस्थान की जनता का कि ऐसी निकम्मी सरकार, 30 हजार लोगों में से सिर्फ 1,600 लोग ऐसे हैं जिनको 100 दिन काम दिया गया। यह आना चाहिये था, इसकी चर्चा होनी चाहिये थी, इसकी समीक्षा होनी चाहिये थी।

नरेगा में भ्रष्टाचार की जितनी भी एफ आई आर दर्ज हुई, मैं आपके माध्यम से इस सदन में दावे से कहता हूं। एक भी एफ आई आर पर चालान नहीं हुआ। जो एफ आई आर दर्ज हुई उनमें सबमें पुलिस द्वारा लीपा-पोती कर के निपटा दिया गया। एक चालान हुआ है पूरे जिले में।

जहां तक आप करैप्शन की बात करते हैं, मंत्री महोदय आप प्रशंसा कर रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं मुंडावर से आने वाले माननीय विधायक महोदय से कि आपने नरेगा में जो रेट रखी है वह सही है क्या? पी डब्ल्यू डी और

(श्री रामहेत सिंह)

इर्रिगेशन में जो रेट होती है वह हर साल दो बार बढ़ जाती है और नरेगा जिस दिन से चालू हुआ है उस दिन से बी एस आर रेट एक बार भी नहीं बढ़ाई गई है। मैं दावे से कहता हूं। क्या महंगाई नहीं बढ़ी? क्या रेट नहीं बढ़ी? क्या मजदूरी की रेट नहीं बढ़ी? क्या सामग्री की रेट नहीं बढी। ऐसे हालात में आपने खुद ने करप्शन को जन्म दिया है, आप खुद नरेगा के माध्यम से करप्शन को बढ़ाना चाहते हैं। इसमें चाहते हो, उस नौजवान को, बेरोजगार को, गांव के उस गरीब व्यक्ति को आप रोजगार देना चाहते हैं तो आपको चिंता करनी पड़ेगी। वह बात आनी चाहिये थी।

अभी शिक्षा की बात आपने कही। एक माननीय सदस्य ने कहा कि अभिभाषण में महामहिम के माध्यम से यह बात रखी गई कि शिक्षा का बहुत प्रसार हुआ है, हर बालक को पौष्टिक आहार देना चाहते हैं। प्राइमरी स्कूल में 2 रुपये 10 पैसे में यह सम्भव है कि उसको पौष्टिक आहार दिया जाता हो? जहां 100 रुपये किलो की दाल हो, जहां सब्जी के भाव ऐसे हो, उसमें ही ईंधन लाना उसकी जिम्मेदारी हो, रसोई का सामान नमक, मिर्च मसाला उसकी जिम्मेदारी हो, पकाने का काम उस महिला की जिम्मेदारी हो, यह सब उस 2 रुपये 10 पैसे में सम्भव नहीं है। इसलिए यह कल्पना नहीं कर सकते। मैं तो उससे भी आगे की बात बताना चाहता हूं, मेरा विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ है, उसमें 2 पंचायत समिति पड़ती हैं। किशनगढ़ में 109 प्राइमरी स्कूल हैं जिनमें 43 स्कूल ऐसे हैं जहां पीने का पानी नहीं है। हाजीपुर गांव जिसमें प्राइमरी स्कूल का बच्चा जब सुबह उठकर पढ़ता है तो उसकी मां को कहना पड़ता है कि बेटा, जल्दी उठ जा, हरियाणा जा कर पानी लाना पड़ेगा और उसके बाद स्कूल जाना पडेगा। वहां पीने का पानी नहीं है, ऐसे हालात हैं।

सरकार ने घोषणा की थी अपने बजट में कि हर पंचायत में एक माध्यमिक स्कूल बनाया जायेगा। मेरे यहां पर 45 पंचायतें हैं, 14 ऐसी पंचायतें हैं जिनमें आज भी सैकण्डरी स्कूल नहीं है। सरकार ने एक साल पहले घोषणा की थी, आज तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ।

किसान हितैषी सरकार बनती है, अलवर और भरतपुर में कस्टोडियन विलेजेज हैं कस्टोडियन विलेज वह है जब हिन्दुस्तान का बंटवारा हुआ था, यहां से जो लोग पाकिस्तान गये थे और वहां पाकिस्तान से जो लोग यहां आये थे, उनके लिये सरकार ने बजट में घोषणा की थी कि हम इनको खातेदारी राइट देंगे- हजारों-हजारों किसान ऐसे हैं जो आज भी गैर खातेदार हैं। कृषि कनेक्शन नहीं ले सकते, किसान कार्ड नहीं बनवा सकते, कृषि लोन नहीं

(श्री रामहेत सिंह)

ले सकते। ऐसे हालात में कैसे इसे लोकप्रिय सरकार कहा जा सकता है? कैसे यह किसान हितैषी सरकार हो सकती है?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माइनोरिटी के लिये कई सदस्यों ने कहा, इस अभिभाषण में कहा कि यह अल्पसंख्यकों का ध्यान रखेगी। अलवर जिले में पूर्ववर्ती सरकार ने 6 आवासीय विद्यालय खोले थे, वे आवासीय विद्यालय इस बात के लिये खोले थे कि अल्पसंख्यक वर्ग की जो बालिकाएं पढ़ी नहीं हैं वे उन विद्यालयों में भर्ती हो जायेंगी और भर्ती होने के बाद सरकार उनका खर्चा वहन करेगी, पढ़ाई का, लिखाई का, कपड़े का, खाने का। वे 6 आवासीय विद्यालय आज तक चालू नहीं किये, 13 महीने हो गये आपकी कांग्रेस की सरकार को आये हुए। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार ने इस अभिभाषण के माध्यम से अल्पसंख्यकों की हितैषी बनने का जो प्रयास किया है, सच्चे मायने में अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय किया है। एक भी मदरसा ऐसा नहीं है जिसमें पैरा टीचर्स लगाये हो, एक भी मदरसा ऐसा नहीं है जिसमें सालभर में पढ़ने लिखने की सामग्री दी गई हो, खेलकूद की सामग्री दी गई हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करो।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): इसलिए इस अभिभाषण में जो बात कही है वह कांग्रेस के विकास की बात नहीं है। गलत तथ्यों पर आधारित जो बातें अभिभाषण में रखवाई हैं कांग्रेस ने, इसकी मैं निंदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मदनजी।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापतिजी, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा और इसके पक्ष में जो मेरे साथी विधायकों ने समर्थन किया उन सभी बातों का मैं भी समर्थन करता हूं।

तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य जो बहुत लम्बे-लम्बे भाषण दिये जा रहे थे, कसीदे पढ़े जा रहे थे, कथा वाचन किया गया है लेकिन मुझे आज सदन में ऐसा महसूस होता है, आज विपक्ष ऐसे महसूस हो रहा है जैसे बिना ड्राइवर के रोड पर गाडी चल रही है। सभापति जी, भाषण देना अलग बात है, लम्बी-लम्बी बातें करना अलग बात है लेकिन उस पर प्रेक्टिकल खरा

(श्री मदन प्रजापत)

उतरना अलग बात है। भाषण दिये जा रहे थे, जो आज राजस्थान में पानी की बात कर रहे हैं उस बात काे मैं याद दिलाना चाहता हूं और वह उदाहरण भी मैं देना चाहता हूं कि राजस्थान में ऐसे कई उद्घाटन किये गये, जनता को भ्रमित करने के लिये ऐसे शिलान्यास किये गये, वहां चूंदड़ियां ओढ़ी गई और नरेगा के माध्यम से महिलाओं को गुमराह करने के लिये बेस दिये गये जिनकी कीमत 50-60 रुपये थी। आज वह बात सदन को याद है।

आज मैं पूछना चाहता हूं कि चाहे बाड़मेर जिले का मुख्यालय हो, चाहे बाड़मेर जिले का पचपदरा विधान सभा क्षेत्र के कल्याणपुर की घटना हो जहां आज भी वह पाइप याद दिलाते हैं, बाड़मेर में 12 पाइप पड़े हैं, कल्याणपुर में 2 पाइप पड़े हैं जिनका शिलान्यास हुआ, आज भी वे पाइप रोड पर है। ऐसे भ्रमित करने वाले आज पानी की बात कर रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोतजी का मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय जलदाय मंत्री जी महीपाल मदेरणाजी का जिनके कारण सरकार अपनेा के बाद मात्र 6 महीनों में ही उम्मेद सागर से लेकर कल्याणपुर होते हुए बालोतरा के नजदीक पाइप लाइन जा रही है। मैं इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में बाड़मेर क्षेत्र की जनता का नहर के मीठे पानी का सपना जो कई सालों से है, वह राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी साकार करेंगे। यह मुझे पूरा-पूरा विश्वास और भरोसा है।

साथ ही मैं याद दिलाना चाहूंगा, आज जो बिजली की बात कर रहे हैं और जो किसानों के हित की बात कर रहे हैं उन्होंने किसानों की पैरवी के लिये क्या कदम उठाये हैं वह दुनिया जानती है और कांग्रेस पार्टी की केन्द्र सरकार ने एक साथ जनकल्याणकारी, क्रांतिकारी कदम उठाते हुए 72 हजार करोड़ रुपये का किसानों का कर्जा माफ कर के यह साबित कर दिया कि अगर किसानों की कोई हितैषी पार्टी है तो वह कांग्रेस पार्टी है। बिजली के मामले में मुख्य मंत्री जी ने कह दिया कि 5 साल में बिजली की दरें नहीं बढायेंगे, यह कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा कदम है। सरकार बनते ही किसानों के हित में और किसानों के पक्ष में फैसला लेने के लिये आने वाला समय मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिये याद करेगा। यह बहुत क्रांतिकारी कदम है। इस बात के लिये भी मैं लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोतजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं ।

(श्री मदन प्रजापत)

जहां तक महिलाओं के हितैषी की बात है, जिस पार्टी का नेतृत्व महिला करती हो और महिलाओं के हित की बात करने वाली, महिलाओं की पैरवी करने वाली, सशक्तिकरण, खाता खोला जायेगा उसमें कुछ दिया जायेगा लेकिन आज भी एक लूगड़ी जिसको अलग-अलग भाषाओं में अलग-अलग बोलते हैं लेकिन आज भी अगर महिलाओं की हितैषी कोई पार्टी है तो सर्वप्रथम आज राजस्थान सरकार में, लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने राज में बराबर आधी भागीदारी देकर, 50 प्रतिशत स्थानीय निकायों और पंचायत राज में आरक्षण देकर यह साबित कर दिया है कि अगर महिलाओं की हितैषी और महिलाओं की पैरवी करने वाली कोई पार्टी है तो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोतजी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी है।

साथ ही आज जो प्रमाणित करने की बात कर रहे हैं, मैं कोई वेरीफाई की बात नहीं कह रहा हूं, मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य नदियों को जोड़ने की बात कर रहे थे, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि 6-7 साल केन्द्र में जो सरकार रही कितनी नदियों को जोड़ा गया है? एक भी उदाहरण दिया जाए हिन्दुतान का तब हम मानते हैं कि आपकी नदियों की बात वाजिब है, नदियों की बात सही है। एक नदी को नहीं जोड़ना और उस बात के लिए बड़े-बड़े भाषण देना, इस बात को तो दुनिया भी वेरीफाई करती है कि भाषण देने में भारतीय जनता पार्टी वाले मजबूत है लेकिन सरकार चलाने में सौ परसेंट कमजोर हैं, यह आम आदमी सड़कों के ऊपर भी बात करता है। पंचायती राज हो, कशीदे पढ़ हैं, चर्चा का भाषण हो रहा है लेकिन वेरिफाई करने की जरूरत नहीं है। हाल ही कुछ दिन पहले जनता ने जो वेरिफाई कर दिया है, जनता ने जो प्रमाण पत्र दिया है कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोकजी गहलोत साहब ने जो 15 महीने की सरकार में जनता के हित में जो फैसले लिये, जनता के पक्ष में जो काम किए हैं उसका परिणाम और अपने को वेरिफाई करने की जरूरत नहीं है। जनता ने बहुत बड़ा प्रमाण पत्र दिया है। चाहे बाड़मेर जिला हो, पूरे राजस्थान में पंचायती राज हो, स्थानीय निकाय हो, चाहे बैंको के चुनाव हो, तमाम प्रकार के जितने भी चुनाव हुए, चाहे लोकसभा के हों, इसको वेरिफाई और जनता ने प्रमाण पत्र दिया है। आपको समझना है कि जो प्रतिपक्ष के नेता का निर्णय नहीं कर सकते, इसे जनता समझती है। जनता डरती है कि अगर कभी जरूरत मुख्य मंत्री की भी पड़ी तो यह इस प्रकार की लड़ाई चलेगी। इसलिए आपको जनता तकलीफ नहीं देगी, हमें पूरा विश्वास और भरोसा है।

(श्री मदन प्रजापत)

आज शिक्षा का क्षेत्र लीजिए, चाहे उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले, सैकण्ड़री स्कूल का मामला हो, स्टेट बी पी एल हो, तमाम प्रकार की योजनाएं हैं । अभी वक्तागण कह रहे थे मेट्रो, हिन्दुस्तान में नहीं थी और दिल्ली के बाद में आज हमारे मुख्य मंत्रीजी मेट्रो की योजना के लिए जो कदम उठा रहे हैं इससे साफ जाहिर होता है कि राजस्थान प्रगति की ओर अग्रसर है। राजस्थान विकास की ओर अग्रसर है। आने वाले समय में जनता जवाब देगी। जिस तरह पंचायत राज चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है। आने वाले समय में हमें उस बात का अफसोस है कि सामने विपक्ष नहीं रहेगा, हमें उस बात का अफसोस है।

आज जो तेल की बात कर रहे थे, तेल की खोज बीस साल से चल रही है। बाड़मेर, जैसलमेर जिले में है और उसका कुछ ही महीने पहले भारत के प्रधान मंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने और साथ में हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी ने उत्पादन का शुभारम्भ किया है, तेल की शुरूआत की है । वे कह रहे हैं कि तेल हमारे अटल बिहारी वाजपेयीजी के समय हुआ, दुनिया जानती है, जिसका प्रमाण है कि कुछ महीने पहले तेल का उत्पादन शुरू हुआ है। कहां से अटल बिहारी वाजपेयी तेल शुरू कर रहे हैं?

आज परमाणु बम की बात कर रहे थे, परमाणु बम स्वर्गीय इंदिरा गांधीजी ने अपने देश में शुरू किया, उसकी नकल जरूर की है लेकिन शुरुआत नहीं कह सकते। और भी कई बाते हैं। अकाल के मामले में सरकार पूरा प्रबन्ध कर रही है, हमें पूरा विश्वास और भरोसा है। आज अकाल के मामले में राजस्थान के मुख्य मंत्री कैसा प्रबन्ध कर सकते हैं उनको कहने की जरूरत नहीं है। दुनिया जानती है, 2003 का अकाल प्रबन्धन आज भी दुनिया याद करती है। गेंहू की योजना,काम के बदले अनाज दिया गया। आज भी गांव में जाते हैं कि कौन से मुख्य मंत्री, गेंहू देने वाले मुख्य मंत्री, आज भी अशोकजी गहलोत को याद करते हैं। इस मामले में सरकार पूरा प्रबन्ध कर रही है।

बात और भी करू लेकिन मैं यह बात कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं कि आज बदले की भावना की बात कर रहे हैं, हमारे पड़ोसी विधान सभा क्षेत्र से आने वाले, शेरगढ़ के सदस्य जो बदले की भावना की बात कर रहे हैं। अशोक उद्यान, आज भी दुनिया देखती है, वसुन्धराजी ने सरकार बनने के बाद में सम्राट अशोक किया, राजीव गांधी विद्यालय, राजीव गांधी बंद करके दूसरा नाम देना, वह बदले की भावना की बात कर रहे हैं। दुनिया जानती है

(श्री मदन प्रजापत)

जो सरकार जमीन के ऊपर चली, जो सरकार दारू के ऊपर चली, उन बातों के ऊपर बात कर रहे हैं।

इतना कहकर मैं स्थान ग्रहण करने से पूर्व, अभिभाषण महामहिम राज्यपाल द्वारा पढ़ा गया और जिन्होंने समर्थन किया उनका बहुत तहे दिल से समर्थन करता हूं। कल अभिभाषण के बाद में आम राजस्थान में जो फोन आ रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, जो चर्चा है, वास्तव में सरकार की सराहना है। मैं बहुत तहे दिल से समर्थन करता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री कैलाश भंसाली।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): माननीय सभापतिजी, महामहिम राज्यपाल ने कल जो बजट पर अभिभाषण दिया उसकी सराहना में केकड़ी के विधायक जी ने बहुत कसीदे पढ़े। बात यह नहीं है, राजनीति में हार-जीत दोनों पहलू हैं परन्तु उस जीत को हासिल करने के लिए किस प्रकार के हथकण्डे अपनाए गये वह आप सबको मालूम है। हर बात में एक ही, कड़ी से कड़ी जोड़िये नहीं तो आपके क्षेत्र का विकास नहीं होगा, इसी नारे को लेकर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने चुनाव जीता है। कड़ी से कड़ी जुड़ गई है परन्तु विकास कहां? एक भी ऐसी योजना बता दीजिए जो राजस्थान में विकास के नाम से प्रारम्भ की गई है। पहले एक बात कह रहे थे, अभी चुनाव आचार संहिता है, चुनाव आचार संहिता भी समाप्त हो गई परन्तु कोई ऐसी घोषणा, ऐसे विकास के काम जो देखने लायक हों, जिनकी सराहना की जाएं, वह एक भी नहीं है।

मैं जोधपुर के बारे में विशेष रूप से कहना चाहता हूं। हमारे यहां से मुख्य मंत्री हैं। हम उनका स्वागत, आवभगत करते हैं परन्तु उनके राज्य में आने के बाद जोधपुर में एक भी कोई ऐसी विकास की योजना को हाथ में नहीं लिया गया या जिसको मूर्त रूप दे दिया गया हो। मात्र दिल्ली की सरकार से कुछ आया है, वह हमने संघर्ष के साथ लिया है, आई आई टी के लिए। तो यह एक अलग बात है। (व्यवधान) मैं मानता हूं, इसके लिए मैंने धन्यवाद भी दिया जनता के सामने अशोकजी गहलोत को। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: एम्स भी आया हमारे द्वारा। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कुछ नहीं है परन्तु कोई नई योजना लागू नहीं की गई, कोई भी विकास का नया काम नहीं किया है। कल के अभिभाषण में आंकड़ों के साथ बात नहीं बताई गई। केवल यह काम इतना हुआ, इतना होगा। समयबद्ध कार्य किस तरह से

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)
पूर्ण होगा इसकी कोई रूपरेखा नहीं बनाई गई। न दशा बताई गई, न दिशा बताई गई। मात्र यह करेंगे, यह करेंगे, यह किया, किया क्या है यह बताने की आवश्यकता थी।

आज सारे प्रदेश में, जब पहली बार विधान सभा का सत्र प्रारम्भ हुआ था, एक माननीय सदस्य ने कहा था अशोकजी गहलोत यानि अकाल और अकाल की जो दुर्दशा राजस्थान में हो रही है आज गायों को चारा नहीं, पचपदरा के साथी कह रहे थे कि बहुत कुछ दिया जा रहा है परन्तु मैं कहता हूं गाएं भूखी मर रही है। साढ़े चार रूपये ओर पांच रुपये किलो चारा मिल रहा हैं और इस तरह, किस तरह से सहायता कर रहे हैं।

दूसरी बात रसद विभाग। मैं बता रहा हूं अकाल से, अशोक गहलोत से अकाल ही नहीं है उनके साथ बहुत अकाल जुड़ गए हैं। इतनी अकाल मौतें हो रही है, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। कोटा का, यहां जो आगजनी हुई, इसी तरह से अकाल मौत और आधा-अधूरा राशन। बीस किलो गेहूं एक परिवार को मिलता था उसको जोधपुर में पांच किलो कर दिया। क्या खाएगा परिवार का आदमी? किस तरह से दो जून की रोटी उसको हासिल होगी? कोई प्रबन्ध नहीं है। उसके लिए भी राशन कार्ड के विक्रेता जो आटा दे रहे हैं, उसमें बड़ा महाघोटाला हो रहा है। दो रुपये कुछ पैसे उसको पिसाई के दिये जा रहे हैं और उसको डेयरी के माध्यम से बेचा जा रहा है, यह भी एक भ्रष्टाचार का कारण बन रहा है। आग, अशोकजी और आग, सारे राजस्थान में आग लग रही है। जयपुर में डिपो की आग बहुत बड़ी हुई, जोधपुर में गत 15 महीनों में कम से कम 10 बड़ी आग लगी हैं परन्तु कोई सरकार की व्यवस्था नहीं है। अग्निशमन के अच्छे यंत्र नहीं हैं। हर बार केवल और केवल फौज और एयर फोर्स के लोग आकर उसको बुझाते हैं। सरकार के पास कोई प्रबन्ध नहीं है फायरमैन का। हाई कोर्ट ने कहा, 92 फायरमैन और लीजिये। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मेरा एक आब्जेक्शन है कि अशोकजी आग... (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): नहीं, नहीं, मेरी बात सुनिये। अशोकजी और आग।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। विराजिये, विराजिये आप।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): यह आग शब्द से तुलना करना

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

बिलकुल असंसदीय भाषा है। आप उसको एक्सपंज करिये। असंसदीय भाषा है आग।

एक माननीय सदस्य: आब्जेक्शन ओवर-रूल्ट।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो। आप विराजिये।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): क्षमा कीजिए, मैं सिर्फ....

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): आप उसको निकलवाइये।

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, आग असंसदीय शब्द है? अग्नि, जिस अग्नि से... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: बढ़िया है, बढ़िया है। अशोकजी 'अ' के पर्याय हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): और उस अग्नि को असंसदीय कह रहे हैं।

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, उनको समझाएं तो सही। अग्नि को देवता के रूप में मानते हैं, अग्नि को असंसदीय कह रहे हैं।

श्री सभापति: आपके सदस्य बोल रहे हैं, बोलने दीजिए उन्हें।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): अग्नि किस काम आती है, कैसे काम आती है, क्या काम आती है, आप बता दो, आपसे पूछ रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, यह शब्द असंसदीय है ना?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): आप बताओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, आप बता दो, अग्नि असंसदीय शब्द है? बात करते हो।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): अशोक और अग्नि की तुलना की है। आपकी किसी और शब्द से तुलना करें।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): अटलबिहारी भी तो हैं। अटलबिहारी भी तो हैं। उनके टाइम में भी अकाल पड़ा है।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): अशोक और आग, यह शब्द कहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: अग्नि और आगजनी की तुलना की है।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): आपको कोई ऐसी संज्ञा दी जाए तो?

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): अशोकजी के मायने अच्छे ही हैं। अशोकजी के मायने कोई अंससदीय भाषा और असंसदीय अर्थ नहीं निकलता है उसका।

श्री सभापति: डाक्टर साहब, विराजो। डाक्टर साहब, विराजो।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आपको अच्छा लगता है।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): अशोकजी से बढिया शब्द क्या होगा? आपके मुख्य मंत्री हैं और सदन के नेता हैं। ये भले आदमी हैं। ऐसा नाम तो मेरा रख दो तो मैं लड्डू बांट दूं अभी। क्या बात करते हो आप?

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): किसान बिजली के लिये रो रहे हैं। 6 घण्टे कहा कि हम बिजली देंगे...

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): पहले आप लड्डू मंगवाओ, हम रख देंगे। पहले लड्डू मंगाओ। हम रख देंगे।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): चार घण्टे भी बिजली नहीं मिल रही है।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): 5 साल लड्डू खाये ना, इसलिये उधर बैठे हो। बहुत लड्डू खाये अभी तक।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, ये बोल रहे हैं, इनका जवाब ये ही दे रहे हैं। आप क्यों जवाब दे रहे हो? हो गई बात, विराजिये आप।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): आधारभूत ढांचा, लोगों के विकास के लिये जो आधारभूत ढांचा चाहिए, उसके बारे में कोई चिन्ता नहीं की गई। रीको ने कोई नई लैण्ड का आबंटन नहीं किया है, न नई योजना, नई स्कीम सेंक्शन की है। कैसे उद्योग बढ़ेंगे जोधपुर में? कम से कम एक हजार आवेदन पेंडिंग पड़े हैं आबंटन के लिये। कोई लैण्ड नहीं मिल रही है। वह कहते हैं, हमारे पास कोई लैण्ड है ही नहीं, नई एक्विजिशन करेंगे, फिर नई स्कीम आयेगी, उसके बाद देंगे। 1,500 करोड़ का हमारे यहां से उत्पाद एक्सपोर्ट होता है। परन्तु नये उद्योगों के लिये कोई जगह नहीं है।

जोधपुर की कुछ प्रमुख समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या, पिछली बार

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

भी मैंने सदन में कहा था कि भूजल स्तर बढ़ने से रिसाव होने से घर-घर चूने लग गये हैं। घरों के अण्डरग्राउंड में एक फीट, दो-एक फीट पानी भर दो गया है और यह क्षेत्र धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले सिर्फ एक कंसोलिडेटेड एरिये में था, पुराने शहर में, परन्तु अभी बाहर तक पुलिस लाइन के नीचे जो हाल है, मैस है, उसके नीचे पानी है दो फीट का। इसी तरह मोहनपुरा, अजीत कालोनी, सब जगह पानी-पानी हो गया है और उसको निकालने के लिये 13 करोड़ रुपये रखे गये थे परन्तु उसका कोई फल हमें दिखा नहीं कि पानी का स्तर कम हुआ हो। समितियां जरूर आई हैं परन्तु वह केवल मात्र पानी को देख रही हैं। मेरा यह निवेदन है कि उसमें पानी के साथ-साथ सीवर लाइन जो साथ में बिछी हुई है उसको भी देखा जाए।

गंदगी, जोधपुर शहर आज सड़ रहा है। उसके दो प्रमुख कारण हैं। सीवर लाइन नई बिछाने का काम, पिछले 8 महीने से वह सड़क पर फैली हुई है जगह-जगह। जगह-जगह पानी भरा हुआ है और लोगों को चलने में बड़ी तकलीफ हो रही है। इसी तरह से नगर निगम हमारा बिलकुल दिवालिया हो गया था। यह अब भला मानें कि जे.डी.ए. ने कुछ पैसा देकर के नगर निगम को कुछ काम करने की छूट दी है, और वह जे.डी.ए. नगर निगम के काम करवा रहा है पैसे देकर के।

इसी तरह से महिला सशक्तिकरण की बहुत बात कर रहे हैं, एक बाई का यह कर दिया, मैं कहता हूं भामाशाह जैसी योजना, वसुंधराजी की लागू करनी चाहिए थी। 50 लाख लोगों के कार्ड बनने वाले थे, वह सब अटके हुए हैं। पी.एन.बी. के सी.एम.डी. अभी जयपुर में मिले। उन्होंने कहा, हमारा पैसा इसमें फंस गया है, हमने कार्ड बना दिये, सारी तकनीकी को ले लिया। रोका किसने वह? मैं कहता हूं, आपको भामाशाह के नाम से चिढ़ है तो आप राजीव गांधी के नाम से ही यह योजना शुरू कर दीजिए। उन 50 लाख महिलाओं को वह कार्ड दे दीजिये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करिये।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): मैं कर रहा हूं, साहब। जोधपुर में जिस तरह से दुर्घटनाएं और जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, पिछले दो दिनों में दो मर्डर हुए हैं और सारा शहर उससे चिन्तित है। कानून-व्यवस्था शहर में तो फिर भी ठीक है परन्तु गांवों के इलाकों में बहुत खराब है। उसका कारण है लूट-खसोट, चोरी-डकैती, यह बढ़ रहे हैं अपराध और उसके साथ-साथ जिस

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

तरह से महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं उसकी भी... (व्यवधान) क्योंकि जोधपुर शहर में आधा हिस्सा जो मेरा है वह ग्रामीण क्षेत्र है, इसलिये मुझे मालूम है कि गांवों की हालत और ज्यादा खराब है। इसी तरह से जोधपुर का सबसे बड़ा हैंडिक्राफ्ट का उद्योग है, उसके लिये अच्छी व्यवस्था, जिसमें एक्सपोर्ट के लिये कुछ इंसेंटिव दिया जाना चाहिए, वह सरकार को देना चाहिए क्योंकि मंदी आ गई है और चाइना से काम्पीटिशन भी है, इसलिये उसमें देना चाहिए। यह सबसे बड़ा मेरा निवेदन है।

श्री सभापति: समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): हां, कर रहा हूं, साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बोलने दीजिये, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: टाइम, बिलकुल सही एक्जेक्ट चल रहा है।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): उनके बारे में तो आप बोलते नहीं हो।

श्री सभापति: मैं भेज दूं पर्ची, माननीय सदस्य, भेजूं आपके पास? समय है मेरे पास में, सारा नोटेड।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): मेरा यह निवेदन है, ऐसा मेरी आदत में नहीं है, मैं आज्ञा का पालन करने वाला हूं। मैं अपनी बात को रखता हूं कि भूजल की जो समस्या है उसको सरकार ने ताजपोश पहनाकर के इलाकों में कमेटी बनाई है उसमें समय लगेगा। जल्दी से जल्दी उसका निराकरण होना चाहिए। दूसरे, जोधपुर में जितने विकास के काम अटके हुए थे पिछले एक साल से, वह कुछ शुरू हुए हैं, उनको पूरा किया जाए ताकि जनता को कुछ राहत मिल सके। विशेषकर गन्दगी का जो संचय हो गया है उसको हटाया जाए। मैंने मुख्य मंत्रीजी से भी एक सभा में कहा था कि आपके जोधपुर के होते हुए भी हमारे यहां की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है, सारा शहर गंदगीमय हो गया है, चलना मुश्किल हो गया है। तो उन्होंने कहा, मैं इस काम को देखता हूं। मेरे ख्याल से जे.डी.ए. ने जो पैसा सेंक्शन किया है, वह इसी का फल हो सकता है परन्तु यह काम द्रुत गति से और बिना विराम के जल्दी से पूरा किया जाए ताकि उसमें शहर के नागरिकों को कुछ राहत मिल सके।

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

इन सब बातों के साथ मैं राज्यपालजी के अभिभाषण का पुरजोर शब्दों में विरोध करता हूं और सदन से यही चाहूंगा कि वे भी..

श्री सभापति: श्री मेवाराम जैन।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज के अंतिम वक्ता के बोलने तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय अन्तिम वक्ता के बोलने तक बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण कल रखा गया उसका मैं समर्थन करता हुआ अभी जो चर्चा हुई और चर्चा सुन रहा था, प्रतिपक्ष में बैठे हुए महानुभाव सारी बातें बता रहे थे, मैं उस मामले में निवेदन करना चाहूंगा कि 15 महीने का जो समय है, इस 15 माह के अन्दर यह अभिभाषण में जो बिन्दु बताये, वे बिन्दु अभी थोड़े दिन पहले जनता के सामने आप और हम सब एक-एक चीज बता रहे थे। हम यह उपाय बता रहे थे और आप अपनी सारी बातें जनता के सामने रख रहे थे। इस अभिभाषण में जो बातें बताई गई हैं, जो विकास के कार्य हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोकजी और हमारी सरकार ने जो यह बिन्दु, जो यह कार्यक्रम शुरू किये हैं और जो यह बातें हैं, उन सारी बातों का समर्थन राजस्थान की जनता करेगी और उन्होंने किया है। आपके सामने की बात है। हम चाहे लोक सभा के चुनावों में, चाहे नगरपालिका के निकाय चुनावों में और उसके बाद में अभी पंचायती राज के चुनावों में जनता के सामने यह सारी बातें रखीं, चाहे मंहगाई की बात रखी, भ्रष्टाचार की बात रखी, नरेगा की बात रखी, शिक्षा की बात रखी, चिकित्सा की बात रखी, यह सारी बातें जनता के सामने रखीं और जनता ने स्वीकारा कि कांग्रेस की सरकार जनता की हितैषी है और जनता ने उसका समर्थन किया। इसलिए मैं यह

(श्री मेवाराम जैन)

कहना चाहूंगा कि यह अभिभाषण में जो ये सारी बातें हैं ये बिलकुल सही हैं और हमारी यह लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनको हमारे मुख्य मंत्रीजी ने चालू किया है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभिभाषण के अन्दर अभी जो बड़े-बड़े श्लोक भी बताये, झूठ का पुलिंदा बताया, मैं यह कहना चाहूंगा कि घोषणाओं की बात है, हमारे मुख्य मंत्री ने आते ही पांच साल के लिए बिजली की दरें नहीं बढ़ाना, कितना अपने आप में महत्वपूर्ण कदम उठाया।

इसके साथ-साथ घोषणाओं की बात करें, कौनसा क्षेत्र इसमें रहा? शिक्षा की दृष्टि से देखें तो स्कूलें खोलीं। जहां स्कूलों में अध्यापक, प्रधानाध्यापक नहीं थे, पदोन्नति करके भरे। चिकित्सा के क्षेत्र को देखें तो कितने सब-सेंटर खोले? कितनी ए.एन.एम. लगी? आप अन्य क्षेत्रों में भी देखिये। पानी की बात करें, घोषणाओं की बात आप बिलकुल सही कह रहे हैं, थोथी घोषणाओं की बात कर रहे हैं, मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अभी भी बताया, आज से छह साल पहले, साढ़े छह साल पहले बाड़मेर में लिफ्ट केनाल मोहनगढ़ से बाड़मेर, बाड़मेर में पानी की कितनी किल्लत है, मेरे ख्याल से अभी कोई तो कह रहे हैं तीन दिन में पानी नहीं आ रहा है, सात दिन के लिए कह रहे हैं, मैं तो यह कह रहा हूं कि बाड़मेर में कई ऐसे-ऐसे गांव हैं जहां पर एक-एक साल पानी नहीं पहुंच रहा है। ऐसे भी गांव हैं। इतनी महत्वपूर्ण योजना जिसका शिलान्यास हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने किया था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पांच साल सत्ता में रही, छह महीने पहले सिर्फ वापस उसी स्कीम का शिलान्यास किया। अगर संवेदनशील होती, जनता का ख्याल होता और विकास की बात करते तो वह योजना पूरी होती तो लोगों को कितना फायदा होता? आज क्या हालात हैं बाड़मेर में पानी के लिए? मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुख्य मंत्रीजी को, धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मंत्री महोदय को जिन्होंने उस लिफ्ट केनाल का हमारी सरकार आते ही काम शुरू किया और कम से कम 350 करोड़ रुपये उस पर खर्च हुए और हमें उम्मीद है कि एक साल के अन्दर बाड़मेर में मीठा पानी पहुंचेगा। यह हमारे मुख्य मंत्री की मंशा है और यह निश्चित ही काम होगा।

इसके साथ-साथ बात करें, किसानों की बात करें, महिलाओं की बात करें, एस.सी., एस.टी. की बात करें, बाड़मेर में अथाह खनिज के भण्डार, तेल

(श्री मेवाराम जैन)

के भण्डार, रिफाइनरी की बात करें, हमारे मुख्य मंत्रीजी का पूरा प्रयास है कि रिफाइनरी बाड़मेर में लगे और आज तेल का अथाह भण्डार, हमारे प्रधान मंत्रीजी बाड़मेर में आये और उन्होंने शुरूआत की। आज से पहले, डेढ़-दो साल पहले बी.जे.पी. ने, वहां पर कभी तगारामजी आते हैं, ढोल-नगाड़ा रेलवे स्टेशन पर बजाते कि हम रिफाइनरी ला रहे हैं। कभी एम.पी. साहब आते, कभी कौनसा मंत्री आता तो वही बातें होतीं कि हम रिफाइनरी बाड़मेर में ला रहे हैं, ला रहे हैं और स्वागत होता। वहां बड़े-बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगे थे परन्तु कुछ भी कार्य उस ओर नहीं हुआ। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा सदन में कि हमारे मुख्य मंत्री और हमारी सरकार चाहती है कि रिफाइनरी बाड़मेर में लगे और लगेगी।

इसके साथ-साथ आप लिग्नाइट की, बिजली की बात करें, आज पावर प्लांट की बात करें, आप देखिये कि पांच साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ और आज एक साल, 13 महीने के अन्दर कितना उत्पादन बढ़ा और क्या योजनाएं हैं, किस तरह से राजस्थान को बिजली के अन्दर आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या-क्या योजनाएं दी हैं और कितनी शुरुआत की गयी है, उसका आप मनन करिये। खाली विरोध की बात मत करें, इसको देखें और मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि पांच साल में राजस्थान बिजली के मामले में आत्मनिर्भर होगा और कहीं भी बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

अब आप किसानों की भूमि की बात करें। इस बाड़मेर में पावर प्लांट, उसके लिए भूमि एक्वायर की गयी। किसानों के आन्दोलन हुए। उनको 20 हजार रुपये प्रति बीघा जमीन का मुआवजा मिलता था, हमारी सरकार आयी, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री ने 20 हजार की जगह किसानों को डेढ़ लाख रुपये का मुआवजा दिया और किसानों ने अपनी इच्छा से, राज़ी-खुशी से उस जमीन को एक्वायर करवाया। यह क्या संवेदनशील और लोकप्रिय सरकार नहीं है?

इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगा, अब बिजली के साथ-साथ पानी के लिए भी टेम्पोरेरी व्यवस्था के लिए कितने हैण्ड पम्प खुदे, कितने ट्यूबवैल खुदे, इसको आप गांवों में जाकर देखें। लोगों को चुनावों के अन्दर सारी बातें बतायीं, खूब बताया, महंगाई की बात की, खूब महंगाई, आप वहां कहीं चीनी ले जाते, कहीं बाजरी ले जाते, कहीं गेहूं ले जाते, कहीं यह देखो, यह कांदा और प्याज के भाव है, यह सारी बातें जनता के सामने आपने रखी

(श्री मेवाराम जैन)

थीं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि महंगाई की बात करें, महंगाई, यह फ़सलें, बरसात पूरे भारतवर्ष में नहीं हुई और मैं यह कहना चाहूंगा कि मतीरों के बीज आज से एक साल पहले दस रुपये किलो थे और इस साल 110 रुपये किलो मतीरों के बीज के भाव बढ़े। वह पैसे किसको, किसान को जा रहे हैं।

इसके साथ आज महंगाई पर मैं कहना चाहूंगा कि सम्वत् 2025-26 में भयंकर अकाल था। बाजरी के भाव एक रुपये किलो थे। सम्वत् 2027 के अन्दर अच्छा जमाना आया और भारी फसल हुई। 25 पैसे किलो बाजरी हुई। तो यह क़ुदरत की बात है। इसमें कोई महंगाई, सरकार पर कितने ही आरोप लगायें, यह बिलकुल निराधार है और महंगाई कोई किसी, यह तो आपके सामने है, जनता ने इसको नकार दिया और यह सारी बातें बिलकुल गलत हैं। सरकार संवेदनशील है। जनता की हितैषी है, उसको सभी आप देखें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

नगर निकाय, शहरों का मामला लें। शहरों के अन्दर पहली बार सीधे चुनाव हुए और पहली बार निकायों के अन्दर इतना बड़ा 400 करोड़ का फंड शहरों को दिया और उसका रिजल्ट आपके सामने है। शहरों में किस तरह से कांग्रेस को निकायों में बहुमत मिला, यह आपके सामने हैं। इसके साथ साथ ...(व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): तीन साल बाद देखना क्या हाल होगा। (व्यवधान)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि तीन साल भी आ जाएंगे। जिस पार्टी के नेता का पता नहीं, वे आज इतनी लम्बी-चौड़ी बात कर रहे हैं। यह अपने आप में आप क्या समझा रहे हैं? (व्यवधान)...

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): नेता हैं घनश्याम तिवाड़ी। (व्यवधान)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): यह आप करो न घोषणा। उस सीट पर बैठाते न आज उनको, उस सीट पर बैठाते न। आपने नहीं बैठाया। आप बैठा देते वहां। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): हमारे नेता काम से छुट्टी पर हैं, उप नेता बैठे हैं।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): यह तो जनता समझ रही है, जान रही है। पहले करो इनको नेता। क्या हालत है पार्टी की? (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): आपके नेता कहां पर हैं? सीट खाली पड़ी है। मुख्य मंत्रीजी कहां है, बताइये। आपकी सीट्स खाली पड़ी हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): कहां लड़ रहे हो आपस में? सिर्फ लड़ाई-झगड़ा और भ्रष्टाचार के सिवाय और क्या किया है? सारी जनता जान रही है। इसलिए यह लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहना चाह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): आपकी पहली सीट पूरी की पूरी खाली है।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): यह सब जनता सारी जानती है। मैं और बात करना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): आपकी दूसरी सीट भी खाली है, हमारी तो दूसरी सीट पर बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): बी.पी.एल., मैं एक और बात कहना चाहूंगा, आज बी.पी.एल. परिवार की बात कही। बी.पी.एल. परिवारों के लिए कितना, जो भी कोई बीमार रहा, उनके लिए कितनी मदद, कितने पैसे राज्य सरकार खर्च कर रही है, यह आप उसका चिन्तन करो, मनन करो और देखो, फिर उसकी आलोचना करो।

इसके साथ-साथ आप देखो, यह प्राइवेट बसों की बात करो। अभी हमारे मंत्रीजी बाड़मेर में आये तो उन्होंने कहा कि हर पंचायत में नई बसें खरीद कर हर पंचायत में बस नई लगायी जाएगी।

इसके साथ-साथ नरेगा की बात करूं। नरेगा के अन्दर ज्यादा जोर शोर से यह बात कर रहे थे कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार। यह देन तो आपकी है। यह शुरुआत आप कर गये और उस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए टाइम तो लगेगा। अभी तो एक-सवा साल हुआ है। भ्रष्टाचार मिटेगा। जो आपने भ्रष्टाचार की शुरुआत की है, उसको नहीं चलने देंगे। यह आप विश्वास रखो।

रही अकाल की बात। अकाल के अन्दर किस तरह से पहले हमारे मुख्य मंत्री ने व्यवस्था की थी, इसी प्रकार से अकाल की व्यवस्था होगी, चारे

(श्री मेवाराम जैन)

की व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था होगी और रोजगार की भी व्यवस्था होगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है, इसका मैं पुरजोर स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री शंकर सिंह।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर बोलने का मौका दिया उसके लिए आपको धन्यवाद है।

अभी मेरे से पूर्व काफी वक्ताओं ने जो सत्ता पक्ष के हैं, उन्होंने यह बताया कि इस कार्यकाल को हमेशा जनता याद रखेगी। मैं भी उनकी बात का समर्थन करता हूं कि बहुत अच्छी बात कही, इस कार्यकाल को जनता हमेशा याद रखेगी। मैं भी उनकी बात का समर्थन करता हूं कि बहुत अच्छी बात कही, इस कार्यकाल को जनता हमेशा याद रखेगी कि साल भर पहले जब सरकार थी उस टाइम पर गेहूं का भाव 10 और 12 रुपये किलो था और साल भर बाद में आज 20 रुपये और 18 रुपये किलो गेहूं है, शक्कर के भाव 13 और 14 रुपये के भाव थे और आज 45 रुपये किलो शक्कर खरीद रही है। इसलिए इस कार्यकाल को कौन याद नहीं रखेगा?

एक माननीय सदस्य: निश्चित रखेगा।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): निश्चित याद रखेंगे। इस बात के लिए हम भी उनका समर्थन करते हैं।

साथ में आज हिन्दुस्तान के अन्दर गऊ के नाम से, हिन्दू धर्म में गऊ माता का पूजन किया जाता है

और गौ-माता का गोबर किसी भी प्रकार का शुभ कार्य होने पर चौके में लगाया जाता है। गौ-मूत्र को काम में लिया जाता है। गौ का गोबर काम में आता है। गैस प्लांट से गाड़ियां चलती हैं। गाय के मूत्र से अनेकों प्रकार की बीमारियां खतम होती हैं, औषधियां बनती हैं। इसके पंचगव्य, दवाइयां, औषधियां आज भी काम में आ रही हैं। गाय का दूध, घी, दही, मूत्र और गोबर, इन पांच चीजों से औषधियां बनती हैं। आप बताइये, गाय की कौनसी चीज नुकसान करती है? गाय का दूध भी काम में आता है, घी भी काम में आता है। फिर भी इस सरकार के अन्दर गौ-माता की जो दशा हुई है, वह

(श्री शंकर सिंह)

दर्दनाक है। इंसान को अगर भूख लगती है तो वह मुंह से बोल देता है कि भूख लगी है लेकिन गौ-माता बोलती नहीं है। उनकी बद्दुआ लगेगी। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आज गौ-माता को कटवाने के लिये ट्रक भर-भरकर जा रहे हैं। अभी भी सप्ताह भर पहले ब्यावर के अन्दर एक ट्रक पकड़ा था। उसके अंदर गाय और बछड़ों को ऐसे ठूंसकर भरकर ड्राइवर ट्रक को भगाकर ले जा रहा था। उस ट्रक को भीम जाकर पकड़ा और खाली करवाया। आज वे वहां गौ-शाला में पल रही हैं।

मेरा सरकार से निवेदन है कि आप वाहवाही लूट रहे हैं कि सरकार ने किसानों के लिये अच्छा काम किया है और किसानों की हितैषी सरकार है। मैं इस हितैषी सरकार से कहना चाहता हूं पशुधन और किसान का हमेशा चोली-दामन का साथ है। आज पशु नहीं हैं तो काश्तकार भी एकदम टूट जाता है। इसलिये पशुधन को बचाना नितान्त आवश्यक है। जिस प्रकार आज पशुधन मौत का ग्रास बन रहा है, वह सिर्फ चारे के अभाव में बन रहा है। मेरा निवेदन है कि इतना लम्बा-चौड़ा बजट और तारीफों के जो पुल बांधे जा रहे हैं, उस गौ -माता को बचाने के लिये नि:शुल्क चारा डिपो खोलने चाहिये। तब मैं मानता कि यह कोई शुभ कार्य है और अच्छा कार्य किया है। पशुधन बच जाता और काश्तकारों का हित उसमें सिद्ध होता।

आज पीने के पानी की कह रहे हैं, वाहवाही लूट रहे हैं, बीसलपुर के बांध का निर्माण मात्र अजमेर जिले की पेयजल समस्या के समाधान हेतु किया गया था लेकिन बीसलपुर के बांध के पानी का इतना दुरुपयोग होता जा रहा है। आज भीलवाड़ा को पानी दिया जा रहा है, जयपुर को पानी दिया जा रहा है। बाँध भरा हुआ है तो सबको पानी देओ, हमें किसी प्रकार का एतराज नहीं है लेकिन अजमेर जिले में, जिस प्रकार पुष्कर से आने वाली हमारी बहन बोल रही थीं कि आज भी पुष्कर में पानी नहीं है। हमारे जवाजा के अन्दर 35 ग्राम पंचायतों के अन्दर पानी की योजना स्वीकृत थी, उस पानी की योजना को इस सरकार ने आते ही सबसे पहले बंद करने का काम किया है। इस कार्यकाल को याद नहीं रखेंगे तो किसको याद रखेंगे? वास्तव में मैं इनकी बात की तारीफ करता हूं, वह कह रहे हैं कार्यकाल को याद रखेंगे, बहुत अच्छी बात है। इतने अच्छे कार्यकाल को कौन याद नहीं रखेगा?

35 ग्राम पंचायतों के अन्दर 149 करोड़ की पानी की योजना पास करके चालू कर दी थी। उस योजना को आपकी सरकार ने आते ही सबसे पहले बंद किया। अभी ब्यावर के अन्दर सिटी डिस्पेंसरी हेतु दानदाताओं द्वारा जमीन

(श्री शंकर सिंह)

देकर बिल्डिंग बनाकर दी गयी थी। उस बिल्डिंग के अन्दर स्टाफ नहीं है। उन्होंने इसी शर्त पर बिल्डिंग दी थी, लेकिन आज तक उसके अन्दर कोई स्टाफ नहीं लगा है। किसी प्रकार से डॉक्टर वहां नहीं लगे हैं और संवेदनशीलता का परिचय आप देने जा रहे हैं।

आज स्कूलों के अन्दर अध्यापक नहीं हैं, स्कूलें खाली पड़ी हैं। पहले भी जब 2002 के अन्दर आपकी सरकार आई थी, उस टाइम भी हम अध्यापक लगाने के लिये कहते थे तो कहते थे खजाना खाली है, खजाना खाली है। वसुन्धराजी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब 8 लाख लोगों को नौकरी दी है। मैं पूछना चाहता हूं, इस सरकार में भी दम है तो बेरोजगारी खतम होती और युवाओं को नौकरी देती, निश्चित तौर पर नयों को मौका मिलता और स्कूलों के अन्दर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका भी भविष्य सुधरता।

अभी शराब की दुकानों की बात कह रहे थे, आठ बजे के बाद शराब की दुकानें बंद हो जाती हैं। शराब की दुकानें बंद होने के बाद उस जगह देशी शराब के अड्डे लगा दिये इस सरकार के टाइम में, जो जहरीली शराब बनाते हैं। अभी आपने पढ़ा होगा ब्यावर के अन्दर 12 आदमी मौत के ग्रास बन गये। 12 आदमियों की मौत हुई है और सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ लीपापोती की है और जांच पूरी होकर रह गयी। ऐसा नहीं कि उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ जो क्षेत्र के अन्दर चौथ-वसूली का काम करते हैं, जो देशी शराब बनाने के अड्डे चलवा रहे हैं, उनको आपने सज़ा दी। किसी प्रकार की कोई सज़ा नहीं दी। मुझे ऐसा लग रहा है उनकी पीठ ऐसी थपथपा दी है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये इस सरकार के बहुत अच्छे कार्यकाल के उदाहरण हैं, यादगार की दास्तान हैं।

इस कार्यकाल में इस सरकार ने अगर एक भी जिला बनाया होता तो हम मानते कि इस सरकार ने कोई जिला बनाया। भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार आई, 30 साल के अन्दर जितने भी जिले बने हैं, वह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने बनाये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, अगर इस सरकार में दम होता तो राजस्थान के अंदर ब्यावर 11वें नम्बर की सिटी है, क्यों नहीं उसके ऊपर ध्यान दिया गया? न्याय की दृष्टि से देखते तो ब्यावर को भी जिला बनाते। हम भी देखते कि अच्छा काम किया और सरकार वास्तव में गरीबों की तरफ देखने वाली है और वाहवाही लूटने वाली सरकार है।

(श्री शंकर सिंह)

'प्रशासन शहरों के संग' अभी ढकोसला लूटने और थोथी वाहवाही लूटने का काम किया जा रहा है। आज 'प्रशासन शहरों के संग' में प्रशासन तो आ गया शहरों में, लेकिन काम किसी प्रकार का नहीं हुआ है। किसी आदमी को जो पाइंट्स दिये गये हैं 1 से 17 नि:शुल्क पट्टे देना, गरीबों की पेंशन पास करना और उनका ले-आउट पास करना, किसी भी प्रकार का काम अगर कहीं हुआ हो इस कार्यकाल के अन्दर तो आप अभी लिस्ट मंगवाकर देख लीजिये। सभापति महोदय, सिर्फ वाहवाही लूटने का काम और कांग्रेस के वहां पर जो कार्यकर्ता हैं, वह आपस में भिड़ रहे हैं। मेरा पट्टा नहीं बना, वह काम नहीं हुआ। इसलिये न जनता का और न ही कांग्रेस और बी जे पी, किसी का वहां कोई काम नहीं हो रहा है। थोथी वाहवाही लूटी जा रही है। हमारी यह मांग है कि इस जनता को भ्रमित करने के बजाय ऐसी योजनाओं को बंद किया जाये ताकि जनता भ्रमित होकर अपना समय तो खराब नहीं करे।

अभी पोषाहार के अन्दर सरकार ने योजना चालू कर रखी है, लेकिन पोषाहार की योजना में अजमेर जिले में ऐसी स्कूल हैं, आप मंगा लीजिये जहां पर पोषाहार के नाम पर वह गेहूं कहां कालाबाजारी हो रहा है, कोई पता नहीं लग रहा है। अभी दो महीने से अजमेर जिले के अन्दर ब्यावर विधान सभा में कितना गेहूं किस योजना के तहत उठा है कोटा से और कोटा से उठने के बाद डायरेक्ट आटा मिलों के अन्दर चला जाता है। वह ट्रक पूरे के पूरे भरे हुए हैं, लेकिन खानापूर्ति होकर सारा काम रह जाता है। ऐसे-ऐसे अधिकारियों को वहां लगाया गया है जिनको जिले में एक जगह 20-20 साल हो गये हैं, वे जहां भी जाते हैं ट्रेप हो जाते हैं। 1990 में ट्रेप हुए अधिकारियों को वहां जान-बूझकर लगाया गया है, ताकि वह लोगों का भला नहीं कर सकें, और वहां से लूट-खसोट चालू हो। यह सरकार के कार्य रह गये हैं।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: समअप करे माननीय सदस्य।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): जो याद रखने वाले कार्य हैं, मैं उनके उदाहरण पेश कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, इसलिये मैं उनकी बात की तारीफ करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने तारीफ करके हमारे कार्यकाल को याद रखा जायेगा, उस कार्यकाल को याद दिलाने के लिये मैं यह बात निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से। ऐसे कार्यकाल को कौन याद नहीं रखेगा। आज अकाल राहत कार्य के ऊपर लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, मजदूरी नाम की

(श्री शंकर सिंह)

कोई चीज नहीं है। जब उनका पेमेंट आता है तो 100 रुपये के नाम पर 70-80 रुपये तक उनको पेमेंट मिलता है। अभी कह रहे थे हमारी पिछली सरकार, अशोक जी की आई थी उसमें खूब गेहूं लुटाये थे। हम उनको कहना चाहते हैं अभी भी राजस्थान में आपकी सरकार है, दिल्ली में भी आपकी सरकार है, लाइये आप, गेहूं जुटाइये। एक दो गांवों में तो खोलकर बताओ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समअप करें।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): पर ऐसा कहीं पर भी नहीं हो रहा है। इसलिये थोथी वाहवाही लूटने का काम हो रहा है। अटलजी की सरकार थी जिन्होंने गेहूं के पूरे गोदामों का मुंह राजस्थान की तरफ खोल दिया था। इसलिये बोरियों की बोरियों गांवों में भर रही थीं। अभी भी हमारा निवेदन है कि इस प्रकार गेहूं उठाने के लिये आप चालू करें और जिस प्रकार गरीबों और काश्तकारों के लिये भला करने का कोई काम है तो काश्तकार को सिर्फ खेत के अन्दर पानी चाहिये। इस योजना का काम आप चाहे नदियों का पानी लाकर करें। इस नरेगा के पैसों से इस सरकार का और इस काश्तकारों का भला होने वाला नहीं है।

(समय : 17.00 बजे)

अगर भला होगा तो चाहे हरित राजस्थान का पैसा रोक लें और चाहे नरेगा का पैसा आप रोक लें और सारे के सारे पैसे को पानी लाने के लिए लगावें, सभापति महोदय, हमारा सरकार से यह निवेदन है ताकि काश्तकारों का भला हो सके।

श्री सभापति: समाप्त करिए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): यदि काश्तकार जिन्दा रहेंगे तो निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर गरीब जनता जिन्दा रहेगी।

आपने बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती कान्ता गरासिया।

श्रीमती कान्ता गरासिया (गढ़ी): सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का पुरजोर शब्दों में समर्थन करती हूं, सराहना करती हूं। इस अभिभाषण के द्वारा आम जन के उत्थान के लिए सरकार की इच्छाशक्ति और जनहित की योजनाओं को दर्शाया गया है।

राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 50 प्रतिशत भागीदारी पंचायतीराज और निकाय के चुनावों में दी जिससे राज्य की महिलाओं ने पंचायती राज और निकाय के चुनावों में बढ़-चढ़कर भाग लिया

(श्रीमती कान्ता गरासिया)

और सत्ता में महिलाओं की आधी भागीदारी के इस आरक्षण का समर्थन करते हुए कांग्रेस को भारी बहुमत के साथ पुनः स्थापित किया। इस बात का उदाहरण मैं देना चाहती हूं कि बांसवाड़ा जिले में जिला प्रमुख महिला का पद था। वहां पर महिलाओं ने भाजपा को इस कदर नकारा कि कांग्रेस के उम्मीदवार के सामने नोमिनेशन करने के लिए भाजपा के पास कोई महिला प्रतिनिधि नहीं बची।

जनता ने सरकार की नीति, सरकार की कार्यशैली को सराहा। जन हित में सरकार ने जो काम किये उसका भी समर्थन किया और इसका परिणाम इन चुनावों में दिया। हमारे विपक्षी सदस्य, प्रतिपक्ष सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करता है। उन्हें हर बात का विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रजातंत्र में जनादेश का आदर इस व्यवस्था से शासित होने वाले हर व्यक्ति को करना चाहिए। सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि जनादेश सरकार की कार्यशैली, पार्टी की रीति नीति और नेतृत्व की जन हित में काम करने की नीयत के आधार पर मिलता है। यह जनादेश सरकार की कार्यशैली व कांग्रेस की रीति-नीति व मुख्य मंत्रीजी की साफ नीयत के आधार पर मिला है जिसे आपको भी स्वीकार करना चाहिए। पिछली बार जनता ने आपको भी जनादेश दिया था। उस जनादेश की आपने कद्र की या नहीं की, उसका नतीजा आपके सामने है।

सभापति महोदय, हमारी सरकार पारदर्शी व उत्तरदायी प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान में पहली बार कृषि नीति बनायी जा रही है जो कि कृषि प्रधान राज्य के कृषकों के हित में होगा। गांवों का मास्टर प्लान बनाने का निर्णय लिया गया है जिससे काश्तकारों की मूल समस्याओं का समाधान होगा और काश्तकार की हालत अच्छी व सुदृढ़ होगी।

सभापति महोदय, राज्य सरकार ने एक वर्ष के कार्यकाल में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाकर आम जन को विशुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने का ठोस कदम उठाया। उसको जनता ने सराहा है क्योंकि उसका सीधा-सीधा सम्बन्ध व्यक्ति के स्वास्थ्य से है और जान है तो जहान है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है और व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा तो बाकी सारी बातें बाकी सारी कल्पनाएं करना बेकार है।

हमारे विपक्षी सदस्य पुरजोर शब्दों में बार-बार नरेगा की बात करते हैं लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि नरेगा में पारदर्शिता के लिए सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान किया गया है। जब संस्था द्वारा सामाजिक अंकेक्षण का

(श्रीमती कान्ता गरासिया)

निर्णय लिया गया, यहां सदन में सम्मानीय कटारियाजी और हमारी बहन सम्मानीय किरणजी अभी मौजूद नहीं हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि जब बांसवाड़ा में शुरुआत की गयी संस्था के मार्फत, अरुणा राय सामाजिक अंकेक्षण के लिए बांसवाड़ा में पहुंची उस समय सत्ता आपकी थी, उस समय अधिकतर सरपंच आपके मौजूद थे और इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा था कि पारदर्शिता लाने में आपको तकलीफ हो रही थी। उस अरुणा राय और उनकी टीम के साथ जो व्यवहार किया गया, आप सुनेंगे तो शायद आपको तकलीफ होगी। जब वहां के जनजाति छात्रावास में अरुणा राय रुकीं, उनकी टीक रुकी तो वहां पर भाजपा की सरकार और भाजपा के नेताओं ने इस कदर विरोध किया उसका, कि जहां-जहां पर क्षेत्र में वे लोग गये सामाजिक अंकेक्षण के लिए, उनकी साथ मारपीट की गयी और उनको भगाया गया। और, तो और जिला कलेक्टर को आदेश दिया और जिस जनजाति छात्रावास में वे ठहरी हुई थीं, उनका सारा पड़ाव, सामान फेंक दिया गया और वह महिला खुले मैदान में आसमान के नीचे तम्बू लगाकर ठहरी। भ्रष्टाचार का आप कहते हैं कि कांग्रेस भ्रष्ट है, नरेगा में भ्रष्टाचार है तो उस भ्रष्टाचार को मिटाने की बात थी। उस समय यह विरोध आपके नेताओं ने और आपकी सरकार ने क्यों किया? इस बात का विपक्ष से मैं जबाव चाहती हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार की कार्य करने की शैली जन हित में है। उसकी नीतियां और नीयत साफ है और हर आम आदमी के हित में है। यह सरकार आम आदमी की है। हर आम व्यक्ति से इसका रिश्ता है। इस बात का उदाहरण मैं देना चाहूंगी कि बांसवाड़ा जिला पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जहां के लोग आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के हैं। वहां का आदिवासी सिर्फ पटवारी, अध्यापक और नर्स बनने तक की ही सोच रखता है। ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इंजीनियरिंग कालेज खोलकर वहां की जनता और वहां के जनजाति छात्रों के हौंसलों को बुलन्द किया। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और कांग्रेस की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। आज के इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण प्रस्तुत किया है उसका पुरजोर शब्दों में मैं समर्थन करती हूं। जय हिन्द। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बंशीधरजी।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार का बनाया हुआ जो अभिभाषण महामहिम राज्यपाल महोदया ने पढ़ा, वह एक

(श्री बंशीधर खण्डेला)

कथनी और करनी में बहुत बड़ा अन्तर है जो आज नहीं, कांग्रेस सरकार पहले से करती आ रही है। इसका उदाहरण अभी मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूं।

शहरों के विकास के लिए अभिभाषण में बताया कि 400 करोड़ रुपये खर्च किये, बहुत अच्छी बात है लेकिन क्या इस बात का ध्यान है, इस बात का अनुमान है कांग्रेस सरकार को कि शहरों के बजाय गांवों में विकास के लिए कितना पैसा खर्च किया? उसकी तुलना में नगण्य है, जबकि 70-80 प्रतिशत जनता शहरों के बजाय गांवों में बसती है। यह गांवों के साथ एक प्रकार से कुठाराघात है। इस हिसाब से यह कांग्रेस की कथनी और करनी में यह अन्तर है।

सभापति महोदय, अकाल के बारे में बात करें, 27 जिलों को अकालग्रस्त घोषित किया, जिनमें 191 तहसील और 33,464 गांवों को अकालग्रस्त घोषित किया गया। उनमें दिया क्या? जो भूमि बन्जर है, बारानी है, असिंचित है उसका पहले से ही मुआवजा माफ है और जो भूमि सिंचित है, छोटे काश्तकार हैं उसका मुआवजा पहले से ही माफ है। तो इस अभिभाषण में कहा है कि उनका रेवेन्यु, राजस्व स्थगित किया जाता है, न कि माफ किया है। तो काश्तकार को दिया क्या? इसलिए यह सरकार काश्तकार विरोधी है, मैं इस बात को कहना चाहूंगा क्योंकि कथनी और करनी में अन्तर बताने की बात कर रहा हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार को बताना चाहूंगा कि इण्डियन ऑयल कारपोरेशन में अग्निकाण्ड हुआ, एक मानवीय भूल थी, टैक्निकल भूल थी, कुछ भी थी, यह उपक्रम केन्द्र के नीचे आता है लेकिन यह सरकार की जिम्मेदारी है कि जो केन्द्र के नीचे आता है उसके अन्दर कोई लापरवाही नहीं हो। सरकार के अन्दर सरकार के कलेक्टर हैं, संभागीय आयुक्त या अपने यहां पैट्रोलियम मंत्री बना रखा है, उनकी यह जिम्मेदारी होती है कि समय-समय पर चैक करें कि जो नोर्म्स बने हुए हैं उन नोर्म्स के हिसाब से इण्डियन ऑयल के अधिकारी भी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यह हादसा क्यों हुआ? यहां की सरकार ने बिलकुल इसको फ्री छोड़ रखा था, अधिकारी मनमानी कर रहे थे, इसके कारण यह ऐसा हादसा हुआ। यह सरकार अपने आप को इस बात के लिए जिम्मेदार समझे।

सभापति महोदय, सरकार अपने आप को किसानों का हितैषी बताती

(श्री बंशीधर खण्डेला)

है, विद्युत के लिए बहुत अच्छा भाषण देते हैं कि विद्युत में आत्मनिर्भर करेंगे, आत्मनिर्भर हो जायेंगे, किसानों को बहुत सारी बिजली देंगे, आज से सवा साल पहले किसानों को 6-7 घंटे बिजली मिलती थी लेकिन इस 15 महीनों में किसानों को 4 या 5 घंटे बिजली मिली। यह किसानों के साथ एक बहुत ही बड़ा अन्याय है। बिजली के लिए ए.ईएन., जे.ईएन. को टारगेट दे रखे हैं कि काश्तकारों के आप वी.सी.आर. भरो, इतना रेवेन्यु इकट्ठा करो। एक 10 एच.पी. की मोटर किसान चलाता है, उसमें बेयरिंग खराब हो जाता है तो मीटर से नापते हैं कि इसमें कितना वोल्टेज है, कि यह तो 12 एच.पी. की मोटर है जबकि मोटर 10 की है। यह सरकार किसान के साथ अन्याय कर रही है। और नापने का तरीका देखिये आप, 440 वोल्ट में जो लोड लेगी वह 200 वोल्ट पर लोड ज्यादा लेगी, वोल्टेज जो कम आते हैं उसके कारण मोटर दबेगी और ज्यादा हार्स पावर की बतायेगी। यह सारी चीजें हैं। किसान के साथ अन्याय किया जा रहा है, परदे के पीछे से किसानों को लूटा जा रहा है।

सभापति महोदय, एक और चीज का अभी इस अभिभाषण में बोला है कि बूंद-बूंद सिंचाई के अन्दर किसानों को बहुत बड़ी राहत दी जा रही है, हैंड टु हैंड कनेक्शन दिये जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है किसान के लिए आपने ऐसा सोचा है लेकिन परदे के पीछे बात दूसरी है। किसानों को बूंद-बूंद सिंचाई के लिए जो साधारण कनेक्शन दिये जोत हैं वे कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। उससे किसान कनेक्शन लेगा तो प्रति पोल मिनिमम दस हजार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ट्रांसफार्मर के 80 हजार रुपये देने पड़ेंगे और दो रुपये दस पैसे प्रति यूनिट के किसान से लिये जायेंगे। तो किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? मैं इस सरकार के लिए यह कहना चाहूंगा, किसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है। सब चुपचाप बैठे-बैठे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमने बहुत अच्छा अभिभाषण दे दिया। यह किसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। किसान मोटर से सिंचाई करता है लेकिन फरवरी, मार्च में जिस किसान के कुएं में पानी कम है तो भी उसको एवरेज बिल दे देते हैं। किसान दर-दर की ठोकरें खाता रहता है। यह किसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही है सरकार।

सभापति महोदय, पानी के बारे में बात करें, हर जिले में पानी की समस्या है। मैं सीकर जिले की बात करना चाहूंगा। सीकर जिले में खण्डेला, नीमकाथाना, दांतारामगढ़ और लक्ष्मणगढ़ में पानी की भयंकर समस्या है।

(श्री बंशीधर खण्डेला)

इसके लिए पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पानी को रिचार्ज करने की बात अभिभाषण में कही गयी है, वह भी एक तरह से ऐसा है कि कुछ भी नहीं किया गया।

दूसरी बात, अभी शुद्ध के लिए युद्ध की बात करे जा रहे हैं, खाने-पीने की चीजों हेतु शुद्ध-के लिए-युद्ध की बात अलग है, मैं सरकार को यह चैलेंज करता हूं कि आप शुद्ध पानी तो पिला दो जनता को। वह पानी पिलाने के लिए सक्षम नहीं है यह सरकार, इस टाइम, ऐसी परिस्थितियों में बैठी हुई है। वह कम से कम शुद्ध पानी तो पिलाओ, फ्लोराइडयुक्त पानी तो मत पिलाओ आप। जा कर देखो, आप हर गांव की लिस्ट बनाओ कि किस में कितना फ्लोराइड है लेकिन मजबूरी है, जीने के लिए हर व्यक्ति को वह पानी पीना पड़ेगा। वे फ्लोराइड का पानी पीना पड़ रहा है।

सभापति महोदय, सड़कों की बात करते हैं अपन, नयी सड़क इतनी बना रहे हैं, पहले यह तो देखो कि कितनी सड़क ठीक नहीं हो रही है आपसे। आज भी ऐसी हालत हो रही है सड़कों पर कि चलना दूभर है। कुछ सड़कें कृषि उपज मण्डी की बनी हुई हैं, कृषि उपज मण्डी के पास संसाधन नहीं है तो क्या वे सड़कें ऐसी ही रहेंगी? सरकार को यह चाहिए था कि जिस विभाग के पास संसाधन नहीं हैं उसको या तो सरकार संसाधन दे या उन सड़कों को पी.डब्ल्यू.डी. के अधीन करके ठीक कराया जाय जिससे आम जन उस सड़क के हिसाब से चलने में राहत महसूस करे। यह एक नयी नीति के हिसाब से सरकार को काम करना चाहिए।

सभापति महोदय, रोजगार के हिसाब से इस सरकार ने बिलकुल नया रोजगार एक भी नहीं दिया है। अभी तक जो आंकड़े पेश कर रहे हैं कि हमने इतने रोजगार दे दिये, वह पिछली सरकार ने जो रोजगार की नीति के हिसाब से जो वेकेंसी निकाली थी वे ही वेकेंसी अभी भरी जा रही हैं और आगे इस साल में जो चालू हो रही है वे भी वेकेंसी पिछली सरकार की दी हुई भरी जायेंगी। इसके बाद में खुद ने अभी सवा साल में एक भी वेकेंसी नहीं निकाली। यह सरकार बेरोजगारों के लिए भी काम नहीं कर रही है।

सभापति महोदय, पंचायती राज विभाग ने जनप्रतिनिधियों को, नगरपालिकाओं सदस्यों को, और सरपंचों को मानदेय भत्ता देती है, अच्छी बात है। सरपंच का कार्य क्षेत्र नगरपालिका के मैम्बर, पार्षद का कार्य क्षेत्र बहुत छोटा होता है, जबकि पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य हैं

(श्री बंशीधर खण्डेला)

इनका कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, उनको मानदेय के बारे में इस अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है। उनके साथ जो मेम्बर, जनप्रतिनिधि चुन कर आये हैं उनको मानदेय देने के लिए कहीं भी बात को उजागर नहीं किया गया है। जो चुन कर आये हैं उनके साथ यह अन्याय हो रहा है।

सभापति महोदय, सरकार ने तहसील स्तर पर उप खण्ड खोलने की घोषणा की है लेकिन कहीं पर भी अभिभाषण में उप तहसील बनाने की घोषणा नहीं है, उप तहसील से तहसील बनाने की कहीं घोषणा नहीं है। और ना ही कोई

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

नये पटवारियों की भर्ती है, न कोई गिरदावर की भर्ती के लिए है। तो जो काम चल रहा है उसी से संतोष करना पड़ रहा है, जबकि गांवों की जनसंख्या बढ़ रही है, दूरियां भी ज्यादा नहीं हो रही है लेकिन उप-तहसील को तहसील बनाने के लिए भी इसमें कुछ योजना होनी चाहिए थी।

एन.एच. हैं, नयी सड़कें बना रहे हैं, एन.एच. का सुधार हो रहा है लेकिन कुछ सड़कें ऐसी भी हैं जो सरकार के अंडर में हैं, कुछ स्थान ऐसे भी हैं जिनके कारण बीस-बीस, तीस-तीस किलोमीटर की दूरियां कम हो सकती हैं जिससे देश का फ्यूल बचेगा, समय बचेगा, उन सड़कों का भी ध्यान इस अभिभाषण में कहीं नहीं है कि यह सड़कें जोड़ कर के इस दूरी को कम किया जा रहा है।

(समय समाप्ति सूचक-घंटी)

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री सहायता कोष के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। बीमारियों के लिए पैसा मिलता है 40 परसेंट, ऐसे उदाहरण भी सामने हैं कि बीमार तो कौन है और आपरेशन किसका हो रहा है। इसको भी चैक करना चाहिए। जिसको बीमारी का पैसा मिले उसी का उपचार होना चाहिए। इसमें बहुत सारे मैं आपको पेश करूंगा कि ऐसे-ऐसे उदाहरण हैं कि बीमार के पास दवाई पहुंचती नहीं, दूसरा ही उसके नाम पर आपरेशन करा जाता है।

सभापति महोदय, महानरेगा एक घोटाला, भ्रष्टाचार का बनता जा रहा है। इसका कारण है कि महानरेगा में सड़क बनायी जाती है, ग्रेवल सड़क, एक गांव तो डूंगर के पास में है, एक गांव डूंगर से 50 किलोमीटर दूर है जबकि पूरे जिले में बी.एस.आर. रेट एक ही है। तो उसी कारण वहां से ट्राली से माल आयेगा तो यह भ्रष्टाचार का अपने आप में बढ़ावा है। कुछ तहसीलवाइज, उप तहसीलवाइज, अलग से दूरी के हिसाब से बी.एस.आर. बनानी चाहिए जिससे कि भ्रष्टाचार कम हो सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करिये।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): सभापति महोदय, शिक्षा के बारे में एक ज्वलंत उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। शिक्षा के बारे में ऐसा उदाहरण सामने आ रहा है, संस्कृत का विद्यालय है, संस्कृत के टीचर लगे हुए हैं और संस्कृत के स्कूल में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। अपने यहां अध्यापकों को अपने घर में रखने के लिए संस्कृत के अध्यापक को इंग्लिश पढ़ाने के लिए वहां उसकी जगह डेपुटेशन कर दिया गया कि आप इंग्लिश पढ़ाओ जबकि विद्यार्थी मित्र के अन्दर आपको तीन या चार हजार में एक इंग्लिश पढ़ाने वाला आदमी आराम से मिल जाता है। वह लड़कों को इंग्लिश पढ़ाएगा। संस्कृत पढ़ा हुआ आदमी इंग्लिश कैसे पढ़ाएगा? जिसको आप पच्चीस हजार, तीस हजार रुपये तनख्वाह देते हैं सीनियर टीचर को, उसको वहां लगा दिया। यह एक ऐसा उदाहरण है कि जानबूझकर विद्यार्थियों के साथ अन्याय किया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार ने जो अभिभाषण बनाया है, यह एक झूंठ का पुलिंदा है। इसके अन्दर कथनी और करनी में सारा ही अन्तर है। इसलिए मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री हेमसिंह।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से आज सुबह से जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने सरकार के दवाब से और सरकार की मंशा के पीछे और सरकार की रीति-नीतियां जो इस अभिभाषण में पढ़ीं कल मैं इसकी किन शब्दों में और किन विचारों से इसको झूठ का पुलिंदा कहूं या सरकार की गलत नीतियां कहें। दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कांग्रेस सरकार और माननीय मुख्य मंत्रीजी एक नम्बर हैं, +++ में एक नम्बर हैं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, +++ शब्द अंकित न हो। वैरी गुड कर रहे हैं माननीय मुख्य सचेतकजी।

श्री सभापति: इसको एक्सपंज कर दिया जाए।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): माननीय सभापति जी, सौ परसेंट रूप से कह रहा हूं, 100 परसेंट झूठ का पुलिंदा है। इसका मैंने पूरा अध्ययन किया है।

श्री सभापति: संसदीय शब्द बोलिए, असंसदीय नहीं।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): असत्य शब्द, असत्य कह दो, झूठ कह दो क्योंकि गुर्जर हूं, आरक्षण चाहिए इसलिए असत्य और झूठ में कम अन्तर समझा।

आज सारा का सारा मैंने पठन किया, इसका अध्ययन किया। इसमें लिखा है कि पंचायत चुनाव बहुत सम्पन्न हो गये और माननीय सारे सत्ता पक्ष के सदस्यों ने बड़े गौरव पूर्ण तरीके से कहा कि हम निकायों में जीते, हम पंचायतों में जीते। आप कहीं नहीं जीते, आपने सत्ता का दुरुपयोग किया है। आपने प्रशासनिक दबाव में चुनाव करवाए और आपने यहां पर खरीद फरोख्त करके अपने निकायों के चेयरमैन बनाये। निश्चित रूप से जनादेश की बात करते हैं, आपको जनादेश नहीं मिला। जनादेश आपके यहां पर प्रशासनिक दबाव से किया हुआ है, नहीं तो तीन-चार साल बाद जो रिजल्ट आएंगे वह आपके सामने आ जाएगा।

आप सब दम भरते हैं कि हम सत्ता में आए, आप उस दिन को भी ध्यान में रखो कि आप 156 जीते थे और पांच साल यही लोकप्रिय शासन करने के बाद 2008 के अन्दर आपकी गिनती मात्र 53 रह गयी थी। आप सत्ता के मद में चूर होकर के सारी घोषणाएं कर रहे हो। मैंने पढ़ा है, इसमें लिखा है, यहां पर निर्माण कार्य में अकाल राहत कार्य कहीं भी चालू नहीं हुआ। मैं दावे से कह सकता हूं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि अकाल राहत चालू करने की बात है, मैं अलवर जिले में कहता हूं, अकाल राहत कार्य अलवर जिले के लिए एक भी चालू नहीं हुआ। आपने लिखा था ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह विधान सभा है, आर टी डी सी का होटल नहीं है। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय क्या कर रहे हैं? माननीय सदस्य इतने मौलिक विचार व्यक्त कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): आप भी आ जाओ।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): हमें यह भी मालूम है कि हमारे माननीय सदस्य को बहकाकर आप उनकी सदस्यता ग्रहण करवाना चाह रहे हों। वे बिल्कुल नहीं करेंगे आप चाहे कितनी कोशिश कर लो।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): हम तो आपको भी लाना चाहते हैं।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): राजस्थान निर्माण दिवस के रूप में आपने राजीव गांधी मिशन के नाम पर पांच योजनाएं चालू कीं, राजीव गांधी अस्पताल, राजीव गांधी सड़क। आपका बस चले तो इस राजस्थान का नाम भी राजीव गांधी राजस्थान रख दो। राजीव गांधी पाठशालाएं, राजीव गांधी गौ शालाएं, राजीव गांधी यज्ञ शालाएं, राजीव गांधी के अलावा राजस्थान के साढ़े छह करोड़ लोग यहां पर राजस्थान में रहते हैं।

आपने लिखा है कि हमने नरेगा के अलावा अलवर जिले के अन्दर, मैं दावे से कह सकता हूं, आप अपने अधिकारियों से पूछ लेना, एक भी पैसा अकाल राहत कार्य का अलवर जिले में चालू नहीं हुआ, राजस्थान का मुझे पता नहीं। सिर्फ काम जो हो रहा है नरेगा में हो रहा है। आपने महामहिम राज्यपाल से लिखवाया है कि हमने गिरदावरी करा ली है और जो स्टाम्प ड्यूटी है इसको स्थगित कर दिया गया है जबकि मैंने सुबह ही अधिकारियों से बात की, कहीं भी एक भी जगह गिरदावरी के अलावा स्टाम्प ड्यूटी में कहीं भी कमी नहीं हुई, कहीं भी स्टे नहीं हुआ है।

आपने बैंक लोन में लिखाया है कि हमने अल्पकालीन को दीर्घकालीन में बदल दिया, जबकि एक भी बैंक में अल्पकालीन से दीर्घकालीन नहीं हुआ।

आप यह बात कहते हैं कि यहां पर पंचायतों का सुदृढ़ीकरण करेंगे, उसी क्रम में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आपकी नेता सम्माननीय सोनियाजी को 2 अक्टूबर को बुलाया गया था नागौर में और उन्होंने कहा था कि पंचायतों को 16 अधिकार दिए जायेंगे। मैं आपके माध्यम से, सभापति जी, यह पूछना चाहूंगा सत्ता पक्ष से कौनसा ऐसा अधिकार है 16 में जो कि ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों को आपने दिया है? यह झूठ नहीं तो सच कहां है इसमें? इसमें असत्य इसलिए है एक भी अधिकार आज तक नहीं दिये गये, न उसकी क्रियान्विति हुई है । जितनी भी बातें इसमें कही गयी हैं सारी की सारी कि आपने राजीव गांधी पाठशालाएं खोल दीं, आपने मेवात विकास के अन्दर जो छह करोड़ रुपये। हमारी सरकार के समय छह आवासीय विद्यालय चालू किये गये, आज तक उसके नाम का पांच रुपया नहीं दिया।

इसी में लिखा है कि राजस्थान विकास के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और माइनोरिटी के लिए बजट दिया जाएगा लेकिन कहीं भी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक पैसे का कहीं इसमें प्रावधान नहीं है। आज सरकार की मंशा ठीक नहीं है, वोट की राजनीति करती है। चुनाव से पूर्व इसी सरकार ने, इसी कांग्रेस के हमारे जन-प्रतिनिधियों ने यह कहा था कि हम

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

आरक्षण के मुद्दे पर साथ रहेंगे। हमारी सरकार के समय में हम पांच परसेंट का बिल पिछड़ी जातियों के लिए लाए, चार जातियां, गुर्जर, रैबारी, गाड़िया लुहार और बनजारा, और चौदह परसेंट का बिल आपने राजनीति करके उसको एक साल तक दबाए रखा लेकिन हमने दबाव रखा और इस सदन में धरना दिया, मजबूर होकर आपको उसी गवर्नर से दस्तखत यों के यों बिल पर कराने पड़े।

आप आरक्षण देने की बात करते हो, मंशा अगर आपकी साफ होती, केन्द्र में सरकार आपकी है, राजस्थान में सरकार आप लोगों की है, क्यों नहीं डलवाया आपने नवीं अनुसूची में उसको? अगर मंशा साफ है तो आज भी आप यह कहें कि उसको नवीं अनुसूची में डलवाने की व्यवस्था करेंगे। नहीं, आप जब तक कहते हैं कि जातियों को लड़वाया, परिणाम आप लोगों को भी गम्भीर भुगतने पड़ेंगे। वह ही मई महीना आने वाला है । आज ही मैं कह रहा हूं इस माध्यम से कि नवीं अनुसूची में डलवाएं। जहां पर आप सुप्रीम कोर्ट का स्टे का हवाला देते थे तो, माननीय सभापति जी, मैं सत्ता पक्ष से पूछना चाहता हूं कि आपने कैविएट क्यों नहीं लगाया? उसमें कैविएट लगवाने का काम करो। मंचों पर भाषण देते हो, भारतीय जनता पार्टी ने सत्तर मरवा दिये, भारतीय जनता पार्टी ने सत्तर गुर्जर खपा दिये लेकिन समय आ रहा है, अगर नवीं अनुसूची में नहीं डलवाया और कैविएट नहीं दिया तो वह दिन दूर नहीं है जिस दिन हम भाषण देंगे कि कांग्रेस सरकार हत्यारी है। बहुत ज्यादा लम्बा समय नहीं है। अब मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि या तो इस आरक्षण के बिल पर सरकार अपनी मंशा साफ करे, नहीं तो जैसे ही हमारी फसल की कटाई चालू होगी हम रेल रोकेंगे, आन्दोलन करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे वह भी हमारा अपना है।

आज जो बात कहते हैं कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा दिया है, अलवर जिले के अन्दर, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर कहता हूं, एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं हुई, एक भी विद्यालय नहीं खुला। कहां खोल दिये 1900 विद्यालय ? 50,000 अध्यापकों की भर्ती की बात करते हैं, वह हमारी सरकार के समय भर्ती, आर पी एस सी के फार्म भराये गये थे उनको साक्षात्कार ले करके आपने लगाया है। आपकी तरफ से किसी भी विभाग के अन्दर भर्तियां नहीं खोली गयीं।

नगरपालिका और नगर निगमों की अभी आपने कहा कि हमने पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया महिलाओं को, यह हमारी सरकार के

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

समय में बिल लाया हुआ था। उस वक्त आपने अनुमोदन किया, दस्तखत किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें जितने भी बिन्दु लिखे हुए हैं पूरे अभिभाषण में, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने कहा कि इनकी व्यवस्थाएं होंगी, इनको कहना होगा,

सुबह से और शाम तक बहुत-बहुत धन्यवाद दिया अभिभाषण का, अभिभाषण क्या है, यह तो वही है जो आप लोगों द्वारा लिखवाया गया है। इसमें नयी बात कौनसी आ गयी? वही रीति-नीतियां। अभी लिखा है कि इसमें गिरदावरी का हमने पूर्ण रूप से कम्प्युटरीकरण कर दिया। मैं कहता हूं कि गिरदावरी का कम्प्यूटरीकरण तो हमारी सरकार के समय ही पूरा हो चुका था। आपने नया क्या कर दिया इसमें? 5 जिलों में कम्प्युटरीकरण, आधुनिक कम्प्युटरीकरण की बात शुरुआत कर रहे हैं जोधपुर से, भीलवाड़ा से, बांसवाड़ा से..

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप राजस्थान सारे में क्यों नहीं चालू करा रहे हैं ?

अभी सोशल आडिट की बात थी। हमारी सरकार नहीं है, आपके केन्द्रीय मंत्री सी पी जोशी जी भीलवाड़ा में जो अंकेक्षण के लिये आये तो उन्होंने न्यौता दिया था कि राजस्थान के जन-प्रतिनिधि पंचायत राज के ये सारे के सारे गड़बड़ी करते हैं इसलिये प्राइवेट अंकेक्षण कराया जाए। उसका हमने विरोध किया। अलवर जिले से चालू किया और अंकेक्षण को नहीं होने दिया। आप लोग न्यौता दे रहे हैं, हमने सोचा था कि हमारे राजस्थान का प्रतिनिधि केन्द्र में गया है और हमारे सत्ता पक्ष का, प्रदेश अध्यक्ष वह जायेगा और राजस्थान में पंचायती राज का सुदृढीकरण होगा, राजस्थान के जन-प्रतिनिधियों का मान-सम्मान बढ़ेगा। राजस्थान के गांवों का विकास पंचायतों से होता है। शहरों में तो आप खूब बड़े-बड़े सिटी डवलप कर दो लेकिन सही मायने में राजस्थान का विकास उस दिन होगा जिस दिन गांव का विकास होगा और उस गांव के विकास में सबसे बड़ी भागीदारी सम्माननीय केन्द्रीय मंत्री सी पी जोशी जी की है। लेकिन उन्होंने तो सारे सरपंचों को, प्रधानों को और जिला प्रमुखों को प्राइवेट अंकेक्षण लगाकर उनको चोर साबित करने का काम किया है। इससे बड़ा गलत काम नहीं हो सकता।

आज यह कहना चाहूंगा कि 16 अधिकारों की बात कर रहे हैं, एक अधिकार नहीं दिया। पंचायत राज के अन्दर तृतीय श्रेणी अध्यापक के स्थानान्तरण का अधिकार प्रधान और जिला प्रमुख को होता है। 16 विभाग, पी

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

एच ई डी, इर्रिगेशन, पी डब्ल्यु डी, वाटर, सारे के सारे विभाग पंचायतों को होते हैं लेकिन हमें पढ़ने को मिला..(व्यवधान) हमें पढ़ने को मिला 3 तारीख को कि यहां पर ..(व्यवधान) सच कह रहा हूं, आपके हक की बात है। 3 तारीख को पढ़ने को मिला, माननीय सोनियाजी ने आकर कहा, पंचायतों का सुदृढ़ीकरण हो गया। सम्माननीय गहलोत जी का फोटो था, सी पी जोशीजी का था और भी बड़े-बड़े नेता कांग्रेस के थे लेकिन वह सारा का सारा सीमित रह गया अखबारों में ही।

तो मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस सत्ता पक्ष के द्वारा और माननीय गवर्नर द्वारा जो पढ़ा गया है यह अभिभाषण, यह सौ परसेंट असत्य है। ऐसे संसदीय, संवैधानिक पद पर रहते हुए मैं अपेक्षा करूंगा कि सरकार किसी की भी हो लेकिन कम से कम हमारे महामहिम राज्यपाल के माध्यम से इस तरह की असत्य बातें लिखवा करके झूठी वाहवाही नहीं लूटें, प्रदेश की जनता को गुमराह नहीं करें। मैं इसकी पुरजोर शब्दों में, कड़े शब्दों में निन्दा करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री शंकर लाल जी बैरवा।

श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन): माननीय सभापतिजी, आपने मुझे समय देकर इस मौके पर अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

आगे के लिये मैं यह कहना चाहूंगा कि जब-जब भी हमारी कांग्रेस की सरकार बनी तब-तब किसान वर्ग, गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग, सबके हित की बात हमारी सरकार ने की है। आज सब बताते हैं, हमारे विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि आपकी सरकार ने क्या किया ? जब भी हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तब-तब आप जानते हैं, आप चश्मदीद गवाह हैं कि गरीब और किसान का लाभ मिलता रहा। इस बार भी हमारी सरकार ने 5 साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ाने के लिये ठोस निर्णय लिया है, यह फैंसला किया गया है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि 5 साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ायी जायेंगी। हमारे कृषकों के लिये बिजली कनेक्शन देने का आह्वान किया, घोषणा की, यह कोई मामूली बात नहीं है। जब-जब भी हमारी सरकार सोचती है गरीब और किसान के हित में सोचती है। हमारी सरकार गरीब के साथ है। जब-जब भी सरकार बनी, गहलोत साहब ने तब-तब ऐसे निर्णय किये हैं कि किसी भी प्रकार से कोई आदमी दुःख नहीं पाया और किसी प्रकार से अत्याचार नहीं बढ़ा।

(श्री शंकर लाल बैरवा)

आज भी हमारी सरकार के अन्दर मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि गहलोतजी की सरकार में इन्सान तो भूखा-प्यासा नहीं ही रहेगा लेकिन पशु-पक्षी भी इस सरकार के अन्दर भूखे नहीं रहेंगे। यह मैं आपको कहना चाहता हूं। इसी आशा के साथ में, जय भारत।

श्री सभापति: सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 24 फरवरी, 2010 की प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.36 बजे बुधवार, दिनांक 24 फरवरी, 2010 को 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

समयभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

चालू शिक्षा सत्र में पाठ्य पुस्तकों/अध्ययन सामग्री में परिवर्तन

5. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्तमान शिक्षा सत्र में स्कूली शिक्षा पाठयक्रम में विभिन्न कक्षाओं की पुस्तकों में से कई पाठ/अध्ययन सामग्री हटवा दी गई है? यदि हां, तो कब-कब क्या-क्या पाठ/अध्ययन सामग्री हटाई गई तथा इसके क्या आधार/कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अध्ययन सामग्री को हटाने के पूर्व कितने विद्यालयों में उक्त अध्ययन सामग्री का अध्यापन करवाया जा चुका था ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वर्तमान सत्र में राज्य में कक्षा-1 से 8 तक की किसी भी कक्षा की किसी भी पुस्तकों से कोई भी पाठ/अध्ययन सामग्री नहीं हटाई गई है। अपितु माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कक्षा-9 से 12 में हटाई गई सामग्री का विवरण परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है, जो निम्नानुसार दिनांकों में प्रेषित किया गया है :-

(I) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राज. बीकानेर, उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा एवं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा को हटाई गई विषयवस्तु का परिपत्र दिनांक 07.11.09 को प्रेषित किया गया।

(II) हटाई गई विषयवस्तु की जानकारी बोर्ड वेबसाइट पर दिनांक 13.11.09 को अपलोड भी की गई तथा सामग्री हटाए जाने के आधार/कारण आदेश क्रमांक पं. 3(9)शिक्षा-6/03 दिनांक 10.08.09 द्वारा बोर्ड की पाठ्यपुस्तकों की जांच के संदर्भ में गठित जांच समिति की रिपोर्ट दिनांक 18.08.09 रही हैं।

उक्त उल्लेखित सामग्री को हटाने का मुख्य कारण इन पुस्तकों में बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तकों के लेखन हेतु निर्देशों की पालना नहीं करना रहा है।

(2) सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से प्रसारित आदेशों से पूर्व

(शिक्षा मंत्री)

ही माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में लगभग आधे से अधिक पाठ्यपुस्तक का अध्यापन करवाया जा चुका था।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

दिल्ली-जयपुर राजमार्ग संख्या-8 पर बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर रोक

6. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत एक वर्ष में अलवर जिले से गुजरने वाले दिल्ली-जयपुर राजमार्ग संख्या 8 पर मालवाहक वाहनों व यात्री वाहनों को लूटने की घटनाओं में वृद्धि हुई हैं? यदि हां, तो वर्ष 2009 में इस प्रकार की घटनाओं का विधान सभा क्षेत्रवार व थानावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के अन्तर्गत अलवर जिले से गुजरने वाले दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के थाना बहरोड़ व शाहजहांपुर में मालवाहक वाहनों व यात्री वाहनों को लूटने की घटनायें वर्ष 2008 के मुकाबले कुछ बढ़ी हैं। वर्ष 2009 की घटनाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

थाना	**वर्ष 2009**
बहरोड़	2
शाहजहांपुर	7
योग	**9**

(2) अलवर जिले से गुजरने वाले दिल्ली-जयपुर राजमार्ग संख्या 8 पर मालवाहक वाहनों व यात्री वाहनों के लूटने की घटनाओं की रोकथाम के लिये जिला अलवर में हाईवे पैट्रोलिंग के लिये 4 हल्के वाहन उपलब्ध हैं। राजमार्ग के थानों बहरोड़, शाहजहांपुरा व हाईवे पैट्रोलिंग द्वारा प्रतिदिन गश्त के दौरान

(गृह मंत्री)

संदिग्ध वाहनों की जांच की जाती है। हाईवे पर स्थित थानाधिकारीगण, वृत्ताधिकारी बहरोड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भिवाड़ी को भी नियमित गश्त करने व नाकाबन्दी के आकस्मिक चैकिंग टास्क दिये जाते हैं। हाईवे पर अपराधों की रोकथाम हेतु जिला स्तर, रेंज स्तर व राज्य स्तर पर समय-समय पर नाकाबन्दी की जाती है।

अलवर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र में हाईवे पर अपराधों में हरियाणा राज्य के पड़ौसी जिले नारनौल (महेन्द्रगढ़), रेवाड़ी, नूहमेवात व गुडगांवा क्षेत्र के अपराधियों की लिप्ता पाई गई है। अत: सम्बन्धित जिलों से अन्तर्राज्यीय सीमा के थानों के स्तर पर प्रतिदिन व नियमित सम्पर्क समन्वय स्थापित है। इन जिलों के हाईवे अपराध में लिप्त व वांछित अपराधियों की सूचनाओं का दिनांक 16-09-2009 को माणेसर (हरियाणा) तथा दिनांक 12-01-2010 को पुलिस मुख्यालय दिल्ली में आयोजित अन्तर्राज्यीय अपराध बैठक में आदान-प्रदान किया गया है।

कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में पदोन्नत सहायक प्रोफेसर

7. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) : क्या तकनीकी शिक्षा (कृषि) राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सहायक प्रोफेसर प्रमोशन के लिये साक्षात्कार लिया जाता है? यदि हां, तो वर्ष 2000 के बाद कब-कब प्रमोशन तथा उक्त स्केल हेतु साक्षात्कार हुए एवं उसमें बैठने वालों की सूची तथा साक्षात्कार में पास होने वालों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सन् 2001 में प्रमोशन होने वाले सहायक प्रोफेसर की पदोन्नति वर्ष 2001 से ही लागू की गई तथा सन् 2008 में प्रमोशन प्राप्त सहायक प्रोफेसर्स को वर्ष 1998 से लाभ दिया गया? यदि हां, तो इससे विश्व विद्यालय पर कितना आर्थिक भार पड़ा तथा क्या यह नीतिगत है? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन दोषी है तथा सरकार उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) एस.के. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में असिस्टैण्ट

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

प्रोफेसर पद पर नियुक्ति राजस्थान विश्वविद्यालय टीचर्स एण्ड आफिसर्स (सलेक्शन फार अपाईन्टमेन्ट) एक्ट 1974 एण्ड स्टेच्यूड मेड देयरअंडर के अन्तर्गत एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी नियम/आदेश के अनुसार की जाती हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय टीचर्स एण्ड आफिसर्स (सलेक्शन फार अपाइन्टमेन्ट) एक्ट 1974 तथा राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर एक्ट 1987 के संशोधित परिनियम 12 की (अधिसूचना दिनांक 16.11.1990) की छाया प्रतियां परिशिष्ठ ''अ'' एवं ''ब'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। वर्ष 2000 के बाद वर्ष 2001 में असिसटेन्ट प्रोफेसर, साधारण वेतनमान से वरिष्ठ वेतनमान तथा असिसटेन्ट प्रोफेसर, वरिष्ठ वेतनमान से चयनित ग्रेड पदों पर प्रमोशन हेतु पदोन्नतियां प्रदान की गई । तत्पश्चात् वर्ष 2007 एवं वर्ष 2008 में तथा असिसटेंन्ट प्रोफेसर, साधारण वेतनमान से असिसटेन्ट प्रोफेसर वरिष्ठ वेतनमान असिसटेंन्ट प्रोफेसर, वरिष्ठ वेतनमान से असिसटेन्ट प्रोफेसर, चयनित ग्रेड पदों पर पदोन्नतिया प्रदान की गई । इन साक्षात्कारों में बैठने वालों की सूची तथा चयनित की सूची वर्षवार परिशिष्ट ''स'' पर संलग्न है।

(3) केरियर एण्डवासमेन्ट योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001 में राज्य सरकार के आदेशानुसार निम्नांकित श्रेणी में सहायक आचार्यो की पदोन्नति विश्वविद्यालय के अधिनियम 1987 में वर्णित चयन मण्डल की अनुशंसानुसार दी गयी थी :-

1. सहायक आचार्य से सहायक आचार्य वरिष्ठ वेतनमान रू0 10000 से 15200 दिनांक 27.7.1998

2. सहायक आचार्य (वरिष्ठ वेतनमान) से सहायक आचार्य चयनित ग्रेड रु. 12000 से 18300 दिनांक 27.7.1998

3. सहायक आचार्य (वरिष्ठ वेतनमान) से सह. आचार्य रु. 12000 से 18300 दिनांक 19.5.2001 वर्ष 2007 में केरियर एण्डवासमेन्ट योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा सहा. आचार्य को सिनियर स्केल एवं सलेक्शन ग्रेड (12000-18300) में पदोन्नति देने हेतु आदेश जारी किये गये जिसके तहत साक्षात्कार वर्ष 2008 में करवाये गये थे । वर्ष 2001 में एसोसिएट प्रोफेसर पद पर पदोन्नति हेतु किये गये जिसके तहत वर्ष 2001 में साक्षात्कार में असफल हुए सहायक आचार्यो ने वर्ष 2008 में सहायक आचार्य सलेक्शन ग्रेड (12000-18300) में पदोन्नति हेतु आवेदन किया तथा चयन मण्डल की

(तकनीकी शिक्षा कृषि राज्य मंत्री)

अनुशंसानुसार इनको सहायक आचार्य (सलेक्शन ग्रेड) पद पर पदोन्नति दी गयी तथा सलेक्शन ग्रेड का लाभ 27.7.1998 या पात्रता की तिथि, जो भी बाद में हों, से दिया गया था। राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों को यू.जी.सी. का पाचवां संशोधित वेतनमान 01.01.1996 से दिया गया तथा इस वेतनमान की केरियर एण्डवासमेन्ट योजना भी विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों पर राज्य सरकार के दिशा-निर्देशानुसार लागू की गयी थी । केरियर एण्डवासमेन्ट योजना के अन्तर्गत पदोन्नति हेतु 01.66 करोड़ रुपये का आर्थिक भार आया था। जिसे राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया । पदोन्नति की कार्यवाही राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप की गयी थी ।

(प्रतियां व सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रदेश में शिशु मृत्यु दर पर नियंत्रण हेतु कार्य योजना

8. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में शिशु मृत्यु दर का औसत देश भर की औसत शिशु मृत्यु दर से अधिक है? यदि हां, तो कितनी तथा क्यों? क्या सरकार इसे कम करने हेतु कोई ठोस कार्य योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को संक्रमण से बचाने की पर्याप्त सुविधाएं न होने के कारण उनके बच्चे जीवित नहीं रह पाते ? क्या सरकार नवजात शिशुओं को मौत से बचाने हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में शिशु मृत्यु दर का औसत देशभर की औसत शिशु मृत्यु दर से अधिक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है:-

राजस्थान	भारत
63 (प्रति हजार जीवित जन्म पर) (एसआरएस 2008 के अनुसार)	53 (प्रति हजार जीवित जन्म पर) (एसआरएस 2008 के अनुसार)

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

राज्य में अभी भी काफी संख्या में प्रसव घरों पर सम्पन्न हो रहे हैं, जिससे जन्म लेते ही नवजात शिशु को होने वाली स्वास्थ्य सम्बन्धी जटिलताओं का ईलाज समय पर नहीं हो पाता।

शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए राज्य में जो योजनायें चलाई जा रही हैं उनका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत हैं।

(2) जी नहीं।

नवजात शिशुओं की विभिन्न कारणों से होने वाली मृत्युओं की रोकथाम के लिए चलाई जा रही योजनाओं का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर प्रस्तुत है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

दांतारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था

9. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र, दांतारामगढ़ में प्राथमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थी संख्या एवं अध्यापकों के स्वीकृत पद एवं उक्त पदों पर कार्यरत अध्यापकों की सूची जिसमें विद्यार्थी मित्र भी हों सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद कब तक भरने का विचार रखती है? उक्त विद्यालयों में जब तक स्थाई नियुक्ति नहीं की जाती, तब तक शैक्षणिक व्यवस्था किस प्रकार की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत संचालित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की संख्या एवं अध्यापकों के स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट-क तथा विद्यार्थी मित्रों सहित कार्यरत अध्यापकों की सूची परिशिष्ट–ख पर संलग्न है।

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों, अध्यापकों के स्वीकृत पद तथा स्वीकृत पद पर पदस्थापित अध्यापकों के विवरण का परिशिष्ट-ग तथा उक्त विद्यालयों में पदस्थापित विद्यार्थी मित्र का विद्यालयवार विवरण का परिशिष्ट-घ संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) रिक्त पदों की पूर्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही किया जाना सम्भव हो सकेगा। विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था सुचारू रखने के लिए छात्रानुपात से अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों से आवश्यकता वाले विद्यालयों में अध्यापक लगाकर तथा रिक्त पदों पर विद्यार्थी मित्र लगाये जाकर शिक्षण व्यवस्था की जाती है।

(विवरण व सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर की रिक्त भूमि पर आबाद व्यक्तियों को निर्माण हेतु स्वीकृति

10. श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर पर 500 मीटर के दायरे में सड़क के लगवा भूमि पर विभिन्न सहकारी समितियां गठित की जाकर उनके द्वारा पट्टे वितरित किये गये हैं? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में किस-किस समिति की भूमि व प्लाट हैं तथा उनमें से वर्तमान में कितनों पर निर्माण कार्य हो चुका है तथा कितनी भूमि खाली है? किये गये निर्माण कार्यों बाबत् प्राप्त आवेदन एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई इजाजत पत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अब खाली भूखंडों के निर्माण की स्वीकृति जारी की जावेगी एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संबंधित को स्वीकृति/पट्टे जारी किये जायेंगे? यदि हां, तो कब तक तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त प्रकार के प्रकरणों में समान व्यवहार अपनाने का विचार रखते हुए अग्रिम कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार से व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जवाहर लाल नेहरू मार्ग का दायरा रामनिवास बाग में दक्षिणी छोर से प्रारम्भ होकर जवाहर सर्किल तक आता है। उक्त मार्ग के दोनों ओर 500 मीटर के दायरे में अर्थात् लगभग 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सहकारी समितियां गठित की जाकर समितियों द्वारा वितरित पट्टे, किस-किस

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

समिति की भूमि व प्लॉट तथा उनमें से वर्तमान में कितनों पर निर्माण कार्य हो चुका है तथा कितनी भूमि खाली बची है तथा निर्माण कार्यों बाबत् प्राप्त आवेदन एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई इजाजत पत्र की प्रति सहित सूचना बाबत् जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मौके के भौतिक सत्यापन का कार्यादेश जारी कर दिये है। चूंकि लगभग 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का भौतिक सत्यापन किया जाकर सूचना तैयारी की जानी है। अत: सूचना तैयार कर आगामी दो माह में प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करवा दी जावेगी।

(2) सहकारी समिति की योजनाऐं जो कि जवाहर लाल मार्ग के 500 मीटर क्षेत्र में स्थित है एवं अनुमोदित है के भूखण्डधारियों को प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार निर्माण स्वीकृति जारी की जा रही है। जो कि एक सतत् प्रक्रिया है। सहकारी समिति की जो योजनाएं जवाहर लाल नेहरू मार्ग के 500 मीटर क्षेत्र के दायरे में स्थित है लेकिन जो अनुमोदित नहीं है के प्रकरणों में योजना के अनुमोदन पश्चात् ही खाली पड़े भूखण्डों के निर्माण की स्वीकृति जारी की जा सकती है। भौतिक सर्वे के पश्चात् प्रत्येक प्रकरण में नियमन हेतु नियमानुसार गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जावेगा।

(3) जी हां। भौतिक सर्वे पश्चात् प्रत्येक लम्बित प्रकरण में नियमन हेतु नियमानुसार गुणावगुण एवं समान व्यवहार अपनाने का विचार रखते निर्णय लेकर हुए अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

प्रदेश में स्वास्थ्य केन्द्रों का क्रमोन्नयन

11. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 में राज्य में उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां व नहीं, तो क्यों? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में महामारी जैसी बीमारियों को फैलने के मध्यनजर क्या सरकार राज्य के चिकित्सालयों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वित्तीय वर्ष 2009-10 में उप स्वास्थ्य केन्द्र, जैताना (उदयपुर) एवं ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र जैसिन्धर स्टेशन (बाड़मेर) को

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मण्डावरी (दौसा) को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया गया है।

वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण क्रमोन्नत किया जाना सम्भव नहीं हो सका।

(2) जी हां। आगामी वित्तीय वर्षों में समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कमी वाले पंचायत समितियों के क्षेत्र को भी ध्यान में रखते हुए नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने/उप स्वास्थ्य केन्द्रों का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नयन तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/डिस्पेन्सरियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जाना सम्भव हो सकेगा।

विदेशों में श्रमिकों के शोषण की रोकथाम हेतु ओवर सीज प्लेसमेंट ब्यूरो का गठन

12. श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि राज्य से हजारों की संख्या में श्रमिक खाड़ी देशों में रोजगार हेतु जाते हैं तथा एजेन्ट इन्हें अच्छा वेतन एवं सुविधाएं देने का आश्वासन भी देते हैं, परन्तु श्रमिक के वहां जाने के बाद उनका शोषण किया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार इन श्रमिकों का शोषण रोकने हेतु ओवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो गठित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां । यह सही है कि राज्य के बहुत से श्रमिक रोजगार के लिए विदेशों में जाते हैं। विदेशों में इन श्रमिकों को होने वाली कठिनाइयों का निराकरण करने की दृष्टि से राज्य में ओवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो की स्थापना के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

कोटा शहर के मिनी बाइपास एवं पुल निर्माण हेतु नगर विकास न्यास कोटा द्वारा देय राशि

13. श्री भवानी सिंह राजावत (लाड़पुरा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोटा शहर को भारी वाहनों के यातायात से बचाने के लिए चम्बल नदी पर गांवडी (कोटा) व गामछ (बूंदी) के बीच पुलिया

(श्री भवानी सिंह राजावत)

का निर्माण व गांवडी से झालीपुरा जगन्नाथपुरा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 76 तक मिनी बाइपास के निर्माण की नगर विकास न्यास एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग की भागीदारी से योजना स्वीकृत हुई थी? यदि हां, तो कब और उसकी लागत कितनी है?

(2) क्या यह भी सही है कि नगर विकास न्यास एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग की भागीदारी से बनने वाले पुल व बाइपास में गामछ (बूंदी) से चम्बल नदी तक की सड़क की लागत सार्वजनिक निर्माण विभाग ने स्वीकृत भी कर दी और नगर विकास न्यास कोटा ने अभी तक अपनी हिस्सा राशि पुल निर्माण के लिए अधिकृत सार्वजनिक निर्माण विभाग को जमा नहीं कराई? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक उक्त राशि जमा करवा दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही है कि चम्बल नदी पर गांवडी व गामछ के बीच पुलिया का निर्माण व इस पुलिया को बारां रोड तक मिलाने का कार्य नगर विकास न्यास, कोटा व सार्वजनिक निर्माण विभाग की भागीदारी में होना प्रस्तावित था। जिसमें से चम्बल नदी पर पुलिया (वेन्टेड कॉजवे) बनाने के लिए रु. 720.00 लाख की स्वीकृति उप सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प8(4) नविवि/1/2008 दिनांक 01.09.2008 के द्वारा जारी की गई थी।

(2) यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बूंदी से चम्बल नदी तक सड़क के लिए 148.00 लाख रु. की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 28.09.08 को जारी कर दी। नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण एवं प्रस्तावित पुलिया (वेन्टेड कॉजवे) के आस-पास न्यास की कोई योजना जिसमें न्यास को किसी प्रकार की आय हो सके नही होने के कारण यह कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्वयं के वित्तीय संसाधनों से कराने हेतु लिखा गया।

द्वितीय एवं तृतीय वेतन श्रृंखला के पदोन्नत अध्यापकों के रिक्त पदों की वैकल्पिक व्यवस्था

14. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर-उत्तर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान सत्र में द्वितीय व तृतीय वेतन श्रृंखला के कितने अध्यापकों को उच्च वेतन श्रृंखला के पदों पर पदस्थापित किया गया? जिलानुसार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री वासुदेव देवनानी)

(2) क्या इन्हें नियमित पदोन्नति दी गई? यदि नहीं, तो सेवा नियमों के किस प्रावधान के तहत उक्त पदोन्नति व पदस्थापन किये गये?

(3) उक्त में से कितने अध्यापकों ने नवीन पदों पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है?

(4) उक्त वेतन श्रृंखलाओं के अध्यापकों के पदोन्नति के कारण हुए रिक्त पदों में से कितने मूल पद भरे गये? यदि नहीं, तो रिक्त हुए अध्यापकों के पदों की शैक्षणिक व्यवस्था कैसे व क्या की गई?

उत्तर

(1) जिलानुसार पदस्थापित किये गये अध्यापकों का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 'क' व परिशिष्ट 'ख' संलग्न है।

(2) प्रश्न के भाग संख्या 1 में वर्णित परिशिष्ट-'क' में वर्णित अध्यापकों को शैक्षणिक व्यवस्था हेतु कार्मिक (क-2) विभाग से सहमति प्राप्त कर पत्रांक प. 4(13) शिक्षा-2/04 पार्ट दिनांक 18.09.2009 के द्वारा उच्च वेतन श्रृंखला के पदों पर लगाये जाने की दी गयी स्वीकृति के आधार पर लगाया गया है तथा परिशिष्ट-'ख' में उल्लेखित अध्यापकों को विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनोपरान्त पदोन्नति दी गई है।

(3) उक्त में से प्रधानाध्यापक, माध्यमिक विद्यालय के पद पर 1620, प्राध्यापक के पद पर 120 ने तथा 14307 ने वरिष्ठ अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक (राउप्रावि) के पद पर कार्यग्रहण कर लिया है।

(4) जी नहीं। इन रिक्त पदों पर अन्य विद्यालयों से अध्यापक लगाये जाकर तथा विद्यालय में विद्यमान अध्यापकों से अध्यापन का कार्य करवाया जाकर शैक्षणिक व्यवस्था की गई है।

परिशिष्ट 'क'

पाते वेतन पर पदस्थापित अध्यापकों की जिलेवार संख्यात्मक सूचना

क्र. सं.	जिले का नाम	द्वितीय वेतन श्रृंखला से प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थापित	तृतीय वेतन श्रृंखला से व.अ. एवं प्र.अ. (उप्रावि) के पद पर पदस्थापित	
		प्रधानाध्यापक (मावि)	व.अ.	प्र.अ. (उप्रावि)
1	चूरू	62	187	414

1	2	3	4	
2	हनुमानगढ़	99	55	308
3	झुन्झुनूं	48	62	378
4	बीकानेर	42	90	395
5	श्रीगंगानगर	41	40	478
6	उदयपुर	119	109	353
7	राजसमन्द	39	90	197
8	चित्तौड़गढ़	102	63	338
9	डूंगरपुर	68	24	174
10	बांसवाड़ा	95	53	242
11	अजमेर	100	76	408
12	भीलवाड़ा	91	99	507
13	टोंक	49	108	294
14	नागौर	102	188	560
15	कोटा	65	12	201
16	बून्दी	56	17	155
17	झालावाड़	69	8	155
18	बारां	40	22	160
19	भरतपुर	104	21	351
20	धौलपुर	36	26	216
21	सवाई माधोपुर	41	23	155
22	करौली	72	12	182
23	जालौर	25	54	348
24	सिरोही	43	13	128
25	पाली	100	55	426
26	बाड़मेर	53	91	626

1	2	3	4	
27	जैसलमेर	18	32	159
28	जोधपुर	75	90	517
29	जयपुर	155	19	406
30	अलवर	146	42	760
31	सीकर	103	69	419
32	दौसा	56	0	257
		2314	1850	10667

परिशिष्ट 'ख'

नियमित पदोन्नति से भरे गये पदों की जिलानुसार संख्यात्मक सूचना

क्र. सं.	जिले का नाम	व.अ. से व्या. के पद पर	तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी के	
			व.अ.	प्र.अ. (उप्रावि)
1	चूरू	8	49	39
2	हनुमानगढ़	6	21	43
3	झुन्झुनूं	0	34	63
4	बीकानेर	9	40	114
5	श्रीगंगानगर	5	31	151
6	उदयपुर	10	71	153
7	राजसमन्द	4	46	115
8	चित्तौड़गढ़	9	22	179
9	डूंगरपुर	7	20	33
10	बांसवाड़ा	10	36	90
11	अजमेर	7	58	75
12	भीलवाड़ा	14	51	101

क्र. सं.	जिले का नाम	व.अ. से व्या. के पद पर	तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी के	
			व.अ.	प्र.अ. (उप्रावि)
13	टोंक	5	21	52
14	नागौर	14	49	120
15	कोटा	10	55	93
16	बून्दी	10	43	108
17	झालावाड़	12	50	308
18	बारां	9	47	141
19	भरतपुर	11	140	137
20	धौलपुर	4	44	45
21	सवाई माधोपुर	9	37	80
22	करौली	14	32	75
23	जालौर	4	76	122
24	सिरोही	5	55	74
25	पाली	6	122	123
26	बाड़मेर	3	121	182
27	जैसलमेर	0	29	15
28	जोधपुर	8	183	181
29	जयपुर	14	195	354
30	अलवर	24	143	196
31	सीकर	11	178	223
32	दौसा	12	48	60
		274	2177	3848

जोधपुर जिले की कच्ची बस्तियों का नियमन

15. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जोधपुर में कच्ची बस्तियां कहां-कहां पर बसी हुई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन कच्ची बस्तियों का नियमन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त जिले में वन विभाग की कितने क्षेत्रफल हैक्टर भूमि में कौन-कौनसी कच्ची बस्तियां बसी हुई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इन बस्तियों में विश्व बैंक, यू.आई.टी., जे.डी.ए. व अन्य सरकारी सुविधाओं से कार्य करवाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या व नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार वन विभाग की भूमि पर बसी कच्ची बस्तियों का नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, किस प्रकार व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला जोधपुर में बसी कच्ची बस्तियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। कतिपय कठिनाइयों के संबंध में मंत्रीमण्डल के निर्णय दिनांक 23.08.2009 पर मा. उच्च न्यायालय से छूट प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जोधपुर जिले में वन विभाग की भूमि पर कुल 444.11 हैक्टर क्षेत्र में कुल 36 बस्तियां पूर्ण रूप से एवं आंशिक रूप से बसी हुई हैं का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) भारत सरकार द्वारा दिसम्बर 2005 से राज्य की शहरों की कच्ची बस्तियों को विकसित करने हेतु एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम लागू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य चिन्हित कच्ची बस्तियों में रहने वाले स्लम निवासियों का पर्याप्त आवास और आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराकर शहरों को स्लम मुक्त कराना है। इस योजना में स्वीकृति विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) हेतु 80 प्रतिशत अंश केन्द्र सरकार का 10 प्रतिशत राज्य सरकार का एवं 10 प्रतिशत संबंधित नगर निकाय अंश का

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

प्रावधान है। योजना के अन्तर्गत प्रति आवासीय इकाई लागत रुपये 1.00,000/- है। आवासीय इकाई का क्षेत्रफल 25 वर्गमीटर जिसमें 2 कमरे, रसोई एवं शौचालय निर्माण सम्मलित है। योजना अन्तर्गत जिला जोधपुर में बसी कच्ची बस्तियों हेतु नगर निकाय द्वारा तैयार की गई जोधपुर शहर एवं फलौदी शहर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट राशि क्रमश: जोधपुर फेज-I (2055.64 लाख), जोधपुर फेज-II (4439.54 लाख) एवं (2326.51 लाख) भारत सरकार द्वारा स्वीकृति की गई है। जिसके अन्तर्गत जिला जोधपुर की चिन्हित कच्ची बस्तियों में आवासीय इकाइयों का निर्माण एवं आधारभूत सुविधाओं के कार्य संबंधित नगर निकाय द्वारा करवाये जायेगे। जिसकी माह जनवरी 2010 तक की प्रगति संलग्न है।

(5) प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

उपखण्ड अधिकारी नगर परिषद् क्षेत्र पाली के समक्ष धारा 90बी के लम्बित प्रकरण

1. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगर परिषद् पाली क्षेत्र में धारा 90बी के कितने प्रकरण उपखण्ड अधिकारी के समक्ष कितने समय से किन-किन कारणों से लम्बित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अब उक्त प्रकरणों का निस्तारण कितनी अवधि में करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) नगर परिषद् पाली द्वारा दिनांक 23.11.2006 को धारा 90बी के अन्तर्गत कुल 23 प्रकरण उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित किये गये थे जिन पर उपखण्ड अधिकारी के पत्र दिनांक 13.01.2010 के द्वारा कुछ आपत्तियां यथा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन, क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, शपथ पत्र, चालू जमाबंदी, नक्शा साईट प्लान 1=50'' ले आउट प्लान, नवीनतम आदेशानुसार एप्रोज रोड चौड़ाई एवं नगर नियोजक से अनुमोदित प्लान मय पटवारी द्वारा सुपर इम्प्रोज व राय इन सभी कमियों को अंकित करते हुये वापस नगर परिषद् को लौटा दिये गये हैं।

(2) उपखण्ड अधिकारी द्वारा अंकित आपत्तियों की पूर्ति करते हुये पुन: प्रकरण उपखण्ड अधिकारी को निस्तारण हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं।

वर्ष 1981 के कच्ची बस्ती सर्वेधारी को भूखण्ड आबंटन

2. श्री राजेन्द्र सिंह (बेगूं) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जयपुर में वर्ष 1981 के कच्ची बस्ती के सर्वेधारियों को सस्ती दर पर रिहायशी भूखण्ड आबंटन (100 वर्ग गज) कर दिये गये हैं? यदि हां, तो आवंटियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार ने वर्ष 1981 के कतिपय पात्र सर्वेधारी को अब तक नियमान्तर्गत रिहायशी भूखण्ड आबंटित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो श्रीमती सरदार कंवर बी-76 व 77, वर्मा कॉलोनी, नाहरी का नाका, जयपुर को अब तक भूखण्ड आबंटित नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

(श्री राजेन्द्र सिंह)

(3) क्या यह सही है कि उक्त सर्वेधारी के समकक्ष पात्रता रखने वालों को वर्ष 2007-08 में भूखण्ड आबंटित कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो अब उक्त आवेदक को भूखण्ड कब तक आबंटित कर दिया जावेगा व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर में वर्ष 1981 के कच्ची बस्ती के सर्वेधारियों को आबंटित भूखण्डों की क्षेत्रफल सहित आबंटियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) वर्ष 1981 के सर्वेधारियों को रिहायशी भूखण्ड आबंटन की सतत् प्रक्रिया है और अभी भी कई भूखण्डधारियों जिनकी पत्रावलियां अपूर्ण है, को भूखण्ड आबंटन किया जाना शेष है।

श्रीमती सरदार कंवर को जयपुर विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 11.12.1985 के द्वारा इन्द्रिरा वर्मा कालोनी के भूखण्ड संख्या बी 77 का आबंटन 10/-रूपये की दर पर किया गया, जिसकी राशि प्रार्थिया द्वारा दिनांक 16.12.1985 को जमा करा दी एवं जिसका भौतिक कब्जा जयपुर विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 16.05.1987 द्वारा संभला दिया है। श्रीमती सरदार कंवर द्वारा बी 77 के बराबर बी 76 पर कब्जा कर दोनों को मिलानकर भवन का निर्माण कर लिया है। नियमानुसार श्रीमती सरदार कंवर को एक से अधिक भूखण्ड का आबंटन नहीं किया जा सकता है।

(3) जी हां। प्रत्येक पत्रावली में पात्रता पृथक-पृथक है। श्रीमती सरदार कंवर जो कि वर्ष 1981 की सर्वेधारी है, को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड संख्या बी 77 आबंटन कर दिया गया है। प्रार्थिया का एक और भूखण्ड के आबंटन की मांग नियमानुकूल नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जोधपुर में फुटबाल अकादमी की स्थापना

3. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :क्या युवा एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार जोधपुर में फुटबाल अकादमी की स्थापना करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। जोधपुर में फुटबाल अकादमी की स्थापना करने का प्रकरण परीक्षणाधीन है एवं निर्णय होने पर फुटबाल अकादमी स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

राजस्थान कुश्ती संघ (ओलम्पिक) के नियम विरूद्ध चुनाव

4. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर शहर) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान कुश्ती संघ (ओलम्पिक) का चुनाव दिनांक 28-11-2004 को सम्पन्न हुआ था एवं विधान के अनुसार चार वर्ष उसका कार्यकाल रहता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त संघ के सचिव ने दिनांक 11-6-2006 को नये चुनाव कराये हैं ? यदि हां, तो किस अधिकार से चार वर्ष के पूर्व चुनाव सम्पन्न कराये गये ?

(3) क्या यह सही है कि इस अनियमितता की शिकायत पूर्व कार्यरत कार्यकारिणी द्वारा रजिस्ट्रार को की गई थी व इसकी जांच खेल परिषद् सचिव को तीन वर्ष पूर्व दी गई थी? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। संघ के संविधान के अनुच्छेद 10 (ई) में पदाधिकारियों के चुनाव यदि बकाया है तो चार वर्ष के लिए होंगे।

(2) जी हां। संघ की साधारण सभा की बैठक दिनांक 07.01.2006 (भीलवाड़ा) में किये गये निर्णयानुसार नवीन चुनाव करवाये गये।

(3) जी हां। कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर ने संघ में विवाद की स्थिति आने पर दिनांक 22.01.2007 को श्री जे.के. पुरोहित, तत्कालीन सचिव, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्, जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया था। परन्तु इस आदेश को संशोधित कर दिनांक 20.07.2007 को श्री महेश सैनी, खेल अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। श्री सैनी, खेल अधिकारी ने संघ के चुनावों में परिषद् के पर्यवेक्षक होने का कारण अंकित कर उप पंजीयक, सहकारी समिति को दिनांक 07.09.2009 को पत्र लिख कर अन्य अधिकारी को जांच अधिकारी बनाने का

(युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री)

निवेदन किया हुआ है तथा स्मरण पत्र भी दिया है जिसका निर्णय कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान में लम्बित है।

अलवर जिले के थानों में विद्युत ट्रासंफार्मर चोरी के दर्ज प्रकरण

5. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़वास) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अलवर के थाना तिजारा, टपूकड़ा, कोटकासिम व किशनगढ़ बास में गत एक वर्ष में विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर चोरी की कितनी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी मुकदमों में मुल्जिमान का चालान कर चोरी किया गया सामान बरामद कर लिया गया है? यदि नहीं, तो अब कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) जिला अलवर के थाना तिजारा, टपूकड़ा, कोटकासिम व किशनगढ़ बास में गत एक वर्ष (2009) में विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर चोरी की कुल एक (1) एफ.आई.आर. दर्ज हुई है। यह एफ.आई.आर. थाना टपकूड़ा में दर्ज हुई हैं।

(2) दर्ज प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी सम्भव नहीं हो पाई है। प्रकरण को रि-ओपन कर गहन अनुसंधान के लिये लिया गया है।

अलवर के एस.एम.डी. सर्किल, पर स्थापित यातायात लाइटें

6. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अलवर शहर में एस.एम.डी. सर्किल पर यातायात लाइटें कब लगाई गई ? क्या उक्त लाइटें लगाने से अब तक चालू नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त लाइटों की स्थापना पर कितने रुपये व्यय किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर शहर में एस.एम.डी. सर्किल पर अगस्त, 2006 में लाइटें लगाई गई। लाइटें लगाने के पश्चात तुरन्त ही लाइटें चालू कर दी गई थीं।

(2) इन लाइटों की स्थापना पर कुल 3.24 लाख रुपये व्यय किये गये।

बांकी एवं भैरूपुरा बरड़ ग्राम (बूंदी) के मध्य राजस्व सीमा ज्ञान

7. श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बांकी तथा भैरूपुरा बरड़ (बूंदी) के मध्य की राजस्व सीमा का निर्धारण सही नहीं होने तथा सीमाबंदी पिलर नहीं होने से दोनों ग्रामों के निवासियों के मध्य विगत समय में हुए दंगा-फसाद एवं मनमुटाव तथा बढ़ रही मुकदमेबाजी को देखते हुए दोनों राजस्व ग्रामों के मध्य की सीमा में स्थायी पिलर लगाने हेतु सरकार द्वारा जिला कलक्टर बून्दी को निर्देशित किया गया है? यदि हां, तो किस तारीख को तथा उक्त कार्य करवाया जाने के लिए अब क्या कार्यवाही की जा रही है? सरकार द्वारा जिला कलक्टर बून्दी को लिखे गये पत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अब सीमा के स्थायी पिलर लगाने का कार्य कब तक करवा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्व विभाग के पत्र संख्या प. 4(28)राज./3/07 दिनांक 16.7.09 द्वारा निर्देश दिये गये थे। पत्र की प्रतिलिपि परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। कलक्टर बून्दी ने तहसीलदार बून्दी को निर्देशित कर दिया है कि नष्ट हुए सभी सीमा चिन्हों को पुन: कायम किया जाये।

(2) जो सीमा चिन्ह नष्ट हो गये हैं, उन्हें लगवाने हेतु तहसीलदार बून्दी को निर्देशित कर दिया गया है। एक माह की अवधि में नष्ट हुए सभी सीमा चिन्हों को पुन: कायम कर दिया जायेगा।

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप -3) विभाग

क्रमांक : प.4 (28) राज-3/07　　　　　　जयपुर, दिनांक 16.7.09

जिला कलेक्टर,

बूंदी।

विषय:- विधान सभा अता. प्र. सं. 1150/राजस्व द्वारा श्री रामनारायण मीणा, सदस्य विधान सभा का उत्तर भिजवाने बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 796 दिनांक 14.5.09

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र के द्वारा प्रेषित उक्त प्रश्न के उत्तर के बिन्दु सं. 3 के संबंध में निर्देशानुसार लेख है कि नामान्तरकरण सं. 8 दिनांक 4.1.1975 का अमल दरामद जमाबंदी में क्यों नहीं किया गया? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब अमल दरामद क्यों नहीं किया जा सकता? बिन्दु सं. 3 में सीमा के पिल्लर लगाकर सीमा का विवाद स्थाई रूप से हल किया जावे तथा पालना रिपोर्ट तत्काल भिजवाने की व्यवस्था करावें

भवदीय

ह.

शासन उप सचिव

सांगानेर के मकबूजा जागीर के मालिकाना हक में परिवर्तन

8. डा. दिगम्बर सिंह (डीग कुम्हेर) **:** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि तहसील सांगानेर के गांव घाटी सूरजपूरा में संवत 2015 से सवत 2034 के खतौनी बंदोबस्त (जमाबन्दी) में खसरा संख्या 63, 137, 8, 9, 10, 34, 54, 78, 89, 91, 96, 117, 125, 126, 133 तथा 141 कुल रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा मकबूजा जागीर के नाम दर्ज थी और वर्तमान राजस्व रिकार्ड में किसी अन्य के नाम से इन्द्राज हो गई है ? यदि हां, तो वर्तमान जमाबन्दी में उक्त भूमि किस के नाम दर्ज है जमाबन्दी से वर्तमान जमाबन्दी तक हुए रद्योबदल का मय आदेशों की प्रति के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त खसरा नं. वर्तमान जमाबन्दी में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हैं? यदि हां, तो यह किस आदेश से

(डा. दिगम्बर सिंह)

कब अंकित किये गये ? आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि मकबूजा जागीर की उक्त भूमि को सरकार ने सिवाय चक घोषित किया है **?** यदि हां, तो कब तथा किस न्यायालय अथवा प्राशासनिक आदेश से? आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त खसरों की भूमि को तहसीलदार सांगानेर ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 18-06-1969 में घाटी सूरजपूरा के तत्कालीन जागीरदार श्री गुलजारी लाल के वारिस श्री राजबिहारी लाल माथुर की निजी सम्पत्ति के रूप में सत्यापित की है और वर्तमान में यह भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है**?** क्या सरकार गैर विधि सम्मत ढंग से जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम हस्तान्तरण करने का विचार रखती है**?** यदि नहीं, तो क्यों**?** विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या प्रशासनिक आदेशों से खातेदार/जागीरदार की भूमि सिवाय चक घोषित की जा सकती है**?** यदि हां, तो किन नियमों के तहत**?** नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। साबिक खसरा नम्बरान 63, 137, 8, 9, 10, 34, 54, 78, 89, 91, 96, 117, 125, 126, 133 तथा 141 से बने हाल खसरा नम्बरान 113, 114/247, 194, 195मी, 18/241, 20, 21, 67, 91, 92, 119, 120, 168, 253/167, 145, 146, 184, 115, 114/248, 190, 193, 187, 197, 204, 217/250 वर्तमान जमाबंदी में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। राज. भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 21 के अन्तर्गत उक्त खसरा नम्बरान की भूमि राज्य सरकार में पुर्नग्रहित हो गई थी अत: उक्त खसरा नम्बरान को सिवायचक दर्ज किया गया।

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 54 के अतंर्गत उक्त सिवायचक भूमियां जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से दर्ज की धारा 54 के अन्तर्गत उक्त सिवायचक भूमियां जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से दर्ज की गई हैं । जमांबदी (मिसल बंदोबस्त) 2015 से 2034 की प्रतिलिपि परिशिष्ट 'अ' पर सलंग्न है। जमांबदी संवत 2023 जिसमें उक्त खसरा नम्बरान को सिवायचक दर्ज किया गया, की प्रतिलिपि परिशिष्ट 'ब' पर सलंग्न है तथा जमांबदी संवत 2063-66 जिसमें उक्त खसरा नम्बरान जयपुर

(राजस्व मंत्री)

विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है, की प्रतिलिपि परिशिष्ट 'स' पर सलंग्न है। जिला कलक्टर, जयपुर के आदेश दिनांक 19.1.1993 जिसके द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त सिवायचक भूमियों को जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया था, की प्रतिलिपि परिशिष्ट 'द' पर सलंग्न है।

(2) जी हां । जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 54 के प्रावधानों के अनुसार जिला कलक्टर, जयपुर के आदेश दिनांक 19.1.1993 से जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त सिवायचक भूमियों को जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया था। कलेक्टर, जयपुर के आदेश दिनांक 19.1.1993 की प्रतिलिपि परिशिष्ट 'द' पर सलंग्न है व जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 54 की प्रतिलिपि परिशिष्ट 'य' पर सलंग्न है।

(3) जी हां। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के प्रभाव में आने के समय उक्त खसरा नम्बरान की भूमि न तो जागीरदार की खुदकाश्त थी। और न हीं किसी अन्य व्यक्ति की कास्त में दर्ज थी। अत: उक्त अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत इन खसरा नम्बरान की भूमि राज्य सरकार में पुनर्ग्रहित हो गई तथा उक्त खसरा नम्बरान को सिवायचक दर्ज किया गया। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 21 की प्रतिलिपि परिशिष्ट 'र' पर सलंग्न है।

(4) जी नहीं। इस भूमि को विधिवत रूप से जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज किया गया है। अत: इस भूमि को पुन: जागीरदार के नाम स्थानान्तरण करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(5) जी नहीं। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 21 के अन्तर्गत यह भूमि राज्य सरकार में पुनग्रहित हो गई थी। अत: उक्त भूमियों को सिवायचक दर्ज किया गया। धारा 21 की प्रति परिशिष्ट 'र' पर संलग्न है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जोधपुर में फिजियोथैरेपी कॉलेज की स्थापना

9. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार जोधपुर में फिजियोथैरेपी कॉलेज की स्थापना करने का विचार रखती है**?** यदि हां, तो उक्त संबंध में बनाई गई कार्य-योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। मेडिकल कॉलेज जोधपुर के अधीन फिजियोथैरेपी महाविद्यालय खोलने का निर्णय ले लिया गया है। शैक्षणिक सत्र 2010-2011 में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए मेडिकल कालेज, भवन में वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है।

जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय के खराब उपकरणों की मरम्मत

10. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर के किस-किस यूनिट के कौन कौन से उपकरण कितने-कितने समय से किस-किस कारण से मरम्मत योग्य होने के बावजूद खराब पड़े हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त खराब उपकरणों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है**?** यदि हां, तो कब तक**?**

उत्तर

(1) सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर के मरम्मत योग्य खराब उपकरणों की सूची परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। मरम्मत योग्य उपकरणों को सही करवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट 'अ'

मरम्मत योग्य खराब उपकरणों की सूची

क्र0 सं0	**विभाग का नाम**	**मरम्मत योग्य खराब उपकरण का नाम**	**उपकरण खराब होने की तिथि**	**खराब रहने का कारण/ प्रगति विवरण**
1	रेडियोथैरेपी विभाग	कोबाल्ट 780-सी	सितम्बर,09	यह मशीन विगत 17 वर्षों से स्थापित है। इस मशीन हेतु कम्पनी द्वारा लगभग 22 लाख का व्यय बताया है, मरम्मत पश्चात भी मशीन के संचालन बाबत कम्पनी ने कोई गारण्टी नहीं दी है। राज्य सरकार शीघ्र निर्णय हेतु प्रयास कर रही है।

क्र0 सं0	**विभाग का नाम**	**मरम्मत योग्य खराब उपकरण का नाम**	**उपकरण खराब होने की तिथि**	**खराब रहने का कारण/ प्रगति विवरण**
2	सी.टी. सर्जरी विभाग	वैन्टीलेटर-02	विगत एक साल	अनेक प्रयासों के बाद भी वैन्टीलेटर्स पूर्णत: ठीक नहीं हो सके हैं।
3	नैफ्रोलोजी विभाग	हीमोंडायलेंसिसि मशीन-03	दो मशीन सित., 09 से तथा एक अन्य अक्टू. 09 से	मरम्मत की प्रक्रिया अन्तर्गत है।
4	सी.टी. सर्जरी विभाग	डी-फिबिलेटर	विगत 3 से 6 माह से	मरम्मत की प्रक्रिया अन्तर्गत है।
5	आई.आई. टी.वी.	अस्थि रोग	1995 से खराब है	कम्पनी से पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन उपकरण पुराना होने के कारण कम्पनी द्वारा उपयुक्त कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

सरकारी क्षेत्र में हृदय रोग चिकित्सा संस्थान की स्थापना

11. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र में हृदय रोग चिकित्सा संस्थान की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां पर एवं कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार मानस आरोग्य संस्थान, मानसरोवर, जयपुर में हार्ट इन्स्टीट्यूट की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार द्वारा इसकी स्थापना करने के लिए चालू वर्ष में

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बजट प्रावधान रखा गया है? यदि हां, तो अब तक किन कारणों से स्थापित नहीं किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत मानसरोवर स्थित मानस आरोग्य सदन में हृदय रोग चिकित्सा संस्थान की स्थापना कर रही है जो कि प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। उपरोक्तानुसार।

(3) राज्य में सरकारी क्षेत्र में हृदय रोग की चिकित्सा हेतु आम नागरिकों विशेषकर बी.पी.एल. परिवारों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु नव निर्मित मानस आरोग्य सदन मानसरोवर, जयपुर में हार्ट इन्स्टीट्यूट की स्थापना हेतु चालू वर्ष में राशि रुपये 16.00 करोड का प्रावधान प्रस्तावित है। मानस आरोग्य सदन, मानसरोवर, जयपुर को पीपीपी मोड में चलाये जाने हेतु राज्य सरकार ने Expression of interest द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित कर एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर प्राइवेट पार्टनर का चयन करने का निर्णय लिया हैं । प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

अलवर जिले में बर्न एवं ट्रोमा यूनिट की स्थापना

12. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार जिला अलवर में बर्न एवं ट्रोमा यूनिट खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) उक्त जिले में चिकित्सकों के कितने-कितने पद कहां-कहां स्वीकृत हैं एवं उक्त में से कितने चिकित्सक कार्यरत व कितने पद रिक्त हैं और रिक्त पदों को भरने की सरकार की क्या योजना है तथा कब तक उक्त पदों को भर दिया जावेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार के आदेश दिनांक 31 अगस्त, 2009 के द्वारा जिला चिकित्सालय, अलवर में ट्रोमा यूनिट खोलने की स्वीकृति जारी कर दी गई है।

आगामी वित्तीय वर्षों में जिला चिकित्सालयों में बर्न यूनिट खोले जाने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर जिला चिकित्सालय, अलवर में बर्न यूनिट खोले जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) अलवर जिले के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का चिकित्सा संस्थानवार संख्या विवरण परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत है।

वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त एवं ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी (पीजी अस्थिरोग) के रिक्त पद को स्थानान्तरण से भरे जाने का प्रयास किया जायेगा ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीगंगानगर के जिला चिकित्सालय में व्याप्त अनियमितताएं

13. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्री गंगानगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर स्थापित जिला अस्पताल में चिकित्सक समय पर नहीं पहुंचते तथा अस्पताल में मरीजों के देखने की बजाय घर पर दिखाने के लिए प्रेरित करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रक्रिया पर रोक के लिए कोई ठोस कदम उठाने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि चिकित्सक द्वारा दवा कम्पनियों तथा मेडिकल स्टोर्स वालों से गठजोड़ कर कई बार दवाओं के जैनेरिक विकल्प मौजूद होने पर भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की मंहगी दवाऐं लिखते हैं या कोई विशेष दवा किसी खास दुकान से लाने को कहते हैं ? क्या सरकार उक्त प्रवृति पर रोक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

(3) जनवरी, 2008 से जनवरी,2010 तक उक्त जिला चिकित्सालय में बी.पी.एल. परिवारों को कितनी-कितनी दवाइयां उपलब्ध करवाई गई तथा क्या-क्या अन्य सुविधाएं दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। इस सम्बन्ध में गत 1 वर्ष में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) सभी चिकित्सकों को जैनेरिक दवाइयां लिखने के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं। समय-समय पर इस संबंध में उच्च अधिकारियों एवं जिला कलक्टर द्वारा निर्देशित समिति द्वारा भी जांच की जाती है। गत एक वर्ष में जिला चिकित्सालय श्रीगंगानगर में इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इसी प्रकार कोई दवा विशेष किसी विशेष दुकान से लाने की शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई हैं।

(3) राजकीय चिकित्सालय, श्रीगंगानगर में जनवरी 2008 से जनवरी 2010 तक 45845 बी.पी.एल. मरीजों को नि:शुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई गई सूची परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत है।

उक्त चिकित्सालय में जनवरी 2008 से जनवरी 2010 तक बी.पी.एल. मरीजों को नि:शुल्क उपलब्ध करवाई गई चिकित्सा सुविधाओं का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	**सुविधाओं को विवरण**	**संख्या**
1.	लैब टेस्ट	32064
2.	ब्लड यूनिट	681
3.	सोनोग्राफी	2396
4.	ई.सी.जी.	1673
5.	ई.ई.जी.	129
6.	इको	7
7.	टी.एम.टी.	2
8.	एक्स-रे	5314
9.	सी.टी. स्केन	250
10.	एन्डोस्कोपी	19
11.	मेजर ऑप्रेशन	450
12.	रेफर के लिए भेजी गई ऐम्बुलेन्स	23

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी की दर में वृद्धि

14. श्री अमराराम (दातारामगढ़) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अमराराम)

क्या यह सही है कि राज्य में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का प्रस्ताव श्रम सलाहकार मण्डल द्वारा सर्वसम्मत पास कर दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक न्यूनतम मजदूरी नहीं बढ़ाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

जी नहीं। न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का प्रस्ताव श्रम सलाहकार मण्डल द्वारा नहीं अपितु राज. न्यूनतम मजदूरी सलाहकार मण्डल द्वारा पास किया गया था। प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा विचार कर न्यूनतम मजदूरी 1 मार्च, 2008 से बढ़ा दी थी।

वरिष्ठ (पुरुष एवं महिला) अध्यापकों की वरिष्ठता सूची का अद्यतन प्रकाशन

15. श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों में पदस्थापित पुरुष एवं महिला अध्यापकों की वरिष्ठता सूचियां पृथक-पृथक है तथा इनकी पदोन्नतियां भी पृथक-पृथक होती हैं? यदि हां, तो किस आधार एवं नियमों के अन्तर्गत? नियमों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त नियमों के कारण महिलाओं की विभिन्न पदों पर पदोन्नतियां पुरुष के मुकाबले बहुत कम होती हैं? क्या सरकार दोनों की एक ही वरिष्ठता सूचियां बनाकर समान पदोन्नति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार द्वारा अब तक पदोन्नत/नियुक्त प्राचार्य एवं वरिष्ठ अध्यापक (महिला एवं पुरुष) की वरिष्ठता सूचियां बनाई गई है? यदि हां, तो वरिष्ठ अध्यापक पद पर वर्ष 1981 से 1986 तक नियुक्त/पदोन्नति की वरिष्ठता सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो अब तक इनकी वरिष्ठता सूचियां नहीं बनाने के क्या कारण रहे तथा अब कब तक तैयार कर ली जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। सम्बन्धित नियमों एवं संलग्नक परिशिष्ट की छाया प्रतियों का परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी हां। पुरुष एवं महिला अध्यापकों की दिनांक 01.04.1998 से इकजाई वरिष्ठता सूचियां बनाने हेतु नियमों में संशोधन के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। वर्ष 1981 से 1986 तक वरिष्ठ अध्यापक के पद पर नियुक्त एवं पदोन्नत वरिष्ठ अध्यापकों की वरिष्ठता सूचियों के 2 सैट परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है। वरिष्ठता सूचियां महिला एवं पुरुष की अलग अलग बनी हुई हैं जो 7 पुस्तकों में हैं तथा प्रत्येक पुस्तक में लगभग 150 पृष्ठ हैं जिसके अनुसार लगभग 1050 पृष्ठ प्रति सैट होते हैं एवं जिनके 120 सैट भिजवाये जाने हैं जो अत्यधिक मात्रा में होने के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखा जाना समय, श्रम एवं व्यय साध्य है।

(प्रतियां व सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश के विद्यालयों का विद्युतीकरण

16. श्री राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य के सभी संभागों के किन-किन विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन नहीं है और किन-किन विद्यालयों को विद्युत कनेक्शन के अभाव में कम्प्यूटरीकृत नहीं किया गया है? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार एक विशेष अभियान चलाकर ऐसे विद्यालयों को अविलम्ब विद्युतीकृत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन नहीं की स्थिति परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कल्प कार्यक्रम द्वारा संचालित 4142 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में से 356 विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन विद्युत विभाग स्तर पर प्रक्रियाधीन हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट ''ख'' पर संलग्न है तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में से जिनमें विद्युत कनेक्शन नहीं है, का विवरण परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न हैं। राज्य में कम्प्यूटर शिक्षा हेतु आई.सी.टी. योजना अन्तर्गत चयनित 2500 राजकीय

(शिक्षा मंत्री)

उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से कोई भी विद्यालय विद्युत कनेक्शन के अभाव से वंचित नहीं किया गया है। क्योंकि उक्त विद्यालयों में जनरेटर सैट एवं यू.पी.एस. की व्यवस्था की हुई हैं।

(2) जी हां। उक्त विद्यालयों में विशेष अभियान चलाकर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(विवरण व सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अल्प भाषायी शिक्षकों को एस.टी.सी. उपरांत बी.एड. करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि

17. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) शिक्षा विभाग में किन-किन विषयों के अल्प भाषायी शिक्षकों को कौन-कौनसी प्रशैक्षणिक डिग्रियां प्राप्त करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि दिये जाने का किस-किस अवधि में प्रावधान रहा है? संबंधित आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उर्दू विषय के अल्प भाषायी शिक्षकों को एस.टी.सी. के उपरांत बी.एड. करने पर अग्रिम वेतनवृद्धि दिये जाने का नियमों में प्रावधान है? यदि नहीं, तो इस संदर्भ में राजस्थान सरकार, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग के पत्र क्रमांक एफ.187 शिक्षा-2/87 दिनांक 25-1-1988 तथा निदेशालय शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक शिविरा/सा.प्र./संस्था/12731/83-84 दिनांक 25-11-1987 की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शिक्षा विभाग के विभिन्न विषयों के अल्प भाषायी तृतीय श्रेणी अध्यापकों को प्रशैक्षिक डिग्रीयां (बी.एड.) प्राप्त करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि दिये जाने का अलग से कोई प्रावधान, नियमों में नहीं रहा है, अपितु तृतीय श्रेणी अध्यापक के पदों पर नियुक्त अध्यापकों को समय-समय पर पुनरीक्षित वेतनमान में बी.एड. की योग्यता अर्जित करने पर एक वेतन वृद्धि दिये जाने का प्रावधान रहा है। उक्त प्रावधान पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 1998 (प्रभावी दिनांक 01.07.1998 से) जो कि राज्य सरकार के वित्त विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ. 16(5) एफडी (रूल्स)/98 दिनांक 07.08.98 द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) प्रश्न के भाग 1 के अनुसार। शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग के पत्रांक एफ. 11 (187)/शिक्षा-2/87 दिनांक 25.01.1988 की छाया प्रति परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

परिशिष्ट-क

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प11(187)शिक्षा-2/87 जयपुर दिनांक : 25.01.1988

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान बीकानेर।

विषय:- उर्दू, शारीरिक शिक्षा, चित्रकला, उद्योग आदि विषयों के शिक्षकों को बी.एड. करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ दिये जाने के क्रम में।

प्रसंग:- आपका पत्र स. शिविरा/साप्र/संस्था/एफ-2/12731/83-84 दिनांक 25.11.87

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि नियमों में अध्यापक ग्रेड-III जो बी.एड./शिक्षा शास्त्री परीक्षा पास करते हैं, को ही अग्रिम वेतन वृद्धि दिये जाने का ही प्रावधान है। उर्दू/शारीरिक शिक्षा, चित्रकला, उद्योग आदि विषय के शिक्षकों को बी.एड./शिक्षा शास्त्री की डिग्री अनिवार्य नहीं है, अतः उन्हें अग्रिम वेतन वृद्धि नहीं दी जा सकती।

भवदीय

ह.

अनुभागाधिकारी

गैर अनुदानित विद्यालयों में गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा

18. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार प्रदेश के गैर अनुदान प्राप्त निजी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में कमजोर एवं वंचित तबकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कोई नियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

शेरगढ़ तहसील के विद्यार्थी मित्रों के बकाया मानदेय का भुगतान

19. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तहसील शेरगढ़ क्षेत्र की राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत विद्यार्थी मित्रों को माह अप्रैल, 2009 से जनवरी, 2010 तक के मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों व इसके लिये कौन-कौन दोषी है?

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त प्रकरण में दोषी कार्मिकों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार भविष्य में पीड़ित विद्यार्थी मित्रों के मानदेय का भुगतान समय पर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील शेरगढ़ क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत विद्यार्थी मित्रों को समय पर मानदेय भुगतान नहीं करने के संबंध में उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर द्वारा जांच करवाई जा रही है। जांचोपरान्त दोषी का निर्धारण किया जा सकेगा।

(2) जी नहीं। जांचोपरान्त तदनुसार दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) जी हां। विद्यार्थी मित्रों को नियुमानुसार भुगतान बाबत संबंधित ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी शेरगढ़ व बालेसर को उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर द्वारा निर्देशित किया जा चुका है।

राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में पहली कक्षा से अंग्रेजी विषय का अध्यापन

20. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इसी सत्र से राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में पहली कक्षा से अंग्रेजी विषय का अध्ययन शुरू करवाया जा रहा

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

है? यदि हां, तो उक्त हेतु क्या पाठयक्रम तय किया गया एवं अध्यापन की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सत्र 2004-05 से ही पहली कक्षा में अंग्रेजी विषय का अध्ययन करवाया जा रहा है।

तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण अधिकारियों के रिक्त पद

21. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण में अधिकारियों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो किस वर्ष से किस संवर्ग (यथा अनुसूचित जाति/जनजाति) के कितने पद क्यों रिक्त हैं?

(2) क्या तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण के पूर्व के वर्षों में किसी अधिकारी को अनुभव में शिथिलता प्रदान कर पदोन्नति प्रदान की गई है? यदि हां, तो गत 10 वर्षों में किन-किन अधिकारियों को व क्यों?

(3) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के अधिकारियों के रिक्त पद के संबंध में देय अर्द्धवार्षिक प्रमाण पत्र वर्ष 2008-09 में प्रदान किया गया है?

(4) तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक कब प्रस्तावित है तथा क्या उक्त हेतु योग्य अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन रोस्टर राजस्थान लोक सेवा आयोग से पत्राचार आदि की समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है?

(5) क्या तकनीकी शिक्षा विभाग में अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का समयबद्ध कार्यक्रम है? यदि हां, तो किन किन अधिकारियों के प्रकरण कितने समय से लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

क्र.सं.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	श्रेणी	रिक्ति वर्ष
1	2	3	4	5
1	निदेशक प्रशिक्षण	02	सामान्य	07-08 09-10
2	संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण	01	सामान्य	09-10
3	उपराज्य शिक्षुता सलाहकार एवं उप निदेशक प्रशिक्षण	04	अजा.-01 अजजा.-01 सामा.-02	09-10
4	सहायक निदेशक प्रशि.	20	अजा.-04 अजजा.-03 सामा.-13	08-09 (1) 09-10
5	उपचार्य/अधीक्षक औप्रसं.	26	अजा.-04 अजजा.-03 सामा.-19	08-09 09-10

1. निदेशक प्रशिक्षण का पद सेवा नियमों में सम्मिलित होने के उपरान्त ही डी.पी.सी. की बैठक सम्पन्न हो सकती है। अत: वर्ष 2009 में इस पद को सेवा नियमों में सम्मिलित किया गया है। डी.सी.पी. की कार्यवाही की जा रही है।

2 संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण का 01 पद वर्ष 2009-10 में माह नवम्बर में पद सृजन आदेश की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिस पर प्रश्नावली तैयार की जा रही है।

3. उपराज्य शिक्षुता सलाहकार एवं उपनिदेशक प्रशिक्षण/उपनिदेशक प्रशिक्षण के 02 पद वर्ष 2009-10 में माह नवम्बर में पद सृजन आदेश की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिस पर प्रश्नावली तैयार की जा रही है। 01 पद अनु. जन जाति का वर्ष 2004-05 से पात्र अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण रिक्त अनु. जनजाति का पात्र अभ्यार्थी उपलब्ध होने तक अग्रेषित किया गया है।

4. सहायक निदेशक प्रशिक्षण/आचार्य, औ.प्र. संस्थान/प्रबंधक, उ.के. के

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

18 पद वर्ष 2009-10 में माह नवम्बर में पद सृजन आदेश की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिस पर प्रश्नावली तैयार की जा रही है।

(2) जी नहीं। गत दस वर्षों में उपाचार्य/अधीक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के पद पर 09 अभ्यर्थियों को छूट प्रदान की गई है:-

1. श्री रविन्द्र कुमार जोशी, 2. श्री शिवलाल मीणा, 3. श्री अशोक कुमार परिहार, 4. श्री इन्द्रलाल गोदावत, 5. श्री सी.एम. शर्मा, 6. श्री सोह्न लाल प्रजापत, 7. श्री अचलेश्वर सोलंकी, 8. श्री हरभजन सिंह, 9. श्री बाबूलाल वेष्णव।

अनुभव हेतु आवश्यक अवधि पूर्ण नहीं होने के कारण नियमों के तहत आवश्यक अनुभव अवधि में शिथिलता प्रदान की गई।

(3) जी नहीं।

(4) तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक प्रश्न के भाग संख्या 1 में वर्णित तालिका के स्तम्भ संख्या 5 में वर्णित अवधि से लम्बित है।

इस हेतु योग्य अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन, रोस्टर, राजस्थान लोक सेवा आयोग से पत्राचार आदि की समस्त प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है।

(5) जी हां।

ए. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विचाराधीन जांच संख्या-03

1. श्री पी.सी. मंगल, सेवानिवृत्त उप निदेशक प्रशिक्षण (दिसम्बर 1989)
2. श्री सचिन सोलंकी, अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (अगस्त 2009 से)
3. श्री बिहारी लाल वर्मा, अधीक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (जुलाई 2009 से)

बी. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत जांच संख्या-02

1. श्री जीवन लाल सिनौरा, आचार्य औ.प्र.सं. (वर्तमान में निलम्बित अक्टूबर 2003 से)
2. श्री जीवन लाल सिनौरा, आचार्य औ.प्र.सं. (वर्तमान में निलम्बित जुलाई 2003 से)

अतारांकित प्रश्न संख्या-22

(स्थगित)

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में परीक्षाओं हेतु नियुक्त बाह्य परीक्षक

23. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या तकनीकी शिक्षा (कृषि) राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी विज्ञान महाविद्यालय की परीक्षाओं हेतु बाह्य परीक्षकों के लिए निर्धारित योग्यताओं की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) गत 05 वर्षों में उक्त महाविद्यालयों में लगाये गये प्रौद्योगिक परीक्षकों के नाम, पद व विषय मय योग्यता पढ़ाने के अनुभव सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त सभी बाह्य परीक्षक नियमानुसार तकनीकी अर्हताएं रखते हैं ? यदि नहीं, तो इसके जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या महाविद्यालय के अधिष्ठाता बाह्य परीक्षक की अर्हताएं रखते हैं तथा उन्होंने अपने महाविद्यालय में बाह्य परीक्षक के रूप में परीक्षा ली हैं?

उत्तर

(1) महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के समस्त संघटक महाविद्यालय में बाह्य परीक्षकों के लिए अलग से योग्यताएं निर्धारित की हुई नहीं है। विभिन्न विषयों को पढ़ाने वाले प्राध्यापकगण ही आंतरिक एवं बाहृ परीक्षक का कार्य करते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद शिक्षक की नियुक्ति की निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं की प्रति परिशिष्ठ ''1'' पर संलग्न है।

(2) गत 5 वर्षों में डेयरी एवं खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में लगाये गये प्रायोगिक परीक्षकों के नाम, पद विषय में योग्यता एवं अनुभव की सूची परिशिष्ट ''2'' पर सलंग्न है।

(3) जी हां।

(4) जी हां। महाविद्यालय के अधिष्ठता बाह्य परीक्षक की अर्हताएं रखते है तथा इन्होंने महाविद्यालय में बाह्य परीक्षक के रूप में परीक्षा ली है।

(प्रति व सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-1 का विवरण)

परिशिष्ट 'अ'

सरकार द्वारा नौनिहालों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु जिन कार्यक्रमों के अन्तर्गत सहायता/राशि उपलब्ध करवाई जाती है उनका विवरण निम्न प्रकार है।

भारत सरकार द्वारा व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम (Universal lmmunization Programme) के अन्तर्गत छः जानलेवा बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए रोग निवारक टीके (preventive veccine) नि:शुल्क राज्य को उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

वर्ष 2009-10 में नियमित टीकाकरण के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों हेतु भारत सरकार द्वारा राशि रुपये 18.62 करोड का प्रावधान किया गया है, जिसमें से भारत सरकार द्वारा राज्य को अभी तक राशि रुपये 6.47 करोड रूपये उपलब्ध करवाये गये हैं और राज्य द्वारा इस कार्यक्रम के संचालन हेतु जिलों को 12.06 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त पोलियो रोग के उन्मूलन हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य में समय-समय पर पल्स पोलियो अभियान आयोजित किये जाते हैं। जिसके लिए भारत सरकार द्वारा राज्य को पोलियो की दवा नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। पल्स पोलियो अभियान हेतु वर्ष 2009-10 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य को राशि रुपये 21.10 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

कुपोषण उपचार केन्द्रों में भर्ती बच्चे को विशेष प्रकार का आहार (Nutrition) नि:शुल्क प्रदान किया जाता है ।

कुपोषण उपचार केन्द्रों में भर्ती बच्चे की माता/अटेन्डेन्ट (Attendent) को 30 रुपये प्रतिदिन का मानदेय दिया जा रहा हैं।

राज्य में नवजात शिशुओं को आवश्यकतानुसार रेफर करने हेतु आशा सहयोगिनी को 300/- रुपये की टोकन राशि प्रदान की जा रही है।

नवजात शिशु एवं बाल्यकाल (Neonatal and childhood) की बीमारियों की समेकित देखभाल हेतु वर्ष 2009-10 के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कुल राशि रुपये 5.04 करोड़ रुपये राज्य सरकार को दिये गये जिसके

अन्तर्गत राशि रुपये 0.65 करोड़ रुपये नवजात शिशु स्वास्थ्य हेतु तथा राशि रूपये 3.80 करोड़ नवजात शिशु स्वास्थ्य के लिए विभिन्न स्वास्थ्य कार्यकताओं (Different Health Worker) के प्रशिक्षण (Tranning) हेतु शामिल हैं।

परिशिष्ट 'ब'

सरकार द्वारा नौनिहालों के लिए जिन बीमारियों के लिए मुफ्त टीकाकरण की व्यवस्था की हुई है उनका विवरण निम्न प्रकार है।

नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 0 से 1 वर्ष के शिशुओं को पोलियो, (Polio) गलघोंटू (Diphtheria), काली खांसी (Whooping Cough), नवजात शिशुओं में टिटनेस (Neonatal Tetanus), खसरा (Measles) एवं बच्चों में होने वाले गम्भीर प्रकार के क्षयरोग (Serious Kind of Tubercular) से सुरक्षा प्रदान करने के लिए तथा 10 व 16 वर्ष के बच्चों को टिटनेस (Tetanus) से सुरक्षा प्रदान करने के लिए टीके मुफ्त प्रदान किये जाते हैं। इसके साथ-साथ गर्भवती महिलाओं (Pregnant Women) को भी टी.टी (Tetanus Toxoid) का टीका नि:शुल्क देकर मां एवं गर्भस्थ शिशु को लाभान्वित किया जाता है।

भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गये पायलट कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के केवल जयपुर शहर में 0 से 1 वर्ष तक के बच्चों को हेपेटाइटिस-बी (Hepatitis-B) का टीका भी नि:शुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है।

पल्स पोलियो अभियान के अन्तर्गत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा नि:शुल्क दी जाती है।
